

षोडश माला, खंड 8, अंक 10

सोमवार, 9 मार्च, 2015

18 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)



(खंड 8 में अंक 10 से 19 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

**© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

---

**अस्वीकरण**

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद-विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंग के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

## विषय-सूची

षोडश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2015 / 1936 (शक)

अंक 10, सोमवार, 9 मार्च, 2015 / 18 फाल्गुन, 1936 (शक)

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
<b>प्रश्नों के मौखिक उत्तर</b>	
1*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 165 (09.03.2015)	19-37
<b>प्रश्नों के लिखित उत्तर</b>	
तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 160 (05.03.2015)	38
166 से 180 (09.03.2015)	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 (05.03.2015)	38
1841 से 2070 (09.03.2015)	

---

<sup>1\*</sup> किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

09.03.2015

<b>सभा पटल पर रखे गए पत्र</b>	<b>39-40</b>
<b>अध्यक्ष द्वारा घोषणा</b>	<b>41</b>
<b>राज्य सभा से संदेश</b>	<b>42</b>
<b>मंत्री द्वारा वक्तव्य</b>	
नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 106वें, 115वें, 158वें, 166वें, 174वें, 185वें और 209वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
<b>डॉ. महेश शर्मा</b>	<b>43</b>
<b>कार्य मंत्रणा समिति</b>	
13वां प्रतिवेदन	44
<b>अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2014-15</b>	<b>45</b>
<b>सदस्यों द्वारा निवेदन</b>	<b>46</b>
जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा कथित तौर पर एक अलगाववादी नेता की रिहाई की रिपोर्ट के बारे में	
<b>नियम 377 के अधीन मामले</b>	<b>89-108</b>

(एक) राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेगिस्तानी क्षेत्रों के सभी आवासीय इलाकों में सड़कों के निर्माण कार्य को सुगम बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानदंडों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

कर्नल सोनाराम चौधरी

90-91

(दो) कम ब्याज दरों पर दीर्घावधि कृषि ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु राजस्थान के सहकारी भूमि विकास बैंक अनुदान प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बहादुर सिंह कोली

92

(तीन) उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बार-बार बिजली जाने और ट्रांसफार्मरों का नुकसान होने की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता

डॉ. नैपाल सिंह

93

(चार) महाराष्ट्र के गोवारी, माना, हलबा, धंगार, इंजावर समुदाय के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री नाना पटोले

94

(पांच) उत्तरप्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाकघरों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह

95

(छह) देश में बाल मृत्युदर को अत्यंत कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय जयसवाल

96

(सात) राजस्थान के करौली जिले में पंचायती राज संस्थाओं के भवनों के निर्माण के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. मनोज राजोरिया

97

(आठ) महाराष्ट्र के मुम्बई में पूर्वी राजमार्ग पर सायन और मुलुन्द के बीच एक पेट्रोल पम्प स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट सोमैया

98

(नौ) केरल के श्रीचित्रातिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडीकल साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनन्तपुरम को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने और रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

99-100

- (दस) एलपीजी राजसहायता प्राप्त करने के लिए आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ने की समय-सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता  
श्री एंटो एन्टोनी 101
- (ग्यारह) तमिलनाडु के मदुरै विमानपत्तन का उन्नयन करने और वहां कार्गो सेवाओं के संचालन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता  
श्री आर. गोपालकृष्णन 102
- (बारह) पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिलों में मातला नदी तल से गाद निकाले जाने की आवश्यकता  
श्रीमती प्रतिमा मण्डल 103
- (तेरह) तम्बाकू उत्पादों की पैकिंग को साधारण बनाए जाने की आवश्यकता  
श्री बैजयंत 'जे.' पांडा 104
- (चौदह) मुम्बई के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में खतरनाक आणविक विकिरण के कारण कैंसर से मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों तथा कैंसर से पीड़ित कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता  
श्री राहुल शेवाले 105

(पंद्रह) आंध्रप्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती शहर को हैरीटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आग्मेंटेशन योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री जैदेव गल्ला

106

(सोलह) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ आबंटित निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.एस.आर. नायक

108

(सत्रह) केरल के अट्टापड्डी क्षेत्र में जनजातियों की समस्या का प्रभावी ढंग से निदान करने हेतु बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाने और अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.के. बीजू

108-109

(अठारह) आंध्रप्रदेश के अराकु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुरुकुल विद्यालयों में पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कोथापल्ली गीता

110

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और  
पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए  
जाने के बारे में सांविधिक संकल्प, 2015

और

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और  
पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015

111-112

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी.एन. जयदेवन

113

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह

113-117

श्री कीर्ति आजाद

118 -124

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया

125-134

श्री के.एन. रामचन्द्रन

135-137

श्री कल्याण बनर्जी

138-146

श्री तथागत सत्पथी

147-153

श्री अरविन्द सावंत

154-159

श्री जैदेव गल्ला

160-162

श्री बी. विनोद कुमार	163-167
श्री जितेन्द्र चौधरी	168-170
श्री वाई.वी. सुब्बारेड्डी	171-173
श्रीमती सुप्रिया सुले	174-179
श्री एम. वेंकैया नायडु	180-199
श्री धर्मेन्द्र यादव	200-206
श्रीमती रंजीत रंजन	207-211
श्री भगवंत मान	212-215
श्री राजेश रंजन	216-220
श्री हुकुम सिंह	221-227
डॉ. अरुण कुमार	228-230
श्री जोस के. मणि	231-32

**लोक सभा के पदाधिकारी**

**अध्यक्ष**

श्रीमती सुमित्रा महाजन

**माननीय उपाध्यक्ष**

डॉ. एम. तंबिदुरै

**सभापति तालिका**

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

**महासचिव**

श्री अनूप मिश्र

## लोक सभा वाद-विवाद

---

---

लोक सभा

-----

सोमवार, 9 मार्च, 2015 / 18 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं]

09.03.2015

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यों, मुझे श्री सौगत राय, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री वेणुगोपाल जी और कुछ अन्य सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैं एडजर्नमेंट मोशन की बात कर रही हूँ, लेकिन आपका सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर का मामला है कल्याण जी। मुझे दोनों प्रकार से मामला मिला है। सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर तो बाय रूल है ही नहीं, लेकिन आपने कर दिया है। एडजर्नमेंट मोशन मुझे ज़रूर दो विषयों पर मिला है। मेरा इतना ही कहना है कि मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ लेकिन खड़गे जी को 12 बजे मामला उठाने का मौका ज़रूर दूँगी।

... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :** अध्यक्ष महोदया, इतना महत्वपूर्ण मामला होने की वजह से इस विषय पर आप हमें कहने दीजिए। इसका उत्तर प्रधान मंत्री जी को सदन में आकर देना चाहिए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन हमारे इनसिस्ट करने के बावजूद भी वे आकर यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दे सके। अब फिर दूसरा मुद्दा उठ गया है कि जो एंटी-नैशनलिस्ट्स हैं, जो टैरिस्ट्स हैं, जिन्होंने 120 लोगों को मारने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों को अगर आप रिहा करते जाएँगे तो फिर इस देश में कुछ बचेगा नहीं। यह गंभीर मामला है। वे आकर स्टेटमेंट दें, हम यही कहना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ ... (व्यवधान)

जम्मू-कश्मीर में मुफती मोहम्मद सईद की सरकार ने 7 मार्च, 2015 को मुस्लिम लीग और Hurriyat कॉन्फ्रेंस के नेता मसरत आलम को बारामुला जेल से रिहा कर दिया। आलम को एक समय कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी का करीबी समझा जाता था। वर्ष 2010 में जब वह हड़ताल और पथराव आंदोलन की रूप-रेखा तय कर रहा था, उसी समय उस पर 10 लाख रुपये का नकद ईनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उसकी तलाश शुरू कर दी तो वह भूमिगत हो गया।

09.03.2015

ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को अगर रिहा किया जाता है तो इसके बाद अभी बहुत से और ऐसे लोग अंदर हैं, फिर एक के बाद एक ऐसे ही उनको रिहा कर देंगे। चीफ मिनिस्टर का यह कहना है कि उनका मन बदल रहा है, इसलिए वहाँ पर हमें डेमोक्रेसी के उसूलों को बहुत गंभीरता से लेना है और शांति रखनी है, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। अगर इसी की वजह से हम देशद्रोही लोगों को छोड़ते हैं, और देश के खिलाफ काम करने वालों को, विद्रोहियों को छोड़ते हैं और कानून के तहत उन पर सैक्शन 121 के तहत भी यहाँ पर संघर्ष करने के लिए देशद्रोह की कार्रवाई बनती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को छोड़ने का जो इरादा सरकार ने रखा है, सरकार के सपोर्ट के बगैर वे छोड़ नहीं सकते। अंदरूनी आपकी कोई चर्चा है, क्योंकि यह मिली-जुली सरकार है, आपकी और उनकी सरकार मिलकर है। जब आप मिलकर काम करते हैं तो ऐसी बड़ी समस्या पर मुफ्ती मोहम्मद सईद जी अकेले उनको नहीं छोड़ सकते हैं। शायद आपसे कन्सल्ट किया होगा, शायद उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की होगी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, इसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को पहले बताया है। जब पाकिस्तान का इश्यू था...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, आपने अपनी बात कह दी है।

... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** आप मेरी बात सुनिए...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैंने आपको कहा है कि आप इस विषय को 12 बजे उठाइए।

... (व्यवधान)

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम.वेंकैया नायडु):** आपको निष्पक्ष होना चाहिए। आपने इश्यू रेज़ कर दिया है...(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** आपको जो कहना है, आप पूरी तरह से कह सकते हैं। क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप भी मुझसे सहमत होंगे। पूरा सभा सहमत होगा... (व्यवधान)  
मुझे संशय इसलिए है कि इससे पहले भी उन्होंने यही कहा था कि यहां जो चुनाव हुए हैं, वे पाकिस्तान की

09.03.2015

वजह से ठीक हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव आतंकवादियों की सपोर्ट से हुए, हुरियत की सपोर्ट से शांति से चुनाव हुए। जब यह बात उन्होंने कही तो प्रधानमंत्री जी का इस संबंध में एक भी रिफुटेशन नहीं आया। उसके बाद यह काम किया गया है... (व्यवधान) इसलिए प्रधानमंत्री यहां आकर स्टेटमेंट दें और देशद्रोही लोगों को छोड़ने का काम जो हो रहा है, इसे रोकना चाहिए... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री एम. वैकैया नायडु:** महोदया, आपने खड़गे जी को अनुमति दी है।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आप लोग चिल्लाना चाहते हैं, तो अलग बात है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री एम वैकैया नायडु :** माननीय अध्यक्ष महोदया ने खड़गे जी को एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति दी है। ... (व्यवधान) वेणुगोपाल जी, एक मिनट कृपया। ... (व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है और प्रश्नकाल के निलंबन के लिए नोटिस भी दिया गया है। महोदया, मेरा निवेदन है, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जिस मुद्दे को खड़गे जी ने उठाया था, वह पूरे देश की बात है, किसी एक दल, इस दल या उस दल की नहीं... (व्यवधान) जहां तक सरकार का संबंध है, मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि ... (व्यवधान) प्रश्नकाल के बाद वे सभा में आकर वक्तव्य देंगे। ... (व्यवधान) भारत सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। केंद्र से सलाह नहीं ली गई। हम इसमें शामिल नहीं हैं। ... (व्यवधान) लेकिन तथ्यात्मक स्थिति के बारे में माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रश्नकाल के बाद सभा को समझाया जाएगा। यदि आप अनुमति देते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ... (व्यवधान)

09.03.2015

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

**श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर):** अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी को सदन में स्टेटमेंट देनी चाहिए।... (व्यवधान)

यह क्या चल रहा है? ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने आपसे कहा है कि 12 बजे इस मुद्दे को उठाइए। एक बात यह है कि मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि दोपहर 12 बजे, मैं आप सभी को अनुमति दूंगी, जिसने भी नोटिस दिया है, और फिर वह उत्तर देगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** यह अब नहीं है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं दोपहर 12 बजे पर अनुमति दूंगी। वह आएंगे। जब कहा है कि वे आएंगे। वह आएंगे।

[हिन्दी]

**श्री एम. वैकैय्या नायडु :** यह केवल आपकी पार्टी का विषय ही नहीं है, पूरे देश का विषय है। हमें भी चिंता है। सभी चिंतित हैं। आइए सुनते हैं..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** आप जानते हैं, यह एक ही मुद्दे पर है, कृपया।

12 बजे वे आएंगे। मैं आप सभी को बोलने की अनुमति दूंगी और फिर वह उत्तर देंगे।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** मैं इसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। वे 12 बजे सदन में आएंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष :** कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** गृह मंत्री जी जरूर आएंगे और इस विषय पर जरूर बयान देंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष :** अब प्रश्नों का समय। प्रश्न संख्या 161

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** नहीं, यह तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

**पूर्वाह्न 11.09 बजे**

(इस समय श्री राजीव सातव, श्री सुल्तान अहमद, श्री जय प्रकाश नारायण यादव, श्री पी. करुणाकरण और

कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

09.03.2015

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

09.03.2015

**पूर्वाह्न 11.09 ½ बजे****प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न संख्या 161, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल।**(प्रश्न संख्या 161)**

[हिन्दी]

**श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की इजाजत दी, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ।... (व्यवधान) हमारा देश ग्राम प्रधान देश है।... (व्यवधान) गांवों को मुख्यधारा में लाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने निरंतर प्रयास किया है।... (व्यवधान) इसका जीता-जागता उदाहरण है कि अक्टूबर, 2014 में विश्व निवेशक शिखर सम्मेलन में, जो मध्य प्रदेश में हुआ था, हमारे प्रधान मंत्री जी ने भाषण दिया था कि जापान, चीन, अमेरिका से 100 मिलियन डॉलर के निवेश हेतु वीजा के लिए आवेदन किया गया है।... (व्यवधान) अब यह राज्यों पर निर्भर है कि वे इस अवसर का पूर्ण उपयोग करें।... (व्यवधान) जो राज्य इसके लिए तैयार हैं, उसका बड़ा हिस्सा उन्हें मिल सकता है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडु):** मैं चाहता हूँ कि सभा निरंतर चले। ... (व्यवधान) गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर मामले को देख रहे हैं।

<sup>2</sup> प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

09.03.2015

वह संबंधित मंत्री हैं, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले देख रहे हैं। ... (व्यवधान) वे आएंगे और इसका जवाब देंगे। उन्हें थोड़ा धैर्य रखने दें। अन्यथा, हम इस तरह से नहीं चल सकते। ... (व्यवधान)

09.03.2015

[हिन्दी]

**श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में किन-किन राज्यों ने यह आवेदन स्वीकार किया है और क्या इसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को स्थापित करने में प्रोत्साहन मिल सकेगा?

**श्री कलराज मिश्र :** महोदया, प्रश्न के उत्तर में इसका जवाब दे दिया गया है...(व्यवधान) वर्ष 2006 में जो कानून बना था, उसके अंदर संयंत्रों के लिए जो पूंजी की सीमा थी, उसके तहत सूक्ष्म उद्योगों के लिए 25 लाख रुपये, लघु उद्योगों के लिए 5 करोड़ रुपये और मध्यम उद्योगों के लिए 10 करोड़ रुपये की सीमा थी...(व्यवधान) यह पूरे देश भर के लिए है...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने कहा है कि इसे सभी राज्यों ने स्वीकार किया है...(व्यवधान)

सेवा क्षेत्र में यह सूक्ष्म उद्योगों के लिए 10 लाख रुपये, लघु उद्योगों के लिए एक करोड़ रुपये और मध्यम उद्योगों के लिए 5 करोड़ रुपये की सीमा थी...(व्यवधान) हम इसकी कैपिटल लिमिट को और ऊंचा करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि राज्य इसे स्वीकार करते हुए और भी व्यवस्थित तौर पर कर सकें...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** सभा पूर्वाह्न 11:30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**पूर्वाह्न 11.13 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

09.03.2015

**पूर्वाह्न 11.30 बजे**

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ...जारी

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडु) : अध्यक्ष जी, खड़गे जी ने जो इश्यू उठाया है, जैसा मैंने शुरू में कहा है, वह बहुत गंभीर मामला है और देश के हित में उसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए, इसलिए मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 12 बजे गृह मंत्री जी...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप सभी बात सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री एम. वैकैय्या नायडु : 12 बजे गृह मंत्री जी यहां आकर जवाब देंगे...(व्यवधान) हमने प्रधानमंत्री जी को भी इससे अवगत करा दिया है। प्रधानमंत्री जी भी आयेंगे और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री जी इन्टरवीन करेंगे।  
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप 12 बजे तक इन्तजार कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : 12 बजे प्रधानमंत्री जी आयेंगे?... (व्यवधान)

09.03.2015

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** वे यही कह रहे हैं। मुझे नहीं पता।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न संख्या 161 चल रही है। माननीय सदस्य अपना दूसरा अनुपूरक पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

**श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:** अध्यक्ष महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास आधिनियम, 2006 के अनुसार जो स्कीम बनाई गई थी, उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या नई मशीनरी खरीद पर 15 प्रतिशत सब्सिडी मिलती थी, जिसकी आधिकतम सीमा 15 लाख रुपये तक की गई है। यह स्कीम काफी पुरानी है। यह स्कीम वर्ष 2006 की है और हम अभी वर्ष 2015 में हैं, 9 सालों में मशीनरियों की कीमत दोगुनी हो गई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि 15 प्रतिशत सब्सिडी की जो सीमा है, उसको बदल कर क्या सरकार उसको बढ़ाने का विचार कर रही है? 15 लाख रुपये की जो आधिकतम सीमा है, क्या उसे बढ़ाने के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है?

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) :** महोदया, यह क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, जिसमें 15 प्रतिशत मशीनों के अपग्रेडेशन के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती रही है। अभी तक वही चल रहा है। उसके ऊपर अभी विचार नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो सिफारिशें आ रही हैं, उनके आधार पर हम एम.एस.एम.ई. की कैपिटल लिमिट बढ़ाने की सोच रहे हैं। इसके बारे में आगे चल कर क्या स्थिति बनेगी, उसके बारे में सोचा जा सकता है।

[अनुवाद]

**डॉ. बूरा नरसैया गौड़:** महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

09.03.2015

हाल के बजट में, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 62 प्रतिशत एमएसएमई का प्रबंधन एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों द्वारा किया जा रहा है। हम इसकी भी सराहना करते हैं कि प्रधान मंत्री ने समूहों की सहायता के लिए एक नई मुद्रा बैंक योजना की घोषणा की है। यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत रोजगार एम.एस.एम.ई. द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस साल के बजट में यह स्पष्ट नहीं था कि केवल एस.सी. और एस.टी. उद्यमियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं। मैं उल्लेख कर सकता हूँ कि इस 62 प्रतिशत में, बड़ी संख्या में उद्यमी ओ.बी.सी. समुदाय से हैं। चूंकि ओ.बी.सी. भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इन 62 प्रतिशत में से लगभग 60 प्रतिशत की सीमा तक नौकरी देने वाले हैं, इसलिए एम.एस.एम.ई. के ओ.बी.सी. उद्यमियों को विशेष सहायता का समान लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता है? मैं उनसे मेरी याचिका पर विचार करने का भी अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

**श्री कलराज मिश्र :** महोदया, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है, प्रधानमंत्री जी ने प्रारम्भ में ही अपने भाषण में कहा था कि यह सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। उसी भावना को ध्यान में रखते हुए बजट के अन्दर जो प्रावधान किये गये हैं, वे माइक्रो यूनिट डेवेलपमेन्ट रिफाईनैन्स एजेन्सी के द्वारा, जिसको 'मुद्रा' कहा जाता है, अभी वह 20 हजार करोड़ रुपये का है। उसके अन्दर सेवा सैक्टर भी है और वह ट्रेड और माइक्रो इन्डस्ट्रीज से सम्बन्धित भी है। इस स्तर पर जितने भी लोग होंगे, उन लोगों की मदद की जायेगी। विशेष रूप से इस सैक्टर में 62 प्रतिशत एस.सी./एस.टी. ही काम करते हैं, इसलिए उनका उल्लेख किया गया है।

09.03.2015

**(प्रश्न संख्या 162)**

**श्री सी.आर. पाटील :** अध्यक्ष महोदया, मैं पहले रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उदना-जलगांव स्टेशन के बीच डबल लाइन, जिसके लिए यू.पी.ए. सरकार साल में 14 करोड़ रुपये आबंटित करती थी। इन्होंने इस बार 500 करोड़ रुपये एक साथ आबंटित कर दिए हैं। इससे प्रोजैक्ट जल्दी पूरा होगा। इससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जाने के लिए जो बॉटलनेक था, वह दूर हो जाएगा और विकास में बहुत सहयोग होगा। साथ ही सूरत रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने के लिए रेलवे, गुजरात सरकार और सूरत कार्पोरेशन ने मिलकर जो एम.ओ.यू. साइन किया है, मंत्री जी ने जवाब में उसका कोई उल्लेख नहीं किया है। पहले उदना रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के लिए डिक्लेयर किया गया था। उस पर आगे कुछ काम नहीं चल रहा है, इस बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया। मैं मंत्री जी से इन दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ।

**श्री सुरेश प्रभु :** मैडम, अगर माननीय सदस्य प्रश्न पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि यह गेज कन्वर्जन, आन-गोइंग रेलवे प्रोजैक्ट्स, डबलिंग, ट्रिपलिंग आदि के बारे में है, इसलिए इस बारे में जवाब नहीं दिया गया। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम उनके हर सवाल के बारे में जवाब दे देंगे। यदि आप नोटिस देंगे तब जवाब दे देंगे और नोटिस नहीं देंगे, तब भी यदि चाहते हैं तो जवाब जरूर दे देंगे।

**श्री सी.आर. पाटील:** अध्यक्ष महोदया, नवसारी डिस्ट्रिक्ट बने हुए करीब 15 साल हो गए हैं, लेकिन 30 साल से वहां एक भी ट्रेन नहीं रुकी। जैसे मुंबई में इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों के लिए ट्रेन चलती है। यहां इंडस्ट्रियल जोन होने की वजह से लाखों लोग ट्रेन का उपयोग करते हैं, लेकिन यहां एक बोगी भी नहीं बढ़ रही है। नवसारी में ट्रेन रुके, इसके लिए और यू.पी., बिहार के लिए भी हमारी डिमांड है।

**माननीय अध्यक्ष :** इस प्रश्न में गेज कन्वर्जन, डबलिंग की बात है।

... (व्यवधान)

**श्री सुरेश प्रभु :** मैडम, जैसे आपने निर्देश दिया है, उस हिसाब से हम इस बारे में जरूर ध्यान देंगे।

09.03.2015

**श्री राजेशभाई चुडासमा :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रश्न पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय रेलवे मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने राजकोट और जूनागढ़ और जूनागढ़ से वेरावल के दोहरीकरण के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण करवाने का प्रस्ताव किया है। मेरे मत क्षेत्र जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में भगवान सोमनाथ और शेर के लिए सासन-गिर जगविख्यात हैं। उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन दो प्रस्तावों का कार्य कब पूरा होने की संभावना है? मेरा अनुरोध है कि इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

**श्री सुरेश प्रभु :** मैडम, अभी बजट में प्रावधान है तो हम इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। वैसे देखा जाए तो हमने अपने बजट में जिन चीजों के लिए भी एनाउंसमेंट किया था, हमने गुरुवार 26 तारीख को बजट प्रैजेंट किया था और 27 तारीख को ही पूरे रेलवे बोर्ड के साथ मीटिंग करके उन्हें पूरी तरह से टारगेट दिया है। उन्हें हर 15 दिन में उसका फॉलो-अप करने के लिए भी कहा गया है। हमने चेयरमैन, रेलवे बोर्ड को भी निर्देश दिया है कि वे खुद हर हफ्ते इसकी मोनीटरिंग करें। धन की जो जरूरत है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि इसके लिए धन भी मिल जाएगा। मुझे लगता है कि हमने बजट में जिन परियोजनाओं की घोषणा की थी, उन्हें अमल में लाने की हम पूरी तरह कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

**प्रो. के.वी.थोमस:** महोदया, इस सभा में श्री सदानन्द गौड़ा द्वारा प्रस्तुत पिछले बजट और श्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत वर्तमान बजट में एक नीति जिस पर नई सरकार जोर दे रही है -- दोहरीकरण सहित किसी भी विकास गतिविधि में -- यह है कि राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। पहला, केरल जैसे राज्यों के लिए यह व्यावहारिक रूप से कठिन है।

दूसरा, जब हमने नई परियोजनाओं के लिए अनुरोध किया, तो मुझे यह कहते हुए एक पत्र मिला कि हमें एम.पी.एल.ए.डी.एस. से धन उपलब्ध कराना है। हम एमपीएलएडीएस से केवल 5 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए, सरकार को उन आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों के बारे में सोचना होगा और सब कुछ राज्य

09.03.2015

सरकारों और सांसदों पर नहीं डालना होगा। एम.पी.एल.ए.डी.एस. के तहत हमें जो धन मिलता है, वह बहुत सीमित है। इस वर्ष हमें बजट में कुछ और धनराशि की उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं दिया गया है। इन तथ्यों को देखते हुए, क्या नए रेल मंत्री विकास के दृष्टिकोण को देखेंगे ताकि राज्य सरकारों पर अत्यधिक या अपनी सीमा से अधिक बोझ न पड़े?

**श्री सुरेश प्रभु:** मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की सहृदय सराहना करता हूँ। संसाधन सीमित हैं, चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। वास्तव में, हमारी सरकार को श्रेय दिया जाना चाहिए क्योंकि हमने वास्तव में चौदहवें वित्त आयोग की अधिकतम सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अब राज्यों के पास उपलब्ध संसाधन केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों से कहीं अधिक होंगे।

**प्रो. के.वी. थोमस:** यह पिछले साल आबंटित राशि से कम है, और राज्यों को कुछ ज्यादा भी नहीं दिया गया है। कृपया सभा को गुमराह न करें।

**श्री सुरेश प्रभु:** केरल के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता श्री अच्युतानंदन जी के साथ मेरी बहुत अच्छी चर्चा हुई। जब वे आए और मुझसे मिले, तो मैंने उन्हें प्रस्ताव दिया कि हमारा राज्य सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम होगा जिसमें राज्य को कितनी इक्विटी हिस्सेदारी लेनी चाहिए और केंद्र सरकार को कितनी इक्विटी लेनी चाहिए, इस पर पारस्परिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, और मैं केरल के माननीय मुख्यमंत्री तथा केरल के माननीय विपक्ष के नेता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मुझे तुरंत पत्र भेजा। अब, हम राज्य सरकार के साथ एस.पी.वी. को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इनमें से कुछ परियोजनाओं को तेजी से लागू कर सकें।

मैं भूमि आबंटन से संबंधित इस मुद्दे पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। यह ऐसी चीज है जिसका इस सरकार की नीति से कोई लेना-देना नहीं है। यह कुछ ऐसा था जो बहुत पहले तय किया गया था। स.प्र.ग. (यू.पी.ए.) के तहत तत्कालीन योजना आयोग ने वास्तव में निर्णय लिया था कि लागत में हिस्सेदारी होनी चाहिए और राज्यों द्वारा भूमि आबंटित की जानी चाहिए ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें। हम पिछली सरकार

09.03.2015

की उस अच्छी नीति को लेकर चल रहे हैं। हमारा मानना है कि पिछली सरकार ने जो भी अच्छा किया है, उसे जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि रेलवे एक राष्ट्रीय संपत्ति है और हमें इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए, हमें इसे और आगे ले जाना होगा।

जहां तक एम.पी.एल.ए.डी.एस. का सवाल है, मैं समझता हूँ कि एम.पी.एल.ए.डी.एस. कुछ ऐसा है जो 'असीमित' नहीं है। कुछ संसद सदस्य हैं, जिनमें से एक तो बजट पेश करने के बाद मुझसे मिलने आये और कहा कि वे इसके लिए 5 करोड़ रुपये देना चाहते हैं। यह केवल स्वैच्छिक है और मैं संसद के किसी भी सदस्य को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्थिति को पूरी तरह से समझता हूँ। हालाँकि, यदि संसद का कोई सदस्य इसे उदारता से देना चाहता है, जैसा कि आप में से कई कर रहे हैं, तो मैं वास्तव में इसकी सराहना करूँगा, लेकिन यह किसी भी परियोजना को लेने की पूर्व शर्त नहीं है। केरल, देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे कि केरल पूरी तरह से विकसित हो।

**श्री आनन्दराव अडसुल:** महोदया, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ जो भी कारण दिया गया है वह गेज परिवर्तन के लिए लागू नहीं है। एक महत्वपूर्ण ट्रेन - शकुंतला - जो यवतमाल, मुर्तिजापुर, अचलपुर और पुलगाम के बीच चलती है। लाइन वर्ष 1916 में बिछाई गई थी, और इसके अगले वर्ष 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मैंने इस मामले को याचिका समिति और सात रेल मंत्रियों के समक्ष उठाया है। दुर्भाग्य से, इसे गेज परिवर्तन के लिए नहीं लिया गया है। एक और बिंदु यह है कि हालांकि हमें वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिली थी, इस 'शकुंतला रेलवे' को अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिली है क्योंकि यह एक ब्रिटिश कंपनी के हाथ में है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं हमेशा इस परियोजना के साथ हूँ। मैं पहले ही छह मंत्रियों से मिल चुका हूँ और उन्हें पत्र सौंप चुका हूँ। मैंने न केवल मंत्रियों से मुलाकात की है, बल्कि याचिका समिति के समक्ष भी दो बार प्रस्तुत की है। दुर्भाग्य से, इसकी पर्याप्त देखभाल नहीं की जा रही है। श्रीमती भावना गवली भी नजदीकी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से आती हैं। पांच जिलों में रहने वाले लोगों को इस शकुंतला ट्रेन सेवा की आवश्यकता है, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। कई बार, यह नहीं चलती और कई अन्य चीजें हैं। हालांकि, लोग

09.03.2015

इसे चाहते हैं। इसलिए, मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कृपया इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लें और तत्काल कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** इनकी शकुन्तला के साथ न्याय कीजिए।

[अनुवाद]

**श्री सुरेश प्रभु:** यह एक बहुत अच्छा सुझाव है जिसे हमने नोट किया है। हम निश्चित रूप से इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखेंगे।

09.03.2015

**(प्रश्न संख्या 163)**

[हिन्दी]

**श्री राजन विचारे:** अध्यक्ष महोदया, मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर सभागार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसका संबंध देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की ओर है। कूड तेलों के आयात से भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कूड तेलों की कीमत कभी कम होती है तो कभी ज्यादा हो जाती है। इस कारण भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है। मुम्बई जैसे शहर में वर्ष 2002 में 34 रुपये लीटर से मिलने वाला पेट्रोल वर्ष 2013 में, यानी दस साल में 83 रुपये लीटर तक पहुंच गया, जो अभी गिरकर 68 रुपये हो गया है। इसी तरह डीजल, जो वर्ष 2002 में 23 रुपये लीटर मिलता था, वह अभी 45 रुपये लीटर मिलता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अरब देशों में आई.एस.आई.एस. के कारण तेल उत्पादन में राजनीतिक आस्थिरता बनी हुई है, उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कितना प्रभाव पड़ा है और भारत में उसका कितना असर पड़ रहा है?... (व्यवधान)

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान :** अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, जिसका उन्हें बहुत विस्तार से उत्तर दिया गया है, माननीय सदस्य ने अपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में पूछा कि आई.एस.आई.एस. के कारण क्या हमारे इम्पोर्ट में उसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि इसका कोई इम्पैक्ट भारत के ऑयल इम्पोर्ट पर नहीं है। हम सिर्फ खाड़ी देशों पर ही निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारी प्रोक्योरमेंट डाइवर्सिफिकेशन विश्व के कई देशों से हो रही है। भारत की इम्पोर्ट सिक्योरिटी पर्याप्त है।

**श्री राजन विचारे:** अध्यक्ष महोदया, भारत में ईरान और पाकिस्तान के रास्ते से तेल लाने की जो योजना सरकार द्वारा बनाई गई है, उसकी स्थिति क्या है?

09.03.2015

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान :** अध्यक्ष जी, ईरान के साथ हमारा एक पुराना प्रस्ताव चल रहा है, लेकिन ईरान और अन्य देशों के साथ हमारा जो कूटनीतिक संबंध है, उस पर पुरानी सरकारों और इस सरकार ने बहुत सोच-विचार किया है और भारत के हित को ध्यान में रखते हुए हम वही कदम उठायेंगे, जो देश के हित में होगा, वही किया जायेगा।

**डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय:** अध्यक्ष महोदया, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विकास के महत्वपूर्ण चरण से गुजर रही है। आर्थिक विकास के समर्थन में ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है, तभी हमारे देश की ऊर्जा, स्वच्छता आदि सभी आवश्यकताएं सुविधाजनक रूप से बढ़ेंगी। इस दिशा में माननीय मंत्री जी और मंत्रालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। घरेलू ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए विदेशों में तेल तथा गैस अवसरों की गहराई से खोजबीन करना भी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दुनिया के 25 देशों में तेल कम्पनियां इस दिशा में कार्य कर रही हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मध्य एशिया में विशाल मात्रा में उपलब्ध हाइड्रो कार्बन संसाधन हैं, उसके दोहन के बारे में सरकार की क्या रणनीति है?

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान :** अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की इस चिंता का आदर करता हूं। हमारे देश में सिर्फ देशी उत्पादन के कारण एनर्जी सिक्योरिटी हो पायेगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने सही फरमाया कि हमारे देश में ओ.एन.जी.सी. की विदेश में कारोबार करने वाली ओ.वी.एल. संस्था है, उसके इसी साल 50 वर्ष पूरे हो जायेंगे। उसकी हम स्वर्ण जयंती भी मनायेंगे। हमारा 25 देशों के साथ सम्पर्क है, लेकिन माननीय सदस्य ने विशेषकर मध्य एशिया के बारे में पूछा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सहर्ष अवगत कराना चाहूंगा कि तापी तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होकर भारत तक पाइप लाइन के माध्यम से नेचुरल गैस लाने के लिए कई सालों से वार्ता चल रही है। आज हम उसमें अंतिम स्थिति तक पहुंच गये हैं। हम शीघ्र ही उस बारे में एक निर्णायक मोड़ पर आयेंगे और एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में हमारा देश मध्य एशिया के साथ संलग्न हो जायेगा।

09.03.2015

**श्रीमती पूनम महाजन:** अध्यक्ष महोदया, अभी अफगानिस्तान से गैस पाइप लाइन के बारे में बात की जा रही थी, तो मुझे याद आया कि वर्ष 1993 में श्री पी.वी. नरसिंह राव जी ने ओमान में जब अपनी स्टेट विजिट की थी, तो उस विजिट के दौरान कहीं न कहीं एक विषय निकला था कि ओमान से लेकर, क्योंकि पाकिस्तान गैस पाइप लाइन वहां से नहीं आ पाती, तो क्या ओमान के माध्यम से भारत तक कोई गैस पाइप लाइन बन सकती है? माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ओमान गई थीं, क्या वहां कोई चर्चा हुई है? हमें गैस का आयात करना है, लेकिन राजनैतिक कूटनीतियों से उत्तर और प्रमाण नहीं मिल रहा है। क्या इसके बारे में कुछ हो सकता है? 1993 से जो मैटर फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्या माननीय मंत्री महोदया की ओमान से इस बारे में कोई बात हुई है?

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** माननीय अध्यक्ष जी, ओमान के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है। ओमान में गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है, जो हमारे देश को इम्पोर्ट होता है। ईरान, पाकिस्तान या ओमान की ऊंचाई से भारत के पश्चिमी तट तक कहीं पाइप लाइन ला पाएं, इसकी कल्पना है। ये सब इन्फ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजैक्ट्स हैं इसलिए ये कई प्रकार के कूटनीतिक दांव-पेंच में फंसे हुए हैं। सरकार इसे प्रायरिटी में लेकर भारत की ऊर्जा की सुरक्षा के लिए जो भी उचित कदम होगा, उसे उठाएगी। इसमें ओमान भी महत्वपूर्ण सहयोगी है।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न संख्या 164।

प्रो. ए.एस.आर. नायक: उपस्थित नहीं।

09.03.2015

**(प्रश्न संख्या 164)**

[अनुवाद]

**डॉ. जे. जयवर्धन:** महोदया, एम.एस.एम.ई. हमारी अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जहां असमानताएं व्यापक हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री 'पुरात्वी थलाइवी अम्मा' के कुशल नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार का मजबूत आधार लगभग सात लाख पंजीकृत इकाइयों के साथ है, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। नवीनतम तकनीक को बढ़ाने में असमर्थता का एम.एस.एम.ई. इकाइयों के संचालन और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री 'पुरात्वी थलाइवी अम्मा' ने विजन 2023 के तहत परिकल्पना की थी कि राज्य प्रासंगिक प्रौद्योगिकी में एम.एस.एम.ई. की सहायता के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ मिलकर सुविधा केंद्र प्रदान करेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करेगी जो बहुत आवश्यक है और एक अधिक भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण है।

[हिन्दी]

**श्री कलराज मिश्र:** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने तमिलनाडु के बारे में कहा है। मैं कह सकता हूँ कि तमिलनाडु में इस समय एम.एस.एम.ई. की सबसे अधिक यूनिट्स हैं, इसलिए तमिलनाडु निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। माननीय सदस्य ने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात कही है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो यूनिट्स सिक हैं या खराब हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ गई है, उनके बारे में विचार करते हुए कुछ चीजें सुनिश्चित की गई हैं। नैशनल मैनुफैक्चरिंग कम्पीटीटिवनेस प्रोग्राम के माध्यम से लगभग सात-आठ ऐसे कार्यक्रम दिए गए हैं, जिनमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो सकता है और होता है। मैं नाम लेना चाहता हूँ - लीन मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है। डिजाइन क्लीनिक, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन प्रोग्राम के माध्यम से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के आधार पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के बाद इस बात का मानक सुनिश्चित किया जाता है कि इसे हम किस ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार

09.03.2015

जगह-जगह और अनेक क्षेत्रों में तमिलनाडु में टूल्स रूम के माध्यम से टैक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की दृष्टि से प्रयत्न किया गया है। हमारा प्रयास यही है कि आधिक से आधिक स्थानों पर टैक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के आधार पर ग्लोबल मार्किट में कम्पीट कर सकें।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने सही कहा है कि एम.एस.एम.ई. सैक्टर लघु और मध्यम उद्योग का क्षेत्र है। यह हमारे देश की इकोनामी के लिए बहुत आवश्यक है। देश के तकरीबन 80 प्रतिशत इंडस्ट्रियल एन्टरप्राइज लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनकी गिनती इसमें होती है और एम.एस.एम.ई. सैक्टर में आठ करोड़ लोग एम्पलाएड हैं। यह सैक्टर मैनुफैक्चरिंग आउटपुट का 45 प्रतिशत कन्ट्रीब्यूट करता है।

जहां तक युवाओं को आगे आने वाले समय में रोजगार देने की बात है, हर साल लगभग 80 लाख युवा लेबर मार्किट में आ रहे हैं। इस सेक्टर से बहुत उम्मीद है। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए बहुत-सी बातें कही हैं। पिछले कई वर्षों से इस सेक्टर पर ध्यान दिया गया है, मैं समझता हूँ कि यह स्वागतयोग्य है। टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए जो तकरीबन 15 टूल्स रूम डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, जो पिछले पाँच-दस वर्षों में पूरे देश में स्थापित किये गये हैं, जिनमें दो सेंटर्स की मंजूरी हरियाणा में अम्बाला और रोहतक के लिए मिली थी, श्री मुनियप्पा जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, लेकिन वहाँ तेजी से काम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस ओर जल्दी से काम आगे बढ़ाया जाए।

**श्री कलराज मिश्र :** महोदया, टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए जो विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस खोले गये हैं, उनमें टूल्स रूम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये टूल्स रूम वहीं खोले जा रहे हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के क्लस्टर हैं। वहाँ कॉमन फैसिलिटीज़ सेंटर्स भी खोले जाते हैं। हाई टैक्नोलॉजी के आधार पर हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं। इस समय पूरे देश भर में 18 टूल्स रूम हैं और हम पूरे देश भर में 15 टूल्स रूम और खोलने जा रहे हैं। जहाँ भी यह सुनिश्चित किया गया है, वहाँ टूल्स रूम खुलेगा। हम राज्यों से याचना

09.03.2015

कर रहे हैं कि हमें जमीन दीजिए, हम टूल्स रूम खोलने के लिए तैयार हैं। रोहतक और अम्बाला में हमें जमीन मिल जाएगी, तो हम वहाँ निश्चित रूप से टूल्स रूम खोलेंगे।

**श्रीमती मीनाक्षी लेखी:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या हिन्दुस्तान का स्किल मैप तैयार हुआ है या तैयार किया जा रहा है? स्किल मैप और मेक इन इंडिया, दोनों को बराबर महत्व देते हुए किया जाए, ताकि एम.एस.एम.ई. को बेहतर काम मिल सके।

**श्री कलराज मिश्र :** महोदया, एम.एस.एम.ई. गुणवत्तायुक्त हो सके, इसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट और स्किल मैप पर विशेष ध्यान दिया है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा जिला नहीं है, जिस जिले की हमने स्किल मैपिंग न करवा ली हो। पूरे हिन्दुस्तान के सभी जिलों की स्किल मैपिंग हमने करवाई है, आवश्यकता पड़ने पर जिस जिले के लोग चाहेंगे, वहाँ हम भिजवा सकते हैं।

**(प्रश्न संख्या 165)**

**श्री मानशंकर निनामा:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या धरोहर स्थलों व स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये हैं?

**डॉ. महेश शर्मा:** माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, वह उनके मूल प्रश्न में है और इसका जवाब दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पिछले एक सौ दस वर्षों से यह कार्य किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति और भारतीय पर्यटन, जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशेष योजना के तहत पहचान है और हमारी धरोहर है, सरकार ऐसे सभी मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स के संरक्षण और पोषण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।

**श्री मानशंकर निनामा:** महोदया, जनजातीय धरोहर संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं, विशेष रूप से उत्तर-पूर्व, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में उनकी धरोहर एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सरकार का क्या विचार है? मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, सिरोही जिले में जनजातीय संस्कृति एवं धरोहर संरक्षण के बारे में सरकार की क्या नीति है और क्या कार्य-योजना है?

**डॉ. महेश शर्मा :** महोदया, माननीय सदस्य ने खास तौर पर नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स, छत्तीसगढ़ आदि जनजातीय क्षेत्रों के बारे में जिस विषय को उठाया है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बेणेश्वर क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर अभी इस विषय पर चर्चा जारी है। दूसरा विषय संस्कृति के बारे में है, खास तौर पर संस्कृति जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा संरक्षित है। नॉर्थ-ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के रूप में विशेष तौर पर इस बार जो पाँच सर्किट घोषित किये गये हैं, जिनमें एक सर्किट नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स और जनजातीय स्टेट्स के लिए बनाया गया है। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से अवगत हूँ और इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, खास तौर पर जनजातीय क्षेत्रों के लिए, राजस्थान के लिए, इसके लिए सामान्यतः 5.40 करोड़

09.03.2015

रुपए की स्वीकृति दी जाती थी, इस बार वह राशि बढ़ाकर 11.80 करोड़ रुपए स्वीकृत की गयी है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ।

### **मध्याह्न 12.00 बजे**

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** मैं सिर्फ एक लाइन में जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश देश में स्मारकों की दृष्टि से चौथे नम्बर पर हैं, लेकिन परिस्थिति यह बनती है कि हमारे जो स्मारक हैं, जो हमारी धरोहर हैं, खासकर गोंडवाना-कालीन स्मारक, जैसा अभी निनामा जी कह रहे थे, जो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन स्थान छोटे होने के कारण उनके रख-रखाव की व्यवस्था नहीं है। दूसरे, आप उन पर राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं फहरा सकते हैं, ऐसी एक पुरानी ट्रेडीशन बनी हुई है। क्या इन चीजों को बहुत बारीकी से मंत्री जी देखेंगे?

**डॉ. महेश शर्मा:** अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, इस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा 3685 ऐसे संरक्षित स्थान हैं, जिनका हम संरक्षण और पोषण कर रहे हैं। ऐसा कोई नया विषय अगर माननीय सदस्य हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हमारी इस विषय पर एक राष्ट्रीय नीति है, उसके माध्यम से हम उसे इनकलूड करने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्नकाल अब समाप्त हो गया है।

---

### 3\* प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 160 (05.03.2015) 166 से 180 (09.03.2015))

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 (05.03.2015) 1841 से 2070 (09.03.2015))

---

3\* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

09.03.2015

**अपराह 12.01 बजे****सभा पटल पर रखे गए पत्र**

**माननीय अध्यक्ष:** अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री बंडारू दत्तात्रेय

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय):** महोदया, मैं शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (चौथा संशोधन) नियम, 2014 जो 23 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 910 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1918/16/15]

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिंहा):** महोदया, मैं सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1919/16/15]

- (3) (एक) रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1920/16/15]

---

**अपराह्न 12.02 बजे****अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे माननीय राष्ट्रपति से 2 मार्च, 2015 को निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

"23 फरवरी, 2015 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ"

---

**अपराह्न 12.02 ¼ बजे****राज्य सभा से संदेश**

**महासचिव:** महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:

"राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार, मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 4 मार्च, 2015 को हुई अपनी बैठक में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015 को बिना किसी संशोधन के सहमति दे दी है, जिसे लोक सभा ने 2 मार्च, 2015 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था।"

**अपराह्न 12.02 ½ बजे****मंत्री द्वारा वक्तव्य**

नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 106वें, 15वें, 158वें, 166वें, 174वें, 185वें और 209वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति<sup>4\*</sup>

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): महोदया, मैं नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 106वें, 15वें, 158वें, 166वें, 174वें, 185वें और 209वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

---

<sup>4\*</sup> सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1921/16/15

अपराह्न 12.02 ¾ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

13वां प्रतिवेदन

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

---

09.03.2015

**अपराह्न 12.03 बजे**

**अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2014-15**

वित्त मंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं वर्ष 2014-15 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1922/16/15]

09.03.2015

**माननीय अध्यक्ष:** अब, 'शून्यकाल'

... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम.वेंकैया नायडु): कृपया समझने का प्रयास करें। ... (व्यवधान) सुबह यह मुद्दा उठा। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम सब सहमत हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ हैं। वह एक बयान देंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी हस्तक्षेप करेंगे। ...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, आप एक मिनट में अपनी पूरी बात कहिए।... (व्यवधान)

**श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) :** नागालैण्ड में जो हुआ, उसके बारे में भी बोलना है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** बीच में कुछ बात नहीं करते, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप बैठिए।

... (व्यवधान)

**अपराह्न 12.04 बजे**

### **सदस्यों द्वारा निवेदन**

जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा कथित तौर पर एक अलगाववादी नेता की रिहाई की रिपोर्ट के

बारे में

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी यहां हैं। हम कामना करते हैं कि वे इस पर विस्तृत वक्तव्य देंगे। ... (व्यवधान)

09.03.2015

इससे पहले आप सभी पक्षों के विचार सुनें क्योंकि हमने नोटिस दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। ... (व्यवधान)

प्रत्येक सदस्य जिन्होंने नोटिस दिया है या कम से कम सभी दलों के नेताओं को सभा के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि संसद का क्या विचार है, प्रधान मंत्री इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वह अपनी जिम्मेदारी कैसे लेते हैं और वह इस समस्या का समाधान कैसे करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे अन्य लोगों को भी अनुमति दी जाए, जिन्होंने पहले ही इस पर नोटिस दिया है और सभी पार्टी नेताओं को ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** जिन्होंने नोटिस दिया है, उन्हीं को मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको सभी पार्टी नेताओं को अनुमति देनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि किसी कारण से उन्हें नोटिस नहीं दिया हो... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** ठीक है, आप तो बोलिए।

... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** सभी को शामिल किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को लेकर चलना चाहिए। क्या "सबका साथ सबका विकास" सिर्फ स्लोगन मात्र ही है? इसलिए इस मुद्दे पर कम से कम सबको साथ लेकर चलें, उनके व्यू सुनें, फिर देखें कि इस बारे में देश क्या सलाह देता है और क्या सुझाव आते हैं। उसके बाद वह रिएक्ट करें।

09.03.2015

[अनुवाद]

**श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर):** महोदया, मैंने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा एक अलगाववादी और देशद्रोही हुरियत नेता मसरत आलम की रिहाई और उसके संबंध में केंद्र सरकार की भूमिका एवं उसके संबंध में उठाए जाने वाले भविष्य के कदमों पर सुबह नोटिस दिया है।

महोदया, यह बहुत ही निराशाजनक बात है कि जिस दिन जम्मू-कश्मीर सरकार ने शपथ ली है, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश हित के विरुद्ध जाते हैं। हमने उस भाग पर चर्चा की है और माननीय गृह मंत्री ने भी इसके संबंध में एक बयान दिया है। हमने सोचा कि यह अब बंद हो जाएगा। हालाँकि, माननीय गृह मंत्री के बयान के बाद हमने कुछ नहीं कहा।

अभी जम्मू-कश्मीर सरकार, भाजपा और पी.डी.पी. गठबंधन के नेतृत्व में है। संयोगवश, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी भाजपा से हैं। भारतीय जनता पार्टी और पी.डी.पी. की जम्मू-कश्मीर में सरकार चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो देश हित के विरुद्ध हैं। जिस तरह से मसरत आलम को रिहा किया गया है, उसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता है और यह पूरी तरह से निंदनीय है। मुझे समझ नहीं आता कि प्रधान मंत्री, जो एकछत्र शासक हैं, उन्होंने उसके बाद कोई सार्वजनिक बयान क्यों नहीं दिया। जब तक जम्मू-कश्मीर में भाजपा और पी.डी.पी. सरकार चला रहे हैं, लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मसरत आलम की रिहाई में केंद्र सरकार का मौन समर्थन है। ... (व्यवधान) जब तक वहां भाजपा सरकार में है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। वे यह नहीं कह सकते कि वे सरकार का हिस्सा होंगे और सरकार में होने के सभी लाभ उठाएंगे, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। या तो, आज, सरकार को यह कहना चाहिए कि क्या वे जम्मू-कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री जी के इन कृत्यों की अनुमति दे रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बार सुन लिया, नौ-दस महीने हो गए हैं, पब्लिक ने भी बहुत बार सुन लिया है, अब कुछ काम करें। भाजपा को उस सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि वे इन सब बातों को स्वीकार नहीं करते हैं... (व्यवधान)

09.03.2015

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडु): महोदया, इस तरह के राजनीतिक भाषण नहीं दिए जाने चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: अब आप अपनी बात समाप्त करें, इस पर भाषण नहीं होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रेमचन्द्रन ने जो कहा है, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)...<sup>5\*</sup>

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): मुझे यह अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: आप केवल आधे मिनट तक बोलेंगे। एक ही बात को बार-बार रिपीट न करें, तो अच्छा होगा।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: निश्चित रूप से, महोदया। मुझे लगता है कि मेरा पहला नोटिस था और शायद आप इसका उल्लेख करना भूल गए हैं।

माननीय अध्यक्ष: इसीलिए मैं आपको बोलने की अनुमति दे रही हूँ।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

<sup>5\*</sup> कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

09.03.2015

मसरत आलम को निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया था, जो एक सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम है और वह पिछले चार वर्षों से जेल में था। उसे जम्मू-कश्मीर सरकार के आदेश पर रिहा कर दिया गया है। निश्चित रूप से, यह राष्ट्रीय हित के खिलाफ है और यह समग्र रूप से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। महोदया, जम्मू-कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि आतंकवादियों और पाकिस्तान के समर्थन के कारण ही चुनाव का सुचारू संचालन संभव हो सका। यह बयान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने दिया।

महोदया, मैं माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान एक बहुत ही रोचक तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आप कौन सी बात कर रहे हैं? क्या आप अभी की बात कर रहे हैं?

[अनुवाद]

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** जिस समय जम्मू-कश्मीर में माननीय मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे थे, उसी समय बगल में जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए थे।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आप पुरानी बात मत कीजिए, आज की बात कीजिए। आप पूरा भाषण मत दीजिए, केवल अपनी बात कहिए।

[अनुवाद]

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इसे छोड़ रहा हूँ। यह इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ा विरोध नहीं किया है।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आपको अपाच्युरनिटी मिली है तो प्वाइंट की बात कीजिए।

09.03.2015

[अनुवाद]

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** अब कैदियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। उन्होंने एक और बयान भी दिया है कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए ऐसे ही कैदियों को जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसलिए, यह हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के बिल्कुल खिलाफ है।

हम माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि क्या भाजपा और पीडीपी के बीच कोई मौन सहमति है? यही हमारा मुद्दा है। तब, अनुच्छेद 370 के बारे में क्या? राष्ट्रीय हित से केवल संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए समझौता किया जा रहा है। इसलिए, हम माननीय प्रधानमंत्री से मौन सहमति के विवरण के बारे में जानना चाहेंगे।

**माननीय अध्यक्ष:** मैं केवल उन माननीय सदस्यों को अनुमति दे रही हूँ जिन्होंने नोटिस दिए हैं। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपके नेता को अनुमति दी है। अन्यथा, यह आधे घंटे के लिए इसी तरह चलेगा। यह प्रक्रिया नहीं है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** वेणुगोपाल जी का सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑवर का नोटिस है।

[अनुवाद]

**श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा):** मैंने प्रश्नकाल के निलंबन के लिए नोटिस दिया था।

महोदया, मैं सिर्फ दो मुद्दे उठाना चाहता हूँ। यह अलगाववादी नेता मसरत आलम, पत्थरबाजी की घटना का मास्टरमाइंड था, जिसके परिणामस्वरूप 112 लोगों की मौत हो गई। (व्यवधान)

**श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद):** मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पुलिस की गोली से उन लोगों की मौत हो गई थी... (व्यवधान)

09.03.2015

**श्री के.सी. वेणुगोपाल:** महोदया, पथराव की उस घटना में 120 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसका मास्टरमाइंड मसरत आलम था। मैं एक मुस्लिम नेता को उद्धृत कर रहा हूँ, जो अंजुमन-ए-मिन्हाज-ए-रासूल के अध्यक्ष हैं, ने संवाददाताओं से कहा कि मसरत आलम की रिहाई 26/11 की घटना के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी पर भारत के दावे को खतरे में डाल देगी।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** उन लोगों के नाम नहीं लेते हैं, जो यहां नहीं हैं।

[अनुवाद]

**श्री के.सी. वेणुगोपाल:** यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी जवाब चाहते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री जी ने राज्य की कमान संभाली, इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे। हमने इस मुद्दे को पिछले हफ्ते भी उठाया था। (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** ऐसा ही चलता रहेगा।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** ऐसा नहीं होता है। इस तरह से तो सभी बोलेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** जिन लोगों ने नोटिस नहीं दिया है, मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगी। क्या आप मंत्री जी को नहीं सुनना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

09.03.2015

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** ऐसा नहीं होता है, जिन्होंने नोटिस दिये हैं, मैं उन्हीं को अलाऊ करूंगी, नो, आई एम सारी।

**गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :** अध्यक्ष महोदया, इस सदन के कई सम्मानित सदस्यों ने कश्मीर वैली से रिहा हुए एक अलगाववादी नेता, जिसका नाम मसरत आलम भट्ट था, उसकी रिहाई के संबंध में चिंता व्यक्त की है।  
...(व्यवधान) मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूँ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय सदस्यगण, क्या आप माननीय गृह मंत्री का उत्तर चाहते हैं?

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आप बैठ जाइये, यह क्या है या तो आप सदन चलाइये, आप सदन चलाइये, आप मुझे रूल बताइये। ऐसा नहीं होता है, नो, आई एम सारी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** देखो एक पद्धति है, आप बैठिये, अपनी जगह पर जाइये।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आई एम सारी, ऐसा नहीं होता। प्लीज, अपनी सीटों पर जाइये।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्लीज, आप लोग बैठिये। मैं आप सबकी भावना समझ रही हूँ। लेकिन आप अगर किसी पार्टी के माननीय लीडर हैं तो आप भी इस बात को समझिये कि आपको नोटिस तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, खड़गे जी, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अगर आप बात को इतना अहम समझते हैं तो लीडर्स को भी नोटिस देना चाहिए। यहां भी कुछ रूल्स हैं, अगर मैं सबको बुलाना शुरू करूँ तो घंटा, दो घंटा चर्चा ही होती

09.03.2015

रहेगी और यह चर्चा का विषय नहीं है। आई एम सारी, अभी यह चर्चा का विषय नहीं रखा है। इसलिए जिन्होंने नोटिस दिया है, उन्हें मैंने अलाऊ किया है। अब माननीय गृह मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, अब क्या है?

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** आप एक मिनट मेरी बात सुनिये। मैडम, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में डिस्कशन ही होता है।

**माननीय अध्यक्ष :** मैं कहां मना कर रही हूं।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** उसका उत्तर वही देता है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अगर पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट के रूल्स भी हैं। आपका नोटिस तो आना चाहिए, ऐसा भी तो नहीं होता है।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि जब हम एडजर्नमेंट मोशन ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** या तो आप ही एक घंटा बोलते रहिये, यहां से कुछ नहीं कहा जायेगा, आप बोलते रहिये।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** हम दो घंटे बोल सकते हैं, हमारा कोई ऐतराज नहीं है। अगर हम एक घंटा बोलें तो दो घंटे बोलने दो, लेकिन मेरा यही कहना है कि जब हम एडजर्नमेंट मोशन लाये थे और क्वेश्चन ऑवर को सस्पेंड करने की विनती की थी तो उस वक्त आपने यह कहा था कि 12 बजे प्रधान मंत्री जी आयेंगे, उस वक्त आप इसे चर्चा में ले सकते हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** चर्चा नहीं, मैंने आपको कहा था।

... (व्यवधान)

09.03.2015

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप मत करो, लेकिन हमें तो करने दो। इसीलिए मेरी यही विनती है कि ...(व्यवधान) अगर सब पार्टियों के लोग पांच-पांच मिनट बोलेंगे और उसके बाद अगर प्रधान मंत्री जी उत्तर देंगे तो ठीक हो जायेगा। लेकिन पहले बोलने के लिए अगर समय नहीं है तो उनका क्या व्यू है, क्योंकि आपको सबको साथ में लेकर चलना है, इतनी गड़बड़ी तो नहीं है।

**माननीय अध्यक्ष :** इसमें आप सबके नाम जोड़ देने में मुझे आपत्ति नहीं है, मगर हर कोई उठकर के बिना नोटिस के वही बात रिपीट करेगा तो ठीक नहीं है। जिनके नोटिस थे, सौगत राय जी ने कहा कि कल्याण जी बोलेंगे, मैंने कल्याण जी को अलाऊ कर दिया, नहीं तो मैं नहीं कर रही थी, मैं सौगत राय जी का नाम ले रही थी। जितना हुआ है, मैंने किया है, बाकी सब लीडर्स जो भी बोलना चाहें, पहले से नोटिस दे दो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। आपको भी मैंने एडजर्नमेंट नोटिस अलाऊ नहीं किया था तो भी मैंने सबको बोलने दिया, खड़गे जी, मैंने मना नहीं किया। मगर यह ऐसी पद्धति नहीं है, आप यह नई-नई पद्धति मत डालिये।

... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** आपने कहा, यह बाद में बोल दीजिए, इसमें नोटिस की जरूरत नहीं थी।

**माननीय अध्यक्ष :** नो, आई एम सारी। यस होम मिनिस्टर जी, आप बोलिये।

**श्री राजनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदया,, इस सदन के कई सम्मानित सदस्यों ने कश्मीर घाटी में एक अलगाववादी नेता, जिसका नाम मसरत आलम भट्ट था, उसकी रिहाई को लेकर चिंता व्यक्त की है। मैं सबसे पहले सदन को यह आश्चस्त कर देना चाहता हूँ कि ...(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** हम तो यह चाहते थे...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, आप बैठिये।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, ऐसा नहीं होता, आप बैठिये, आई एम सारी।

09.03.2015

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** वह भी गृह मंत्री हैं, उन्हें भी देश चलाना है। प्लीज आप बैठिये और सुनियो।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप बैठिए, पहले उनकी बात सुनिए तो सही।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, वे गृह मंत्री हैं, वे देश को चलाते हैं।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप टोका-टोकी मत कीजिए। आप बाद में बोलिएगा, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

**श्री राजनाथ सिंह :** महोदया, मैं कांग्रेस संसदीय दल के नेता से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी बात यहां पर रख लूँ, उसके बाद आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से प्रधान मंत्री जी का भी इंटरवेंशन होगा। प्रधान मंत्री जी इसीलिए यहां पर मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं यह अनुरोध कर रहा था कि कश्मीर वैली के एक अलगवादी नेता मसरत आलम भट्ट की रिहाई को ले कर कई सम्मानित सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन ज्यों ही इसकी रिहाई की जानकारी मिली, तुरंत जम्मू कश्मीर के स्टेट होम डिपार्टमेंट से हमने पूरी रिपोर्ट मांगी। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्लीज उनकी बात सुनिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल गृह मंत्री का बयान ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

09.03.2015

... (व्यवधान) ...<sup>6\*</sup>

[हिन्दी]

**श्री राजनाथ सिंह :** वह रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन मैं पूरे सदन को अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस देश में पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक सिविलिटी का जब भी कोई सवाल खड़ा होगा, हमारी सरकार किसी भी सूरत में उससे कंप्रोमाईज नहीं करेगी। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम राजनीति करते हैं तो हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। ... (व्यवधान) लेकिन जो भी जानकारी जम्मू कश्मीर स्टेट होम डिपार्टमेंट के द्वारा प्राप्त हुई है, वह जानकारी पहले मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में यहां लाना अपना दायित्व समझता हूँ। ... (व्यवधान) सन् 2010 में जब कश्मीर वैली में एक बहुत ही उग्र प्रदर्शन हुआ था, बहुत ही उग्र आंदोलन हुआ था, उसमें प्रमुख भूमिका इस मसरत आलम भट्ट ने निभाई थी। इस मसरत आलम भट्ट के ऊपर 27 क्रिमिनल केसेज हैं। ... (व्यवधान) सन् 1995 से ले कर इसके ऊपर 27 क्रिमिनल केसेज हैं। क्रिमिनल केसेज कैसे हैं - अटेंप्ट टू मर्डर के हैं, कंसप्रेसी के हैं और साथ ही साथ सेडिशन के भी केसेज इसके ऊपर लगे हुए हैं, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस आधार पर स्टेट होम डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर ने यह बताया है कि कोर्ट के द्वारा जो 27 मामले इसके विरुद्ध दर्ज थे, पूरे के पूरे 27 मामलों में इसे जमानत मिल चुकी है। यह जम्मू कश्मीर के स्टेट होम डिपार्टमेंट ने मुझे अवगत कराया है। मसरत आलम को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 है, जिसके सैक्शन 8 के तहत इसे फरवरी, 2010 से डिटेन किया गया था और फरवरी 2010 से लेकर अब तक आठ बार इसे डिटेन किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा 18(1)(बी) के अंतर्गत, ऐसे व्यक्ति जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं, उन्हें पहले छह माह के लिए निरुद्ध किया जा सकता है और धीरे-धीरे यह अवधि दो वर्ष

---

<sup>6\*</sup> कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

09.03.2015

तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसकी निधारित सीमा दो वर्ष तक की है। हाई कोर्ट का यह कहना है कि हम किसी व्यक्ति को एक ही ग्राउंड के आधार पर दो वर्ष से अधिक डिटेन नहीं कर सकते हैं। यह हाई कोर्ट का ग्राउंड है। यदि हम किसी को डिटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेश ग्राउंड चाहिए, फेश चार्जेज चाहिए। यह हाईकोर्ट का कहना है। लेकिन यह जो रिपोर्ट वहां के स्टेट होम डिपार्टमेंट के द्वारा हमें प्राप्त हुई है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम अभी पूरी तरह से इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमने इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन सीक किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ और सभी सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो क्लैरिफिकेशंस हम लोगों ने सीक किया है, वह क्लैरिफिकेशन प्राप्त हो जाने के बाद यदि आपका आदेश होगा, तो फिर से मैं इसकी जानकारी यहां पर दूंगा। ...(व्यवधान) इतना ही नहीं, मैं सदन को यह भी आश्चस्त कर देना चाहता हूँ कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** कृपया, आप बैठे-बैठे मत बोलिए।

... (व्यवधान)

**श्री राजनाथ सिंह :** महोदया, इस पूरे मामले को हमारी सरकार ने भी बहुत ही गम्भीरता पूर्वक लिया है और मैं सदन को आश्चस्त करना चाहता हूँ कि पूरा क्लैरिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त हो जाने के बाद कठोर से कठोर एडवाइजरी यदि जारी करने की आवश्यकता हुई तो हमारी भारत सरकार वह कठोर से कठोर एडवाइजरी भी जारी करेगी।...(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय प्राइम मिनिस्टर जी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपको क्या हुआ?

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्राइम मिनिस्टर जी, एक मिनट। आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए।

09.03.2015

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर):** अध्यक्ष महोदया, जम्मू-कश्मीर में जो हो रहा है वह बहुत गंभीर है। हम सभी इसके बारे में चिंतित हैं। बेशक, हम सहकारी संघवाद चाहते हैं और हम राज्य के लिए अधिक शक्तियां चाहते हैं। हम सरकार द्वारा आतंकवादी की रिहाई के खिलाफ हैं। मेरा सुझाव है कि भाजपा गठबंधन से बाहर आए और वहां नए सिरे से चुनाव कराए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** वह एक अलग बात है। यस, प्राइम मिनिस्टर जी।

**प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) :** आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, सदन में और देश में जो आक्रोश है, उस आक्रोश में मैं भी मेरा स्वर मिलाता हूँ। यह देश अलगाववाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर दलबन्दी के आधार पर न पहले सोचता था, न आज सोचता है, न आगे सोचेगा। सदन भी एक स्वर से इस प्रकार की किसी भी हरकत के प्रति अपना आक्रोश भी व्यक्त करे, जो आज किया है और मैं इस सदन को और देश को विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार बनने के बाद जो कुछ भी गतिविधियाँ हो रही हैं, न वे भारत सरकार से मशविरा करके हो रही हैं, न भारत सरकार को जानकारी देकर हो रही हैं और इसलिए...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्षा:** उन्हें पूरा करने दें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री एम. वैकैय्या नायडु :** आपको जवाब नहीं चाहिए तो ठीक है, छोड़ दीजिए...(व्यवधान) इतनी भी मर्यादा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और आप लोग खड़े होकर बीच में टोक रहे हैं...(व्यवधान) एक संविधान

09.03.2015

है, चर्चा है तो प्रक्रिया है, पद्धति है, वह पद्धति अपनानी चाहिए।... (व्यवधान) कृपया, आप सुनिए।... (व्यवधान)  
हमें मालूम है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

**श्री एम. वैकैय्या नायडु :** आपने भी तीस साल उनके साथ मिलकर राज किया।... (व्यवधान) उनके साथ मिलकर स्नेह किया।... (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं।... (व्यवधान)

**श्री एम. वैकैय्या नायडु :** यह पद्धति नहीं है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यस, प्राइम मिनिस्टर जी। खड़गे जी, जरा आप अपने माननीय सदस्य को संभालिए। ऐसा नहीं होता है। आप दोनों भी ऐसे बैठे-बैठे मत बोलिए, क्या हुआ, आप थोड़ा तो समझिए।

... (व्यवधान)

**श्री नरेन्द्र मोदी :** मेरा इस सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप समय आने पर अवश्य राजनीतिक टिप्पणियाँ करें। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार में हिस्सेदार है। इसके लिए आप उसकी भरपूर आलोचना भी करें, वह आपका हक भी है और होनी भी चाहिए। लेकिन हम ऐसा न करें कि देश की एकता के सम्बन्ध में हमारे भिन्न स्वर हैं, यह मैसेज न दुनिया में जाना चाहिए, न कश्मीर में जाना चाहिए और न देश में जाना चाहिए।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** फिर वही बात।

... (व्यवधान)

**श्री नरेन्द्र मोदी :** इसलिए मैं इस सदन को और पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह सरकार ऐसी किसी भी हरकतों को स्वीकार नहीं करती है। देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता हमें मंजूर

09.03.2015

नहीं है। संविधान की मर्यादाओं में ही कदम उठाए जाते हैं और आगे भी उठाए जाएँगे, यह मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूँ।

दूसरी बात कही गई कि मोदी जी चुप क्यों हैं। मैंने उस सदन में भी इस विषय पर विस्तार से अपनी बात कही थी। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें चुप रहना पड़े। हम इन विषयों में वे लोग हैं, जिन्होंने इन्हीं आदर्शों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलि दिया है। इसलिए कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएँ ... (व्यवधान)

मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने कुछ बातों का क्लैरिफिकेशन मांगा है। जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, वह क्लैरिफिकेशन आने के बाद वह जानकारी भी सदन को दी जाएगी। इसलिए मैं एक बार फिर सदन को कहता हूँ कि यह आक्रोश किसी दल का नहीं है, यह आक्रोश देश का है। यह आक्रोश उस बेंच का और इस बेंच का नहीं है, यह आक्रोश पूरे सदन का है। हम एक स्वर से अलगाववादी ताकतों के खिलाफ, अलगाववाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ, और कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ अपना आक्रोश अभिव्यक्त करते हैं और आने वाले दिनों में सदन जो एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, यह सरकार उठाएगी। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** महोदया, यह कभी प्रथा नहीं रही है। कृपया दूसरे मुद्दे पर जाएं। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आप सब प्लीज़ बैठिये।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप क्या कहना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

09.03.2015

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** अध्यक्ष महोदया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वहाँ जम्मू-कश्मीर में क्या हो रहा है, वह हमको भी पता नहीं है, हमको भी पूछ नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो कर रहे हैं, उसके बारे में कोई मालूमात भी हमारे पास नहीं है। इसलिए जो उनको छोड़ रहे हैं और डिसीज़न ले रहे हैं ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** नहीं छोड़ा है, गृह मंत्री ने सब बोला है।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** स्पष्टता से उन्होंने कहा है और अगर ऐसा है तो बीजेपी के जितने भी लोग वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, आप बीजेपी का सपोर्ट विदड़ा कर लीजिए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** खड़गे जी, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। हम इसे ध्यान में रखेंगे। आपकी उनके साथ 30 साल तक दोस्ती रही है। हमें एक महीना भी नहीं हुआ है। आपने हमें ठीक सलाह दी है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)...<sup>7\*</sup>

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** ऐसे नहीं होता है। आप बैठ जाइए। आप क्या चाहते हैं?

... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** अगर आप चाहते हैं कि देश एकता से रहे तो आप कहिए और बीजेपी सपोर्ट विदड़ा कर लो। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप लोग बैठिये। अब विषय हो गया है। दीपेन्द्र जी, आपने बात उठाई है, अब गौरव जी बोलेंगे।

---

<sup>7\*</sup> कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

09.03.2015

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह विषय समाप्त हो गया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)... <sup>8\*</sup>

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, बैठिए।

... (व्यवधान)

---

<sup>8\*</sup> कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

09.03.2015

[अनुवाद]

**श्री एम. वेकैया नायडु:** अध्यक्ष महोदया, खड़गे जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्हें गृह मंत्री के साथ निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि “वह इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह जानकारी राज्य सरकार ने दी है।” ... (व्यवधान) हम एक संघीय सरकार में हैं। राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट भेजी है। हम स्पष्टीकरण चाहते थे और माननीय मंत्री जी ने भी यही बात कही। ... (व्यवधान) कृपया तथ्यों को आपस में न मिलाएं। कृपया इस संवेदनशील मामले पर राजनीति न करें। ... (व्यवधान) यह देश की सुरक्षा, संरक्षा और एकता से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। ... (व्यवधान) संघीय व्यवस्था इसमें शामिल है। संविधान में एक प्रक्रिया है। कृपया हमारे राष्ट्रीय मुद्दे का राजनीतिकरण न करें... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, बैठिए।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, आप सभी लोगों के कहने के अनुसार हमारे गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी जवाब दिया है। ऐसा नहीं होता है कि इस पर बहस आगे चले।

प्लीज़, हम भी यह समझते हैं और सभी ने यह माना है कि यह कहीं-न-कहीं पूरे देश के लिए चिंता की बात है। अब बार-बार इसे बोलने से कुछ नहीं होना है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** नहीं, अब यह विषय यहीं समाप्त हो गया।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09.03.2015

... (व्यवधान)...<sup>9\*</sup>

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बैठिए।

... (व्यवधान)

**अपराह्न 12.37 बजे**

तत्पश्चात् श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

---

<sup>9\*</sup> कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

09.03.2015

[हिन्दी]

**श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी):** मैडम, मैं एक विषय सदन के सामने रखना चाहती हूँ। आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट के स्टूडेंट्स हों या यहां पर काम करने वाले लोग हों, वे लोग यहां पर बार-बार अत्याचार के शिकार होते हैं। यहां जो महिला काम करती है, चाहे वह मणिपुर की हो, नागालैण्ड की हो या असम की हो, उनके साथ लोग गलत काम करते हैं और उनकी पिटाई कर उन्हें गंभीर इंज्यूरी में ढकेल दिया जाता है।

ऐसे ही एक लोग हैं, जिनके पिता जी श्री अब्बास अहमद एक नेशनल चैम्पियन थे। उनके पुत्र का नाम है अरबाज़ अहमद। वे 21 साल के एक नौजवान हैं और उन्होंने लाजपत नगर में रहकर अपनी पढ़ाई की थी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वे केवल अपनी बाल्कनी में खड़े थे। कई गुंडों ने उनकी बुरी तरह पिटाई की और बुरी तरह उन्हें ज़ख्मी कर दिया। उन लोगों ने उनके हाथ तोड़ डाले, पैर तोड़ डाले और उनके ज़ों का पूरा एरिया भी पूरा-पूरा तोड़ डाला। अभी वे गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हैं और अभी तक पुलिस ने इस पर केस नहीं लिया है। यह सबसे दुःख की बात है। पुलिस ने कहा कि उन्हें यहां लेकर आओ। वे बिस्तर में हैं, आई.सी.यू. में हैं। वे पुलिस थाना में कैसे जाएंगे? मैं सरकार को दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर सकती है, ताकि नॉर्थ-ईस्ट के लोग यहां पर शांति से वास कर सकें। हर बार इस तरह का अटैक नॉर्थ-ईस्ट के लोगों पर ही होता है।

स्पीकर मैडम, मैं आपके थ्रू यह विनती करती हूँ कि जिस गुंडे ने उस नौजवान की पिटाई की और उसे आई.सी.यू. में जाना पड़ा, पुलिस इस पर कार्रवाई करके उन गुंडों को अरेस्ट करे।

**माननीय अध्यक्ष :** डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्रीमती विजया चक्रवर्ती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**श्री एम. मुरली मोहन (राजामुन्दरी):** आदरणीय महोदया, मुझे अत्यावश्यक लोक महत्व के एक मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09.03.2015

मैं देश भर में ए.टी.एम. पर सुरक्षा कवच बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। ए.टी.एम. से नकदी निकालने की कोशिश करने वाले लोगों और ऐसे ए.टी.एम. की सुरक्षा करने वाले सुरक्षाकर्मियों पर नियमित हमलों में वृद्धि हुई है।

एक वर्ष पहले बेंगलुरु में एक महिला पर हुए हमले से सभी भली-भांति परिचित होंगे। हम, माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि हाल ही में हमारी राष्ट्रीय राजधानी, उत्तरी दिल्ली के कमला नगर इलाके में, कुछ लुटेरों ने ए.टी.एम. की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षा गार्ड पर हमला किया और ए.टी.एम. से नकदी लेकर भाग गए। इस हमले में सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जिनमें ए.टी.एम. मशीनें भी गायब हो गई हैं।

महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस तरह के हमलों में वृद्धि पर ध्यान दें और ए.टी.एम. की सुरक्षा को मजबूत करें; और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक उपयुक्त कानून बनाएं। मैं माननीय गृह मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे विभिन्न ए.टी.एम. पर तैनात ऐसे सुरक्षा गार्डों की समस्याओं का समाधान करें; तथा ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद करें, जिनकी हत्या कर दी गई है या जिन पर चोरों ने हमला किया है, उनके लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा करें। इसलिए, ए.टी.एम. पर सुरक्षा बढ़ाना और प्रभावित पीड़ितों का पुनर्वास करना समय की मांग है।

इसके अलावा, महोदया, देश भर से ए.टी.एम. से जाली नोट निकलने के मामले भी सामने आए हैं। यह बैंकिंग प्रणाली के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी करके इस मुद्दे का समाधान करें। धन्यवाद।

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद):** महोदया, मैं भी श्री मंगंती द्वारा उठाए गए विषय पर स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** ठीक है।

... (व्यवधान)

09.03.2015

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गौरव जी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** दीपेन्द्र हुड्डा जी का नोटिस था, मैं आपको अनुमति दे रही हूँ।

...(व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) :** यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। ...(व्यवधान) दोनों को दो-दो मिनट बोलने का अवसर दिया जाय।

**माननीय अध्यक्ष :** आप पहले यहां से बोलने की परमीशन लें।

[अनुवाद]

**श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):** महोदया, आपकी अनुमति से मैं यहां से बोलना चाहूंगा।

**माननीय अध्यक्ष:** ठीक है।

**श्री गौरव गोगोई:** अध्यक्ष महोदया, 5 मार्च को एक 35 वर्षीय भारतीय नागरिक, सईद फरीद खान को डिमापुर, नागालैंड की केंद्रीय जेल से घसीटकर बाहर खींच लिया गया था और लगभग 5,000 लोगों की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार दिया गया था। सईद फरीद खान असम के करीमगंज जिले का था। वह दिमापुर में सेकेंड हैंड कार डीलर की दुकान चलाता था। बलात्कार के आरोप में 25 फरवरी, 2015 को नागालैंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

लेकिन, महोदया, इस मामले में कानून का पालन करने के बजाय, पिछले हफ्ते गुरुवार को सईद फरीद खान को जेल से बाहर खींच लिया गया, निर्वस्त्र कर दिया गया, और राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों के रहते हुए पीट-पीटकर मार डाला गया।

09.03.2015

महोदया, आज तक, नागालैंड सरकार की ओर से कोई स्पष्टता या आधिकारिक बयान नहीं है यदि सईद फरीद खान वास्तव में बलात्कार का दोषी था। इसलिए, न्यायालय में दोषी साबित हुए बिना सईद फरीद खान की क्रूर और अमानवीय हत्या अत्यधिक निंदनीय है।

महोदया, एक लोकतांत्रिक समाज में लोगों को कानून अपने हाथ में लेने से हतोत्साहित किया जाता है। इस घटना ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नागालैंड में जेलों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, और वे केंद्रीय जेल को तोड़फोड़ और कैदी को जबरन बाहर निकालने से बचाने में विफल रहे।

महोदया, यह एक बड़ा सुनियोजित हमला था। लगभग 5,000 लोगों का जमावड़ा था। ऐसी कोई खुफिया जानकारी क्यों नहीं थी कि दिमापुर में इतने बड़े पैमाने पर संगठित हमला होने जा रहा था? राज्य में सेना की उपस्थिति के बावजूद भीड़ को हटाने में कई घंटे लग गए। आज सईद के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है।

इसलिए हम मांग करते हैं कि हत्या की जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने एक ऐसा वातावरण बनाया है जहां किसी भी मुसलमान को 'बांग्लादेशी' के रूप में देखा जाता है। सईद के पिता सेना में थे। उसके भाई सेना में हैं। इस बंगाली मुसलमान को पहले यह कहकर अपमानित किया गया कि वह बांग्लादेशी मुसलमान है।

ऐसी घटनाएं उत्तर-पूर्वी भारत के सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालती हैं। हम कानून का सम्मान करते हैं। हम नहीं चाहते कि असम में प्रतिशोधी हमले हों; हम नहीं चाहते कि नागालैंड में प्रतिशोधी हमले हों। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार इसे गंभीरता से ले। हम आशा करते हैं कि सभी को न्याय मिलेगा - बलात्कार पीड़िता को न्याय, सैयद के परिवार को न्याय, कानूनी व्यवस्था को न्याय तथा सम्पूर्ण पूर्वोत्तर की शांति को न्याय मिलेगा।

09.03.2015

[हिन्दी]

**कुमारी सुष्मिता देव (सिल्वर):** मैडम, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि दीपेन्द्र हुड्डा जी के नोटिस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे संविधान का सबसे मजबूत स्तंभ 'कानून का शासन' है। आज इस देश में 125 करोड़ लोग हैं। अगर 125 करोड़ लोगों की तुलना पुलिस फोर्स से की जाए, यदि आप अनुपात निकाल दें, मुझे नहीं लगता कि इतनी पुलिस फोर्स है कि उस अवाम को रोक सके तो, दीमापुर में जो घटना घटी, जिस तरह ऐक्यूज्ड को निकालकर मार-पीट की गई, वे गुजर गए। वे करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के थे। दुख इस बात का है कि जिस महिला का एलैजडली रेप हुआ, उसने जब एफआईआर रजिस्टर की, उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली में अपना विश्वास जताया। कि अगर मैं थाने में केस दर्ज करूंगी तो मेरे साथ न्याय होगा। इसलिए, आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता है कि एक अभियुक्त को भी उस प्रणाली का हिस्सा बनना चाहिए। उस इंसान के जनाजे में कल 25 हजार लोग गए क्योंकि उसके दो भाई इंडियन आर्मी में काम करते थे, उसके पिता इंडियन आर्मी में काम करते थे। मैं दुख के साथ कह रही हूँ कि दुखद बात यह है कि इसमें नस्लीय भेदभाव किया जाता है। हम जानते हैं कि अवैध आप्रवासन एक बड़ी समस्या है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ लेकिन मैं केवल यह कह रहा हूँ कि असम में, 80 लाख लोग हैं जो बंगाली बोल रहे हैं। मैं भी बंगाली बोलती हूँ। बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों के प्रति नस्लीय भेदभाव बंद किया जाना चाहिए और हमें बलात्कार के प्रत्येक पीड़ित और जो भी आरोपी है, जो न्याय प्रक्रिया से गुजरना हो, के लिए कानून का पालन करना चाहिए।

[अनुवाद]

**श्री राधेश्याम बिस्वास (करीमगंज):** महोदया, हमारी पार्टी ए.आई.यू.डी.एफ. का रुख साफ है कि अगर कोई भी व्यक्ति बलात्कार करता है, तो उसे कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी को भी कानून-व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसी तरह, हम लड़की के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं यदि वह अपने लाभ के लिए किसी व्यक्ति और उसके परिवार के जीवन और गरिमा को नष्ट करने के लिए गलत

09.03.2015

साबित होती है। हम नागालैंड सरकार को तत्काल हटाने और राज्यपाल शासन लगाने की भी मांग करते हैं क्योंकि यह घटना अराजकता और गैर-सरकारी स्थिति को साबित करने के लिए पर्याप्त है। हम घटना की सीबीआइ जांच और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग करते हैं। मृतकों के परिवार को एक उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और नागालैंड में रहने वाले हत्यारे की सुरक्षा और संरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए।

**श्री रामेन डेका (मंगलदाई):** नागालैंड में हुई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतक के साथ न्याय होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उत्तर-पूर्व में यह प्रवृत्ति है कि कुछ समुदाय जब वहां कुछ होता है तो वे एक साथ आते हैं। इसलिए, यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि कुछ समुदाय समुदायवार रूप में सामने न आएँ और उनका प्रतिरोध करने के लिए पुलिस बल सक्रिय होना चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. किरिट सोलंकी को श्री रामेन डेका द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):** अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र मावल के अंतर्गत उरण में जे.एन.पी.टी. बंदरगाह है। इस बंदरगाह को बनाने के लिए किसानों की जमीन सरकार द्वारा आधिग्रहण कर ली गई थी। बंदरगाह बनाने के बाद यहां नेवी कैम्प लाया गया। बंदरगाह से लगे हुए काफी क्षेत्र को नेवी सेंसिटिव जोन घोषित किया गया जिसके कारण स्थानीय लोगों एवं किसानों को काफी समस्या हो रही है। शुरू में इस सेंसिटिव जोन का एरिया कम था, अभी अचानक इसका दायरा बढ़ाए जाने की संभावना है। दायरा बढ़ाए जाने से ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र उरण शहर और आजू-बाजू के बहुत सारे गांव इस नए दायरे में आ जाएंगे जिस कारण इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं होगा और स्थानीय लोगों को परेशानी होगी।

अतः मैं आपके माध्यम से उरण के स्थानीय लोगों एवं किसानों को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए सेंसिटिव जोन के दायरे को कम करने की सरकार से मांग करता हूँ।

09.03.2015

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. संपत, यह मामला राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि आप इस मामले को क्यों उठाना चाहते हैं।

**डॉ. ए. संपत (अट्रिंगल):** हाँ, महोदया लेकिन यह कानून और न्याय से भी संबंधित है। महोदया, मैं केवल एक मिनट लूंगा।

केरल सरकार की ओर से यह सिफारिश की गई है। यह पिछले छह महीने से भारत सरकार के समक्ष मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के समक्ष लंबित है। हमारे पास केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण है जिसकी एक पीठ राज्य की राजधानी तिरुवनन्तपुरम में है, तथा दूसरी पीठ एर्नाकुलम के कोच्चि में है। केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण में छह सदस्य होंगे, एक न्यायिक सदस्य माननीय अध्यक्ष होगा, तीन प्रशासनिक सदस्य होंगे तथा दो अन्य न्यायिक सदस्य भी होंगे। वर्तमान में केवल अध्यक्ष और दो प्रशासनिक सदस्य हैं। छह में से केवल तीन व्यक्ति ही हैं। वर्तमान अध्यक्ष जल्द ही सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। वह चार महीने में सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

तो, हुआ यह है कि हमारे पास एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण है जिसकी निपटान दर देश में सबसे अच्छी है। लेकिन इसमें लगभग 8100 मामले लंबित हैं। इसलिए, जब तक भारत सरकार राज्य सरकार के साथ सहयोग नहीं करेगी, तब तक लंबित मामलों की संख्या बढ़ेगी। चयन समिति का गठन राज्य सरकार ने किया था। इसकी अध्यक्षता केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने की थी। इसमें केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष, राज्य के मुख्य सचिव और केरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी शामिल थे।

मैं समझता हूँ कि हमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से एक पत्र मिला है, जिसमें कहा गया है कि अब भी यह मामला मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के समक्ष लंबित है। अतः महोदया, आपके माध्यम से

09.03.2015

मेरा भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है कि केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य की नियुक्ति शीघ्र की जाए। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री पी.के. बीजू और श्री एम.बी. राजेश को डॉ. ए. संपत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) :** माननीय अध्यक्ष जी, वन विभाग गुजरात द्वारा एशियाई सिंहों का लॉग टर्म कन्जर्वेशन ऑफ एशियाटिक लॉयन, पर्यावरण और वन मंत्रालय एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली को पत्र द्वारा एक दरखास्त की गई है, जिसमें एशियाई सिंहों के संरक्षण, संवर्धन, उनके रहने की जगह को सुधारने, इको-डेवलपमेंट, तालिम, संदेशा-व्यवहार सुदृढ़ करना, आधुनिक उपकरणों की सुविधा, पानी और खुराक की सुविधा का समावेश किया गया है। इस प्रोजेक्ट की समय सीमा तीन साल की है। यह प्रोजेक्ट 90-10 की हिस्सेदारी के आधार पर चलाया जाता है। इस प्रोजेक्ट की कुल राशि 150 करोड़ की है, जिसमें 135 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता केन्द्र द्वारा और 15 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। माननीय मंत्री जी अभी यहां बैठे थे, मेरी प्रार्थना है कि जो लंबित दरखवास्त है इसे जल्द से जल्द से मंजूरी दी जाए। इस दरखवास्त पर जल्द से जल्द गौर किया जाए। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडाकरा):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

मैं देश के हर घर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर इस गरिमामय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

09.03.2015

शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे का मौलिक अधिकार बन गया है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी गई है। यह ऐतिहासिक अधिनियम यू.पी.ए. सरकार के समय में लाया गया था। हम सभी को इस बात पर गर्व है कि 120 करोड़ से अधिक की आबादी वाला हमारा लोकतांत्रिक देश ऐसा लक्ष्य हासिल कर सका। इस उपलब्धि को दुनिया भर में सराहा गया है।

दुर्भाग्य से, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और समाज के मध्यम वर्ग और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश सुरक्षित करना असंभव हो गया है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे महानगरों में केवल धनी और संपन्न वर्ग ही अपने बच्चों को प्री-प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला दिला पाता है।

भारी कैपिटेशन शुल्क आजकल आम बात हो गई है। सरकारें इसको नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह राज्य सरकारों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दे ताकि समाज के कमजोर वर्गों के कम-से-कम 25 प्रतिशत बच्चे शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक वर्गों में प्रवेश ले सकें।

महोदया, मैं इस मामले में आपकी सहमति चाहता हूँ। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री राजीव सातव, एम.बी. राजेश, पी.के. बीजू और अधिवक्ता जोइस जॉर्ज को श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। पंजाब, हरियाणा समेत कई प्रदेशों में बेमौसमी बारिश के कारण गेहूँ की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुआवजे के नार्म्स चेंज करने होंगे, क्योंकि उन नार्म्स के तहत 1500 रुपये पर एकड़ दिया जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार को एक पत्र लिखा है कि कम से कम यह 10 हजार रुपये पर एकड़ होना चाहिए, क्योंकि 1500 रुपये का एक

09.03.2015

डीएपी बैग ही खेत में पड़ जाता है, जबकि एक खेत की 10 हजार रुपये कास्ट आ जाती है। वहां फसल पूरी तैयार थी, इसलिए 1500 रुपये कुछ भी नहीं है। हमारी प्रदेश सरकार उसमें 3500 रुपये देती है, लेकिन फिर भी 5000 रुपये कम रहता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार वे नार्म्स चेंज करें और 10 हजार रुपये पर-एकड़ के पीछे मुआवजा दे। दूसरी बात यह है कि ब्लाक को इकाई माना जाता है, जबकि एक गांव को इकाई माना जाना चाहिए, क्योंकि एक खेत से दूसरा खेत बच जाता है...(व्यवधान) इसे आप जानते हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** वह स्टेट करता है।

... (व्यवधान)

**श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:** इसलिए ये नार्म्स चेंज होने चाहिए और मुआवजा 10 हजार रुपये पर-एकड़ होना चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष :** यह स्टेट सब्जेक्ट है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र) :** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपने क्षेत्र कुरुक्षेत्र से जुड़े मुद्दे को उठाने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे लोक सभा क्षेत्र में पटियाला, पिहोवा, यमुनानगर स्टेट हाईवे नम्बर 6, जो कुरुक्षेत्र से होकर गुजरता है, वह तीन राष्ट्रीय राजमार्गों, जैसे एन.एच. 65, एन.एच.1 और चंडीगढ़ से सहारनपुर जाने वाला एन.एच. 73 को जोड़ता है। इस स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाये। इस हाईवे को फोर लाइन भी किया जाये, क्योंकि इस हाईवे से मेरे क्षेत्र की धार्मिक नगरी

09.03.2015

पिहोवा भी जुड़ेगी। मां सरस्वती की इस नगरी में चैत चौदस और सूर्यग्रहण का मेला बहुत भारी मात्रा में लगता है। यहां पर लाखों श्रद्धालु आते-जाते हैं। ...(व्यवधान) देश में जो पांच पवित्र स्थल बनाये गये हैं, उनमें कुरुक्षेत्र, जो महाभारत की धरती है, उसका भी विशेष तौर पर मानक दर्जा है।..(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपकी बात पूरी हो गयी है, इसलिए आप बहुत सारी बातें मत कहिये।

... (व्यवधान)

**श्री राजकुमार सैनी :** मैडम, यह मामला बहुत आनिवार्य है और पिछले कई वर्षों से लटका हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बारे में मांग करना चाहत हूँ। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** भरत सिंह जी, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की बात यहां नहीं उठती।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप जो बात यहां उठाना चाहते हैं, वह स्टेट मैटर है। आप डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की बात कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह (बलिया) :** अध्यक्ष महोदया, मैं पूरे जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को यहां उठाना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप बोलिये।

**श्री भरत सिंह:** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बलिया बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। हम हर क्षेत्र में आगे रहे हैं, लेकिन बलिया में चिकित्सा, स्वास्थ्य के मामले में कोई व्यवस्था नहीं है। वहां डाक्टरों की कमी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी डाक्टर नहीं है। ...(व्यवधान) एंटी रैबीज, एंटी

09.03.2015

स्नैक, एन.एम. नहीं है। भारत सरकार एन.एच.आर.एम. के तहत जिला चिकित्सालयों को पैसा देती है, उसमें बहुत घोटाला हो रहा है। उसकी जांच चल रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि बलिया जिले में एन.आर.एच.एम. में जो घोटाला हो रहा है, उसकी जांच कराई जाये और वहां चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे आम जनता को सही लाभ मिल सके।

09.03.2015

**अपराह्न 1.00 बजे**

[अनुवाद]

**श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व):** महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिपुरा तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ राज्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 एकमात्र सड़क है जो इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। इसलिए, यह त्रिपुरा की जीवन रेखा है। बाहर से सब कुछ एन.एच. 44 के माध्यम से ही त्रिपुरा आता है। पिछले लगभग चार से पांच वर्षों के दौरान, सीमा सड़क संगठन ने कोई रखरखाव का काम नहीं किया है। अब, लगभग 200 किलोमीटर के खंड पर लगभग कोई सड़क नहीं है। मानसून नजदीक आ रहा है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा और अनाज और अन्य चीजें त्रिपुरा तक कैसे पहुंचेंगी? इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस सड़क की रख-रखाव करे।

दूसरी बात, कुकीताल से सबरूम तक एक और सड़क है, जो यू.पी.ए, सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी, लेकिन यह मंजूरी केवल सड़क के बीच के हिस्से के लिए है और सड़क की शुरुआत और अंत को कवर नहीं किया गया है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सड़क के शेष हिस्से के लिए भी मंजूरी प्रदान की जाए।

तीसरा, एन.एच. 44क है जो त्रिपुरा को मिजोरम से जोड़ता है, यहां भी निर्माण और रखरखाव का काम वर्षों से रुका हुआ है। यहाँ सीमा सड़क संगठन और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कोई उपस्थिति नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह मंत्रालय इन सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव का कार्य करवाकर यह सुनिश्चित करे कि त्रिपुरा देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा रहे। धन्यवाद।

**श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर):** महोदया, केन्द्रीय बिक्री कर, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री पर लगाया जाने वाला कर है। भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी राज्य अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली वस्तुओं की किसी भी बिक्री या खरीद पर बिक्री कर नहीं लगा सकता है। और अधिकार प्राप्त समिति व्यापार की मात्रा, एकत्रित कर आदि को ध्यान में रखते हुए राज्यों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि की सिफारिश करेगी।

09.03.2015

अधिकार प्राप्त समिति ने वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2013-14 के लिए आंध्र प्रदेश को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की राशि की सिफारिश की और भारत सरकार ने भी इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अधिकार प्राप्त समिति ने वर्ष 2010-11 के लिए 100 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 के लिए 75 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 के लिए 50 प्रतिशत सीएसटी क्षतिपूर्ति देने की सिफारिश की है।

वर्ष 2010-11 के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा किए गए 2,756 करोड़ रुपए के कुल सी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के दावे में से 1,667 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिससे भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को वर्ष 2010-11 के लिए सी.एस.टी. के 1,089 करोड़ रुपए अभी भी बकाया रह गए हैं। मैं सरकार से आंध्र प्रदेश के हिस्से का तुरंत भुगतान करने का अनुरोध करता हूँ।

दूसरी बात, मैं वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 के लिए सी.एस.टी. मुआवजे को अंतिम रूप नहीं देने के कारणों को समझने में विफल रहा। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले ही अपने दावे प्रस्तुत कर दिए हैं और अधिकार प्राप्त समिति ने भी सिफारिशें दी हैं कि वर्ष 2011-12 के लिए 75 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 के लिए 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाना चाहिए, तथा लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि शेष सी.एस.टी. के भुगतान के लिए संशोधित अनुमान वर्ष 2014-15 में धनराशि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, चूंकि वर्ष 2015-16 के लिए बजट पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और वर्ष 2014-15 के लिए पुनः आंकड़े आ चुके हैं, तुरंत भुगतान करने के लिए और आंध्र प्रदेश के सी.एस.टी. बकाया के हिस्से का भुगतान करें क्योंकि वहाँ वित्त की सख्त आवश्यकता है। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री पी. पी. चौधरी को श्री जयदेव गल्ला द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

09.03.2015

[हिन्दी]

**एडवोकेट शरदकुमार मारुति बनसोडे (शोलापुर):** माननीय अध्यक्ष जी, शोलापुर संसदीय क्षेत्र में जैसे तो सभी गांवों की सड़कों की हालत बहुत खराब है। मैं आपका ध्यान उन 17 गांवों की सड़कों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जो पंडरपुर तहसील में आते हैं। इन 17 गांव के लोगों ने दो महीने पहले हजारों की तादाद में शोलापुर जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला था। यहां रेत अवैध तरीके से खरीदी-बेची जाती है। कल ही पोहर गांव के लोगों पर रेत के ठेकेदारों ने हमला किया था। 17 गांव यानी मगरवाड़ी, तारापुर, कोंडारकी, चड़े, खरसोली, फुलचिंचोली, पुडूज, विट्टे, पोहर गांव, आंबे, सरकोली, शंकर गांव, आंबेचिंचोली, पुडूजवाड़ी, नड़ी, ओझेवाड़ी, नेपतगांव की सड़कों की हालत से लोग परेशान हैं। मुझे स्वयं आंबेचिंचोली से पुडूजवाड़ी तक पांच किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगा था और गाड़ी भी खराब हो गई थी। अगर इस बीच में कोई बीमार पड़ जाए तो उसे दवाखाने या अस्पताल भी नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि सड़कों की हालत इतनी खस्ता है।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि सेंट्रल रोड फंड मंजूर करके 17 गांवों की सड़कें पक्की बनाई जाएं। धन्यवाद।

**श्री राहुल कस्वां (चुरु) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में मेरे क्षेत्र से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाली पैसेंजर गाड़ी संख्या 54823 और 54824 जोधपुर-हिसार पैसेंजर ट्रेन के स्थान पर पिछले एक वर्ष से डेमू ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसके कारण इस क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। इस रेल मार्ग पर यात्रा करने वाले बीमार, बुजुर्ग एवं लम्बी दूरी की यात्रा हेतु जोधपुर व हिसार से आगे जाने व संपर्क गाड़ियों को पकड़ने वाले यात्रियों के लिए बैठने, सामान रखने और शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जोधपुर से हिसार की दूरी लगभग पाँच सौ किलोमीटर से अधिक है तथा इस रेल मार्ग पर पर 50 से अधिक स्टेशनों पर उक्त गाड़ी का ठहराव होता है। डेमू ट्रेन मात्र 200-500 किलोमीटर के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ही

09.03.2015

उपयुक्त रहती है। जब से इस डेमू ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, तब से लेकर आज तक कई बार बीच रास्ते में इस गाड़ी का इंजन खराब होता रहा है। यह डेमू गाड़ी इतनी लम्बी दूरी के लिए उपयुक्त नहीं है। उक्त पैसेंजर गाड़ी के संचालन हेतु इस क्षेत्र के लोगों, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों द्वारा कई बार मांग की जा चुकी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हिसार, सादुलपुर, चुरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, डीडवाना, डेगाना एवं जोधपुर के लोगों की मांग एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त डेमू ट्रेन के स्थान पर पैसेंजर गाड़ी के संचालन का कष्ट करें।

**श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूँ कि होली के पावन पर्व पर हम सभी अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं। मैं भी अपने संसदीय क्षेत्र में था। कई प्रकार के लोग आभिवादन और आभिनन्दन के लिए आते हैं। कुछ महिलाओं और पुरुषों का एक ग्रुप आया। वे मिड-डे-मील योजना के तहत कुक-कम-हेल्पर के रूप में स्कूलों में काम करते हैं। उनकी पीड़ा बहुत ही वाज़िब थी। यह बात मैं आपके माध्यम से माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया तक पहुंचाना चाहता हूँ। उनकी पीड़ा यह है कि वे 11 बजे से 4 बजे तक 25 बच्चों पर एक कर्मी और 25 से सौ बच्चों पर दो कर्मी रहते हैं। लेकिन उन्हें केवल 1,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि मनरेगा के तहत उन्हें इससे अधिक पैसा मिल रहा है। जो मिनिमम वेज़ होती है, यह 150 रुपए के लगभग है और एक दिन का 33 रुपए मिल रहा है। पूरे दिन महिलाएँ स्कूल में रहती हैं क्योंकि उन्हें खाना बनाना, रसोई के बर्तन साफ करना आदि कार्य करने रहते हैं। यह पीड़ा केवल मेरे क्षेत्र की नहीं है। 25 से 30 लाख कुक-कम-हेल्पर काम करते हैं पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, उन सबकी यह पीड़ा है। इनकी पीड़ा को वास्तव में मंत्री महोदया तक पहुंचाया जाए। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदया और भारत सरकार से निवेदन करूँगा क्योंकि पूर्वोत्तर में 90 प्रतिशत अनुदान तथा अन्य भागों में 75 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को दिया जाता है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इन्हें एक हजार रुपए की जगह कम से कम पन्द्रह सौ रुपए या दो हजार रुपए प्रति माह दिया जाए ताकि वे अच्छे ढंग से काम करें अन्यथा वे लोग खाने की सामग्रियों में ही सामान निकालने की कोशिश करेंगे।

09.03.2015

**श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे श्री सी.आर. चौधरी द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाए।

**श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे श्री सी.आर. चौधरी द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री भैरो प्रसाद मिश्र एवं श्रीमती संतोष अहलावत को श्री सी.आर. चौधरी द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री दद्वन मिश्रा (श्रावस्ती) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, यह विषय लाखों-करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि 'तर्कशास्त्र' यानी लॉजिक को हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर पाठ्याक्रम का आनिवार्य विषय बनाया जाए। इस प्रस्ताव के समर्थन में मेरे तीन मुख्य तर्क हैं। एक, स्कूल एवं कॉलेज/यूनिवर्सिटी के बाद होने वाली लगभग हर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा में लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक विवेचना का सम्पुट अथवा सेक्शन होता है। ऐसी कुछ प्रमुख राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं जैसे सी.एल.ए.टी, सी.ए.टी. एवं यू.पी.एस.सी.-सी.सैट इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं में प्रमुख हैं- जी.एम.ए.टी, एल.एस.ए.टी., एस.ए.टी., एम.सी.ए.टी. इत्यादि। स्कूल में ये विषय न पढ़ाये जाने के कारण छात्र वर्ग को इसके अध्ययन हेतु प्राइवेट कोचिंग्स में जाना पड़ता है। मेरे संज्ञान में बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अलावा ऐसा कोई राजकीय शैक्षिक परिषद नहीं है, जहाँ माध्यमिक स्तर पर तर्कशास्त्र यानी लॉजिक पाठ्याक्रम का अंग हो। यही नहीं, कॉलेज में भी तर्कशास्त्र का ज्ञान मात्र दर्शनशास्त्र (फिलॉसोफी) के छात्र को नसीब होता है।

दूसरा, जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को संभवतः ज्ञात हो, विश्व में मात्र दो ऐतिहासिक सभ्यताएँ ऐसी हुई हैं, जिन्होंने खुद का तर्कशास्त्र एवं वाद-विवाद के सुनियोजन की परम्परा ईजाद की है। पहले हम, यानी भारतीय और दूसरे, इस मामले में हम से कहीं आधिक विख्यात् सभ्यता यूनानी अर्थात् 'ग्रीक' सभ्यता है,

09.03.2015

जिसका 'आरिस्टोटेलीयन' अर्थात् अरस्तु-निर्दिष्ट तर्कशास्त्र सदियों से समस्त पाश्चात्य विज्ञान एवं अन्वेषण का मूलाधार है।

तीसरा, भारतीय परम्परा में तीन मुख्य प्रकार के वाद-विवाद परिभाषित हैं- (अ) वाद-विवाद ऐसा शास्त्रार्थ/डीबेट जहाँ दोनों/सारे पक्ष सत्यान्वेषी हों और तर्क एवं तथ्य के आधार पर विषय के उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में चेष्टारत हों। (ब) जल्प: ऐसा शास्त्रार्थ/डिबेट जिसमें छल एवं अर्ध-सत्य के माध्यम से मात्र विजय प्राप्ति की चेष्टा हो। (स) वितंड: ऐसा शास्त्रार्थ/ डिबेट जिसका मूल उद्देश्य छल, कपट, असत्य, किसी भी उपाय से विरोधी पक्ष को नकारना हो।

अगर भारत सरकार स्कूल के पाठ्याक्रम में तर्कशास्त्र को सम्मिलित करने के मेरे प्रस्ताव को माने तो हमारे देश की धरोहर अर्थात् हमारे बच्चे ही नहीं बल्कि सारी जनता, जनता के भावी प्रतिनिधियों एवं हम सब के प्रिय हमारे मीडिया के भाई बहनों की सोचने-विचारने, प्रश्न पूछने, उत्तर देने, एवं विश्लेषण करने की क्षमता पर आति-उत्तम प्रभाव पड़ेगा। ऐसा मेरा मानना है।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी - उपस्थित नहीं।

श्री भैरों प्रसाद। श्री भैरों प्रसाद जी आपकी बात सदन के सामने आ गई है और उस पर उत्तर भी आ गया है।

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** अध्यक्ष जी, आज सदन ने भी चिंता व्यक्त की है कि जम्मू-कश्मीर के कट्टर अलगाववादी मुसरत आलम की रिहाई से देश में राष्ट्रवादी सोच के सभी लोगों को पीड़ा पहुंची है। देश के चारों कोनों से इस विषय पर चिंता व्यक्त की जा रही है। इस तरह की घटनाओं से अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। ऐसी ही कोशिश उत्तर प्रदेश में पिछले समय जो बम विस्फोटों के आरोपी थे, उनके मुकदमे वापिस लेने के लिए की गई थी। इस पर कोर्ट ने रोक लगाई थी।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बिना केंद्र सरकार की सहमति के प्रदेश सरकारें कोई निर्णय न लें, ऐसा आप आदेश देने की कृपा करें।

09.03.2015

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अपने आपको श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबंध करते हैं।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस देश में आधिकतर ट्रक ओवरलोड चलते हैं। चाहे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे हाईवे रोड, चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की रोड हो। मेरा कहना है कि टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करके ओवरलोड ट्रकों को तोलने के लिए टोल नाके पर ही मशीन लगा दी जाए। अगर नाके पर ही मशीन लग जाएगी तो पता चल जाएगा कि ट्रक कितना ओवरलोड है। उसके बाद उसी समय ही कार्रवाई कर दी जाए। इससे श्रम और समय तो बचेगा ही, साथ ही जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर भी अंकुश लगेगा।

आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से मांग है कि इस बारे में जल्दी कार्रवाई करके ओवरलोड की समस्या को दूर किया जाए।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :** मंत्री जी आपके साथ बैठे हैं और वे आपकी बात सुनते भी हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** डॉ. उदित राज - उपस्थित नहीं।

श्री पी.पी. चौधरी।

**श्री पी.पी.चौधरी (पाली) :** महोदया, मैं आपके सामने देश की आम जनता के हितों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय लाना चाहता हूँ। मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहता हूँ कि एल.पी.जी. गैस की आपूर्ति विभिन्न गैस कम्पनियों द्वारा की जा रही है। नए उपभोक्ता को कनेक्शन लेने के लिए निधारित मूल्य से आधिक धनराशि चुकानी पड़ती है। कम्पनी के डीलर्स द्वारा रेग्युलेटर, गैस चूल्हा, ट्राली, लाइटर, पाइप आनिवार्य बताया जाता है। कई डीलर्स द्वारा कूकर, तवा आदि रसाई उपकरण भी जबरदस्ती बेचने का कार्य किया जा रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि गैस कम्पनियों एवं इनके डीलर्स को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाएं और उन निर्देशों का सख्त पालन करने का आदेश भी जारी करने को कहा

09.03.2015

जाए। इसके अलावा डीलर्स के आफिस के बाहर नए कनेक्शन व अन्य कार्यों का रेट चार्ज नियम आदि प्रदर्शित करने का दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

**श्री अजय मिश्रा टेनी :** अध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा पशु नस्ल सुधार हेतु 1976 में केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र अंदेश नगर, लखीमपुर खीरी में 412 हेक्टेयर जमीन पर सीमेंस से ए.आई. करने के प्रावधान हेतु स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य बीडिंग द्वारा उच्च नस्ल की गायों तथा बछड़ों को पैदा करके बिक्री करना था। नस्ल सुधार प्रमुख उद्देश्य था लेकिन निगरानी तंत्र न होने के कारण जहां नर व मादा पशुओं को एक साथ चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे सीमेंस में ए.आई. होने की बजाय प्राकृतिक प्रजनन हो रहा है व सरकार के रुपए से खरीदा गया उपलब्ध सीमेंस बाजार में बेचा जाता है। इसके कारण बछड़ों में नस्ल सुधार के बजाय यह केंद्र अब भैंसों के प्रजनन का कार्य कर रहा है तथा भैंसों की संख्या बछड़ों से आधिक हो गई है, जो उद्देश्य के विपरीत है तथा 412 हेक्टेयर जमीन भारत सरकार के फार्म में उपलब्ध होने के बावजूद पशुओं का चारा बाहर से खरीदा जाता है। ठेकों की नीलामी में बहुत भ्रष्टाचार होता है और डॉक्टर की बजाय मिल्क रीडर से काम लिए जाने के कारण पशुओं की मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है। इस फार्म का बजट 7 से 8 करोड़ रुपया प्रति वर्ष है। वहां पर 15 कर्मचारी परमानेंट हैं और 125 कर्मचारी मस्टर-रोल पर रहते हैं, जिनके लिए चार करोड़ रुपये का भुगतान भारत सरकार प्रतिवर्ष करती है। इस कारण बहुत बड़ा नुकसान देश का हो रहा है।  
...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपकी बात हो गयी।

... ..(व्यवधान) <sup>10\*</sup>

**श्री अजय मिश्रा टेनी:** अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि निगरानी तंत्र विकसित करने के साथ-साथ उक्त फार्म में उपलब्ध गोबर से बायो गैस प्रोजेक्ट व जैविक खाद बनाने का काम किया जाए तथा स्थानीय किसानों एवं गो-पालकों के लाभ हेतु योजनाएं बनाने के साथ-साथ पशुपालन ट्रेनिंग एवं दूध से दूध

<sup>10\*</sup> कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

09.03.2015

प्रोडक्ट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए। नस्ल सुधार के लिए एक अभियान चलाया जाए, स्थानीय लोगों को प्रेरित किया जाए, जिससे भारत सरकार के जिस फार्म की स्थापना पशु नस्ल सुधार के लिए की गयी थी, उसका उद्देश्य पूरा हो सके।

**श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया।

यह आति आवश्यक सूचना मैं आपको दे रही हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पूर्वी चम्पारण जिले के ढाका प्रखण्ड के फुलवरिया गांव में ब्रह्मस्थान में कल शाम पूजा में एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा बाधा पहुंचाई गयी। दिनांक 08/03/2015 को हजारों की संख्या आकर इस समुदाय के लोगों ने बिहार सरकार के जिला प्रशासन की आंखों के सामने साम्प्रदायिकता फैलाने की कोशिश की, लाउडस्पीकर बजाने से रोक दिया। अब लोग यह सोच रहे हैं कि हिन्दुस्तान के लोग पूजा करने कहां जाएं, अगर हिन्दुस्तान में पूजा न करने कहां जाएं, क्या पाकिस्तान जाएं। ऐसी स्थिति आ गयी है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर पूरे क्षेत्र में एक विशेष समुदाय द्वारा दबंगई दिखाई जा रही है। उस पर आविलम्ब प्रतिबन्ध लगे, साम्प्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अगर राज्य सरकार विफल रहती है तो उसे बर्खास्त कर समाज में शांति स्थापित की जाए।

साथ ही, मैं यह बताना चाहती हूँ कि फुलवरिया के बगल में चन्दनबाड़ा में एक समुदाय विशेष का विश्वविद्यालय है, जिसमें अवैध रूप से विदेशी नागरिकों के रहने की खबर मिलती है। यहां तक कहा जाता है कि उस संस्थान के तहखाने में अवैध हथियार और जाली नोट का भण्डार होता है। पूर्व में पुलिस ने कई बार उस कैम्पस में रेड करने की कोशिश की, परन्तु पुलिस को उसमें घुसने की इजाजत नहीं है। सुनने में आ रहा है कि वे लोग हिन्दुओं को वहां से भगाना चाहते हैं ताकि वहां समुदाय विशेष के लोग देशद्रोही गतिविधियों में बिना रोक-टोक लगे रह सकें। इसलिए वहां शांति-व्यवस्था स्थापित करने के लिए कोई व्यवस्था की जाए। मैं मांग करती हूँ कि आई.बी. और राँ को इसकी जांच करने के लिए दिया जाए, जिससे राष्ट्रद्रोही लोगों को पनपने का मौका नहीं मिले और हमारे लोग सुरक्षित रहें।

09.03.2015

[अनुवाद]

**श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत के हज यात्रियों के लिए सीट उपलब्धता में बाधा के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह बताया गया है कि इस वर्ष बड़ी संख्या में लोगों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया है। केवल हज समितियों के माध्यम से केरल से लगभग 64,338 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष, सऊदी सरकार ने हज यात्रा के लिए भारत से केवल 1,00,036 सीटों को मंजूरी दी है, जो बड़ी संख्या में आवेदकों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सऊदी सरकार द्वारा सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है और आधे से अधिक लोग सूची से बाहर रह गए हैं। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए अधिक हज सीटें आबंटित करने के लिए सऊदी अरब सरकार से संपर्क करें।

**श्री ए. अनवर राजा (रामनाथपुरम):** अध्यक्ष महोदया, मैं तमिलनाडु में मछुआरों के एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में बताना चाहूंगा। आज भी श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हमारे तमिल मछुआरों पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया। हमें उम्मीद है कि श्रीलंका में सरकार बदलने से हमारे गरीब मछुआरों को मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अभी एक या दो दिन पहले एक प्रेस नोट जारी किया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाले मछुआरे मारे जाएंगे। लेकिन हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने भी बताया कि इस समस्या का समाधान मानवीय आधार पर संवाद के माध्यम से होगा। आज के अखबारों में यह खबर आई है।

महोदया, तमिलनाडु के मछुआरे जब भी समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं तो उन्हें मृत्यु और अपनी आजीविका पर खतरे का सामना करना पड़ता है। माननीय मक्कल मुथलवार अम्मा भी इस मुद्दे को लेकर काफी सतर्क हैं। पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने हमारे मछली पकड़ने के अधिकार और कच्चतीवू को फिर से प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं।

महोदया, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके सभी के लिए एक बार और सुलझाएं। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

09.03.2015

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. के. कामराज को इस विषय से संबद्ध करने की अनुमति है।

सभा अपराह्न 2:20 बजे पुनः समवेत हेतु स्थगित होती है।

**अपराह्न 01.21 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर बीस मिनट तक के लिए स्थगित कर हुई।*

**अपराह्न 2.20 बजे**

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न दो बजकर बीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

**नियम 377 के अधीन मामले <sup>11\*</sup>**

**माननीय उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, नियम 377 के तहत मामले सदन के पटल पर रखे जायेंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो सदस्य इसे सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर विषय का पाठ सभा पटल पर रख सकते हैं।

केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनका पाठ निर्धारित समय के भीतर पटल पर प्राप्त हो गया हो। शेष मामलों को व्यपगत माना जायेगा।

---

<sup>11\*</sup> सभा पटल पर रखा माना गया।

09.03.2015

**(एक) राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेगिस्तानी क्षेत्रों के सभी आवासीय इलाकों में सड़कों के निर्माण कार्य को सुगम बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानदंडों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता**

**कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) :** 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत जो देश में सड़कों का जाल बिछा है, उसके लिए देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कृतज्ञ है। उनकी दूरदृष्टि सोच का नतीजा है कि देश के दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों पर भी सड़क पहुंच गई है और सड़क के माध्यम से उन गांवों तक विकास पहुंचा है। आवागमन के साधनों के साथ ही आधुनिक सुविधाएं भी पहुंच पाई हैं। जिस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वह 'थार' है। बाड़मेर-जैसलमेर लोक सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 56,779 वर्ग किमी. एवं जनसंख्या 32,73,360 है। पी.एम.जी.एस.वाई. से क्षेत्र में सड़कों का बहुत काम हुआ है। इस क्षेत्र में 250 व उससे आधिक आबादी के हैबिटेसन को डामर सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि यहां बसावट छितराई ढाणियों में है जो खेतों में अलग-अलग बसी है। यहां सामूहिक रूप से गांवों एवं आबादी की बसावट नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मार्गदर्शिका के पैरा नम्बर 2.1 में यह मानदण्ड है कि 250 या उससे आधिक आबादी के हैबीटेसन को डामर सड़क से जोड़ा जाए। इस प्रकार से मरूस्थलीय क्षेत्र में तो 50 प्रतिशत से आधिक आबादी सड़कों से वंचित रह जाएगी। दुर्गम, विषम भौगोलिक स्थिति, अभावग्रस्त एवं पिछड़े इस इलाके में जहां गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, धूलभरी आंधियां चलती है जिससे मार्ग बंद हो जाते हैं। आवागमन के साधन नहीं होने के कारण बच्चों को शिक्षा अर्जन के लिए, वृद्ध एवं महिलाओं को चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए एवं अन्य जीवनोपार्जन हेतु रोजगार एवं व्यापार आदि के ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल की जनता को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। इस संबंध में मेरे द्वारा 04.12.2014 को प्रश्नकाल में भी आग्रह किया गया था।

09.03.2015

अतः मेरा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से आग्रह है कि इस अभावग्रस्त, मरूस्थलीय एवं भौगोलिक विषमताओं को मद्देनजर रखते हुए पी.एम.जी.एस.वाई. की गाइड लाइन के निधारित मानदंडों में निम्नानुसार संशोधन किया जाना जनहित में अनिवार्य है - पैरा संख्या 2.1 गाइड लाइन पी.एम.जी.एस.वाई. अप्रैल 2012 "रेगिस्तानी क्षेत्र में उद्देश्य 100 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाले पात्र असंबद्ध बस्तियों को जोड़ना होगा" पैरा संख्या 3। "जनसंख्या आकार निर्धारित करने के उद्देश्य से 1.500 किलोमीटर की परिधि में स्थित बस्तियों की जनसंख्या को एक साथ जोड़ा जा सकता है" यदि इस प्रकार मरूस्थलीय (डेज़र्ट) क्षेत्र हेतु इस प्रकार का संशोधन होता है तो यह पिछड़ा क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा एवं स्थानीय जनता केन्द्र सरकार एवं आपकी मंशा के अनुरूप विकास का अनुभव करेगी और आपकी कृतज्ञ रहेगी।

09.03.2015

(दो) कम ब्याज दरों पर दीर्घावधि कृषि ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु राजस्थान के सहकारी भूमि विकास बैंक अनुदान प्रदान किए जाने की आवश्यकता

**श्री बहादुर सिंह कोली (भरतपुर):** वर्तमान में राजस्थान राज्य में सहकारी भूमि विकास बैंक किसानों को 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दीर्घकालीन उद्देश्यों हेतु निवेश ऋण वितरित कर रहे हैं जबकि केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को फसली ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध हो रहा है। इसके आतिरिक्त, भारत सरकार से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलने के उपरांत 4 प्रतिशत ब्याज दर फसली ऋण उपलब्ध हो रहा है। ऐसी स्थिति में सहकारी भूमि विकास बैंकों की ओर किसानों का रुख कम हो रहा है। ब्याज दर में भारी अंतर होने के कारण सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित किए जाने वाले निवेश ऋण में कमी आई है जिससे राज्य के कृषि विकास की गति धीमी हुई है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि भारत सरकार इन ऋणों पर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को अनुदान उपलब्ध कराए जिससे फसली एवं दीर्घकालीन ऋणों की ब्याज दर में समानता आए एवं राज्य के कृषि विकास में गति प्रदान हो।

09.03.2015

**(तीन) उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बार-बार बिजली जाने और ट्रांसफार्मरों का नुकसान होने की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता**

**डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर) :** उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में बिजली की आपूर्ति संतोषजनक नहीं है। यह स्थिति ग्रामीण अंचलों में बड़ी भयावह है। इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के लिए आधिकांशतः 10, 25 और 63 मेगावाट के ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इनमें से 10 और 25 मेगावाट के ट्रांसफार्मर आये दिन फुंक जाते हैं। यही से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। यदि किसान 63 मेगावाट का नया ट्रांसफार्मर लगाना चाहें तो उन्हें इसके लिए 1 लाख 63 हजार रुपये का भुगतान करना पड़ता है जो गरीब किसानों के लिए संभव नहीं है।

बिजली विभाग इन फुंके ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में बहुत अधिक समय लगाते हैं किसानों को इनकी मरम्मत के लिए इन्हें अपने खर्चों पर बिजली विभाग ले जाना और वहां से लाना पड़ता है। इन्हें जल्द ठीक कराने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती है। रामपुर जनपद में स्थिति बड़ी दयनीय है। एक ओर ट्रांसफार्मर फुंक जाने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं तो दूसरी ओर सरकार के पास इनकी मरम्मत के लिए बजट नहीं है जिसके कारण इस जिले में इस मद में भ्रष्टाचार की जड़े काफी गहरी हो गई हैं। जनपद में ट्रांसफार्मर की कमी तथा उनके फुंकने की घटना आम बात हो गई है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि रामपुर जनपद में बार-बार ट्रांसफार्मरों के फुंक जाने के कारण ट्रांसफार्मरों को तुरंत किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

09.03.2015

**(चार) महाराष्ट्र के गोवारी, माना, हलबा, धंगार, इंजावर समुदाय के व्यक्तियों को अनुसूचित  
जनजातियों में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता**

श्री **नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया)** : देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में जनजातीय समुदाय के भीतर आज भी गोवारी, माना, हलबा, धनगर, इन्जवार आदि 33 ऐसी जनजातियों के समूह हैं जिनको अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं किया गया है। देश की आजादी के 67 वर्ष उपरान्त भी उन्हें अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं किये जाने से उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास नहीं हुआ है और वह आज भी वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस 33 जनजातियों के समूह द्वारा अपनी उचित माँग पूरी करने हेतु दिनांक 23 नवंबर 1994 में नागपुर विधान सभा सत्र के दौरान निकाले गए मोर्चे की भगदड़ में 114 गोवारियों की मौत हो गई थी। 67 वर्ष में अनुसूचित जनजातियों की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद भी अभी तक 7 प्रतिशत से कम मिलने वाले आरक्षण में वृद्धि की जाए और इन 33 जनजातियों के समूह को भारतीय संविधान 1949 के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(पांच) उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाकघरों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

**श्री भरत सिंह (बलिया) :** मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बलिया (उ0प्र0) की ग्राम सभा शिवपुर दीयर नम्बरी, प्रानपुर, नौरंगा एवं भुआल छपरा में डाक व्यवस्था की हास्यास्पद स्थिति के आविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

उपरोक्त चारों ग्राम सभाएं बलिया जनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं किन्तु डाक-व्यवस्था बिहार से संचालित होने के कारण किसी भी सरकारी योजना का पत्राचार करने में काफी कठिनाई होती है तथा पत्र प्राप्ति में महीनों लग जाते हैं।

अतः मेरा माननीय संचार मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त चारों ग्राम सभाओं में जनपद बलिया (उ0प्र0) से डाक व्यवस्था संचालित कराने हेतु सकारात्मक पहल की जाए।

## (छह) देश में बाल मृत्युदर को अत्यंत कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की

### आवश्यकता

[अनुवाद]

**डॉ. संजय जयसवाल (पश्चिम चम्पारण):** सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में चार नए टीकों की शुरुआत के साथ बाल स्वास्थ्य और अस्तित्व के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। एक और स्वागत योग्य कदम भारतीय नवजात कार्य योजना का उद्घाटन है। ये निस्संदेह आशाजनक पहल हैं, फिर भी हम अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

पांच वर्ष से कम आयु के 6.6 मिलियन बच्चों की मृत्यु के वैश्विक बोझ में से 1.4 मिलियन का योगदान इस देश का है, जो विश्व में किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। लगभग 26 मिलियन शिशु हर साल पैदा होते हैं, जिनमें से लगभग 1 मिलियन जीवन के पहले 4 सप्ताह को पूरा करने से पहले मर जाते हैं। आज हम सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 4 (एम.डी.जी. 4) की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जिसके तहत वर्ष 1990 और वर्ष 2015 के बीच पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में दो तिहाई की कमी लाना आवश्यक है। भारत के मामले में इसका अर्थ है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को वर्ष 1990 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 118 से घटाकर वर्ष 2015 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 तक लाना। भारत में वर्तमान स्तर (वर्ष 2012 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) 52 है।

नवजात की मौत अपरिहार्य नहीं है। यदि सरलतम हस्तक्षेप सभी के लिए उपलब्ध करा दिए जाएं तो अधिकांश समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है। उपरोक्त के आलोक में, यह जानना विवेकपूर्ण होगा कि सरकार एमडीजी की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को कैसे हल करने का प्रस्ताव करती है।

09.03.2015

**(7) राजस्थान के करौली जिले में पंचायती राज संस्थाओं के भवनों के निर्माण के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर):** मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला करौली में 6 पंचायत समितियाँ हैं एवं जिला परिषद मुख्यालय भी करौली शहर में स्थित है जिनका नाम निम्नलिखित है-

पंचायत समिति मुख्यालय करौली, हिणैड़न, नादौती, टोडाभीम, मण्णायल तथा सपोटरा। उक्त स्थानों पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए भवन उपलब्ध नहीं हैं। जिला करौली में बेरोजगार, युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को रोजगार प्राप्त करने हेतु उक्त जिला मुख्यालयों एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर प्रशिक्षण केन्द्र की आति आवश्यकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जिला मुख्यालयों पर भवन हेतु 2 करोड़ रूपए एवं प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालयों पर 10-10 लाख रूपये का विशेष बजट आबंटन करने की कृपा की जाए।

(आठ) महाराष्ट्र के मुंबई में पूर्वी राजमार्ग पर सायन और मुलुन्द के बीच एक पेट्रोल पम्प  
स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

**डॉ. किरिट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व):** पूर्वी राजमार्ग पर सायन से मुलुन्द तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय और सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों से लंबे समय से अनुरोध किया जा रहा है। 15 लाख से अधिक की आबादी पीड़ित है। घाटकोपर से मुलुंड तक उपनगर के मध्य रेलवे के पूर्वी किनारे पर लोग ईंधन प्राप्त करने के लिए 5 से 7 किलोमीटर का चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

09.03.2015

**(नौ) केरल के श्रीचित्रातिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडीकल साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी,  
तिरुवनन्तपुरम को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने और रिक्त पदों को भरे जाने की  
आवश्यकता**

**श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा):** श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.सी.टी.आई.एम.एस.टी.), तिरुवनन्तपुरम संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' है। यह चिकित्सा उपकरणों के विकास, उच्च गुणवत्ता वाले रोगी की देखभाल और वर्ष 2020 तक स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन में एक वैश्विक नेता के रूप में विकसित करने की दृष्टि से स्थापित किया गया है। संस्थान चिकित्सा विशेषज्ञता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नर्सिंग, बुनियादी विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी में डॉक्टर, पोस्ट-डॉक्टरल और पोस्ट-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम प्रदान करता है, इसमें 16,806 नए रोगियों की वार्षिक उपस्थिति के साथ हृदय और न्यूरो रोगों के उपचार के लिए एक तृतीयक रेफरल उन्नत मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल है और समीक्षा के लिए 1,24,559 रोगी हैं। देश भर से 10,487 मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। यह संस्थान एशिया का एकमात्र केंद्र है जिसने स्वदेशी हृदय वाल्व विकसित किए हैं। यह धनराशि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जो अस्पताल सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। अनुरोध है कि संस्थान की विकासात्मक योजनाओं के अनुरूप बजट में वृद्धि करके केंद्रीय बजट में श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को सीधे धनराशि आबंटित की जाए। श्री चित्रा संस्थान गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के रोगियों के उपचार के लिए सब्सिडी पर हर साल 15-20 करोड़ रुपये खर्च करता है। इससे पहले इस राशि की प्रतिपूर्ति संस्थान को की गई थी। वर्तमान में यह प्रथा बंद है। यह अनुरोध है कि गरीब मरीज के उपचार की प्रतिपूर्ति के लिए धन आबंटन को फिर से शुरू किया जाए। निदेशक का पद पिछले 17 महीनों से खाली है और एक वरिष्ठ डॉ. कार्यभार संभाल रहे हैं। यद्यपि भूमि उपलब्ध है, फिर भी नए अस्पताल ब्लॉक का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। यह अनुरोध है कि सभी वरिष्ठ स्तर के पद शीघ्र प्रशासनिक पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि

09.03.2015

संस्थान में अस्पताल सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और अन्य सहायता का विस्तार किया जाए।

**(दस) एलपीजी राजसहायता प्राप्त करने के लिए आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ने की  
समय-सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता**

**श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा):** एक समय सीमा है जिसके द्वारा एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर राजसहायता का लाभ उठाने के लिए अपने बैंक खातों को लिंक करना था। भले ही, राजसहायता प्राप्त करने के लिए आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ने की अंतिम तिथि 15 फरवरी को समाप्त हो गई, लेकिन देश में बड़ी संख्या में एल.पी.जी. उपभोक्ताओं ने प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया है। प्रतिवेदन के अनुसार, केरल में 18 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता राजसहायता व्यवस्था के दायरे से बाहर हैं क्योंकि समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसके परिणामस्वरूप, जो लोग राजसहायता की कवरेज के हकदार हैं, वे इससे वंचित हैं और यह एक अन्याय है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया एल.पी.जी. राजसहायता प्राप्त करने के लिए बैंक खाते को जोड़ने की समय सीमा बढ़ाएं।

(ग्यारह) द्वारा तमिलनाडु के मदुरै विमानपत्तन का उन्नयन करने और वहां कार्गो सेवाओं के संचालन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

**श्री आर. गोपालाकृष्णन (मदुरै):** मदुरै विमान पत्तन का विकास शहर के लिए एक बड़ा वरदान होगा।

मदुरै में कार्गो संचालन के लिए सभी मंजूरी दे दी गई थी लेकिन कार्गो संचालन अभी तक शुरू नहीं किया गया है। वर्तमान में मदुरै क्षेत्र में सब्जी, फूल और फल के उत्पादक तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर और तिरुवनन्तपुरम विमान पत्तनों पर निर्भर हैं, जिनमें अपनी उपज के निर्यात के लिए सड़क यात्राएं शामिल हैं। सड़क यात्राओं के कारण व्यय में वृद्धि होती है और खराब होने वाली उपज को नुकसान होता है। मलेशिया, सिंगापुर और दुबई के साथ विशेष रूप से मदुरै विमान पत्तन के लिए द्विपक्षीय समझौते किए जाने हैं।

मौजूदा रनवे को 7500 फीट से बढ़ाकर 10000 फीट किया जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को जमीन का अधिग्रहण करना चाहिए। तमिलनाडु की राज्य सरकार इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता देने को तैयार है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से कार्गो सेवाओं की शुरुआत में तेजी लाने और मदुरै विमान पत्तन के आगे के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

## (बारह) पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिलों में मातला नदी तल से गाद निकाले जाने की आवश्यकता

**श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर):** पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन में और उसके आसपास मटला नदी एक विस्तृत खाड़ी बनाती है। मतला नदी की मुख्य धारा दो भागों में विभाजित है, एक कुलताली, गोरानबोस से होकर सुंदरवन तक जाती है और दूसरी धारा बसंती, पठानखाली, मस्जिदबाती से होकर बिद्याधरी नदी में मिल जाती है। पश्चिम की मतला प्रणाली के पार्श्व संपर्क बेलाडोना नदी और कुलताली नदी हैं। पूर्वी तरफ, गोसाबा और रायमंगल प्रणालियों के साथ मुख्य संबंध अधिक जटिल हैं। लगभग 10 लाख तीर्थयात्री मकरसंक्रांति के दिन दक्षिण बिशनुपुर गांव में आदिगंगा और मतला नदियों के संगम पर डुबकी लगाते हैं।

मानसून के दौरान मतला इतना अशांत हो जाता है कि नावों से लोगों को ले जाना असंभव हो जाता है। इसके साथ ही, मतला में इतनी गाद भर गई है कि शुष्क मौसम में नावें घाटों के पास नहीं आ सकतीं। मतला तटबंधों के लंबे खंड आसपास के क्षेत्रों में गांवों को बाढ़ से बचाते हैं। लाखों परिवार अपनी आजीविका के लिए मतला नदी पर निर्भर हैं। ड्रेजिंग के माध्यम से तत्काल गाद निकालना अत्यावश्यक है, अन्यथा जलवायु असंतुलन के साथ-साथ वित्तीय असंतुलन भी मानव जीवन में व्यवधान उत्पन्न करेगा। दूसरी ओर, हमारा एक प्राकृतिक आश्चर्य सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, जो विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन है, जहां बाघ रहते हैं और यह भी कम ज्वार से प्रभावित होगा।

पर्यावरणविदों के मुताबिक अगर मतला नदी को बचाया नहीं गया तो पूरा कोलकाता शहर पानी में डूब जाएगा।

इसलिए सरकार को मतला नदी के तल को ड्रेजिंग के माध्यम से साफ करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए और प्रकृति के साथ-साथ मानव को भी बचाना चाहिए।

## (तेरह) तम्बाकू उत्पादों की पैकिंग को साधारण बनाए जाने की आवश्यकता

**श्री बैजयंत जय पांडा (केंद्रपाड़ा):** पिछले कुछ वर्षों में भारत तंबाकू उत्पादों के दुसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में उभरा है। वर्तमान में यह 200 मिलियन से अधिक धूम्रपान करने वालों का घर है, और इसकी एक तिहाई आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू का उपभोग करती है और यह देश में दस लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। देश तंबाकू उपभोग का महत्वपूर्ण आर्थिक बोझ भी उठाता है, 35-69 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए तंबाकू के उपयोग के कारण कुल आर्थिक लागत 1,04,500 करोड़ रुपये है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.16 प्रतिशत है।

शोध के अनुसार, ब्रांड लोगो और छवि को हटाने के साथ सिगरेट पैकेजिंग के मानकीकरण से, विशेष रूप से युवाओं के बीच, उनकी अपील कम हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तम्बाकू नियंत्रण सम्मेलन में तम्बाकू उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए मानदंडों की सिफारिश की गई है। भारत ने इस सम्मेलन का अनुमोदन किया है और इसलिए, तम्बाकू उत्पादों की साधारण पैकेजिंग के लिए प्रावधान करना चाहिए।

यद्यपि सरकार ने सिगरेट पैकेटों की सतह के कम से कम 85 प्रतिशत हिस्से पर अनिवार्य चेतावनी को बढ़ा दिया है, फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए और उल्लंघन करने वालों को उचित दंड दिया जाए। यह महत्वपूर्ण है कि तंबाकू उत्पादों के लिए साधारण पैकिंग का उपयोग करने का यह निवारक उपाय नागरिकों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और इसकी उच्च खपत पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया जाने चाहिये।

09.03.2015

**(चौदह) मुम्बई के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में खतरनाक आणविक विकिरण के कारण  
कैंसर से मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों तथा कैंसर से पीड़ित कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति  
प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

**श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य):** मैं पिछले 20 वर्षों में देश भर में परमाणु ऊर्जा केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान सरकार द्वारा प्राप्त आर.टी.आई. जबाब की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें बताया गया है कि इन केंद्रों में स्वास्थ्य संबंधी 3887 मौतों में से लगभग 70 प्रतिशत कैंसर के कारण हुईं। कुल मिलाकर, वर्ष 1995 और वर्ष 2014 के बीच 19 केंद्रों में 2,600 कर्मचारियों ने कैंसर के कारण दम तोड़ दिया।

इसी तरह, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है, का एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 255 कर्मचारियों ने उसी अवधि में हार्नेस में रहते हुए अपनी जान ले ली। औसतन 20 वर्ष की अवधि में हर महीने लगभग एक की मृत्यु हो जाती है। जांच में पता चला कि वे ज्यादातर लंबी बीमारी या पारिवारिक समस्याओं को लेकर तनाव में थे।

यह प्रमुख संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुंबई दक्षिण-मध्य में स्थित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया इस मामले को देखें, परमाणु अनुसंधान केंद्रों के उच्च योग्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और विकिरण के खतरों से प्रभावित दिवंगत, बीमार सेवानिवृत्त कर्मचारियों और कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करें।

**(पंद्रह) आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती शहर को हैरीटेज सिटी डेवलपमेंट एंड  
आगमेंटेशन योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता**

**श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर):** विरासत शहरों को पुनर्जीवित करने और स्वच्छता, आजीविका, कौशल, सुरक्षा, पहुंच और तीव्र सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी और एकीकृत तरीके से शहरी नियोजन, आर्थिक विकास, विरासत संरक्षण, सौंदर्यीकरण को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हैरीटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन योजना - हृदय) नामक एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कुछ शहरों का चयन किया गया है।

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर अमरावती, जहां एक बौद्ध स्तूप और बुद्ध के नाम पर एक कला विद्यालय स्थित है तथा जो यूनेस्को द्वारा घोषित विरासत शहर भी है, को भारत सरकार द्वारा हृदय के अंतर्गत सही रूप से चुना गया है। अमरावती, हृदय योजना के अंतर्गत चिन्हित 12 शहरों में से एक है। यह शहर पर्यटकों के बीच भी लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ अमरलिंगेश्वर मंदिर स्थित है। वर्ष 2006 में यहाँ 30वें कालचक्र का आयोजन किया गया था, जिसमें परमपावन दलाई लामा ने भाग लिया था।

हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले शहरों की सूची और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आश्चर्यजनक रूप से पहली सूची में शामिल अमरावती को मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम सूची में छोड़ दिया गया है। अमरावती 2 शताब्दी ईसा पूर्व से बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और भगवान शिव के अमरेश्वर मंदिर की उपस्थिति, जो प्रसिद्ध पंचरामों में से एक है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का मिश्रण देती है।

ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए और अमरावती की विरासत की रक्षा करने के लिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अमरावती को हैरीटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन योजना की सूची में शामिल किया जाए।

**(सोलह) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ आवंटित निधियों  
का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता**

**प्रो. ए.एस.आर. नायक (महाबूबाबाद):** जैसा कि सरकार को ज्ञात है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा अनेक विकास योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा बजट का सामान्य आबंटन अपर्याप्त है, इसलिए केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उप-योजना निधि की शुरुआत की है। लेकिन दुर्भाग्यवश, राज्य सरकारें उप-योजना निधि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं कर रही हैं तथा इन निधियों को फ्लाइ-ओवर आदि के निर्माण जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने के उदाहरण सामने आ रहे हैं। निधियों के इस तरह के दुरुपयोग को देखते हुए, पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश विधानसभा ने वर्ष 2013 में एक अधिनियम पारित किया था, ताकि सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित निधियों को अन्य कार्यक्रमों में लगाने से रोका जा सके, जो संबंधित समुदायों के कई संघर्षों का परिणाम था और यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

मैं जानना चाहता हूँ कि कितने राज्य योजनाओं को ठीक से लागू कर रहे हैं और यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या अन्य राज्यों ने इस उद्देश्य के लिए कानून बनाया है। इस तरह के अधिनियम के अभाव में, मैं केंद्र सरकार से मौजूदा योजनाओं के स्थान पर इन निधियों के उचित कार्यान्वयन और उपयोग के लिए कानून बनाने का अनुरोध करता हूँ।

09.03.2015

**(सत्रह) केरल के अट्टापड्डी क्षेत्र में जनजातियों की समस्या का प्रभावी ढंग से निदान करने हेतु बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाने और अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को लागू किए जाने की आवश्यकता**

**श्री पी.के. बीजू (अलथूर):** मैं आपका ध्यान केरल के अट्टापड्डी के आदिवासी गांवों में शिशु मृत्यु की चिंताजनक स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले 16 महीनों में अट्टापड्डी से 52 शिशुओं की मृत्यु की सूचना मिली है। मौतों का कारण कुपोषण और निम्न रक्त स्तर होना पाया गया है। अट्टापड्डी में आदिवासियों में कुपोषण और एनीमिया व्याप्त है। किशोरियों सहित लगभग सभी आदिवासी महिलाएं एनीमिक हैं, और यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच तीव्र है। ये मौतें दर्शाती हैं कि अट्टापड्डी के स्वास्थ्य संकेतक राज्य और देश के मुकाबले खराब बने हुए हैं। राज्य के आंकड़े 1.3 की तुलना में मातृ मृत्यु दर प्रति 1,000 पर सात है और शिशु मृत्यु दर राज्य के आंकड़े 14.1 की तुलना में प्रति 1,000 पर 66 है।

आदिवासी शिशुओं की मृत्यु दर में वृद्धि के बावजूद एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (आई.टी.डी.पी.) ने वर्ष 2012-13 के दौरान अपने कुल व्यय 12.55 करोड़ रुपये में से स्वास्थ्य क्षेत्र पर सिर्फ 35 लाख रुपये खर्च किए। अट्टापड्डी में 36 स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हैं - एक आदिवासी विशेषज्ञता अस्पताल, एक सामुदायिक केंद्र, तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 28 उप केंद्र और तीन मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ, सभी राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रबंधित हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत दो बाह्य रोगी क्लीनिक (ओ.पी.) और 85 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) हैं। लेकिन कोई भी स्वास्थ्य सुविधा पिछले दो वर्षों से प्रभावी और कुशलता से काम नहीं कर रही थी। इसके वर्ष 2012-13 के वार्षिक योजना व्यय विवरण से पता चला कि एम्बुलेंस के रखरखाव के लिए 24.12 लाख रुपये तथा 1,328 आदिवासी रोगियों को उनकी बस्तियों से अस्पताल लाने के लिए वाहन किराये के रूप में 8.5 लाख रुपये खर्च किए। इस

09.03.2015

प्रकार गरीब आदिवासी रोगियों को स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, दवाएं या वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए व्यावहारिक रूप से कोई पैसा खर्च नहीं किया। केरल की वर्तमान सरकार ने भी गैर-लाभकारी होने का हवाला देते हुए आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निजी पक्षों को पट्टे पर देना शुरू कर दिया है, जो आदिवासी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु की बढ़ती घटनाओं का एक कारण है। यहां 172 आंगनबाड़ी हैं लेकिन वे लगभग निष्क्रिय हैं। अट्टापड्डी को आई.सी.डी.एस. निजीकरण का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो पूरक पोषण सुनिश्चित कर रहा था। अट्टापड्डी में जनजातियों के कुपोषण और खराब स्वास्थ्य स्थिति का मूल कारण भूमि-हस्तांतरण है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 अट्टापड्डी में ठीक से लागू नहीं किया गया है। अब अधिकांश जनजातियां बंजर पहाड़ी ढलानों पर रह रही हैं। बाहरी लोगों द्वारा शोषण एक और गंभीर चिंता का विषय है। उनकी खराब आर्थिक स्थितियों का लाभ उठाते हुए बाहर से सक्रिय माफियाओं द्वारा आदिवासियों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और शराब के व्यापार के लिए उकसाया जाता है।

मैं सरकार से अट्टापदी में बच्चों की मौतों की जांच करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूं। साथ ही, जनजातीय क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और इस उद्देश्य के लिए अधिक बजटीय प्रावधान आबंटित किए जाने चाहिए।

09.03.2015

**(अठारह) आंध्र प्रदेश के अराकु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुरुकुल विद्यालयों में पर्याप्त  
अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

**श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु):** मैं सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश के गुरुकुल स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे को समुचित रूप से बनाए रखने की आवश्यकता के संबंध में आकर्षित करना चाहती हूँ।

अराकु आंध्र प्रदेश का एकमात्र आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र है और यहां सबसे अधिक गुरुकुल स्कूल हैं। हमारे पास 4 मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 64 गुरुकुलम और 7 लघु गुरुकुलम हैं। इन 64 स्कूलों की दुर्दशा चिंताजनक है और यहां तक कि मौजूदा इमारतें भी बहुत खराब स्थिति में हैं और विद्यार्थी एक भयभीत जीवन जी रहे हैं।

यह दुखद है कि इन विद्यालयों को उचित फर्नीचर, प्रयोगशालाएं और उपकरण सहित न्यूनतम बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। लड़कियों के विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है और स्वच्छता भी काफी खराब है और अस्वच्छ स्थिति में है। विद्यालयों के पास रखरखाव के लिए कोई उचित धन नहीं है। अधिकांश संस्थानों में विद्यार्थियों को उचित बिस्तर और पेयजल जैसी न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। यद्यपि स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता चौबीसों घंटे होती है, फिर भी कई विद्यालय इस सुविधा से वंचित हैं और ये गुरुकुलम दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित हैं, तथा विद्यालयों को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इन संस्थानों पर विचार करें और इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दें, पर्याप्त बजटीय आबंटन के साथ इन संस्थानों के लिए आवश्यक रखरखाव और बुनियादी ढांचे को मंजूरी दें ताकि बच्चे अच्छे वातावरण में अध्ययन करने में सक्षम हो सकें क्योंकि वे हमारे भविष्य और राष्ट्र की संपत्ति हैं।

**अपराह्न 02.21 बजे**

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प, 2015

और

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015

**माननीय उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, अब हम मद संख्या 8 और 9 पर एक साथ विचार करेंगे।

अब, श्री सी.एन. जयदेवन वैधानिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

**श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर):** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 9) को अस्वीकार करती है।”

**ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह):** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

09.03.2015

**माननीय उपाध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी, क्या आप इस विधेयक पर कुछ बोलना चाहेंगे?

**श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह:** महोदय, मैं बाद में बोलूंगा।

09.03.2015

**श्री सी.एन. जयदेवन:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2013 को सितम्बर 2013 में लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया था.....

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत वरिष्ठ हैं और श्री वेंकैया नायडु भी बहुत अनुभवी हैं। कम-से-कम उन्हें अध्यादेश की व्याख्या करने दीजिए। यह अध्यादेश क्या है, इसे क्यों लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, आदि और फिर यदि आप अनुमति दें तो माननीय सदस्य वैधानिक संकल्प पेश करेंगे और बताएंगे कि यह क्यों आवश्यक नहीं है।

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडु):** हमें कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** कम से कम आपको इसे स्पष्ट करना चाहिए ताकि माननीय सदस्यों को इसके बारे में पता चल सके। (व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** महोदय, प्रथा यह है कि जब कोई सांविधिक संकल्प आता है तो उसे पेश करने वाले माननीय सदस्य पहले बोलते हैं और मैं उस सांविधिक संकल्प का उत्तर देता हूँ तथा उसके बाद विधेयक पर विचार किया जाता है।

**कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) :** महोदय, वे अध्यादेश का ही विरोध कर रहे हैं। इसलिए उन्हें अध्यादेश का विरोध करना चाहिए। माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

**श्री सी.एन. जयदेवन:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 को संसद के अंदर और बाहर गहन बहस, परामर्श और चर्चा के बाद सितम्बर 2013 में लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का स्थान लेता है। अब एन.डी.ए. सरकार ने 31 दिसम्बर, 2014 को एक अध्यादेश जारी किया है,

09.03.2015

जिसमें औद्योगिक गलियारों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) सहित सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं, जिनमें स्वामित्व सरकार के पास है, के लिए सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन (एस.आई.ए.) सर्वेक्षण की आवश्यकताओं में ढील देने के लिए कुछ खंडों में संशोधन किया गया है। वर्ष 2013 के मूल अधिनियम के अनुसार, चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट 13 केन्द्रीय अधिनियमों को एक वर्ष के भीतर अर्थात् 31 दिसम्बर, 2014 तक संशोधित किया जाना था ताकि उन्हें नए अधिनियम के अनुरूप बनाया जा सके। एन.डी.ए. सरकार अध्यादेश लाने के पीछे यही कारण बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने 31 दिसम्बर, 2014 तक इंतजार क्यों किया? यदि संशोधन गरीबों के पक्ष में थे तो उन्हें इसे संसद में विधेयक के रूप में लाना चाहिए था और इसे सर्वसम्मति से पारित कराना चाहिए था।

इसके बजाय, यह अध्यादेश 24 दिसम्बर को शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के कुछ दिनों के भीतर ही लागू कर दिया गया। लेकिन 13 अधिनियमों को 2013 अधिनियम के अनुरूप लाने के उद्देश्य से, इसने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एसआईए और सहमति प्रावधानों से बाहर कर दिया है। इसलिए, मैं इस क्रूर अध्यादेश का पुरजोर विरोध करता हूँ।

अब मैं अध्यादेश में उल्लिखित संशोधनों के विवरण पर आता हूँ। अध्यादेश की धारा 2 में मूल अधिनियम में जहां भी "निजी कंपनी" शब्द आया है, उसके स्थान पर "निजी इकाई" शब्द रखने का प्रावधान है। एक निजी संस्था क्या है? अध्यादेश में इसे 'सरकारी संस्था या उपक्रम के अलावा कोई भी संस्था' के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, निगम, गैर-लाभकारी संगठन या किसी भी कानून के तहत वर्तमान में लागू अन्य संस्था शामिल है। यह इतनी व्यापक परिभाषा है कि सभी प्रकार के निजी संगठनों और यहां तक कि व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सकता है।

अध्यादेश की धारा 3 के अनुसार, सरकार देश में बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए निजी अस्पतालों और निजी शिक्षण संस्थानों के लिए भूमि का अधिग्रहण "सार्वजनिक उद्देश्य" के दायरे में ला सकती है। लेकिन हमारे पास दिल्ली के अपोलो जैसे कुछ निजी अस्पतालों को भूमि आबंटन

09.03.2015

का अनुभव है, जिन्हें इस बहाने निःशुल्क भूमि आबंटित की गई थी कि अस्पताल बिना किसी शुल्क के गरीबों की सेवा करेगा। हालांकि, इन अस्पतालों ने कभी भी राजधानी के किसी भी नागरिक को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की। यही हथ्र निजी शिक्षण संस्थानों का भी होगा जिन्हें निःशुल्क ज़मीन आबंटित की जाएगी। इन संस्थानों में किसी भी गरीब छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकार असहाय किसानों से ज़मीन जबरन अधिग्रहण करेगी, ज़मीन की कुछ कीमत चुकाएगी और फिर उसे कुछ अस्पताल या शैक्षणिक संस्थानों के नाम पर चुने हुए कॉरपोरेट्स को मुफ्त में सौंपेगी।

अध्यादेश में एक अन्य संशोधन में सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं सहित कई परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र द्वारा भूमि के अधिग्रहण के लिए सहमति और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को समाप्त कर दिया है, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी विशेषताओं में से एक है।

परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन को समाप्त करने के निर्णय से पुनर्वास और पुनर्वासन के मुद्दे पर और अस्पष्टता पैदा होने की संभावना है। सामाजिक प्रभाव आकलन का उद्देश्य भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित लोगों और उनकी संपत्ति की पहचान करना था। इस आकलन के आधार पर उन्हें न केवल मुआवजा प्रदान किया जाना था, बल्कि पुनर्वास और पुनर्वासन के लिए पैकेज भी प्रदान किए जाने थे। मूल्यांकन एक स्वतंत्र पार्टी द्वारा किया जाना था, न कि जिला प्रशासन या परियोजना डेवलपर द्वारा। लेकिन इस अध्यादेश द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को छूट देकर प्रभावी रूप से समय को पीछे ले आया गया है। इसने औपनिवेशिक काल के भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 के अनुरूप स्थानीय प्रशासन के हाथों में विवेकाधिकार की शक्ति वापस कर दी है।

मूल अधिनियम की धारा 101 में संशोधन करके परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि को अप्रयुक्त पड़े रहने की अवधि को "पांच वर्ष" से बदलकर "किसी परियोजना की स्थापना के लिए निर्दिष्ट अवधि या पांच वर्ष, जो भी बाद में हो" कर दिया गया है। कोई भी ट्रिग नोट कर सकता है। "निर्दिष्ट अवधि" को पांच साल से अधिक

09.03.2015

रखा जा सकता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। यह किसी भी लंबी अवधि के लिए अप्रयुक्त रहने के बावजूद अपने मालिक को भूमि की वापसी के प्रावधान को पूर्ववत करने के लिए एक तरीका है। यह कड़वा तथ्य है कि सरकार कॉर्पोरेट और बिल्डर माफिया के सहयोग से वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक भूमि खरीद रही है। भूमि तब लंबे समय तक अप्रयुक्त रहती है जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक मूल्य वृद्धि होती है और भूमि अंततः असामान्य रूप से उच्च कीमतों पर बेची जाती है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर सी.ए.जी. की नवीनतम प्रतिवेदन में कहा गया है कि जो भूमि अधिग्रहित की जाती है, उसका उपयोग उद्योगों के लिए भी नहीं किया जाता तथा वह कई वर्षों तक खाली पड़ी रहती है। इसने रिलायंस, डी.एल.एफ. और एस्सार जैसे डेवलपर्स की इस बात के लिए आलोचना की कि वे भूमि अधिग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन उसका केवल एक अंश ही उपयोग कर रहे हैं। यदि अधिग्रहीत भूमि का उपयोग उद्योग के लिए नहीं किया जाता है तो विस्थापित परिवारों को वादा किया गया रोजगार कहाँ है?

इस प्रकार, अध्यादेश के प्रावधानों से पता चलता है कि सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को कमजोर करने के लिए प्रयासरत है, जिसका स्पष्ट इरादा इसे कॉर्पोरेट समर्थक और किसान विरोधी बनाना है। अधिनियम की कुछ सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को हटा दिया गया है। इस अधिनियम को काफी हद तक निरस्त कर दिया गया है।

इसलिए, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 का विरोध करता हूँ और सरकार से इस अध्यादेश और विधेयक को वापस लेने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए:

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 9) को अस्वीकार करती है।

कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2013 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

09.03.2015

[हिन्दी]

**श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा) :** उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक आलोचना हो सकती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि सही मायने में जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र है, वह उसके बारे में कहता है, लेकिन आलोचना केवल आलोचना मात्र हो, वह उचित नहीं है। सकारात्मक आलोचना वह होती है, जो सरकार को भी आगे सोचने के लिए मजबूर करती है। कई बार जब ऐसे महत्वपूर्ण बिल आते हैं तो प्रयास यह किया जाता है कि किस प्रकार से देश में लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए। सबसे पहली बात तो यह कि यह बिल यहां से बनेगा, यह राज्यों के ऊपर होगा कि वे इस बिल को अपने राज्यों में में इनकॉर्पोरेट करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन यह बिल बहुत कारणों से महत्वपूर्ण है। यह बिल जो लाया जा रहा है, वह प्रोटेक्टिव पर्पसेज के लिए है जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नैशनल डिफेंस है, रेलवे है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, ऐसी अनेक चीजें हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे लोगों के साथ होता है। बिल तो पिछले वर्ष पेश किया गया था, जब यूपीए की सरकार यहां सन् 2013 में थी, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसके पहले जब हमारे देश में सैंकड़ों और हजारों किसान आत्महत्या किया करते थे, तब तो यह बिल नहीं था। उसके कारण क्या थे? एक बार सरकार ने 14वीं लोक सभा में किसानों का 60 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ भी किया था। वह लोन कहां गया, वह आज तक मालूम नहीं है। क्या वह कॉमनवेल्थ गेम्स में लग गया? यह किसी को अभी तक नहीं पता है कि उस पैसे का सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ? आज किसान अपनी जमीनों को औने-पौने दामों में बेच कर जा रहा है। उसका कारण क्या है? जो बड़े किसान हैं, उनकी जितनी लागत लगती है, वे उतनी आमदनी कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे, आधिकतर 80 प्रतिशत किसान हमारे देश में ऐसे हैं, जिनकी जमीन बहुत छोटी हो गई है। परिवार बड़े हुए, घर में तीन या चार बच्चे हैं, तीन-चार लड़के हैं, जमीन उनके नाम से हो गई तो जमीन कम हो गई, उसकी लागत ज्यादा हो गई और आमदनी कम हुई। आमदनी अठन्नी और खर्चा रूपया, नतीजा ठन-ठन गोपाला। यही कारण है कि आप देखेंगे कि गांवों से गरीब किसान, अपनी जमीन को औने-पौने दामों पर बेच कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। उसका कारण है कि उसको तुरंत पैसे की आवश्यकता पड़ती है और आवश्यकता पड़ने के बाद वह साहुकार के पास जाता है, उससे पैसा लेता है, जैसे अभी प्राकृतिक आपदा आई, पहले भी आती रही हैं, तब वह पैसा

09.03.2015

चुका नहीं पता है और औने-पौने दामों में अपनी जमीन साहुकार को या कोई बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति वहां पर होता है, उसको बेच देता है। आज उसी किसान को, जो उतनी लागत लगा कर, उतनी आमदनी नहीं कर पाता है, अगर उसको सरकार चार गुना ज्यादा दाम उसकी जमीन का दे रही हो तो आप सोच सकते हैं कि उसकी जिंदगी में किस प्रकार का लाभ उसको मिल सकता है। मैं आपको कुछ एक उदाहरण अपने क्षेत्र का देना चाहता हूँ। मैं एक सांसद हूँ और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का पश्चिमी भाग, जो माननीय प्रधान मंत्री जी सदैव कहते हैं कि उसका एक हाथ तो मजबूत है, लेकिन दूसरा हाथ कमजोर है।

मैंने तीन बार लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया है, मैं अपने क्षेत्र में अनेकों योजनाएं केन्द्र सरकार की ओर से लेकर गया था, उसमें टूरिज्म को लेकर थी, उसमें प्लानेटोरीअम को लेकर थी, एनर्जी, पावर, बिजली, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए भी योजना ले गया था, एक हजार मेगावाट के सब-स्टेशन बनाने की बात थी, लेकिन दस एकड़ जमीन, राज्य में मेरी सरकार एकत्र नहीं कर पाई और उसके कारण से बिजली की समस्या मेरे क्षेत्र में है। आपको बता दूँ कि मेरे ऊपर आज भी 14 साल से केस चल रहा है, एक समय था जब 13वीं लोक सभा में मैं यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता था तो दरभंगा में महीनों-महीने बिजली नहीं आया करती थी। उसको लेकर एक शान्तिपूर्ण धरना किया था कि यहाँ पर बिजली हमें उपलब्ध नहीं हो रही है, मेरे ऊपर आज भी वह केस चल रहा है और उसको मैं झेल रहा हूँ। अगर वहाँ एक हजार मेगावाट के सब-स्टेशन के लिए जमीन मिल गई होती, तो क्या दरभंगा में, उस कमिश्नरी में जो लोक सभा की पाँच सीटें आती हैं, क्या उन सभी लोगों को फायदा नहीं होता? आज उस बिजली के लिए जगह नहीं मिलने के कारण से वहाँ लोगों की परिस्थिति इस प्रकार से बनी हुई है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कभी कोई कहता है कि मुझे रेल की लाइनें चाहिए, रेल की लाइनें बढ़नी चाहिए, लेकिन वे रेल की लाइनें नहीं बढ़ पाती हैं। जहाँ सिंगल लाइन है, वहाँ डबल नहीं हो पाता है, ट्रिपलिंग नहीं हो पाती है और यातायात की कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा साधन रेलवेज है। उस रेलवे के लिए जमीन उपलब्ध कराना क्या किसी कारपोरेट को देना है, रेलवे के लिए जमीन उपलब्ध होगा तो किसको फायदा होना है, हमारे देश के 125 करोड़ लोगों को उसका फायदा होना है। आज मेरे यहाँ से

09.03.2015

जो यातायात निकलता है, आज दरभंगा ए-वन स्टेशन कहलाता है, वहाँ पर केवल 25 परसेंट कोचिंग यानी 25 परसेंट रिजर्वेशन के आधार पर वह ए-वन स्टेशन बना हुआ है, बाकी इसलिए नहीं हो पाती, क्योंकि ट्रेनों के फेरे नहीं बढ़ पाते हैं, सिंगल एक लाइन है और उसके ऊपर और ट्रेनों का परिचालन नहीं हो सकता है, इस कारण से आमदनी भी कम हो रही है और लोग जनरल बोगी में जा रहे हैं। वे बोलते भी हैं कि आप अपने क्षेत्र से केवल जन साधारण ट्रेन चलाते हैं। आप सोचिए कि ये सब चीजें कितनी आवश्यक हैं, अपने-अपने क्षेत्र में लोगों ने भी अपने यहाँ किया होगा और खासकर के पूर्वी क्षेत्र के अन्दर, जहाँ पर गरीबी है, जहाँ कमजोरी है। स्कूलों को लेकर, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तित किया गया, लेकिन उस हाई स्कूल के लिए जगह नहीं मिलती है और जो मिडिल स्कूल हैं, उसके अन्दर आप एक-दो ज्यादा कमरे दे देते हैं और उसके बाद लोग उसी को हाई स्कूल समझकर पढ़ते हैं। अब सोचिए कि स्वास्थ्य की परिस्थिति क्या बनी है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हम तो सरकारी हॉस्पिटल बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं। एपीएचसीज नहीं बनती हैं, पीएचसीज नहीं बनती हैं, दुनिया का सबसे नामी-गिरामी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे दुनिया जानती है, वहाँ पर आज एक स्वस्थ आदमी अन्दर जाता है और बाहर आता है तो वह बीमार होता है। आज एपीएचसीज, पीएचसीज के लिए जगह नहीं है। आप प्राथमिक स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं पनप पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए जगह उपलब्ध नहीं है। क्या केवल लोग यहाँ बैठकर किसानों के बारे में जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, हम लोग संवेदना रखते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे, एक गरीब किसान के बेटे थे। आज भी मेरे गाँव में वे सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिन्हें मैं शहर में आकर देखता हूँ। क्या हम अपने लोगों के इतनी मूलभूत सुविधा भी नहीं दे सकते हैं और उसके ऊपर राजनीति करते हैं। राजनीति जरूर करें, लेकिन कम से कम देश के हित में राजनीति करें। राजनीति ऐसे न हो कि आप लोगों को केवल दिग्भ्रमित करते रहें और संसार में बताते रहें कि जो हो रहा है, वह गलत है। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर कॉरीडोर बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, रेलवे के लिए आतिरिक्त जमीन, भूमि मिलती है, आप सोच सकते हैं कि जो जमीन ली जाएगी, उसके आसपास की जमीन के कितने दाम बढ़ेंगे? क्या वे दाम केवल चार गुना रह जाएंगे, जितना सरकार देने को कह रही है, क्या उससे

09.03.2015

उसकी जमीन के दाम और नहीं बढ़ेंगे? जब यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो हमारे यहाँ 70 प्रतिशत, जो 35 साल से कम उम्र के नौजवान हैं, क्या उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलेंगी? जो आज अपने घर को छोड़, अपने माँ-बाप को छोड़कर के दूर जा रहे हैं और दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, अहमदाबाद, राजस्थान में जाकर नौकरियाँ करते हैं, क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने के कारण से, उद्योगों के बढ़ने के कारण से उन्हें अपने यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा? क्या हम इतने ज्यादा संवेदनहीन हो चुके हैं? आज इस बढ़ती हुई समस्या को, जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, जैसे अंग्रेजी में कहावत है- “खाली दिमाग शैतान का घर है।” खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो नौजवान बेकार घूम रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई कही जा सकती है तो वह नौजवानों के श्रम को कहा जा सकता है जो विश्व में किसी के पास इतनी नहीं है जितनी कि भारत के पास है। आज उसको हम नौकरी देने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। जो गरीब किसान इनके समय में आत्महत्या कर रहे थे, उनको ये लोग नहीं रोक पाए। आज अगर उनको भूमि के अच्छे पैसे मिलते हैं तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि इनको किस प्रकार से तकलीफ होती है।

महोदय, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और वह चुनौती देश की रक्षा को लेकर है। आये दिन खबरों में देखते हैं, आये दिन चर्चा होती है कि किस प्रकार से चीन हमारे देश में पूर्वोत्तर के राज्यों में या फिर जम्मू-कश्मीर में लेह की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और उसने अपने लड़ाकू विमानों के लिए एयर स्ट्रिप और रेल की लाईनें हमारी सीमा से बिल्कुल पाँच-दस किलोमीटर दूर तक पहुँचा दी हैं। मेरे क्षेत्र से होते हुए एक लाईन जाती है जो डिफैन्स डिपाजिट वर्क्स का काम हो रहा है, आज रुका हुआ है क्योंकि ज़मीन नहीं मिल रही है। उसकी सीधी कनेक्टिविटी ऊपर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से होती है। वह नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो हमारे सैनिकों को, जो हमारी डिफैन्स को मज़बूत करने के लिए ताकत देगी, वह आज नहीं ली जा सकी है। चीन जिस प्रकार से बार-बार घुसपैठ करने की कोशिश करता है, इस सदन में भी हम बार-बार बात करते हैं और सदन के बाहर भी बात होती है कि हम किस प्रकार से अपने डिफैन्स को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, अनेक बातें मुझसे पहले अभी मेरे सांसद ने कहीं। रीसैटलमेंट और रीहैबिलिटेशन में जब तक पूर्ण रूप से जिसकी ज़मीन ली गई है, उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, तब तक वह ज़मीन नहीं ली जाएगी। यह

09.03.2015

उनके बिल में भी था और हमारे बिल में भी था। जिस समय वे बिल लेकर आ रहे थे, हमने उसका समर्थन किया था। वह राजनीतिक कारणों से लेकर आ रहे थे, लेकिन फिर भी नतीजा उन्होंने देखा कि क्या हुआ। आज उनके समर्थन की जरूरत है क्योंकि उन्हीं का बिल हम वापस लेकर आ रहे हैं।

उपजाऊ ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोई बात नहीं है। यह राज्य सरकार को तय करना है कि वह ज़मीन का आधिग्रहण करेगा और किस ज़मीन का आधिग्रहण नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उद्योग लगेंगे, जब अस्पताल खड़े होंगे, जब स्कूल बनेंगे, रोड कनेक्टिविटी होगी तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र खासकर बिहार के नॉर्थ में और उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में हैं, जो नेपाल से लगा हुआ पूरा क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ के कारण अनेकों नदियों और जंगलों जैसी जगहों से निकलने में लोगों को तकलीफ होती है। वह सदैव बाढ़ से डूबा रहता है। मेरे क्षेत्र में एक जगह है कीरतपुर। वह कीरतपुर ऐसी जगह है कि जहाँ न आज तक बिजली पहुँची है, न वहाँ कोई सड़क है। पहली बात तो यह है कि वहाँ कोई स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। परिस्थिति ऐसी है कि अगर कोई स्कूल है और वहाँ शिक्षक को रखा गया है कि वह वहाँ पढ़ाने के लिए जाए तो वह जा नहीं पाता है क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। वह अपने आप में एक टापू है, नो मैन्स लैन्ड है। वहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाती जब पुलिस को पहुँचने की आवश्यकता होती है। ऐसा केवल मेरे क्षेत्र में नहीं है, बल्कि यहाँ बैठे हुए अनेक लोग जो पूर्वांचल के होंगे, उन सबको यह समस्या आती होगी। क्या हमें उनको सड़क नहीं देनी चाहिए। क्या लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं, क्या स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, और यह सब इस कारण से नहीं हो पाता कि सरकारी अस्पताल और स्कूल नहीं बन पाते क्योंकि उनको ज़मीन नहीं मिल पाती है। इस विषय पर भी कभी सकारात्मक रूप से विपक्ष ने सोचा है कि हमें आगे बढ़कर क्या करना चाहिए? इन्होंने पब्लिक कंपनी की बात तो कर दी, लेकिन पब्लिक एंटीटी में किसान की प्रोप्राइटरशिप भी ज़मीन पर हो सकती है, जिसमें बैठकर आजकल की हमारी खेती होती है। हमारे किसान आज भी कनवेंशनल और पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। जो लोग सक्षम किसान हैं, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलाजी है, और वे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जिनकी ज़मीनें छोटी हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि लागत ज्यादा है और आमदनी कम है, इसलिए वे आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। यदि वहाँ पर कोई अच्छा इन्टरप्राइज़ खड़ा होता है और उन्हें

09.03.2015

टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है और अगर उसमें वहां के किसान का उसमें प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप होता है तो उसमें क्या खराबी है? किसान स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो और नयी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ने में कामयाब हो तो फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष के पास इस चीज के ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न होना चाहिए। नॉन प्रॉफिट ऑरगेनाइजेशन कौन हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑरगेनाइजेशन कौन हैं? ये वही लोग होंगे जो आएंगे और वहां की टोपोग्राफी को समझने का प्रयास करेंगे और वहां की जो स्थानीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व भर में भारत और पूरे भारत भर में बिहार और पूरे बिहार में एक जगह छोटा-सा मिथिलांचल है, जो सदैव ही त्याग की भूमि रही है, उस जगत जननी मां जानकी सीता के क्षेत्र से मैं आता हूं। वहां का एक बड़ा नामी चीज है मखाना। मखाना सफेद रंग का होता है, जिसे सभी लोग पूजा के समय खाते हैं। शायद यह सब को मालूम होगा। उसे बेचारा किसान मुंह से तोड़ता है। किसानों से साहूकार लोग उसे 30 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदते हैं। फिर वह साहूकार उसे पटना ले जाता है। वहां उसे साफ करता है और उसे 190-200 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है। वही मखाना दिल्ली जाता है, मुम्बई जाता है। जिस समय पूजा का समय होता है, अभी 21 मार्च से चैती दुर्गा की पूजा शुरू होने वाली है, उस समय यह 300-400-500 रुपये प्रति किलो के भाव से वह बिकता है। मेरे उस गरीब मल्लाह का क्या होगा? ऐसे ही अनेकों क्षेत्रों में सब लोगों का ऐसा कोई-न-कोई व्यापार होगा, जो वहां के गरीब किसान किया करते होंगे। यदि वहां की स्थिति को देखते हुए उसे कोई अच्छी नई टेक्नोलॉजी तैयार की जाए और वहां के किसानों को लाभ हो तो क्या इसमें किसी को तकलीफ होनी चाहिए?

भूमि आधिग्रहण की बात आयी है तो उस भूमि आधिग्रहण में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वे चाहें तो इस बिल को इन्कॉरपोरेट करें या न करें। यह एक फेडरल स्ट्रक्चर है। यदि वे राज्य चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो, गांवों के लोगों को जो सुख-सुविधाएं मिलनी चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को जो मिलनी चाहिए, वह मिले, इसमें मैं आशा करूंगा कि सभी राज्य इसे एडॉप्ट करेंगे। मखाने को एक मल्लाह 30

09.03.2015

रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है और उसी को दूसरे लोग 400 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदते हैं। मल्लाह को मछुआरा कहते हैं, पर हम लोगों के यहां उसे मल्लाह कहते हैं।

मधुबनी पेंटिंग को लोग 50-60 रुपये में खरीदते हैं। आप किसी भी ट्रेन में जाइए, किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए, अगर किसी को उपहारस्वरूप कुछ देना होता है तो उस मिथिला पेंटिंग को दिया जाता है, उस चित्रकारी को दिया जाता है। स्वर्गीय सीता देवी को इसके लिए पद्मश्री भी मिला हुआ है। लेकिन वहां वह इंडस्ट्री नहीं चल पाती। अगर उसकी इंडस्ट्री प्रोप्राइटरशिप में खड़ी हो, उसकी इंडस्ट्री पार्टनरशिप में खड़ी हो और अगर वहीं पेंटिंग जो वहां 30 रुपये, 50 रुपये में बिकती हो और जापान में जाकर वहीं पेंटिंग दस हजार रुपये में, बीस हजार रुपये में, डेढ़ लाख रुपये में बिकती हो और अगर वह फायदा हमारे मिथिला के लोगों को मिल जाए तो इसमें क्या खराबी है?

इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा। हमारे जी.डी.पी. में एग्रीकल्चर का योगदान 15% है। उस 15% में देश के 60% किसान काम करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भूमि जब इतनी छोटी-छोटी होती जा रही है तो इसमें कितने लोग आ गए हैं?

इसलिए मैं आशा करूंगा कि यह सदन सर्वसम्मति से इस भूमि आधिग्रहण बिल को पारित करेगा और देश के प्रत्येक व्यक्ति और समाज के अंतिम व्यक्ति तक के हित में काम करेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

09.03.2015

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) :** उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सदन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाला है। इस चर्चा की शुरुआत मैं सर्वप्रथम सरकार से एक प्रश्न के आधार पर करना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार कृषि उपज को महत्वपूर्ण समझती है? अगर इस प्रश्न का उत्तर 'हां' है तो फिर हमें इस देश के ढांचे को समझना होगा, देश की जरूरतों को समझना होगा, किसान की पुकार और किसान की आवाज़ को हमें सुनना ही होगा। अभी मेरे दोस्त और मेरे बड़े भाई कीर्ति आज़ाद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर देश में रोज़गार की स्थिति को हम देखें तो 65% आबादी कृषि पर और 35% आबादी मैनुफैक्चरिंग और सर्विसेज के आधार पर अपना जीवन-यापन करती है। क्या इस सरकार की इंसाफ का तराजू केवल एक ही तरफ लुढ़क जाएगा? इस प्रश्न का जवाब इस सरकार को आज देना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आज देश की खाद्य सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिह्न लगेगा। उसी की बात की नब्ज़ को समझते हुए जब राहुल गांधी जी भट्टा-परसौल गए थे और देखा था कि अवैध तरीके से भूमि आधिग्रहण किया जा रहा था।...(व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) हमने आपकी बात सुनी। आपको भी हमारी बात सुनने की क्षमता रखनी चाहिए।...(व्यवधान) लोकतंत्र में यही एक व्यवस्था है।...(व्यवधान) वह बीज उस समय राहुल गांधी जी ने बोया था जिसके आधार पर आज देश के किसान को अपनी भूमि का पूरा-पूरा लाभ मिल पाएगा। अगर आप लोग समझते थे कि कृषि महत्वपूर्ण है तो मुझे विश्वास है कि इस तरीके का भूमि आधिग्रहण विधेयक आप आज इस संसद में नहीं लाते, जिसके आधार पर किसानों के ऊपर इस तरीके की क्रूर हत्या, मैं यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, का वातावरण आज देश में लाया जा रहा है। ...(व्यवधान) अब पचास साल पीछे के बारे में भूल जाइए, क्योंकि अब आप सरकार में हैं। बारी आपकी है। उस तरफ बैठ कर क्रिकेट में फ्रंट फुट पर खेलिए, बैक फुट पर नहीं।...(व्यवधान) मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

सर, उन्हें भी बोलने दीजिए।...(व्यवधान) उनके दिल में ऊर्जा है।...(व्यवधान) आपका नारा था- 'सबका साथ, सबका विकास।'...(व्यवधान) देश की 65% आबादी का क्या हुआ, जिसे इस बिल के आधार पर दर्दनाक स्थिति में ले जाकर आप छोड़ने वाले हैं? आपने कहा था कि इस अध्यादेश के पीछे कई कारण हैं। पहली बात,

09.03.2015

देश की सुरक्षा। दूसरी बात, किसानों को पूर्ण मुआवजा दिया जाएगा और तीसरी बात, कुछ मामूली त्रुटियां हैं, जिन्हें हमें हटाना होगा। इन तीनों चीजों का कोई प्रमाण नहीं है।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने गणतंत्र दिवस के भाषण में कहा है। मैं उन्हें कोट करना चाहता हूँ-

"बिना पर्याप्त वाद-विवाद एवं बहस के किसी कानून को लागू करना लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा नहीं कही जा सकती है। अध्यादेश का रास्ता केवल विपरीत एवं आपात परिस्थितियों में ही अपनाया जाना चाहिए।"

आज प्रश्न है कि क्या यह सरकार राष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं करती है? जब हम इस विधेयक को वर्ष 2013 में लेकर आए थे तो हम लोगों ने दो साल इसके ऊपर मंथन और चर्चा की थी। हर एक सामाजिक संगठन के साथ हमने चर्चा की थी। हर एक दल के साथ हमने चर्चा की थी। एक राष्ट्रव्यापी चर्चा की थी और जिस स्टैंडिंग कमेटी की सभापति आज इस सदन की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी रही हैं, उनके साथ एक साल तक उस कमेटी ने बहुत विचार-विमर्श करके अपने सुझाव सरकार को दिए, जिसे पूर्ण रूप से उस सरकार ने अपना कर उस विधेयक को संसद के सामने रखा। क्या अब आप उनके साथ ही सहमत नहीं होंगे? चौदह पॉलिटीकल पार्टियों के साथ चर्चा हुई थी। उसमें आप की पार्टी की सुषमा स्वराज जी के साथ चर्चा हुई, हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ चर्चा हुई, अरुण जेटली जी के साथ चर्चा हुई...(व्यवधान)

**श्री राजीव प्रताप रूडी :** यह हम भी करेंगे...(व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** फिर आप कब करेंगे? सुषमा स्वराज जी ने अपनी तरफ से दो संशोधन दिए थे और हम उन दोनों संशोधनों का समावेश करके ही वह विधेयक संसद में ले कर आये थे। ...(व्यवधान) यह होता है - प्रजातंत्र का कमाल। सलाह-मशविरा, जिसके बारे में आपकी सरकार सदैव कहती है कि सबसे बात करेंगे, सबसे चर्चा होगी, और चर्चा किसी से नहीं हुई। तीन मंत्री बन्द दरवाजे में बैठ कर क्या चर्चा करके अध्यादेश लेकर आते हैं, स्वयं दूसरे मंत्रियों को भी नहीं मालूमा आज यह स्थिति हो चुकी है।...(व्यवधान) हमने

09.03.2015

सलाह-मशविरा और चर्चा की बात की। जब आपकी सरकार यह अध्यादेश लेकर आयी, राष्ट्रपति महोदय ने आपके मंत्रियों को बुलाया कि मैं आपसे जवाबदेही चाहता हूँ कि आप अध्यादेश क्यों लेकर आये? हमें बड़े खेद के साथ संसद में कहना पड़ता है कि जब इस सरकार ने मंत्रियों को राष्ट्रपति जी के यहां भेजा तो उन्होंने हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी को वहां नहीं भेजा, राष्ट्रपति जी को वहां बताने के लिए कि इसके पीछे क्या मूल मंत्र हैं? संसद की कार्यवाही पर भी आज प्रश्न चिन्ह लगा है। अगर आप इतना महत्वपूर्ण अध्यादेश लेकर आ रहे हैं तो संसद की प्रक्रिया है कि वह बिल स्टैंडिंग कमेटी को दोबारा जाना चाहिए। आपने उसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया है क्यों, क्योंकि हमारे पास नम्बर है। प्रजातंत्र में हर सांसद की आवाज होती है। वह भी 16-17 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके संसद में आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न यह उठता है कि 1894 का विधेयक हमने क्यों बदला, उसमें विफलतायें थीं। पुनर्वास के बारे में कीर्ति आजाद जी ने कहा है। उसमें पुनर्स्थापना और पुनर्वास का कोई संशोधन नहीं था, मुआवजे की कोई प्रक्रिया नहीं थी। अगर जबरन भूमि आधिग्रहण किया गया तो उसमें कोई अपील की सुविधा नहीं थी। इसलिए वर्ष 2013 का भूमि आधिग्रहण बिल कांग्रेस लेकर आयी, यू.पी.ए. सरकार लेकर आयी तो उसमें 6 मुख्य अंश समावेश किये गये, प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी, शहरी क्षेत्र की जनता को दोगुना दाम और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को चार गुना दाम दिया जायेगा, सहमति के साथ निजी क्षेत्र के लिए 80 प्रतिशत लोगों की सहमति, पी.पी.पी. के लिए 70 प्रतिशत लोगों की सहमति, हमने बहुफसलीय जमीन पर पाबन्दी लगा कर रखा था कि केवल राष्ट्र सुरक्षा के लिए जरूरत के अनुसार उसे आधिग्रहण किया जायेगा, उसके अलावा बहुफसलीय जमीन आधिग्रहण नहीं की जायेगी। वह हमारे विधेयक का एक भाग था।

अगर वह जमीन 5 साल में इस्तेमाल नहीं की गयी तो वह किसान को वापस दी जायेगी और वह सुषमा स्वराज जी का निवेदन था, यह भी हम याद रखें। सामाजिक प्रभाव के आकलन की व्यवस्था उसमें रखी गयी थी। आपकी सरकार ने मामूली फेर-बदल की आड़ में उस आधिनियम की आत्मा को ही इस संसद के अन्दर दफना दिया है और 1894 की दमनकारी कानून को दोबारा किसान के गले के अन्दर फंसाने की कोशिश यह सरकार आज इस सदन के अन्दर कर रही है। क्या तर्क दिया जा रहा है - हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति

09.03.2015

चाहते हैं। इस देश का हर व्यक्ति, हर सांसद विकास और प्रगति चाहते हैं। लेकिन, सभी को उचित सौदा मिलना चाहिए। यह देश का कानून है। वर्तमान में यह कहा जाता है कि यह कानून गति अवरोधक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो भूमि आधिग्रहण 490 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किये गये हैं, उसमें से 40 प्रतिशत में आज काम शुरू नहीं हुआ है। वर्तमान में विकास की धारा में भूमि आधिग्रहण बहुत छोटा विषय है। 'मिनिमम गवर्नमेन्ट, मैक्सिमम गवर्नेन्स' का नारा है तो आपकी क्रियान्वयन की क्षमता कहां है, हम यह प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। ...(व्यवधान) निशिकान्त जी बोलने के लिए आपको भी मौका मिलेगा।

स्वामी विवेकानन्द जी से एक व्यक्ति ने पूछा था, मैं उसे कोट करना चाहता हूँ। उनसे एक व्यक्ति ने पूछा, 'सब कुछ खोने से बुरा क्या हो सकता है?' स्वामी विवेकानन्द जी ने उत्तर में कहा, 'वह उम्मीद खोना, जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं।' आज मैं सदन में यह कहना चाहता हूँ कि अगर यह आधिनियम और अध्यादेश यहां पारित हुआ तो किसान अपनी सारी उम्मीद इस देश में खो बैठेंगे।

### **अपराह्न 03.00 बजे**

इस अध्यादेश में मुख्य बिन्दु क्या हैं। सैक्शन 3(ए) इनसर्ट किया गया है। सैक्शन 3(ए) क्या है जो उसका समावेश किया गया है। उसके आधार पर वर्ष 2013 के आधिनियम के मूल मंत्र को ही समाप्त किया गया है। पांच प्रोजेक्ट्स को सैक्शन 2 और सैक्शन 3 से पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। सैक्शन 2 क्या है - सामाजिक प्रभाव आकलन। सैक्शन 3 क्या है - बहुफसली जमीन पर भूमि आधिग्रहण पर पाबंदी लगाकर हमने रखी थी। उन दोनों को मिटा दिया गया। इसके आधार पर जबरन भूमि आधिग्रहण संभव हो पाएगा और हर योजना इन पांच प्रोजेक्ट्स के डिसक्रिप्शन में आएगी। जो बताया गया है, हर निजी क्षेत्र की योजना, सामाजिक क्षेत्र की योजना को छोड़कर, इस डिसक्रिप्शन में आ जाएगी। इस बिल का उपयोग हर कम्पनी, हर व्यक्ति एसआईए (सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट) और बहुफसली जमीन का भूमि आधिकरण करने के लिए पूरी तरह से उपयोग करेगा। हमने एक सहमति का क्लॉज़ रखा था कि 80 प्रतिशत प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए जनता से सहमति लेनी होगी। आपने उसे मिटा दिया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज किसान की एक ही अमानत

09.03.2015

उसकी जमीन है, वह भी आप उसकी सहमति से बिना उससे छीनकर ले जाएंगे। इस विषय पर आप हमारी बात करते हैं।

राज्य सभा में 4 सितम्बर, 2013 को विनय कटियार जी और जयश्रीबेन पटेल जी, गुजरात की सांसद ने क्या कहा था...(व्यवधान) उन्होंने इस संसद में कहा था कि 80 प्रतिशत सहमति के साथ हम असहमत हैं, 80 प्रतिशत सहमति नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस आधिनियम में 100 प्रतिशत सहमति ली जानी चाहिए। यह आपके सांसदों का कथन है जिसका आपने यह अध्यादेश लाकर कत्ल कर दिया...(व्यवधान) हमने सामाजिक प्रभाव का आकलन रखा था। सरकार के बहुत सारे मित्र कहते हैं कि इससे बड़ी कठिनाइयां उठेंगी। क्या करता है सामाजिक प्रभाव का आकलन? वर्तमान में देश में एक कारण के लिए बहुत भूमि आधिग्रहण किया जा रहा है और इस्तेमाल दूसरे कारण के लिए किया जाता है। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भूमि लेते हैं और वह रियल एस्टेट में इस्तेमाल होती है। कोई कहता है हम सौ एकड़ भूमि आधिकरण करना चाहते हैं, स्वीकृति लेते हैं, हजार एकड़ किया जाता है। सामाजिक प्रभाव का आकलन इन चीजों को ही रोकता है। इसकी पहली जिम्मेदारी है कि आधिकरण जन-कल्याण में है या नहीं। दूसरा, प्रभावित परिवारों की क्या संख्या होगी और उनकी आजीविका के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। कम से कम जमीन का भूमि आधिग्रहण हो, उस एसआईए में सामाजिक एवं पंचायत के क्षेत्र के लोगों का भी समावेश किया जाए और छः महीने में रिपोर्ट निकाली जाए। अगर आपकी 'मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस' की सरकार है तो आप छः महीने में रिपोर्ट लाने के दायित्व से क्यों हट रहे हैं। मैं समझ सकता था अगर आप कहते कि छः महीने के अंदर रिपोर्ट नहीं आई तो हम डीमंड परमिशन दे देंगे। लेकिन उस प्रक्रिया को पूरी तरह से नष्ट करना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अन्याय देश के किसानों के साथ नहीं हो सकता।

इस विषय में भी इस हाउस में राजनाथ सिंह जी ने कहा था, मैं उन्हें कोट करूंगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि किसी भी प्रकार का आधिग्रहण हो, प्राइवेट कम्पनीज के लिए हो अथवा पब्लिक परपसेज के लिए हो, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट निश्चित रूप से ही होना चाहिए...(व्यवधान)

09.03.2015

**श्री ओम बिरला (कोटा) :** आनंद शर्मा जी की टिप्पणी भी यहां पढ़ दीजिए...(व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** जब आपकी बारी आएगी तो आप पढ़िए, आपको कौन रोक रहा है। आज इधर बैठे तो कुछ और उधर बैठे तो कुछ और। वह आज आपके गृह मंत्री हैं। उनके वाक्य से भी आपकी सरकार घूमकर आज कुछ और कह रही है। एक क्लोज रखी गई थी कि बहु-फसली जमीन पर भी भूमि आधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आज खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगी, अगर बहु-फसली जमीन आधिग्रहीत की जाएगी। इंदिरा जी और राजीव जी ने हरित क्रांति और सफेद क्रांति के साथ इस देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया था। क्या आज यह सरकार दुबारा इस देश को आयातक बनाकर छोड़ना चाहती है। यह प्रश्न आज इस देश की जनता आपसे जानना चाहती है। विनय कटियार जी ने संसद के उद्घोषण में कहा था। उन्होंने राज्य सभा में कहा कि जो फसलों वाली जमीन है उसे किसी प्रकार से नहीं ली जानी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारा मानना है कि जब तक किसानों की सहमति न हो तब तक कृषि योग्य भूमि का किसी भी सूरत में आधिग्रहण नहीं होनी चाहिए। मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूँ कि इरिगटेड लैंड अथवा जिस खेत में फसल पैदा होती है उसे एक्वायर मत कीजिए, काम चलाना है तो बहुत सारी बंजर भूमि पड़ी हुई है, उससे काम लीजिए। लेकिन खेती योग्य भूमि किसी भी सूरत में आधिग्रहीत नहीं होनी चाहिए। यह आपके शब्द हैं, आज आप उसी से मुकर गए। जब समय आएगा तब देश की जनता आपकी भी इन्तिहान लेगी। सेक्शन 24 (2), हमने भूमि आधिग्रहण विधेयक में एक क्लोज रखी थी, अगर 2013 के आधिनियम के पहले किसी भी किसान की भूमि ली गई हो, पांच साल के अंदर उसे मुआवजा न दिया गया हो या पांच साल में उसे धारण न किया गया हो तो वह भूमि उसे वापस दी जानी चाहिए और 2013 की भूमि आधिग्रहण की नियमों के अनुसार एक्विजिशन प्रोसेस दुबारा शुरू की जानी चाहिए। इसके आधार पर किसान को दो मुनाफे थे। एक, एक्विजिशन प्रोसेस नया होगा, दूसरा, उसे दाम चार गुना ज्यादा मिलेगा, जो पूर्व में नहीं मिलता था। आज आपने इस बिल में क्या बदलाव लाया? सरकार ने इस बिल में एक क्लोज डाला है, न्यायालय स्थगित आदेश की समयावधि उन पांच सालों में समायोजित नहीं किया जाएगा। इसमें किसानों का क्या दोष है? हमने किसान को एक नया डील दिया और आपने कटे पर नमक छोड़कर किसान को छोड़ दिया। धारा 101, हमने कहा था कि अगर पांच

09.03.2015

साल में आधिग्रहीत भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा तो वह वापस किसान को दिया जाना चाहिए। इस सरकार ने उसे बदल कर पांच साल की अवधि अथवा परियोजना की स्थापना की निश्चित अवधि जो भी बाद में हो, उसके आधार पर होगा। यह क्लॉज मैं समझ सकता हूँ, जैसे मेरे बड़े भाई कीर्ति आजाद जी ने कहा कि इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर के लिए पांच साल की समयावधि नहीं हो सकती, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट्स को आप पांच साल में खत्म नहीं कर सकते। कहां गया मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, एक-दो एक्सेपशन आप कर लेते, निशिकांत जी आपने तो इसे मिटा ही दिया, उसके साथ किसान की रेखा भी आपने मिटा दी। राजनाथ सिंह जी ने कहा था, मैंने कई बार देखा है कि आवश्यकता से आधिक भी लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं, ऐसी लैंड पड़ी की पड़ी रह जाती है, खुली रह जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे जमीन एक सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्स है। यदि कोई जरूरत से ज्यादा लैंड एक्विजिशन कर लेता है तो उसे किसान को वापस कर देनी चाहिए। आप इधर बैठते हैं तो कुछ और आपका यू टर्न के ऊपर यू टर्न चलता ही जाता है। निजी क्षेत्र के ऊपर हमने पाबंदी लगाई थी कि निजी क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल के लिए पाबंदी लगा कर रखी थी किन्तु आपने उसकी भी धज्जियां उड़ा दीं। आपकी कमेटी के अध्यक्ष, हमारी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जब स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष थीं, उन्होंने स्वयं कहा था कि जहां तक प्राइवेट सैक्टर और निजी क्षेत्र और पीपीपी के लिए लैंड एक्विजिशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। यह उनका वक्तव्य है। आप अपने गृह मंत्री का वजूद नहीं रखते, स्पीकर महोदय का वजूद नहीं रखते। आज देश की जनता आप की तरफ देख रही है, वर्तमान में अगर संशोधन की आवश्यकता थी तो हम एक क्षेत्र में संशोधन ला सकते थे, किस क्षेत्र में, हम टाइम लाइन को मजबूती प्रदान कर सकते थे, क्रियान्वयन के प्रोसेस को डेडलाइन फिक्स कर सकते थे, वह विषय अगर आप लाते तो हम जरूर उस पर विचार कर सकते थे। लेकिन आप यहां जो अध्यादेश लेकर आये हैं, मैं उदाहरण दूंगा, वह ऐसा है जैसे आपने शरीर में से आत्मा निकाल दी, मांस निकाल दिया, रक्त निकाल दिया, हड्डी निकाल दी और मृत शरीर इस संसद के सामने पेश कर दिया। इस अध्यादेश के आधार पर आज यह स्थिति हो चुकी है। परिवर्तन लागू करना होता तो किसान के लिए हम वरदान लाते। विकसित भूखंडों में आधिक हिस्सा देकर हम उन्हें देश के विकास में भागीदारी बनाते। आपका जो नारा है--हर हाथ को हुनुर, हर खेत को पानी,

09.03.2015

तो क्या यह भी हमारा एक चुनावी जुमला ही रह गया? विस्थापित परिवारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण के लिए, मेरे भाई राजीव प्रताप रूडी जी यहां बैठे हुए थे। वे प्रशिक्षण क्षेत्र के मंत्री हैं। मैं बड़ी खुशी से उनकी अगुवाई करता, अगर इसमें प्रशिक्षण का क्लाज हमारे नौजवानों के लिए होता। जैसे कीर्ति आजाद जी ने कहा कि प्रशिक्षण के कोई क्लाजेज इस बिल में रखे गये होते, लेकिन नौजवानों को रोजगार के प्रशिक्षण के लिए कोई क्लाज का समावेश इस बिल में नहीं है।

यू.पी.ए. सरकार ने वर्ष 2013 का आधिनियम किसान एवं सर्वहारा वर्ग के लिए पारित किया। लेकिन यह सरकार संसद में इस अध्यादेश को पूंजीपतियों के लिए लेकर आयी है। यह अध्यादेश ऐसा है, जैसे वर्तमान में किसान के पेट में लात और मान ली उद्योगपतियों की बात। आज देश में यह स्थिति हो चुकी है।

सुषमा स्वराज जी ने स्वयं दो साल पूर्व इस चर्चा के समय अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने यू.पी.ए. सरकार के समक्ष 12 सुझाव रखे थे, जब कमलनाथ जी ने अप्रैल, 2013 में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने कहा था कि सामाजिक प्रभाव के आकलन में विधायक को रखा जाना चाहिए, नागरिक संगठन को रखा जाना चाहिए। सुषमा स्वराज की यह वही बात थी, जो गुजरात के एक विधायक कन्नू कलसरिया जी ने कही थी। जब गुजरात में जबरन भूमि आधिग्रहण हो रहा था, तब यही मुद्दा उठाकर वह पूरे गुजरात में घूमे थे। वे गुजरात सरकार के जबरन भूमि आधिग्रहण के विरुद्ध घूमे थे और वही बात सुषमा जी ने उठाई थी कि किसान को उस भागीदारी में लाभ मिलना चाहिए। उस समय, यानी वर्ष 2013 में भाजपा ने इस बिल के लिए पूर्ण समर्थन दिया था। उन्होंने पीठ थपथपा कर, टेबल थपथपा कर इस बिल का स्वागत किया था। 6 अप्रैल, 2000 में प्रधान मंत्री जी ने ट्विट किया था कि क्या हमारे किसानों को उचित दाम नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्होंने काम नहीं किया? आपने कृषि को फायदा का धंधा बनाने की बात कही थी। जो लागत होगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की लागत होगी, कृषि के क्षेत्र में 50 प्रतिशत समर्थन मूल्य आप बढ़ाकर रखेंगे। जब 21 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में आपकी सरकार की तरफ से वक्तव्य रखा गया, तब कहा गया कि यह बात असंभव है। आपकी सरकार का एक और यू-टर्न। किसान की पीठ टूट रही है, क्योंकि न खाद है, न बिजली और न पानी। आज आपने किसान की जमीन भी ले ली। आज पूरे देश में इस

09.03.2015

अध्यादेश का विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में इस अध्यादेश का विरोध हो रहा है।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमने आदिवासी समाज की भूमि को लिया तो यह सरकार सतर्क रहे, क्योंकि नक्सलवाद की शुरुआत दोबारा हो जायेगी। इस अध्यादेश पर संघ परिवार का विरोध है, भारत किसान संघ का विरोध है, संगठनात्मक दलों का विरोध है और शिव सेना, एस.ए.डी. आदि अनेक दलों का विरोध है। किसान संगठनों के साथ भी कोई चर्चा नहीं की गई। जब संविधान की बात की जाती है तो आज यह कहा जाता है कि कांग्रेस किसानों के लिए यह मुद्दा उठा रही है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह देश की खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है और कांग्रेस सदैव उस विषय पर देश के किसानों का पहरेदार रहा है।

भारत टापू की तरह प्रगति नहीं कर पायेगा। हमें टापुओं के समुद्र के रूप में प्रगति करनी होगी। हमारे पास समृद्धि के द्वीप नहीं हो सकते, बल्कि हमारे पास समृद्धि के महासागर होने चाहिए। अगर आपने किसान के हित को कुचला तो आप याद रखिये कि किसान का जो रोष होगा, किसान का गुस्सा होगा, वह आपके जीत के अहंकार को भी मिटाकर रख देगा।

हमने कई महीने पूर्व 'मेक इन इंडिया' कैम्पेन की बात सुनी थी। इसके शीर्षक के साथ 'सिंह' था। मुझे भी एक सामान्य नागरिक के रूप में लगा कि शायद हम अपने देश की क्षमता विश्व भर को दिखाने में सक्षम होंगे। लेकिन आज इस अध्यादेश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वह 'सिंह' हमारे देश के किसानों पर अंदरूनी प्रहार करके, नरसिंहार करके, उनका पूरा नुकसान करने जा रहा है। जो अध्यादेश किसानों की भूमि को छीनेगा, जो पशुओं को मौत के घाट पर उतारेगा, उस अध्यादेश का सड़क से संसद तक विरोध करना कांग्रेस पार्टी का दायित्व और धर्म रहेगा। मैं यहां आप लोगों को इसका विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

कल इस विषय पर वोटिंग होने वाली है। यह मामूली अध्यादेश नहीं है। यह ऐसा अध्यादेश है जो देश की सारी जनता को प्रभावित करेगा। मुझे मालूम है कि संसद में व्हिप के आधार पर वोटिंग होती है। मैं आज इस विषय पर संसद के सहभागियों से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ, जब वे बटन दबायें, स्क्रीन्स पर

09.03.2015

वोटिंग देखी जाएगी, आप और हम यह बात याद रखें कि हम अपनी अन्तरआत्मा की पुकार के आधार पर वोट करें क्योंकि जीवन के अंतिम क्षण तक वह वोट आपके और हमारे दिमाग पर ही नहीं बल्कि देश की जनता के दिल में रहेगा। धन्यवाद।

09.03.2015

[अनुवाद]

**श्री के.एन. रामचन्द्रन (श्रीपेरम्बुदुर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

सभा ने अब बहुप्रतीक्षित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया है।

हमारी प्रिय नेत्री, क्रांतिकारी नेत्री, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* द्वारा निर्देशित हमारी ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी के एक विनम्र सदस्य के रूप में, मैं जिम्मेदारी से यह कहना चाहूंगा कि जो भी प्रावधान हैं, उन पर इस सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

जो लोग इस बात पर दृढ़ विश्वास रखते हैं कि वे सही सोच रहे हैं, तथा तथाकथित अति-सुधारवादियों के बीच विवाद का विषय यह है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में हैं या निजी क्षेत्र के पक्ष में। यह लोगों की गीता है। कानून जनता के लिए है। वही कानून लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यही हमारी *अम्मा* की भी धारणा है।

यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि यह संशोधन विधेयक राज्य सरकार के इस विशेषाधिकार के आड़े नहीं आता है कि वह यह निर्णय ले कि कोई परियोजना, जिसके लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाती है, पांच निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत आती है या नहीं। भूमि के ऐसे अधिग्रहण को एस.आई.ए. अर्थात् सामाजिक प्रभाव विश्लेषण और 'सहमति' प्रावधान की आवश्यकताओं से छूट दी जानी चाहिए, जो कि मामले दर मामले के आधार पर महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी इस संशोधन विधेयक का खंड 3 हमारे लिए चिंता का कारण है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उन लोगों के कल्याण को बनाए रखने में विश्वास करते हैं जिनकी भूमि वास्तव में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाती है।

वैश्वीकरण और उदारीकरण का अर्थ हमेशा निजीकरण नहीं होना चाहिए। हमने अपने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। हमारे प्रिय नेता *मक्कालिन मुदालवार*, हमारी *अम्मा* ने एन.एल.सी. द्वारा छोड़े जाने वाले पांच प्रतिशत शेयर को खरीदने की साहसिक पहल की। यह एक उल्लेखनीय कार्रवाई है। हां, यह

09.03.2015

हमारे राज्य के इतिहास में उल्लेखनीय एवं अद्भुत है। तमिलनाडु की हमारी सरकार इसे कमजोर किये जाने के खिलाफ थी। यह संदेह से परे साबित हो गया कि तमिलनाडु की हमारी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और उनके कर्मचारियों और प्राकृतिक संसाधनों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं।

निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, हमारे पास अधिग्रहीत भूमि प्राप्त करने के लिए पात्र बनने के उद्देश्यों के लिए निजी अस्पतालों और निजी शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करने के आपके कदम के बारे में मजबूत आपत्ति है।

यहां तक कि 2013 अधिनियम के लागू होने के समय भी, हमने विभिन्न निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सुना था, जो वर्तमान अधिनियम के प्रभाव को रोकने के लिए गरीबों से बहुत कम कीमत पर भूमि अधिग्रहण कर रहे थे। पिछली सरकार में हमारे पास ऐसे कई अनुभव हैं। तमिलनाडु में पिछली सरकार कथित तौर पर यह सुविधा प्रदान कर रही थी। हम इसे स्पष्ट करना चाहते हैं।

इस संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में विपक्षी दलों द्वारा की गई गंभीर आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए, केंद्र सरकार अब पुनः इस विधेयक को लेकर आई है। मैं इस सरकार में विश्वास करना चाहता हूँ कि वे औद्योगिक विकास की गति बढ़ाना चाहते हैं। मैं निष्पक्ष रहना चाहता हूँ। साथ ही, हमें स्वयं से यह भी पूछना होगा कि यदि हम आम सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या हमें उचित मुआवजा मिल सकता है। हमारी ऊर्जावान नेत्री, अम्मा हमेशा इस बात पर जोर देती रही हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति से जुड़े मामलों में सार्थक बातचीत के बाद एक आम राय बनाई जानी चाहिए। वास्तव में, यह समाप्त हो गया है।

यह सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा उत्पादन की तैयारी सहित भारत की रक्षा जैसी रणनीतिक और विकास गतिविधियों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने का इरादा रखती है। यह सरकार विद्युतीकरण सहित ग्रामीण अवसंरचना को भी मजबूत करना चाहती है और गरीबों के लिए किफ़ायती आवास की सुविधा प्रदान करना चाहती है। औद्योगिक गलियारे बनाने, समग्र बुनियादी ढांचे और सामाजिक बुनियादी

09.03.2015

ढांचे की परियोजनाओं के अलावा सार्वजनिक महत्व की अन्य परियोजनाओं को भी गंभीरता से लिया जाएगा। हमें इसमें कोई आरक्षण नहीं है। 'सहमति' नाम की एक चीज भी है। हमें इस पर भी विचार करना चाहिए।

जहां तक भूमि मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे का सवाल है, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारी राज्य सरकार वर्ष 2013 के मूल अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। हमने अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुणक कारक को बाजार मूल्य और क्षतिपूर्ति के 1.25 गुना पर तय करने का भी कार्य शुरू किया है।

अधिनियम की धारा 24 (2) में संशोधन करके यह निर्दिष्ट किया गया है कि मुकदमेबाजी की अवधि को गणना से बाहर रखा जाएगा। संशोधित प्रावधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि इस प्रावधान के अंतर्गत मुआवजा न केवल न्यायालय में बल्कि इस प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी भी खाते में जमा किया जा सकता है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी गतिशील नेता अम्मा के मार्गदर्शन में हमारी तमिलनाडु सरकार ने सरकारी परियोजनाओं में अनावश्यक व्यवधान से बचने के लिए इस धारा में व्यापक संशोधन करने हेतु एक विधेयक पारित किया है।

हमें जबरन अधिग्रहण के बारे में सावधान रहना चाहिए। हमें सुरक्षा उपाय और अपील तंत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हम विस्थापितों के पुनर्वासन और पुनर्स्थापन पर चुप नहीं रह सकते। मुझे उम्मीद है कि सरकार 'आपातकालीन खंड' से अवगत है जो कानून का सबसे आलोचनात्मक खंड है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह पूरी सावधानी के साथ मार्ग पर चले। धन्यवाद।

09.03.2015

**श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर):** महोदय, आज हम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बहस कर रहे हैं।

महोदय, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको बताना चाहूंगा कि हम इस विधेयक का शत-प्रतिशत विरोध करते हैं। हमने उस बिंदु पर इसका विरोध किया था जब वर्ष 2013 का विधेयक 80 प्रतिशत सहमति के साथ आया था, यदि लिया जाए और निजी उद्यमों और उद्योगपतियों के लिए 20 प्रतिशत अधिग्रहण किया जाए। उस समय भी हमने इसका विरोध किया था।

आज भी हम इस विधेयक का 100 प्रतिशत विरोध कर रहे हैं। मैं यहां उपस्थित अपने सभी मित्रों को यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि वे देश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस विधेयक का दिल से विरोध करें। भले ही मुझे, हमारी पार्टी को लेकर कोई भी व्यक्ति साथ न मिले, लेकिन श्री रवीन्द्र नाथ जी ने बांग्ला में जो कहा था, वह प्रासंगिक है और मैं उसे उद्धृत करता हूँ:

*"जोड़ी तोर शाथे केयू ना अशे, तोबे एकला चलो रे"*

अगर देश में हमें अकेले भी जाना पड़े तो हम इस विधेयक का 100 प्रतिशत विरोध करेंगे।

महोदय, हमारे पास इसकी पृष्ठभूमि है। वर्ष 2007 में जब किसानों के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, जब टाटा परियोजना के लिए सिंगूर में किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, तब हमारी नेता ममता बनर्जी ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए धर्मतला में 26 दिनों तक अनशन किया था। किसानों के अधिकारों के लिए हमारे संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। हमने नंदीग्राम देखा है। मेरे एक भाई, श्री शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ हैं। ममता दी ने नंदीग्राम के लिए लड़ाई लड़ी। मेरे भाई श्री शुभेंदु अधिकारी, जो उस स्थान से संबंधित हैं, ने भी इसके लिए लड़ाई लड़ी। वहाँ हमारी राजनीतिक लड़ाई थी, जहाँ नंदीग्राम में जमीन हड़पने के उद्देश्य से तत्कालीन सरकार ने कई गोलीबारी के आदेश दिए थे। इस घटना की सी.बी.आई. जांच भी शुरू कर दी गई है।

हाल ही में, विभिन्न स्थानों पर हम किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। आज भी हम इस विधेयक के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। प्रायः हमारे प्रधान मंत्री जी महात्मा गांधीजी को उद्धृत करते हैं और

09.03.2015

हमारे मित्र भी गांधीजी को उद्धृत करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 21 अगस्त, 1910 को महात्मा गांधी से लेकर मदन लाल गांधी तक के एक पत्र में कहा गया था, और मैं उद्धृत करता हूँ:

“मैं स्वयं एक किसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी किसान बनें या यदि आप पहले से ही किसान हैं तो किसान बने रहें।” मेरे जीवन का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। पूरा दिन लोगों को लिखने और समझाने के बजाय जमीन खोदने और अन्य शारीरिक श्रम में बीत जाता है। मैं इस काम को पसंद करता हूँ और इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ।”

महोदय, 3.12.1910 को *इंडियन ओपिनियन* में गांधीजी ने किसानों के बारे में लिखा था और मैं इसे उद्धृत कर रहा हूँ:

“निश्चित रूप से, किसान दुनिया का पिता है, लेकिन यह उसकी महानता है कि वह इस तथ्य से अवगत नहीं है। जो लोग किसी भी मूल्य के अच्छे कार्यों के लिए खुद को समर्पित करते हैं, वे अपनी भलाई के बारे में नहीं जानते हैं। जिस प्रकार हम हर क्षण सांस लेते हैं, लेकिन इस तथ्य से अवगत नहीं होते, उसी प्रकार अच्छे लोग भी स्वभावतः अपनी अच्छाई को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्हें इस बात का अहसास ही नहीं है कि वे किसी श्रेय के हकदार हैं। उन्हें सम्मान की परवाह नहीं है।”

आज इस संशोधन के माध्यम से इस देश के किसानों का सम्मान और किसानों की साख छीनी जा रही है। जहां तक मूल अधिनियम 2013 द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार का प्रश्न है, वह प्रावधान भी आया, हालांकि हमने 80 प्रतिशत खरीद और 20 प्रतिशत अधिग्रहण पर आपत्ति जताई थी। हमने इस पर आपत्ति जताई थी और हम इसके खिलाफ थे।

09.03.2015

अध्याय 2 और अध्याय 3 तत्कालीन मंत्री और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच कई विचार-विमर्श के बाद आया था, लेकिन आज वह अधिकार छीन लिया गया है। अध्याय 2 और अध्याय 3 में क्या है? मैं उसके विवरण पर बाद में आऊंगा। एक वाक्य में, अध्याय 2 सामाजिक प्रभाव और 'सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोगिता' के निर्धारण के बारे में बात करता है जो किसानों के अधिकारों को मान्यता देता है। इस संशोधन द्वारा उस अधिकार को छीना जा रहा है। अध्याय 3 में खाद्य सुरक्षा की रक्षा के प्रावधान हैं। जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इस अध्याय 3 को हटाया जा रहा है। इसलिए हम इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह विधेयक किस बारे में है। यह विधेयक कहता है कि अध्याय 1 और अध्याय 2 के प्रावधान कुछ परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे। यह उन पर क्यों लागू नहीं होना चाहिए? इसमें क्या दिया गया है? यह उल्लेख किया गया है कि रक्षा के मामले में; ग्रामीण अवसंरचना के मामले में; किफ़ायती आवास के मामले में; औद्योगिक गलियारे के मामले में; और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं सहित अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के मामले में जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास निहित है। इस संशोधन के द्वारा किसी किसान की सुनवाई का अधिकार छीना जा रहा है।

यह अधिकार कहाँ से आता है? पहले, यह अनुच्छेद 31 (1) (क) में संविधान में था, जिसे हटा दिया गया है। अब, संविधान का अनुच्छेद 300क आ गया है, और यह एक संपत्ति का अधिकार है। भूमि कुछ और नहीं बल्कि एक व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार है और उस व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को बिना किसी सुनवाई के छीना जा रहा है। मैं इस बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मैं एक किसान के अधिकार, एक भूमि के अधिकार या एक संपत्ति के अधिकार को बिना सुनवाई का अवसर दिए पूरी तरह से छीन लिए जाने के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकता हूँ? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों को इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा।

09.03.2015

ये परियोजनाएं वहां नहीं थीं। आप आपातकाल के बारे में बोल रहे थे। यदि आप मूल अधिनियम की धारा 9 को पढ़ते हैं, तो इसमें कहा गया है कि:

“जहां धारा 40 के तहत तात्कालिकता प्रावधानों को लागू करते हुए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है, वहां उपयुक्त सरकार सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन कराने से छूट दे सकती है।”

इसलिए, इसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई अत्यावश्यकता है या आपको लगता है कि यह अत्यावश्यक है, तो मूल अधिनियम में ही धारा 9 के तहत शक्ति दी गई है। आप सामान्यतः किसानों से सुनवाई, सामाजिक प्रभाव आकलन, सार्वजनिक उद्देश्य, सार्वजनिक सुनवाई, पंचायत, नगरपालिका, ग्राम पंचायत आदि से परामर्श का अधिकार क्यों छीन रहे हैं?

सामाजिक प्रभाव क्या है? सामाजिक प्रभाव तीन गुना है। सबसे पहले, सबको अपनी राय बतानी चाहिए, यानी जनप्रतिनिधि स्तर पर, पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर और राज्य स्तर पर भी और अगर कोई राय है, तो उस राय पर विचार किया जाएगा। दूसरा प्रभाव क्या है? यदि यह विचार आया है, तो क्या वास्तव में इसका सार्वजनिक प्रयोजनों में कोई उपयोग है या नहीं? इसे छीना जा रहा है। तीसरा, किसानों के बहुमूल्य अधिकार को छीना जा रहा है।

यदि आप धारा 3 में शामिल प्रावधान को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि:

“यह भी प्रावधान है कि धारा 10क में सूचीबद्ध परियोजनाओं और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण को उपबंधों से छूट दी जाएगी...”

आप क्या छीन रहे हैं? आप मूल अधिनियम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भूमि के लिए दिए गए विशेष प्रावधान को हटा रहे हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अधिग्रहण नियमित तरीके

09.03.2015

से नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि दुर्लभतम और अपवादस्वरूप मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भूमि को न छुआ जाए। इस विधेयक द्वारा ही सरकार उनकी ज़मीन के संबंध में उस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकार को छीन रही है। अब, यह दुर्लभतम मामला नहीं है, बल्कि यह सामान्य प्रकृति का मामला है, जिसे हटाया जा रहा है।

विषय क्या था? कृपया धारा 4 में देखें। यह उनके परामर्श से एक सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन करना था। मैंने पहले ही नामों का उल्लेख किया है, और यह उनके परामर्श से दिया जाना है। कुल सामाजिक प्रभाव आकलन, सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए सार्वजनिक सुनवाई और सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए प्रकाशन सब कुछ छीन लिया गया है। कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, जिसे इस विधेयक द्वारा कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है:

"यदि उपधारा (1) के तहत गठित विशेषज्ञ समूह की राय है कि परियोजना किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य या सामाजिक लागत को पूरा नहीं करती है और परियोजना के प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव संभावित लाभों से अधिक है।

इसलिए यह प्रावधान समाप्त किया जा रहा है। हमने कई मामलों में देखा है जहां अधिग्रहण किया गया है, लेकिन अंततः अधिग्रहण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने और मुआवजा दिए जाने के बाद किसानों को भूमि वापस नहीं मिली है। अंततः यह महसूस किया जा रहा है कि किसानों को ज़मीन वापस नहीं मिल रही है। इसलिए, यदि यह सामाजिक प्रभाव अध्ययन नहीं किया जाता है, तो आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है या नहीं?

महोदय, किसी भी मंत्री के प्रति बहुत सम्मान के साथ और वातानुकूलित कक्ष में बैठे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के प्रति बहुत सम्मान के साथ, कोई भी यह नहीं समझ सकता कि सार्वजनिक उद्देश्य क्या है। 'सार्वजनिक उद्देश्य' को समझने के लिए क्षेत्र में जाकर यह पता लगाना होगा कि क्या वह विशेष भूमि उक्त

09.03.2015

'सार्वजनिक उद्देश्य' को पूरा करती है या नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। वास्तव में, हमने सिंगूर में इस स्थिति का सामना किया, जहां बहु-फसल सिंचित भूमि है। इसी तरह, नंदीग्राम में भूमि, बहु-फसल सिंचित भूमि है। एक दिन सुबह-सुबह, कोलकाता शहर में आने वाले एक उद्योगपति, जो कोलकाता शहर के पास रहना चाहता है, को यह बहु-फसल सिंचित भूमि पसंद आ गई, और यह भूमि उस उद्योगपति को दे दी गई। आपको बहु-फसल सिंचित भूमि क्यों लेनी चाहिए? इस विधेयक द्वारा धारा 10 को कमजोर किया जा रहा है, जिसमें संशोधन किया जाएगा। इसलिए, यह पूरे उद्देश्य को समाप्त कर देता है।

धारा 10 की उप-धारा (3) में किसानों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। जहां कहीं भी उप-धारा (2) के अंतर्गत बहु-फसल सिंचित भूमि अर्जित की जाती है, वहां कृषि योग्य बंजर भूमि के समतुल्य क्षेत्र को कृषि उपयोग के लिए विकसित किया जाना चाहिए अथवा अर्जित भूमि के मूल्य के समतुल्य राशि जमा की जानी चाहिए। मूल अधिनियम की योजना के तहत, जहां कहीं भी बहु-फसल सिंचित भूमि अधिग्रहित की जाती है, तो आपको किसानों के उपयोग के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करानी होगी, साथ ही उन्हें जो भी मुआवजा दिया जाना है, वह भी देना होगा। वह प्रावधान भी अब समाप्त किया जा रहा है। तो फिर आप सब कुछ खो देंगे। अध्याय 3-क की प्रक्रिया द्वारा किसानों के हर अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

वर्ष 2009 से ही हमारे नेता जी ने बार-बार मांग की और तत्कालीन सरकार को लिखित दिया कि सामाजिक प्रभाव आकलन प्रणाली कैसे शुरू की जानी चाहिए, और सरकार द्वारा अपने संप्रभु कार्यों के निर्वहन के लिए भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में भी किसानों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। उस समय सरकार के तत्कालीन मंत्री जी हमारे मुख्य मंत्री जी के साथ बैठकर इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते थे। वास्तव में, तत्कालीन कृषि मंत्री जी ने अध्याय 2 और अध्याय 3-अ से संबंधित लगभग सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया था। इस पर चर्चा हुई और भारतीय जनता पार्टी सहित सभी ने उस विधेयक का समर्थन किया।

09.03.2015

जब ममता जी 26 दिनों तक अनशन पर रहीं, उस समय वर्तमान गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उस स्थान पर गए जहां ममता जी अनशन पर बैठी थीं। वे लगभग तीन से चार घंटे तक दीदी के साथ थे। उस दिन उन्होंने किसानों के अधिकार की बात की थी। मुझे यह समझ नहीं आता है कि आज श्री राजनाथ सिंह इस विधेयक का समर्थन क्यों कर रहे हैं। कोलकाता में वर्ष 2009 में उन्होंने जो भी बात की, वह वर्ष 2013 के विधेयक में परिलक्षित हुई। यह अधिकार क्यों छीना जा रहा है? किसानों के अधिकार से जुड़ा जो विचार श्री राजनाथ सिंह जी देश को बताना चाहते थे, उसे आज क्यों छीना जा रहा है? मैं श्री राजनाथ सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं श्री राजनाथ सिंह जी, जो वर्ष 2007 में किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे साथ खड़े थे, से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि वे फिर आएँ और किसानों के अधिकारों के लिए खड़े हों। किसानों को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए, जो वास्तव में प्राकृतिक न्याय का अधिकार है और उससे अधिक कुछ नहीं।

हमें इस सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? इसके दो उद्देश्य हैं। पहला यह पता लगाना है कि क्या यह वास्तव में 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए प्रासंगिक है। यदि यह प्रासंगिक है, तो उचित मुआवजे का निर्धारण किया जा सकता है। उचित मुआवजे के निर्धारण के लिए अध्याय 2 और 3 की आवश्यकता है। आप उचित मुआवजे का अधिकार छीन रहे हैं, और बाजार मूल्य के अनुसार ही मुआवजा देंगे। अध्याय 2 और 3 में उचित मुआवजे के निर्धारण का मूल सूत्र तय किया गया है। इसे छीन लिया जा रहा है। मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूँ क्योंकि यह विधेयक वास्तव में अध्याय 2 और अध्याय 3 की मूल संरचना को बदल रहा है। यह संशोधन कुछ भी नहीं है। वे मूल अधिनियम के अध्याय 2 और अध्याय 3 के उद्देश्य, कारण और मूल संरचना को ही निष्प्रभावी कर रहे हैं। मूल संरचना को बदला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि उन्हें कॉर्पोरेट से प्यार है। मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कॉर्पोरेट के लिए ही काम करना है। वे कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेट द्वारा और कॉर्पोरेट की सरकार हैं। उनका उद्देश्य कॉर्पोरेट के लिए है। हम इस हिस्से को समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा न करें। ... (व्यवधान)

09.03.2015

[हिन्दी]

**श्री एम. वैकैय्या नायडु :** क्या हमें श्राप दे रहे हैं? जैसे पहले मुनि लोग कहते थे कि आपको यह हो जाएगा या वह हो जाएगा।

[अनुवाद]

**श्री कल्याण बनर्जी:** नहीं, महोदय। आप एक बड़े आदमी हैं। मैं एक छोटा आदमी हूँ। आप एक कद्दावर नेता हैं। मैं आपसे अपील कर सकता हूँ। आप भी इस तरफ थे। यदि मैं सही हूँ, तो उस समय भी आपने उस विधेयक का समर्थन किया था। आपने भी कहा था कि यह विधेयक होना चाहिए। आप इसे कमजोर क्यों कर रहे हैं? चूंकि आपने यह मुद्दा उठाया है, इसलिए मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। उस दिन आपका क्या रुख था? आज भी उस रुख को अपनायें। यह मेरी आपसे अपील है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसानों के अधिकार को बिल्कुल भी अमान्य नहीं किया जा सकता।

मैं इसे केवल एक उद्धरण के साथ समाप्त करूंगा। गांधीजी की राय 6 दिसंबर, 1944 को *हिंदुस्तान मानक* में प्रकाशित हुई थी। मैं सिर्फ उद्धृत करता हूँ:

“आखिरकार, यह औद्योगीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन तुलनात्मक रूप से हाल ही में हुआ विकास है। हम नहीं जानते कि इसने हमारी खुशी के विकास में कितना योगदान दिया है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इसने हाल के विश्व युद्धों को जन्म दिया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, और यदि यह समाप्त भी हो गया तो हम तीसरे विश्व युद्ध के बारे में सुन रहे हैं। हमारा देश कभी इतना दुखी और दयनीय नहीं था जितना कि आज है। शहरी लोगों को भले ही बड़ा मुनाफा और अच्छी मजदूरी मिल रही हो, लेकिन यह सब गांवों का खून चूसकर संभव हुआ है। हम लाखों-करोड़ों का संग्रह नहीं करना चाहते। हम अपने काम के लिए हमेशा पैसे पर निर्भर नहीं रहना चाहते। यदि हम किसी उद्देश्य के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हैं, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। हमें विश्वास रखना चाहिए और हमें खुद के

09.03.2015

प्रति सच्चा होना चाहिए। यदि हमारे पास ये सब होगा, तो हम अपनी पूंजी का विकेंद्रीकरण कर सकेंगे...”

यह विधेयक कुछ भी नहीं है। यह विधेयक इस देश के किसानों का खून चूसने का एक प्रयास है। वे किसानों का खून चूसना चाहते हैं। सरकार की एक सामाजिक जिम्मेदारी है और देश के समाजवादी स्वरूप के लिए है। सरकार केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं है। सरकार को बड़े पैमाने पर लोगों के बारे में सोचना होगा। सरकार को बड़े पैमाने पर गरीब लोगों के बारे में सोचना होगा। सरकार को सबसे पहले उन किसानों को प्राथमिकता देनी होगी, जो हमारे देश की रीढ़ हैं। इसके साथ मैं इस विधेयक का शत प्रतिशत विरोध करता हूँ। मैं अपने सभी माननीय मित्रों से अपील करता हूँ कि कृपया इस विधेयक का दिल से विरोध करें। मैं भी कहता हूँ, जैसा कि श्री सिंधिया जी ने कहा है कि कल जब यह विधेयक मतदान के लिए आएगा, तो सभी को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि यह सरकार कॉरपोरेट की सरकार है। यह सरकार गरीब विरोधी है। यह सरकार किसान विरोधी है। यह सरकार देश को केवल उद्योगपतियों को बेच देगी। आइये इस विधेयक का विरोध करें।

09.03.2015

**श्री तथागत सत्पथी (धेंकनाल):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम वर्ष 2015 में हैं या हमें वर्ष 1894 के ब्रिटिश युग में वापस घसीटा गया है जब भारत में पहले भूमि कानून बनाए गए थे? यह अध्यादेश, जिसे कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, स्पष्ट रूप से प्रतिगामी है और निश्चित रूप से ग्रामीण भारत में छोटे भूखंडों पर खेती करने वाले आम लोगों के हितों के लिए हानिकारक है।

**अपराह 03.45 बजे**

**(श्री हुक्मदेव नारायण यादव पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, हाल ही में आपने देखा होगा कि हम पर एक ऐसे शब्द की बौछार की जा रही है जो अब हम सभी के लिए बहुत घृणित लग रहा है और वह शब्द विकास है। जब विकास शब्द बोला जाता है तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि विकास किसके लिए है? क्या यह अडानी, अंबानी, रुइया, वाडिया के लिए विकास है ताकि वे अधिक एयरलाइंस बनाएं, अधिक जमीन लें, शुरू में सभी छोटे निजी बंदरगाहों को अपने कब्जे में ले लें और फिर अंततः सरकार प्रमुख बंदरगाहों को भी बेच दे? विकास किसके लिए? यह मूल प्रश्न है जो मेरे दिमाग को परेशान करता है।

हमने अपने राज्य में देखा है कि कई परियोजनाएं हम पर थोप दी गयीं। उदाहरण के लिए, वेदांता एल्युमीनियम की एक परियोजना और पोस्को स्टील की एक परियोजना को हमारे ऊपर इस तरह थोप दिया गया है मानो हमें ही उन्हें लागू करना है। यहां मौजूद हर व्यक्ति या तो राज्यों में सत्ता में है या कभी न कभी सत्ता में रह चुका है और हम सभी जानते हैं कि अगर कोई राज्य सरकार और उनका मुख्यमंत्री वास्तव में जनविरोधी है, तो पोस्को जैसी परियोजना बहुत पहले ही बन सकती थी। सिर्फ भूमि अधिग्रहण में साढ़े नौ साल नहीं लग जाते।

हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज न तो वेदांता नियमगिरि पहाड़ियां ले सका, न ही पोस्को आगे आ सका। ऐसा इसलिए नहीं है कि नवीन पटनायक जी विकास विरोधी हैं, बल्कि इसलिए है कि उनके कान ज़मीन से जुड़े हैं और उनका दिल लोगों के साथ है। यही कारण है कि वे 20 वर्षों से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ता में हैं, जहां आप और आपके जैसे लोग आते-जाते रहते हैं। वे वहाँ है, चाहे आप चाहें या नहीं।

09.03.2015

भूमि हम सभी भारतीयों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। आप ऐसा कानून मत बनाइए जहां गरीब आदमी अपनी मूल आत्मा को खोए और वह आत्मा उसकी भूमि है। आप नौकरशाहों के चारों ओर किलेबंदी कर रहे हैं और उन्हें यह कहकर सशक्त बना रहे हैं कि वे मैदान में जाएं और गलतियां करना शुरू करें, कोई आपको छू नहीं सकता। यदि गलती करना ईश्वरीय है, तो सही होना नौकरशाही है। यही वह शक्ति है जो आप इस अध्यादेश के माध्यम से नौकरशाहों को दे रहे हैं जिसे आप अब कानून बनाना चाहते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई बार हमारे गांवों में आगजनी की घटनाएं होती हैं। सब कुछ जल जाता है। हाल ही में डेंकनाल जिले के भुबन नामक विकासखंड के एक बड़े गांव में यह घटना घटी। सब कुछ का मतलब है, महोदय। यहां तक कि उनके एल्यूमीनियम के बर्तन भी पिघल गए। उनके पास अपने शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। ग्रामीणों को किस चीज से बचाया गया? वे आशा के सहारे जीवित रहे, वह आशा जो उनके पास मौजूद भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर आधारित थी। वे जानते हैं कि वे वापस जा सकते हैं, अपनी भूमि पर खेती कर सकते हैं और अपनी आजीविका चला सकते हैं। जब उनकी बेटियों की शादी होती है तो वे उस भूमि का एक हिस्सा बेच देते हैं और जो थोड़ा पैसा मिलता है उसे दे देते हैं और शादी का प्रबंध कर देते हैं। यदि उनकी माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो वे अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? यह भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर करते हैं।

ग्रामीण भारत में सब कुछ भूमि पर निर्भर है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप भूमि से अलग कर सकें। पूरा जीवन इस पर निर्भर है। और आज आप मुआवजे की बात कर रहे हैं? क्षतिपूर्ति क्या है? क्या आप मानते हैं कि चार गुना या साढ़े चार गुना मुआवजा देना उचित है? आज, जिस मुद्रास्फीति की बात आपका अपना वित्त मंत्रालय बार-बार दोहरा रहा है, उसे देखते हुए पांच साल बाद भारतीय रुपये का मूल्य क्या होगा? क्या हमें इसका एहसास है? क्या हम इस बारे में सोचते भी हैं, या फिर हम इतने अमीर और शक्तिशाली हैं कि हमें एक घर के लिए 5,000 रुपये खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं है? पांच साल बाद, हम 50,000 रुपये खर्च करेंगे। लेकिन उन गरीब ग्रामीणों के बारे में क्या, जिनके आय के स्रोत बेहद सीमित हैं और उनके पास भूमि के अलावा कुछ नहीं है? आपको यह याद रखना होगा।

09.03.2015

महोदय, जब हम चुनाव के लिए गए थे, तो बीजू जनता दल ने चुनाव घोषणापत्र तैयार करने के लिए एक समिति बनाई थी, जिसमें श्री भर्तृहरि मेहता जी और कुछ अन्य साथियों को सदस्य बनाया गया था और हमने अपनी पार्टी की नीति, चुनाव घोषणापत्र के लिए हमारे दिशानिर्देश तैयार किए क्योंकि हमारे अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र, विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र ढेंकनाल और अंगुल जिले, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हैं। हमने तीन बिंदु उठाए थे। एक, भूमि अधिग्रहण से पहले पंचायतों से परामर्श किया जाना चाहिए। दूसरा, लड़कियों और लड़कों दोनों को रोजगार दिया जाना चाहिए। इसका आश्वासन तो देना ही था। तीसरा, भूमि खोने वालों और पंचायतों दोनों को उस भूमि पर चलने वाली कंपनी या आर्थिक या वाणिज्यिक गतिविधियों में शेयरधारक बनाया जाना चाहिए। इसलिए, आपको उन्हें परियोजना के लिए एक स्थायी शेयरधारक बनाना होगा। हमने यह भी सुझाव दिया कि भूमि को बेचने के अर्थ में अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। इसे किराए पर दिया जाना था ताकि एक या दो पीढ़ी बाद, यदि वाणिज्यिक उद्यम अभी भी जारी रहता है, तो भूमि धारक या उसके उत्तराधिकारी को उस भूमि से किराए का लाभ मिल सके। तो, यह एक ऐसी नीति थी जो लोगों को मिलने वाले लाभों की स्थायित्व से संबंधित थी।

जैसा कि आप जानते हैं, विश्व स्तर पर कृषि योग्य भूमि लगातार कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया भर में, विशेषकर भारत में, कृषि योग्य भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का कहना है कि 50 वर्षों के भीतर जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर के साथ दुनिया की आबादी को खिलाने के लिए अतिरिक्त 300 मिलियन एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। भारत में, वर्ष 2007 और वर्ष 2011 के बीच, जो लोग आज चिल्ला रहे हैं और नई सीटों पर बैठे हैं, जब वे सत्ता में थे, तो 7,19,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था। यह उन लोगों के लिए शर्मनाक होना चाहिए जिन्होंने पिछला कानून बनाया था और यह उन लोगों के लिए और भी अधिक शर्मनाक होना चाहिए जो एक और कानून लाने की योजना बना रहे हैं, जो उतना ही खराब और बुरा प्रभाव वाला है। अकेले हरियाणा ने 5 वर्षों में 65,000 हेक्टेयर खो दिया। यह एक अविश्वसनीय बात है। जीवन में एक समय ऐसा आया जब हम सोचते थे कि हरियाणा, पंजाब और हरित क्रांति तीन राज्य हैं। मैं

09.03.2015

सरकारी रिकॉर्ड पर अपने तर्क को आधार बना रहा हूं। पिछले 5 वर्षों में 65,000 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो गई है। पिछली सरकार ने - सरकार एक सतत प्रक्रिया है - अपनी राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्वासन नीति, 2007 में राज्यों को सलाह दी थी कि वे कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए न बदलें। लेकिन दुख की बात है कि रिकॉर्ड बताते हैं कि किसी भी राज्य ने इस सुझाव का पालन नहीं किया; दुर्भाग्य से, आपके राज्य बिहार या सभी के राज्य गुजरात ने भी नहीं।

विद्युत, इस्पात, रसायन या अभियांत्रिकी जैसी संकेन्द्रित परियोजनाओं और रेलवे लाइन या यहां तक कि आपके अत्यंत लोकप्रिय औद्योगिक गलियारे जैसी रेखीय परियोजनाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है कि औद्योगिक गलियारे की चौड़ाई क्या होगी। जब आप एक संकेन्द्रित परियोजना की बात करते हैं, तो प्रस्तावित मुआवजा, नौकरी की सुरक्षा, *पंचायतों* को मिलने वाले लाभ तथा परिवारों को मिलने वाले लाभ को पूरी तरह से अलग-अलग देखना पड़ता है। जब आप रेखिक परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्थिति अलग होनी चाहिए और इस अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुआ है।

वे सार्वजनिक उद्देश्य की बात कर रहे हैं। सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? इसे परिभाषित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि विद्युत ग्रिड स्थापित करने के लिए थोड़ी सी जमीन की आवश्यकता हो, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है और इसके लिए अधिकतम 20 एकड़ या 30 एकड़ जमीन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, हम छोटी परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता और बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता के बीच अंतर करना चाहते हैं। ऊर्जा उत्पादन और ऐसी अन्य गतिविधियों को अब सेवा क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। वे पूरी तरह से लाभ कमाने वाले उद्यम हैं। ऐसे लाभ कमाने वाले उपक्रमों के लिए अधिग्रहित भूमि में लाभ-साझाकरण का प्रावधान होना चाहिए।

09.03.2015

उन्होंने किफायती आवास के बारे में बताया है, लेकिन क्या यह किफायती आवास शहरी या ग्रामीण गरीबों के लिए है? मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि 'गरीब' शब्द का निश्चित रूप से स्वागत है और हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन उन आवासों के बारे में क्या कहा जाएगा जो हमारे गेटेड समुदायों में हैं, जो समृद्धि के छोटे द्वीप हैं? यदि आप उन्हें अधिनियम में लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप एक सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं कि ग्रामीण गरीबों या शहरी गरीबों के लिए आवास के लिए अधिग्रहित किसी भी भूमि की अधिकतम सीमा होगी? क्या यह निर्दिष्ट किया जाएगा?

एक सरकार के रूप में वे अतीत में असफल रहे हैं। पिछले साढ़े नौ महीनों में, सरकार के तौर पर आपने भी भूमि मानचित्रण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। भूमि मानचित्रण (लैंड मैपिंग) एक आवश्यक चीज है। भूमि मानचित्रण का लाभ इस देश को नहीं मिला है। इससे भूमि को उर्वरता और गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने में सहायता मिलेगी। किसी भी सिंचित भूमि या सिंचित होने की संभावना वाली भूमि का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि का मानकीकरण किया जाना चाहिए जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। यदि कोई विद्युत परियोजना 200 मेगावाट की है तो उसके लिए क्या नियम है? क्या यह एक एकड़ प्रति मेगावाट है? तो क्या केवल 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक है या परियोजना विकसितकर्ता 700 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करेगा? इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। मुआवजे का फैसला कौन करेगा? क्या यह वह इकाई होगी जो भूमि का अधिग्रहण कर रही है? उन्होंने उद्यम शब्द को बदलने के लिए इकाई शब्द लाया है। अब आप एकल व्यक्तियों को कंपनियां बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तो क्या वह इकाई तय करेगी कि लोगों को क्या मुआवजा दिया जाएगा? या फिर, क्या यह जनता ही तय करेगी कि उसे कितना मुआवजा चाहिए? या फिर, क्या भोपाल, भुवनेश्वर या चेन्नई के किसी सचिवालय में बैठा कोई *बाबू* यह तय करेगा कि कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए?

आइए हम सभी इस तथ्य को स्वीकार करें कि आज एक औसत भारतीय वास्तव में कभी भी अपनी जमीन का मूल्य सही ढंग से दर्ज नहीं कर पाता है कि उसे उस जमीन के बदले कितनी धनराशि मिलती है। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा जमीन, मकान या अपार्टमेंट के प्लॉट का कम मूल्यांकन करते हैं। तो, जब

09.03.2015

हम मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो आप क्या मुआवजा देने जा रहे हैं? क्या आप पिछले पांच या छह महीनों में हुए पांच या छह पंजीकरणों के आधार पर वास्तविक बाजार मूल्य बताने जा रहे हैं? यह सही मूल्य नहीं है। जब सर्कल मूल्य की बात आती है, तो हमने दिल्ली में देखा है कि लोग सर्कल को कैसे दरकिनार कर रहे हैं।

एक राजनीतिक दल और ओडिशा की जनता के साथ खड़ी पार्टी के रूप में, हम सामाजिक प्रभाव आकलन प्रावधान को समाप्त करने का पुरजोर विरोध करते हैं।

### **अपराह्न 4.00 बजे**

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हर उद्योग, हर परियोजना के पास यह होना चाहिए। इसे हटाना एक निरर्थक, नासमझी भरा कार्य है, क्योंकि आप नहीं जानते कि लोगों की आवाज क्या है।

महोदय, आप भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध की बात कर रहे हैं। यह मान लेना गलत है कि पूरे देश में ये सभी प्रदर्शन केवल मुआवजे के लिए हैं। नहीं, यह केवल मुआवजे के लिए नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि भूमि के नुकसान से प्रभावित लोग केवल भू-स्वामी नहीं होते हैं। आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक भारतीय गांव को देखा होगा, वहां कुछ भूमिधारक और कुछ कृषक हो सकते हैं, लेकिन वहां सामाजिक समर्थन भी बहुत बड़ा है। आपके पास नाई हैं, डोम्स हैं जो शवों का अंतिम संस्कार करते हैं और आपके पास कई अन्य व्यवस्थाएं हैं। ऐतिहासिक काल से ही हमारे गांवों को उद्योगपतियों के जीवनयापन में हस्तक्षेप किए बिना सामाजिक समर्थन प्राप्त रहा है। इसलिए, यदि आप यह कानून लागू करते हैं तो आप समाज के उस वर्ग की रीढ़ तोड़ देंगे, जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि वे भूमिहीन नहीं हैं, बल्कि वे उन लोगों पर निर्भर थे जो भूमि के मालिक थे। आपने इसका समाधान नहीं किया है।

हमारे शहरी केंद्र पहले से ही कमजोर हैं। हमारी जल आपूर्ति व्यवस्था, जल निकासी, बिजली आपूर्ति, ऊर्जा, सब कुछ दिल्ली जैसे शहर में भी पहले से ही डगमगा रही है। जब आप गांवों को तोड़ रहे हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं? आप उम्मीद करते हैं कि वे सभी लोग शहरी केंद्रों की ओर पलायन करेंगे। क्या हमारे शहरी केंद्र इस तरह के प्रवाह को संभाल सकते हैं? ... (व्यवधान) महोदय, यह कुछ नया है। महोदय, ऐसे कैसे होगा?

09.03.2015

[हिन्दी]

**माननीय सभापति :** समय की कमी है।

[अनुवाद]

**श्री तथागत सत्पथी:** महोदय, आपको सलाम करते हुए एक लाइन बोलूँगा। वापस लें, रोकें और पुनर्विचार करें। इस अध्यादेश को इस देश का कानून बनाकर आप भारत के लोगों को अकल्पनीय क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए, मैं आपसे विनती करता हूँ कि गलती न करें और अति धनवानों के समर्थन में अंधे न बनें। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको वोट दिया था, जिन्होंने सोचा था कि श्री दामोदरदास मोदी नामक एक सज्जन शायद उस नरक से मुक्ति दिलाएंगे, जिसे कांग्रेस ने बेनकाब कर दिया था। लेकिन, यहां तो आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अति-धनवानों को खुश करने के लिए आप उनसे एक नहीं, बल्कि दो कदम आगे बढ़ते हैं। ऐसा न करें। इसलिए, मैं दोहराता हूँ, महोदय, वापस लें, रोकें और पुनर्विचार करें। नमस्कार।

09.03.2015

[हिन्दी]

**श्री अरविन्द सावंत (मुम्बई दक्षिण) :** महोदय, भूमि आधिग्रहण के कानून पर इस सदन में चर्चा हो रही है।

**अपराह 4.04 बजे**

(श्री प्रह्लाद जोशी पीठासीन हुए)

महोदय, मैं इसलिए व्यथित हूँ कि यह कानून ऐसे समय पर आया है, जब हमारे महाराष्ट्र में पिछले वर्ष पाँच हजार से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। सिर्फ जनवरी में ही 103 किसानों ने आत्महत्या की है। अब जिसकी भूमि जा रही है, जिस भूमि में अकाल, सूखा, ओले मतलब एक साल ही नहीं, तीन साल तक इस तरह के आक्रमण गरीब किसानों पर होते रहे हैं और उस पर यह भूमि आधिग्रहण बिल आया है। वे तो वैसे ही जख्मी हैं और नमक छिड़कने वाली बात शुरू हुई है।

सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेज एक कानून 1894 में लाए। उस वक्त शहीद भगत सिंह जेल में थे। उन्हें पूछा गया तो उन्होंने दो कानूनों के बारे में कहा कि अगर अंग्रेज कोई दमनकारी कानून लाए हैं तो उनमें से एक कानून है भूमि आधिग्रहण और दूसरा है पुलिस एक्ट। यह शहीद भगत सिंह ने उस वक्त कहा था। आज इस सदन में जहाँ हम बैठे हैं, जिस सदन में हम आज बात कर रहे हैं, यहाँ एक मालचा नाम का गाँव था। यह मालचा गाँव पंजाब में था और यह सारी भूमि जो दिख रही है, जहाँ हमारी संसद है, राष्ट्रपति भवन है, यह मालचा गाँव था जो शुरू में पंजाब में था और जब पंजाब और हरियाणा बने तो शायद बाद में हरियाणा में हो सकता है। इस मालचा गाँव में अंग्रेजों ने ऐसे अत्याचार चलाए कि 33 हजार बीघा ज़मीन किसानों की छीन ली। आंदोलन हुआ, किसानों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद 33 किसानों की मृत्यु हुई, हत्या हुई। यह सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसी भूमि पर हमारा यह सदन खड़ा है जहाँ किसानों ने अपना देहत्याग किया हुआ है।

आज जब हम इस कानून को लेकर आ रहे हैं तो मैंने राष्ट्रपति जी के आभिभाषण पर जब बात की, तब भी मैंने कहा था कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम मृदा वर्ष घोषित कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारा किसान खुशहाल रहना चाहिए। हम यह भी कहते हैं कि प्रधान मंत्री सिंचाई योजना आएगी तो उससे पानी

09.03.2015

मिलेगा और किसान खुशहाल होगा, लेकिन दूसरी तरफ उसी किसान की भूमि का आधिग्रहण हम करने जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जिस ढंग से हम कानून लाए हैं, उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 अ में, उसमें जो सुरक्षा का प्रावधान है, हमारे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने जिस दिन यह घोषित हुआ, उसी दिन कहा कि किसानों का गला घोटकर यह कानून हम लाने नहीं देंगे। हम अपनी सरकार से कह रहे हैं कि ऐसा कदम न उठे कि हमारे किसान व्यथित हों, दुखी हों, भ्रमित हों। अभी मैंने कुछ सुना कि हमारे सहयोगी सदस्य कीर्ति आज़ाद जी कह रहे थे कि हम भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। कौन भ्रमित कर रहा है? लैन्ड का कायदा राज्य का होता है और अगर वह चाहे तो इस्तेमाल करे। फिर हमें क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी लाने की? अगर भूमि का कानून कनकरैन्स का विषय है तो हमें इतनी जल्दी क्या थी आर्डिनैन्स लाने की। आर्डिनैन्स लाए तो लाए, लेकिन उसके बाद जो प्रावधान हमने किए, किसको विकास नहीं चाहिए? हमें डैवलपमेंट से अलर्जी नहीं है लेकिन डैवलपमेंट करते समय किस मोल को लेकर हम कर रहे हैं वह देखना ज़रूरी है। हमने भूमि आधिग्रहण करने की बात की। सुरक्षा के मामले में सौ प्रतिशत हम आपके साथ हैं। सुरक्षा के लिए जो भी ज़मीन चाहिए, उसमें थोड़ा देख लें कि उपजाऊ ज़मीन न लें तो थोड़ा और अच्छी बात होगी। यह नहीं कि सुरक्षा के लिए भी उपजाऊ ज़मीन लगती है। बाकी सारी चीज़ों की बात जब आती है तो मन में बड़ी शंकाएँ पैदा हो जाती हैं कि क्या हमारा अनुभव है।

सभापति जी, मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा। हमारे महाराष्ट्र के निर्माण के बाद कोयना का प्रकल्प हुआ। उस कोयना प्रकल्प से 21 हजार परिवार बाधित हुए। 2015 आने के बाद भी आज तक उन बाधित परिवारों का पुनर्वसन नहीं हुआ। लोग इस कानून से क्यों डरते हैं, विश्वास क्यों नहीं है, क्योंकि कोयना का पुनर्वसन नहीं हुआ। गोसी खुर्द जो विदर्भ में है, वह तो केन्द्र का है। 25 साल से वह प्रोजेक्ट चालू है और वह इर्रीगेशन प्रोजेक्ट है। हमारे महाराष्ट्र में जितने भी इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हुए, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या किसानों ने ज़मीन नहीं दी? बड़े विश्वास के साथ ज़मीन दे दी। इन सारे प्रोजेक्ट्स पर किसानों ने ज़मीन दे दी लेकिन ज़मीन लेने के बाद प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए और 25-25 साल तक इर्रीगेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। किसानों की ज़मीन गई और बाकी किसानों को पानी भी नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर क्या हुआ कि 70 हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार

09.03.2015

हुआ। अब नई सरकार आई है और कार्रवाई करने की बात कर रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कार्रवाई होती है, यह देख रहे हैं। इतने बड़े इर्रीगेशन प्रोजैक्ट की बात करते हैं। हम जे.एन.पी.टी. की बात करते हैं। मेरे दोस्त श्री श्रीरंग बारणे जी वहां हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जी भी वहां गए थे। 25 साल के बाद वहां के किसान उनसे मिले। उन्होंने उनसे कहा कि 25 साल हो चुके हैं, उस वक्त आश्वासन दिया था कि साढ़े बाईस प्रतिशत जमीन देंगे, दस प्रतिशत को एक एफएसआई देंगे, साढ़े बारह प्रतिशत को और विकसित करके देंगे, लेकिन सारी चीजें कागजों पर रही हैं। आज तक उनका पुनर्वसन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री खुद भी अचंभित हुए थे, देख रहे थे कि 25 वर्षों के बाद भी प्रोजेक्ट से अफेक्टेड लोगों का पुनर्वसन नहीं होता। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा।

मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के लिए किसानों की जमीन ली गई। कृषि का विकास होगा, संशोधन होगा, यह सोचकर किसानों ने अपनी जमीन दे दी, लेकिन आज तक उनका पुनर्वसन नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि चार गुना देंगे, क्या देंगे, पैसा देंगे। इसमें लैंड होल्डिंग की बात तो आती ही है, किसके पास इतनी जमीन है? अगर दो एकड़ या पांच एकड़ जमीन वाले की जमीन गई तो पूरी जेनरेशन के लिए जमीन गई। उनकी जमीन गई, इज्जत गई, सारी चीज गई, मार्केट में उसकी कीमत भी कम हुई। उसके परिवार को आप नौकरी देने की बात करते हैं। आप प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद नौकरी देंगे। वह तब तक मुआवजा लेकर बैठा रहेगा। इन सारी चीजों को सोचना चाहिए। वहां किसान का पुनर्वसन भी नहीं हुआ, उसकी जमीन गई और प्रोजेक्ट भी नहीं हुआ।

किसी माननीय सदस्य ने एसईजेड के बारे में कहा। यह इनकी भी करनी है, उनकी भी करनी है, कुल 490 या 495 एसईजेड बनाए गए। 70 प्रतिशत एसईजेड बन्द हैं। इसमें भूमि किसको मिली। मद्रास के नोकिया के प्रोजेक्ट के बारे में बार-बार कहा जाता है। उनको जमीन कैसे मिली, एसईजेड में। इसमें पांच हजार लोग बेरोजगार हुए। एसईजेड रोजगार की निर्मिती करने के लिए लाया गया था, लेकिन क्या रोजगार मिला? 70 प्रतिशत भूमि ऐसे ही पड़ी हुई है।

09.03.2015

सभापति जी, एक प्रोजेक्ट के लिए चालीस एकड़, पचास एकड़ जमीन लगती है। मैं महाराष्ट्र का एक उदाहरण देता हूँ। वहां दो सौ एकड़ जमीन ली, साढ़े बाईस एकड़ पर प्रोजेक्ट खड़ा हुआ, तो बाकी जमीन का क्या हुआ? सरकार ने सस्ते में दी, लैंड बैंक अब उनके पास है। जो मार्केट रेट होगा, उस पर वे बेचेंगे। वे सस्ते में सरकार से लेकर उसके मालिक बन जाते हैं। यह किसके लिए बना रहे हैं? प्रोजेक्ट के लिए कितनी जमीन लगती है? मुंबई या पुणे में ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स हैं, पुरानी सरकारों ने उनको जमीन दे दी, क्योंकि इंडस्ट्री आ रही है, लोगों को रोजगार मिलेगा। गोदरेज अब उसके ऊपर हाउसिंग बिल्डिंग बनाता है। यह गरीबों के लिए नहीं है, रईसों के लिए है, फाइव बीएचके, फोर बीएचके। पुणे में बजाज की इंडस्ट्री बन्द हो गई। इसमें परपज भी चेन्ज हो रहा है, लेकिन फिर भी जमीन उनके पास ही रही है। कभी इस कानून में सोचा है कि परपज चेन्ज नहीं करने देंगे। अगर परपज चेन्ज हुआ तो हम आपको जमीन नहीं देंगे, जमीन वापस सरकार को दो। किसान की जमीन गई, उसकी जिन्दगी गई, उसकी आमदनी गई।

महोदय, नैनीताल में यूपीए सरकार थी। इन्होंने एक मुख्यमंत्री परिषद एसईजेड के लिए बनाई थी। उस मुख्यमंत्री परिषद में भारतवर्ष के सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि एसईजेड न बनाई जाए, एसईजेड के लिए जमीन लेंगे तो किसान नाराज होंगे और वही हुआ। एसईजेड में जमीन ली गई, विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला और किसानों की जमीन परमानेंट गई। यह कानून हम किसके लिए बना रहे हैं? ...(व्यवधान)

महोदय, मैं दो-चार महत्वपूर्ण सजेशन देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। हम किसको जमीन देने जा रहे हैं? कोरीडोर, उसके इर्द-गिर्द दो किलोमीटर की जमीन भी आधिग्रहण करेंगे, क्यों? रेल के रास्ते के लिए कोरीडोर बना रहे हैं, दो किलोमीटर इधर, दो किलोमीटर उधर, किसलिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? जो अभी अर्बनाइजेशन की बात हुई, कौन लोग वहां आने वाले हैं? उनको दो किलोमीटर जगह इर्द-गिर्द क्यों लगती है? इसका क्या आप कोई कारण बता सकते हैं? इसका प्रावधान आप क्यों कर रहे हैं?

गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी फॉर रिहैबिलिटेशन, उन्होंने बताया कि आज तक जितने भी रिहैबिलिटेशन के काम हुए, इसमें 75 प्रतिशत लोगों का रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, इसलिए किसान डर रहा है। एक तो आप उनकी

09.03.2015

जमीन लेंगे और उनका रिहैबिलिटेशन भी नहीं हुआ। जब आप यह कानून लाने की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि बिना कन्सेन्ट, किसानों से पूछे बिना उनकी जमीन कहीं भी नहीं ली जानी चाहिए। आपको 70-80 प्रतिशत किसानों से पूछना ही पड़ेगा। उनसे पूछने के बाद अगर कन्सेन्ट मिला तो ही उनकी भूमि का आधिग्रहण होना चाहिए। उसे करने के बाद हमने प्रावधान रखा है कि अगर उसे गवर्नमेन्ट के खिलाफ कम्प्लैन्ट करना है, वहां गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट लिखा है, तो वहां की सरकार उसकी अनुमति देगी, इसका मतलब है कि आपने उन्हें कोर्ट में जाने की अनुमति भी बन्द कर दी। यह जनतंत्र है? यह जनतंत्र की बात नहीं हो रही है। हमने 'सबका साथ, सबका विकास' की बात की है। हमारे कुछ सजैशन्स हैं।

हमारे मछुआरे समुद्र और नदियों के किनारे रहते हैं। अगर आप मछुआरों को डिसप्लेस करेंगे, तो उन्हें कहां रखेंगे, आदिवासीबाड़ों में। वे कहां रहेंगे? यह सोशल इम्पैक्ट की बात है। वह उनकी जीवन पद्धति तय हुई है। उस जीवन पद्धति को सुरक्षित करने का अधिकार क्या आपको नहीं है? क्या आपको आदिवासियों की जीवन पद्धति को सुरक्षित करने का अधिकार नहीं है? आज तक जितने भी डिसप्लेसमेन्ट्स हुयी हैं, उनमें 40 प्रतिशत आदिवासी लोग हैं, उनका पुनर्वासन नहीं हुआ है। ... (व्यवधान)

गुजरात के सरदार सरोवर बांध के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इन्टरवीन करना पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव देती थी कि उसकी ऊंचाई 5 मीटर बढ़ गई है, वहां के लोगों का पुनर्वासन हुआ है, या नहीं हुआ है, पहले यह बताओ, पहले पुनर्वासन करो, फिर ऊंचाई बढ़ाओ, क्योंकि, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी यह विश्वास नहीं होता था कि इस तरह से करेंगे। यही एक डर है।

हमने मुम्बई के लोगों के पानी की व्यवस्था के लिए प्रकल्प 'वैतरणा' बनाया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 'वैतरणा' प्रोजेक्ट की अनुमति देने के लिए केन्द्र की सरकार को 10 वर्ष लगे। वह प्रोजेक्ट 10 वर्ष के बाद पूरा हुआ, फिर भी हम लोगों को पानी नहीं दे पाये, क्योंकि, वहां की राज्य सरकार ने पुल नहीं बनाया था। जब वह पुल बना तो मुम्बई शहर को पानी मिल रहा है।

09.03.2015

मैं आपसे दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ कि कन्सेन्ट की बात होनी चाहिए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेन्ट होना चाहिए और किसानों के लिए सिंगल विन्डो रिम्यूनरेशन होना चाहिए। किसानों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। किसान प्यार से जमीन देंगे। आज तक जितने प्रकल्प हुये हैं उनके लिए किसानों ने ही जमीन दी है, किसानों ने ही त्याग किया है। जब आप भूमि आधिग्रहण की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर त्याग की भावना से देखना पड़ेगा।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि क्यों न हम लीज की बात करते हैं ताकि उनकी भी आमदनी जनरेशंस तक चलती रहे। उनकी जमीन किराये पर ले ली जाय, उनकी जमीन लीज पर ले ली जाय, उनको लीज मिलेगी, किसानों को पैसा मिलेगा। उन्हें पैसा एक बार नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें पैसा जिन्दगी भर मिलता रहेगा। हम माइन्स के लिए 50 वर्ष की बात करते हैं तो किसानों की जमीन की लीज के लिए क्यों नहीं ऐसी बात करते हैं? किसानों की जमीन की लीज 50 वर्ष, 100 वर्ष के लिए और बढ़ायें और आप कहें कि उनकी जमीन लीज पर ली जायेगी ताकि 100 वर्ष, जिन्दगी भर उनके घर में आमदनी होती रहेगी। आप ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आयें तो हमारा विकास के लिए कोई विरोध नहीं है।

हमारे उद्भव ठाकरे जी ने भी खत लिखकर सुझाव दिया है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारी सरकार जो आक्रोश, आज सुबह भी माननीय प्रधानमंत्री जी एक विषय पर एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल इस सदन में किया, आक्रोश, मैंने सुना है, यह भी एक आक्रोश है, आप इसे सुन लीजिए, यह गरीबों का आक्रोश है, यह किसानों का आक्रोश है, उन्हें दुःखी न करें। आप ऐसा प्रस्ताव सदन में लेकर आइए, यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। जयहिन्द।

09.03.2015

[अनुवाद]

**श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर):** महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हूँ, जिसे लोग और कई राजनीतिक दल किसान विरोधी मान रहे हैं और यह कृषि भूमि छीन रहा है, जिसकी उपज कुछ मामलों में एक वर्ष में तीन गुना तक है। साथ ही, सामाजिक प्रभाव आकलन को हटाने को लेकर भी आशंकाएं हैं।

मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भूमि अधिग्रहण मानवीय, सहभागी, जानकारीपूर्ण और पारदर्शी होना चाहिए। यदि इन सिद्धांतों का अक्षरशः पालन किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि भूमि अधिग्रहण में कोई बाधा आएगी, चाहे वह औद्योगिक गलियारों या बुनियादी ढांचे या राष्ट्रीय राजमार्गों या रक्षा या रेलवे के लिए हो या फिर राजधानी बनाने के लिए हो, जैसा कि आंध्र प्रदेश के मामले में नई राजधानी के लिए किया गया।

मैं यह बात राज्य राजधानी समिति के सदस्य के रूप में अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि किस प्रकार हम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के निर्माण के लिए लक्षित 30,000 एकड़ से अधिक भूमि जुटाने में सफल रहे हैं, क्योंकि राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 29 गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं।

लैंड पूलिंग योजना के बारे में बात करने से पहले, मैं कुछ आंकड़े साझा करना चाहूंगा, क्योंकि कृषि पर निर्भर जनसंख्या के प्रतिशत के बारे में काफी चर्चा हुई है। पहले बोलने वाले सदस्यों ने भी इस बारे में बात की। हमारी सत्तर प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है। लेकिन कई सदस्यों के बयान के विपरीत, ये 70 प्रतिशत लोग कृषि आय पर निर्भर नहीं हैं। उस 70 प्रतिशत में से, 30 प्रतिशत गैर-कृषि आय पर निर्भर हैं; 20 प्रतिशत आंशिक रूप से कृषि आय पर निर्भर हैं; और केवल 20 प्रतिशत मुख्य रूप से कृषि आय पर निर्भर हैं। इसलिए, 120 करोड़ आबादी में से, 24 करोड़ मुख्य रूप से कृषि आय पर निर्भर हैं; 26 करोड़ आंशिक रूप से कृषि आय पर निर्भर हैं; और 36 करोड़, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, की कोई कृषि आय नहीं है; और 30 प्रतिशत शहरी हैं। इसलिए, मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहूंगा।

मैं इस गरिमामय सभा के ध्यान में यह बात लाने तक ही सीमित रहूंगा कि किस प्रकार श्री नारा चंद्रबाबू नायडु गारू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सरकार एक नया लैंड पूलिंग मॉडल तैयार करने में सफल रही तथा

09.03.2015

किसानों, भूमि मालिकों और अन्य लोगों को मानवीय, सहभागी और प्रत्यक्ष रूप से शामिल करते हुए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया, न केवल उन्हें विकास प्रक्रिया में हिस्सा देकर बल्कि उन्हें यह रास्ता भी दिखाया कि वे ऋण के दुष्चक्र से कैसे बाहर निकल सकते हैं।

इस मॉडल के अंतर्गत, भूमि के टुकड़ों को स्वैच्छिक प्रक्रिया के माध्यम से मालिकों से एकत्रित किया जाता है तथा उन्हें तत्काल कोई नकद भुगतान नहीं किया जाता है। राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण नामक एक एजेंसी का निर्माण किया गया है जो इस भूमि का विकास करेगी और विकसित भूमि का एक हिस्सा आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ भूस्वामियों को उनकी भूमि धारण और योगदान के अनुपात में सौंप देगी। यहां हमने जो किया है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास 500 एकड़ जमीन है। भूमि का आधा, यानी 250 एकड़ का उपयोग सामान्य संपत्ति बनाने के लिए किया जाएगा, जैसे सड़कें और सामाजिक बुनियादी ढांचा और अन्य आधा भूस्वामियों और सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। दूसरा, भूस्वामियों को उनके द्वारा विकसित की गई भूमि के लिए स्टॉप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, भूमि रूपांतरण शुल्क और अन्य करों के भुगतान से छूट दी गई है। सरकार अपने हिस्से की भूमि पर तीन वर्षों के भीतर राजधानी परिसर सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं का निर्माण करेगी। सरकार का प्रस्ताव है कि राजधानी को 800 एकड़ के छह क्षेत्रों में विकसित किया जाए तथा विकसित भूमि का हिस्सा उस क्षेत्र के भूस्वामियों को सौंप दिया जाए जहां से मूल रूप से भूमि ली गई थी।

हमने राजधानी क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा कोष के माध्यम से मासिक मुआवजा देकर 12,000 बटाईदार किसानों और भूमिहीन मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं, इसके अलावा लगभग 22,000 किसानों द्वारा लिए गए 200 करोड़ रुपये के कृषि ऋण को माफ किया है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि यह देश में अपनी तरह का पहला मॉडल है जो भूमि मालिकों की सक्रिय और स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर किया गया है। दरअसल, 8 दिसम्बर, 2014 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त विकसित वाणिज्यिक भूमि में 50 प्रतिशत की वृद्धि तथा किसानों की उपजाऊ भूमि के लिए वार्षिकी भुगतान में दो-तिहाई की वृद्धि की है।

09.03.2015

हम यह भी जानते हैं कि लगभग हर सरकार अलोकप्रिय हो जाती है, चाहे वह पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम या सिंगूर हो, उत्तर प्रदेश में भाटा पारसुल हो या ओडिशा के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण वाले खनन क्षेत्र हों, लेकिन यहां आंध्र प्रदेश के मामले में यह उल्टा है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडु गारू अपने जीत-जीत वाले लैंड पूलिंग मॉडल के साथ अत्यधिक लोकप्रिय होने और देश की भूमि खरीद की समस्याओं का स्थायी समाधान पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं सरकार को आंध्र प्रदेश के भूमि पूलिंग मॉडल की तर्ज पर प्रस्तावित कानून को संशोधित करने पर विचार करने की सिफारिश करता हूँ ताकि यह भूमि मालिकों, किसानों और खरीददार दोनों के लिए जीत वाली स्थिति बन सके। धन्यवाद।

09.03.2015

**श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर):** सभापति महोदय, धन्यवाद। आज हम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बहस कर रहे हैं। इस विधेयक को मूल अधिनियम में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है जो वर्ष 2013 में पारित किया गया था।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक इस सभा में 17 मई, 2012 को पेश किया गया था। यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया था, उस समिति के अध्यक्ष वर्तमान माननीय अध्यक्ष महोदय थे। उन्होंने 8 महीने की अवधि के लिए विधेयक पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद यू.पी.ए. सरकार ने इस सभा में यह विधेयक पेश किया। वर्तमान सरकार, जो उस समय मुख्य विपक्षी दल थी, ने इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन किया। मुझे नहीं पता कि वर्तमान सरकार किस कारण से इस विधेयक को पेश कर रही है! विधेयक पारित होने के बाद, जब अधिनियम लागू हुआ, तो कई राज्यों ने अभी तक वे नियम नहीं बनाए हैं, जो उन्हें अधिनियम की धारा 112 के तहत बनाने थे। वास्तव में, यह अधिनियम लागू ही नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कई राज्यों ने अभी तक इस अधिनियम को लागू ही नहीं किया है। ऐसे में किसी भी राज्य सरकार को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। यदि अधिनियम को लागू करने में कोई समस्या आई होती, तो हां, यह संसद ऐसी कठिनाइयों पर चर्चा कर सकती थी और यदि आवश्यक हुआ तो हम कोई भी संशोधन ला सकते थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किस राज्य सरकार और किस मुख्यमंत्री ने इस सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि अधिनियम को लागू करते समय उन्हें परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले, माननीय मंत्री जी को इस बारे में सभा को सूचित करना चाहिए। बाद में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि इस विधेयक में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं। हम उन पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।

स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन में सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति प्रावधान पर गंभीरता से चर्चा की थी। सभी सदस्य, जिन्होंने अभी-अभी बात की है, केवल दो प्रावधानों से चिंतित हैं: सामाजिक प्रभाव आकलन प्रावधान और सहमति प्रावधान, जिन्हें मुख्य अधिनियम से हटा दिया जाना चाहिए।

09.03.2015

इसके बाद, इस विधेयक के माध्यम से - अध्यादेश के माध्यम से, जिसे वे पहले ही ला चुके हैं - वे अध्याय-3क, धारा 10क जोड़ रहे हैं। इसके माध्यम से वे मूल अधिनियम में संशोधन करेंगे। इसमें पांच श्रेणियां हैं जिन्हें मूल अधिनियम में अध्याय-2 और अध्याय-3 के प्रावधानों से छूट दी गई है। मुद्दे की जड़ यही है। यह अध्यादेश का सार है और यह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकताओं को हटा देता है। इस धारा के अनुसार, अब निजी संस्थाओं और पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रभावित व्यक्तियों की किसी भी सहमति की आवश्यकता के बिना भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। इससे पहले, सरकारी अधिग्रहण के लिए यह अनिवार्य था और प्रभावित परिवारों के 80 प्रतिशत की सहमति आवश्यक थी, तथा पीपीपी परियोजनाओं के लिए 70 प्रतिशत की सहमति आवश्यक थी। इस धारा 10क के माध्यम से वे सहमति प्रावधान के साथ-साथ सामाजिक प्रभाव आकलन प्रावधान को भी हटाना चाहते हैं।

महोदय, वे अब "निजी कंपनी" शब्दों को "निजी इकाई" से बदल रहे हैं। निजी इकाई से उनका क्या तात्पर्य है? 'निजी इकाई' सरकारी इकाई के अलावा कुछ और है। ... (व्यवधान)

**कुछ माननीय सदस्य:** मंत्री जी कहां हैं?

**माननीय सभापति:** अभी तक वे सदन में उपस्थित थे। अन्य मंत्री भी सदन में मौजूद हैं।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** वह आ चुके हैं। हमारे पास दो और मंत्री हैं।

**श्री बी. विनोद कुमार:** अब यह अनुभाग बहुत विस्तृत हो गया है। वे निजी इकाइयों के लिए भूमि अधिग्रहण की गुंजाइश प्रदान करना चाहते हैं। 'निजी इकाई' का क्या अर्थ है? 'निजी इकाई' सरकारी इकाई या उपक्रम के अलावा कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि वे एन.जी.ओ., स्वामित्व, साझेदारी, कंपनियां, निगम आदि को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। इस प्रावधान को इस दायरे में संशोधित करने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने 'निजी कंपनी' शब्द को हटा दिया है, और 'निजी इकाई' शब्द को सम्मिलित करने का प्रयास कर रही है।

09.03.2015

मैं एक-एक प्रावधान पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, आशा करती है कि सरकार प्रस्तुत विधेयक में कुछ संशोधन लेकर आएगी। मुझे उम्मीद है क्योंकि उन्हें सदन का मिजाज़ ध्यान में रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार कुछ संशोधन लेकर आएगी। अगर सरकार इसे पारित कराना चाहती है, तो यह किसान हितैषी होना चाहिए।

'कंपनी' की परिभाषा के संबंध में भी 'कंपनी अधिनियम, 1956' के बजाय, सरकार 'कंपनी अधिनियम, 2013' की परिभाषा लेना चाहती है, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन धारा 24 के संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह अधिनियम के पूर्वव्यापी प्रावधान को कमजोर करता है और कुछ लोगों को पूर्वव्यापी मुआवजे के लिए पात्र बनाता है। पिछले पांच वर्षों से, क्योंकि मूल अधिनियम दोनों सदनों में दो वर्ष से अधिक समय तक विचाराधीन रहा, देश भर में कई अधिग्रहण कार्यवाहियां रुकी रहीं। इसलिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा सका। अब, वे धारा 24 को हटाना चाहते हैं, जिसके तहत उन वर्गों के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जिनकी भूमि पहले से प्रभावित थी और जिन्हें मुआवजा नहीं मिला। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह मूल अधिनियम की धारा 24 को कमजोर न करे।

धारा 101 के संबंध में - यह बहुत महत्वपूर्ण है - अप्रयुक्त भूमि को अब आभासी और निश्चित रूप से रखा जा सकता है, और इसे मालिक को वापस करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि मूल अधिनियम कहता है कि यदि भूमि अधिग्रहित की जाती है और उसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे मालिक को वापस कर दिया जाना चाहिए। सरकार अब धारा 101 में संशोधन कर रही है, जिससे अप्रयुक्त भूमि को अब आभासी रूप से अपने पास रखा जा सकेगा।

मैं अपने राज्य तेलंगाना और पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश का उदाहरण दूंगा। एक संगठन है - आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम (ए.पी.आई.आई.सी.) - जो अभी तक दोनों राज्यों के बीच विभाजित नहीं हुआ है। नवम्बर, 2014 में एन.डी.टी.वी. की रिपोर्ट के अनुसार, यह बताया गया था कि आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम के पास 1.39 लाख एकड़ भूमि है, जिसमें से लगभग 60,000 एकड़ भूमि किसी को आबंटित

09.03.2015

नहीं है। और आबंटित भूमि, लगभग 23,000 एकड़ भूमि, उन लोगों द्वारा उपयोग नहीं की जाती है जिनके लिए वह आबंटित की गई है। हमने पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना राज्य और अपनी राजधानी में बड़े पैमाने पर भूमि घोटाले देखे हैं। ये आबंटन दो मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए थे, अर्थात् तेलुगु देशम सरकार में आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडु और स्वर्गीय राजशेखर रेड्डी गारू द्वारा। उन्होंने उन भूमि का उपयोग अब तक नहीं करने वाले कई लोगों को अंधाधुंध भूमि आबंटित की थी।

मैं एक उदाहरण दूंगा। वर्ष 2007 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने कडप्पा जिले में एक व्यक्ति को 10,760 एकड़ भूमि आबंटित की थी। 18 करोड़ रुपये के आबंटन के बाद, उन्होंने बैंक से 350 करोड़ रुपये जुटाये। यह मेरी कहानी नहीं है; यह सीबीआई के समक्ष एक मामला है।

**माननीय सभापति :** विनोद कुमार जी, कृपया समाप्त करें।

**श्री बी. विनोद कुमार :** मैं बस समाप्त कर रहा हूँ, महोदय।

मुझे उम्मीद है कि मेरे तेलंगाना राज्य और हमारे मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव मूल अधिनियम के धारा 112 को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने नियम बनाए थे। मैं उन नियमों को स्पष्ट करने जा रहा हूँ जिनके तहत हम यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कृषक समुदाय या भूमि खोने वालों को कोई कठिनाई न हो।

मूल अधिनियम की बात करें तो इसमें कुछ और प्रावधान हैं। धारा 113 (1) के अनुसार अब केंद्र सरकार को पांच साल की अवधि के लिए अधिनियम के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई भी कदम उठाने का अधिकार है। इससे पहले मूल अधिनियम में केवल दो वर्ष की अवधि की बात कही गई थी। पांच वर्ष का समय देकर हम एक बार फिर अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं।

तेलंगाना द्वारा बनाये गये नियमों की बात करें तो, मूल अधिनियम की धारा 112 के तहत हमने कुछ नियम बनाये हैं। किसी भी औद्योगिक अधिग्रहण के लिए 2,000 एकड़ की सीमा निर्धारित है। अधिनियम के

09.03.2015

अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि की सीमा, जिसके आगे किसी निजी कंपनी द्वारा भूमि के स्वामी के साथ निजी बातचीत के माध्यम से भूमि क्रय करने की स्थिति में, 2,000 एकड़ से अधिक नहीं होगी, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अधिसूचना के अधीन होगी। भूमि अधिग्रहण राज्य में वर्तमान शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। भविष्य में कोई भी भूमि अधिग्रहण राज्य में वर्तमान शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम राज्य में कृषि योग्य क्षेत्र को खोना नहीं चाहते हैं। हम मुआवजा राशि पर 100 प्रतिशत छूट दे रहे हैं। हमारे राज्य में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन इकाई पहले से ही बनाई गई है। हम योग्य सामाजिक प्रभाव आकलन संसाधन साझेदारों और व्यवसायियों के लिए एक डाटाबेस बनाना चाहते हैं, तथा एस.आई.ए. टीमों और सामुदायिक सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहते हैं। हम सामाजिक प्रभाव आकलन और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए एम.आई.एस. के लिए लेनदेन-आधारित वेब-आधारित कार्यप्रवाह सुनिश्चित करना चाहते हैं। सभी जिला कलेक्टरों को अपशिष्ट, बंजर और अनुपयोगी भूमि की सूची तैयार करने के लिए कहा गया था।

**माननीय सभापति:** कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्री बी. विनोद कुमार:** महोदय, यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमें जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों से अपशिष्ट, बंजर और अप्रयुक्त भूमि की सूची बनाने के लिए कहना चाहिए। इन भूमि का उपयोग सबसे पहले किसी भी परियोजना या कंपनियों के लिए किया जाना चाहिए। जब तक वे इन जमीनों का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कृषि योग्य भूमि का उपयोग क्यों करना चाहिए? यह हमारी राज्य सरकार की चिंता है।

अंत में, मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि वह विधेयक में संशोधन लेकर आए, जिसे उन्होंने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। सामाजिक प्रभाव का आकलन जारी रहना चाहिए और प्रभावित परिवारों की सहमति पर विचार किया जाना चाहिए। यदि सरकार इन प्रस्तावों के साथ आती है तो हम विधेयक का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम विधेयक का विरोध करेंगे।

09.03.2015

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

**श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व) :** सभापति महोदय, यह जो बिल है, मैं और मेरी पार्टी सी.पी.आई.एम., उसका पूरी तरह से विरोध करती है क्योंकि यह किसान, कृषि, आदिवासी और गरीब लोगों के हित में नहीं है। यहाँ पर जो अमेंडमेंट लाये गये हैं, जो बुनियादी सुधार लाने की कोशिश की गयी है, इसके बारे में सिर्फ विपक्ष के साथियों ने ही नहीं, बल्कि सरकार का साथ देने वाले शिव सेना और अन्य पार्टियों के लोग भी उसके विरोध में बोले हैं। अभी देखना है, हमारे देश में कृषि और किसानों का हाल क्या हुआ है? आज़ादी के बाद जी.डी.पी. का 50 परसेंट से अधिक हिस्सा कृषि से आता था और उसी पर 70 प्रतिशत आबादी निर्भर करती थी। अभी वर्ष 2015 में भी 70 प्रतिशत लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, लेकिन इसका जी.डी.पी. में हिस्सा घटकर 20 प्रतिशत से भी नीचे आ गया है। ऐसी हालत में किसानों और कृषि के ऊपर यदि ऐसा अटैक किया जाए, तो क्या होगा?

महोदय, 3 मार्च को माननीय कृषि मंत्री ने मेरे एक प्रश्न का लिखित जवाब दिया था। उसमें यह स्टेटमेंट दिया गया है कि वर्ष 2014 में भारत में 1109 किसानों ने आत्महत्या की है। इसके साथ क्या कारण जुड़े हुए हैं। किसानों को कृषि के लिए जो चीजें चाहिए, वे नहीं मिलती हैं और अब उनसे खेती भी छीन ली जाए, तो क्या होगा, क्या हालत होगी? इसलिए इस बिल में जो सात बुनियादी सुधार करने की कोशिश की गयी है, मैं उसके विरोध में हूँ। सोशल एसेसमेंट और 80 परसेंट लैंड ऑनर्स के कंसेंट लेने की बात है, ये जो अमेंडमेंट लाये गये हैं, ये यहाँ पर ही नहीं हैं, एन.डी.ए. सरकार के आने के बाद वर्ष 2013 का प्रिंसिपल ऐक्ट होते हुए भी एक-एक करके इसका उल्लंघन करने की कोशिश की गई है।

इसमें जो सुधार लाने की कोशिश की गई है, जो शिड्यूल एरिया और ए.डी.सी. के बाहर जो आदिवासी हैं, तो शिड्यूल एरिया में कंसेंट लेने का प्रावधान है, लेकिन उसके बाहर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, हिन्दुस्तान में 11 करोड़ आदिवासी हैं, उनमें से कितने फीसदी आदिवासी शिड्यूल एरिया में निवास करते हैं। ओडिशा,

09.03.2015

आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो, ज्यादातर आदिवासी लोग शिड्यूल एरिया के बाहर हैं। वहाँ पर कंसेंट का कोई प्रावधान नहीं है।

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** झारखण्ड में ऐसा नहीं है।

**श्री जितेन्द्र चौधरी:** ठीक है, झारखण्ड में कम हो सकता है। लेकिन लगभग 11 करोड़ आदिवासियों की जो आबादी है, वे सब शिड्यूल एरिया के अंदर नहीं हैं। तो जो इस एरिया के बाहर रहते हैं, उनका कंसेंट का प्रावधान नहीं हो, तो वे लोग कहाँ जाएंगे? श्री सत्पथी जी ने सोशल इम्पैक्ट की बात की है। आदिवासी लोग अपनी विरासत से जुड़े हुए हैं। जब वे अपनी जमीन से हट जाएंगे, तो उनके पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। 28 अक्टूबर, 2014 को एम.ओ.एफ. ने एक सर्कुलर जारी किया था - "कलेक्टर घोषित कर सकते हैं। एफआरए को डायवर्सन से पहले लागू करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वह प्रमाणित कर दे कि वन वास्तव में 1930 के बाद का वृक्षारोपण है।"

यह पूरी तरह से वन अधिकार अधिनियम के खिलाफ है, जिसे इस सभा ने अधिनियमित किया है। एन.डी.ए. सरकार की ट्राइबल मिनिस्ट्री ने इसके खिलाफ डिसेंट नोट दिया है और सरकार के दोनों विभाग में इस बारे में बात चल रही है। एक बात और भी है - खनिज की संभावना को एफआरए अनुपालन से छूट दी गई है। चार जुलाई को इश्यू हुआ है। यह भी एफ.आर.ए. वहां के आदिवासियों के लिए प्रोटेक्शन है, उसके खिलाफ है। वर्ष 2014 में महाराष्ट्र के फारेस्ट विभाग ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

[अनुवाद]

"ग्राम वन नियम जो एफआरए को दरकिनार करते हैं और जेएफएम समिति के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, जिनके पास कोई प्रबंधन शक्तियां/नियम नहीं हैं, वे सतही तौर पर उन गांवों को छूट देते हैं जहां एफआरए अधिकार पहले से ही मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन चूंकि बहुत कम सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी गई है, इसलिए यह एफआरए को दरकिनार करने का एक अल्पमार्ग है।"

09.03.2015

[हिन्दी]

वहां जे.एफ.एम. कमेटी है। यही फारेस्ट राइट कमेटी बनाती है। फारेस्ट राइट कमेटी की अनुशंसा में उन्हें फारेस्ट राइट का जो पट्टा मिलता है, अभी सरकार ने पैरलल जे.एफ.एम. कमेटी बना कर असली कमेटी वहां की आबादी के राइट्स के लिए अनुशंसा की है, उसके खिलाफ जाने की कोशिश हो रही है। अभी सुधार लाने के लिए जो कानून लाया जा रहा है, इसमें पूरी तरह से फारेस्ट एक्ट में जो राइट मिला है, उनका हक छीनने की कोशिश हो रही है। उसके बाद पंचायत मिनिस्टरी ने एक सर्कुलर और इश्यू किया है।

[अनुवाद]

“वन विभाग नियंत्रित जेएफएम समितियों को गैर-लकड़ी वन उपज अधिकार। ”

वन विभाग द्वारा नियंत्रित संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) समितियां क्या है? जे.एफ.एम. का चुनाव उस विशेष स्थान के निवासियों द्वारा किया जाता है। तो, जहाँ भी सरकार लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती; सहमति प्राप्त नहीं कर सकती, वहाँ सरकार समानांतर रूप से जे.एफ.एम. समिति गठित करके यह देखने का प्रयास कर रही है कि उनके अधिकारों का गला कैसे घोंटा जा सकता है? यह किया जा रहा है। यह कानून पूरी तरह से कृषि का और किसानों तथा बड़े पैमाने पर आदिवासी लोगों के खिलाफ है। मैं और मेरी पार्टी सी.पी.आई.एम. इसका पूरी तरह से विरोध करती है और सरकार से इस बारे में दोबारा सोचने की अपील करती है क्योंकि यहां एस.टी. एम.पीज में से ज्यादातर 47 सांसद बीजेपी से जीत कर आए हैं। आप इस बारे में सोचिए। आपको जनता ने वोट दे कर यहां भेजा है। यह तो पूरा कोरपोरेट की जेब में चला जाएगा। देश में आत्महत्या और भी बढ़ जाएगी। कृषि और किसान जिस हालत में पहुंचे हैं, यह हालत और भी बिगड़ जाएगी। मैं इसका विरोध करता हूँ और मेरी मांग है कि इसे वापिस लिया जाए।

09.03.2015

[अनुवाद]

**श्री वाई.वी. सुब्बारेड्डी (ओंगोले):** महोदय, मुझे इस अत्यंत नाजुक, संवेदनशील और महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, जिसका प्रभाव हमारे देश के लगभग 65 प्रतिशत कृषक समुदाय पर पड़ता है।

महोदय, भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों से इसलिए कायम है क्योंकि हमने मिट्टी को पवित्र और अलंघनीय माना है। हमने इसे धरती माता के रूप में माना है और माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सही कहा है, जिसे मैं उद्धृत करता हूँ:

"किसान हमारी खाद्य सुरक्षा का प्रहरी है।" *अन्नदाता सुखिभाव* हमारे मौलिक सभ्यतागत मूल्यों में से एक रहा है। मेरी सरकार किसानों की भलाई को बहुत महत्व देती है।"

लेकिन ऐसा प्रतीत होता है - और हमारी पार्टी तथा हमारे नेता श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी गारू भी ऐसा दृढ़ता से महसूस करते हैं - कि प्रस्तावित कानून के माध्यम से हम इन सभ्यतागत मूल्यों के विरुद्ध जा रहे हैं।

महोदय, यहां सरकार अभी केवल प्रस्ताव के स्तर पर है। लेकिन मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में यह पहले ही राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के नाम से शुरू हो चुका है। राज्य की राजधानी के लिए भूमि प्राप्त करने के बहाने, आंध्र प्रदेश सरकार ने कृषक समुदाय की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक भूमि एकत्रित की है - अब तक उसने 32,000 एकड़ से अधिक भूमि एकत्रित कर ली है - और विधानसभा में राजधानी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण विधेयक भी पारित किया है, जो उन लोगों पर लागू होगा जो अपनी भूमि देने से इनकार करते हैं। भयावह तथ्य यह है कि इससे हजारों एकड़ बहु-फसलीय भूमि छीन ली जा रही है, जिससे किसान मुश्किल में पड़ गए हैं।

हम भी दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि देश में गरीबी को तेजी से कम करने के लिए तीव्र आर्थिक विकास ही एकमात्र उपाय है। हम यह भी मानते हैं कि हमें अवसंरचना और उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर भूमियों की

09.03.2015

आवश्यकता है। सस्ती कीमतों पर भूमि की अनुपलब्धता हमारे विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए। फिर भी, हमें विकास और भूमि स्वामियों के हितों, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से उन लोगों के हितों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है जो इन जमीनों पर अपनी आजीविका चला रहे हैं। हम अपनी खाद्य सुरक्षा के प्रति आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते, जो हमारी संप्रभुता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 लागू किया गया।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचार करें, जिसमें रक्षा, अवसंरचना आदि के लिए अधिग्रहण के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय 2 और 3 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट दी गई है। संशोधन विधेयक की नई सम्मिलित धारा 10(क) के अनुसार, सिंचित बहु-फसली भूमि के अधिग्रहण पर निषेध/प्रतिबंधों से संबंधित अधिनियम का अध्याय 3 उपरोक्त प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होगा। हम सम्मानपूर्वक कहना चाहते हैं कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के व्यापक हित में नहीं है।

हम बहुफसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध केवल इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं - क्योंकि भारत में रहने वाले 125 करोड़ से अधिक लोगों की खाद्य सुरक्षा की चिंता है - जिनकी जनसंख्या प्रति वर्ष 2 करोड़ की दर से बढ़ रही है।

वर्तमान में दुनिया की लगभग 17.5 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है, जिसमें दुनिया का 2.3 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है और वैश्विक ताजे जल संसाधनों का 4 प्रतिशत से भी कम है। उपलब्ध 2.3 प्रतिशत भूमि में से केवल 48 प्रतिशत ही कृषि योग्य और उपयोगी है। इस 48 प्रतिशत में से केवल 20 प्रतिशत भूमि पर नहर आधारित सिंचाई होती है। इसलिए, सिंचित भूमि एक अत्यंत मूल्यवान परिसंपत्ति है, जिसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, विशेषकर इसलिए क्योंकि पिछले बीस वर्षों में फसल उत्पादन बढ़ाने में हम केवल सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाकर ही सक्षम हो पाए हैं। अधिक सिंचाई का मतलब है अधिक उत्पादकता। उदाहरण के लिए,

09.03.2015

वर्षा आधारित क्षेत्रों में मक्का की उत्पादकता 3500 कि.ग्रा./हेक्टेयर है, तथा नहर आधारित सिंचित क्षेत्रों में यह 10000 कि.ग्रा./हेक्टेयर है।

अब तक, खाद्यान्न की कमी की अप्रत्याशित स्थिति में, हमारे जैसे विकासशील देश, अमेरिका जैसे विकसित देशों से अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे हैं। भविष्य में, यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि विकसित देश, ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के बारे में बढ़ती जागरूकता के मद्देनजर, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती करने के लिए बाध्य होंगे तथा इसके स्थान पर इथेनॉल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों का उपयोग करेंगे। परिणामस्वरूप, खाद्यान्नों का वैश्विक व्यापार योग्य अधिशेष चिंताजनक रूप से कम हो रहा है, जिससे हमारे जैसे देशों को किसी भी कीमत पर आत्मनिर्भर होने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

उपरोक्त के आलोक में, हमारा कहना यह है कि सरकार को सिंचित बहु-फसलीय भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर प्रतिबंध हटाने के बारे में इतना विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जबकि यह देश के कुल क्षेत्रफल का मुश्किल से 10-12 प्रतिशत है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 10 का प्रावधान, जो बहु-फसलीय सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है, हालांकि, इस प्रकार कहता है:

“बशर्ते कि इस धारा के प्रावधान उन परियोजनाओं के मामले में लागू नहीं होंगे जो प्रकृति में रैखिक हैं जैसे कि रेलवे, राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, सिंचाई नहरें, बिजली लाइनें और इसी तरह की अन्य परियोजनाएं।”

इसलिए, हम अनुरोध करते हैं कि सरकार विधेयक के तहत बहु-फसलीय सिंचित भूमि को अधिग्रहण से छूट दे और सभी अधिग्रहणों के संबंध में अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन को भी बहाल किया जाए, क्योंकि उन भूमियों पर काम करने वाले लाखों लोग विस्थापित और बेरोजगार हो जाएंगे। आपका बहुत - बहुत धन्यवाद, महोदय।

09.03.2015

[हिन्दी]

**श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) :** सभापति जी, मैं थोड़ा भ्रम में हूँ कि यह विधेयक पूरी सम्मति से इसी सदन में करीब डेढ़-दो साल पहल जब पारित हुआ था, तो शायद इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि उस पर आर्डिनेंस लाया गया है। आर्डिनेंस तब लाया जाता है जब कोई दिक्कत हो या इमर्जेंसी हो या किसी की मांग हो। मैं सरकार की बात सुन रही हूँ। सरकार की तरफ से हमसे किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन न्यूजपेपर्स या न्यूज चैनल्स से ही समझ में आता है कि सबकी मांग है इसलिए सरकार आर्डिनेंस लाई और कानून में कुछ बदलाव करना चाहती है। यह बदलाव कौन मांग रहा है, यह साफ नहीं हुआ। मैं सरकार से अपेक्षा करती हूँ कि वह बताए कि कौन इसकी मांग कर रहा था और इसलिए आपको इस इमर्जेंसी आर्डिनेंस लाने की जरूरत महसूस हुई? सरकार अगर यह स्पष्ट कर दे तो हम ठीक हैं ... (व्यवधान) महोदय, मुझे नहीं पता। मैं उनसे सिर्फ यह स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि यह अध्यादेश क्यों जारी किया गया। आपसे कौन पूछ रहा है? आप पर कौन दबाव डाल रहा है? हम बहुत विकासोन्मुख लोग हैं। हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आप रक्षा के लिए चाहते थे। हम आपका समर्थन करेंगे। यदि आप इसे किसी विकास उद्देश्य के लिए चाहते हैं, तो हमें समर्थन देने में खुशी होगी, लेकिन उन्हें हमें स्पष्ट रूप से बताना होगा क्योंकि वे हमें समावेशी विकास के बारे में बताते रहते हैं।

प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम सब साथ में काम करेंगे, हम भी चाहते हैं कि हम साथ में काम करें, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन वह साफ-साफ बताएं कि इस आर्डिनेंस की क्या जरूरत है? अगर वह एक बार हमें बता दें, तो पूरा हाउस पूरे समर्थन से इसे पास करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन इसके पीछे क्या एजेंडा है, यह मुझे आज तक समझ नहीं आया।

मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, उसकी बात भी कहना चाहूँगी। मेरे से पहले कई सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। हमारे साथी विनोद कुमार जी ने इसके इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में कहा। जब कोई विधायक आता है तो उसका एक असेसमेंट होता है। मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूँ, वहां पर लोक सभा के और फिर विधान सभा के

09.03.2015

चुनाव हुए। हमारे यहां यह बिल आया है, लेकिन उसके कोई रूल्स अभी तक नहीं बने हैं। इसलिए यह अच्छा है या बुरा है, मैं न तो अच्छा कह सकती हूँ और न ही बुरा कह सकती हूँ। इस हिसाब से महाराष्ट्र इसका विरोध क्यों करे, यह आप मुझे बताएं। आपने शिव सेना के सांसद का भाषण सुना होगा। वह भी महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने पहले इसका पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन आज विरोध कर रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई डाक्युमेंटेशन नहीं है। मैंने डेटा की बहुत तलाश की। डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर गई कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर सरकार की तरफ से आज तक नहीं मिला है। इस पर यदि थोड़ा स्पष्टीकरण सरकार या मंत्री महोदय दें, तो हमें समझने में आसानी होगी। खड़गे जी भी यही कह रहे थे कि यह विधेयक क्यों लाया गया है। अगर इसका जवाब शुरू में ही मंत्री जी दे देते तो हमारे भाषण देने में और समझने में आसानी होती। सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट की बात हुई है, कंसेंट की बात हुई है और इरीगेटेड लैंड की बात हुई है। ये तीन समस्याएं हैं, जिनकी तरफ सदन के सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया।

एक समय था जब जमींदारी हुआ करती थी। जमींदार सोचता था कि जमीन का क्या करे, किससे खेती कराए। अगर आप कंसेंट ही निकाल दें तो सरकार जमींदार ही हो गई और हमसे पूछा ही नहीं। किसान की जमीन उसकी पूंजी होती है, उसकी पहचान होती है। इस दुनिया में, देश में, राज्य में या फैमिली में अगर झगड़ा होता है तो वह पानी या जमीन पर ही होता है। इसलिए इसका क्या मतलब है कंसेंट निकालने का इस दायरे में, इसलिए पूरा स्पष्टीकरण इस पर होना चाहिए। मेरा कंसेंट से पूरा विरोध है कि कंसेंट में क्या दिक्कत है।

मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहती हूँ। वहां पर बहुत अच्छा लैंड एक्वीजिशन हुआ है। मैं कंसेंट से आपको बता सकती हूँ कि दो-तीन दिन पहले एक प्रमुख समाचार पत्र में यह छपा कि महाराष्ट्र में लैंड एक्वीजिशन एम.आई.डी.सी. करती है। इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के बारे में बहुत से लोगों ने विरोध किया था। लेकिन हमारे यहां 3500 हेक्टेयर जमीन एम.आई.डी.सी. ने अच्छा मुआवजा देकर एक्वायर की है। सरकार खुद एक्वायर के लिए नहीं गई थी, बल्कि किसानों ने, जिनके खेत थे, कहा कि 3500 हेक्टेयर जमीन आप ले लें, आपको इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाना है, यह हमारी सहमति से आपको मिलेगी। इसका कारण यह है कि वहां के कलेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सबसे बात की, सबसे कंसेंट लिया, अच्छा भाव उन्हें दिया

09.03.2015

और स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसकी बात यह सरकार बार-बार करती है, सबसे अच्छा आईटीआई वहां आएगा, वेल्यू एडिशन होगा।

### **अपराह्न 05.00 बजे**

यह एक सफलता की कहानी है। जब ऐसी चीजें देश में हो रही हैं, अच्छे प्रैक्टिसिस हो रहे हैं तो यह ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या है? दूसरा, महाराष्ट्र ने एक मगरपट्टा मॉडल किया है। देश में हमेशा लोग उसके बारे में बात करते हैं। जिसमें पार्टनरशिप होती है। इसमें किसान के पास ही ऑनरशिप रहती है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में किसान हिस्सेदार बनता है। एमआईडीसी का सबसे अच्छा कायदा है, जो लागू हुआ है। आप एक्विजिशन की बात करते हैं तो 12 या 12.5 टका ज़मीन डेवलप करके किसान को वापस की जाती है, जिसकी वह जमीन होती है। जब इतने अच्छे कायदे हैं तो यह ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या है? इसका इम्पैक्ट क्या है? हमने जो बिल पारित किया है, वह सर्वसम्मति से किया है। आज पूरा हाउस डिवाइडिड है, आधे लोग विरोध में हैं और सामने भी जो साथी बैठे हैं, मैं उनका नाम लेकर कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उनके मन में भी आशंका है। हमारे बहुत सारे सामने की बेंच के स्पीकर्स इस पर बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस विधेयक के पक्ष में बोलेंगे तो क्षेत्र में जाने पर लोग बोलेंगे कि अगली बार आपको वोट नहीं देंगे। यह सच्चाई है। उस तरफ से कोई नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है कि बात सच है...(व्यवधान) यह सरकार डेवलपमेंट की बात करती है। रेलवे का उदाहरण बहुत सारे सदस्यों ने दिया। रेल मंत्रालय के बजट भाषण में यह कहा गया था कि वर्ल्ड बैंक उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट में सपोर्ट करेगी। यह बहुत अच्छी बात है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की उनकी एक हैण्डबुक का अध्ययन करेंगे तो उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंट असेसमेंट जब तक न हो, वर्ल्ड बैंक आपको पैसा नहीं देगी। आप किस हिसाब से सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको वर्ल्ड बैंक आपको इसके ऊपर पैसा नहीं देगी। आप दुनिया में कहीं भी जाएं हर जगह एनवायरमेंट की बात होती है। महाराष्ट्र के बारे में सब कहते हैं कि डेवलपमेंट रुक गया है। मैं मानती हूँ कि वहां डेवलपमेंट में डिले हुआ है। लेकिन वह लैण्ड एक्विजिशन की वजह से नहीं हुआ है, वहां एनवायरमेंटल क्लीयरेंस वक्त पर नहीं मिले। लेकिन वहां की नई सरकार ने तीन महीने में छः सौ

09.03.2015

एनवायरमेंटल क्लीयरेसिंज दिए हैं। इस हिसाब से वहां इंडस्ट्रीज तो आ रही हैं। महाराष्ट्र में इनवेस्टमेंट भी हो रहा है। महाराष्ट्र में एक्वीजिशन पर कोई कनफ्लिक्ट नहीं है। फिर यह ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत ही क्या है, यह क्लेरिफिकेशन सरकार को देना चाहिए।

### **अपराह 05.03 बजे**

[माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

महोदय, सेबी ने स्मॉल टाइम इनवेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा इन्स्ट्रूमेंट निकाला है। इसी तरह की जो सक्सेस स्टोरीज देश में और दुनिया में हो रही है, उन सब गुड प्रैक्टिसिस को आप लाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बदलाव लाना चाहते हैं तो जरूर लाएं, यह आपका आधिकार है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हो तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन रियलस्टिक होना चाहिए। किसान, जो कि गरीब है, छोटा आदमी है, उसको दबाने की आप कोशिश न करें।

महोदय, फूड सिक्योरिटी और इरीगेटिड लैण्ड के बारे में बहुत सारे सदस्यों ने बात कही है। एक बहुत बड़ा प्रोविजन है। अध्याय 3क की धारा 10क (ड़) में बुनियादी ढांचे और सामाजिक बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के बारे में प्रावधान है। सोशल इनफ्रास्ट्रक्चर का मतलब स्कूल और कॉलेज है। एक समय था जब स्कूल, कॉलेजिस और अस्पताल एनजीओज सेवा के भाव से काम करती थीं, सोशल ऑर्गनाइजेशन हुआ करती थीं, जो काम करती थीं, लेकिन आज शिक्ष और आरोग्य सेवा पुण्य की भावना से नहीं होती है, यह आप सभी को पता है कि आज जितने स्कूल और कॉलेजिस चलते हैं, ये एक बिजनेस मॉडल बन गए हैं तो आप किस प्रकार से उनको मदद करेंगे। आप जरूर मदद करें, लेकिन जिनकी मैरिट है, उनको ही करें। मैं किरीट भाई का भी भाषण सुन रही थी। वे कह रहे थे कि उनके राज्य में बहुत दिक्कत है, उनके यहां पीएचसी भी नहीं बन सकते हैं। महाराष्ट्र के हर गांव और बस्ती में बहुत अच्छे स्कूल हैं। इनकी सरकार वहां जीआई मैपिंग भी करवा रही है। हंसराज जी को भी पता है कि महाराष्ट्र में हर जगह स्कूल भी हैं, पीएचसी भी हैं, शायद डॉक्टर्स हों या न हों, लेकिन अस्पताल की बिल्डिंग जरूर हमारे यहां हर गांव में है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भूमि आधिग्रहण में हमें कोई दिक्कत है...(व्यवधान) अभी सभी जगह है...(व्यवधान) अगर महाराष्ट्र में अच्छी प्रैक्टिसिस हो रही

09.03.2015

हैं तो आप मान लीजिए कि बाकी राज्यों को हम से सीखना चाहिए कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। ... (व्यवधान)  
महोदय, मैं अपना समय नहीं दे रहा हूँ।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

**श्रीमती सुप्रिया सुले:** महोदय, सरकार से मेरा एकमात्र आग्रह यह है कि हम विकास के पक्ष में हैं। हम उनका समर्थन करेंगे यदि वे हमें आँकड़े-आधारित जानकारी देते हैं कि वे इसे क्यों बदलना चाहते हैं। मुझे आंकड़ों के आधार पर कोई तार्किक कारण नहीं दिखता है कि उन्होंने ये तीन बदलाव क्यों किए हैं - सामाजिक प्रभाव आकलन, सहमति और सिंचित भूमि। सिंचित भूमि के विषय में, मुझे नहीं लगता कि हममें से कोई भी सही अर्थों में इस पर सहमत हो सकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि पंजाब के मेरे मित्रों और अन्य सभी को इस पर आपत्ति है, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि सदन में इसी समय, महोदय, आप भी उपस्थित थे जब विधेयक पारित किया गया था, और पंजाब तथा हरियाणा में सिंचाई को लेकर समस्याएं थीं। उस समय, मंत्री महोदय वहां आये और स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि उनकी ओर से एक पत्र आया था। सिंचित भूमि के संबंध में आप महाराष्ट्र की सिंचित भूमि की तुलना पंजाब और हरियाणा से नहीं कर सकते। हम इस तरह काम नहीं कर सकते।

महोदय, आप जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे देखें - तमिलनाडु। इसके बाद, शहरी विकास में विश्व बैंक का सबसे बड़ा परियोजना निवेश तमिलनाडु में आया है। इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यदि इस फैसले से तमिलनाडु में ऐसा हो सकता है, तो अन्य राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कोई भी राज्य शिकायत नहीं कर रहा है। यह इस बारे में नहीं है कि किसने क्या कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि जवाब में वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप की बात करेंगे और हम अपने भाषणों में वही कहेंगे जो श्री राजनाथ सिंह जी ने देखा। मुझे लगता है हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत है।

09.03.2015

इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इसलिए, जल्दबाजी और हड़बड़ी में कुछ करने के बजाय, मैं इस सरकार से थोड़ा और धैर्य दिखाने का आग्रह करती हूँ। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। रोम जल नहीं रहा है। तो, वे इसमें जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे समय लें, आत्मचिंतन करें और इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजें। हमारे पास एक प्रक्रिया है। कृपया इसमें थोड़ा समय लगने दीजिए। आप इसे समयबद्ध तरीके से कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहती कि इसे एक वर्ष के लिए छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ। यदि उन्हें कोई समस्या है तो उसे समयबद्ध कार्यक्रम के तहत स्थायी समिति को भेजें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि यह वास्तविक है तो पूरा सभा किसी भी विकास को नहीं रोकेगा, क्योंकि हम सभी एक प्रगतिशील राष्ट्र में विश्वास करते हैं और हम सभी इस राष्ट्र के हित में मिलकर काम करते हैं।

धन्यवाद।

09.03.2015

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, आलोचना यह है कि बीजेपी या यह सरकार एकतरफा रूप से भूमि अधिग्रहण अधिनियम को बदल रही है। समाधान सरल है। जून, 2014 में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा बुलाई गई बैठक में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने व्यापक प्रतिनिधित्व किया था। इसीलिए सरकार में यह सोच शुरू हुई थी। निस्संदेह, हमने विधेयक का समर्थन किया। चुनाव से ठीक पहले इसे पारित किया गया। वर्ष 1894 से वर्ष 2013 तक एक ऐसा कानून रहा जिसने इन सभी वर्षों में कृषक समुदाय को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं इसमें नहीं जाऊंगा।

मुद्दा यह है कि तत्कालीन सरकार कुछ सुझाव और कुछ संशोधन लेकर आई थी। तब हमने विपक्ष में रहते हुए भी उनका समर्थन किया था। क्या हमें वहीं अटक जाना चाहिए? इसके बाद जब नई सरकार आई तो राज्यों के राजस्व मंत्रियों की बैठक हुई और उनमें से कई ने अलग-अलग सुझाव दिए और कहा कि इस अधिनियम में बदलाव और पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस तरह इसकी शुरुआत हुई। कई राज्यों ने कहा कि सरकार द्वारा पारित वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम विकास को असंभव बना देता है। कोई कह रहा था कि 'विकास' शब्द इस आदमी या उस आदमी के लिए है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने खुलकर अडानी, अम्बानी और अन्य लोगों के नाम ले लिए हैं। ये सभी पिछली सरकार के दौरान विकसित हुए थे; हमारी सरकार तो केवल नौ महीने पुरानी है। इन नौ महीनों में उनका विकास नहीं हुआ है।

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** मैंने अडानी या अंबानी का नाम नहीं लिया। मैंने 'कॉर्पोरेट्स' कहा। ... (व्यवधान)

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** यह श्री तथागत थे। सौगतदा, मैं ध्यानपूर्वक देख और सुन रहा हूँ। ... (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय:** हमारी पार्टी से किसी ने भी इसका उल्लेख नहीं किया है।

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** हां, मैं इस बात से सहमत हूँ कि टी.एम.सी. ने इसका उल्लेख नहीं किया है।

09.03.2015

वे पिछले नौ महीनों में नहीं बढ़े हैं। इन सभी कंपनियों के मालिक, जिन्हें हम बड़े व्यवसायी कहते हैं, उनकी संपत्ति इन नौ महीनों में नहीं, बल्कि कई वर्षों में इतनी बढ़ी है। हमें इसे ध्यान में रखना होगा।

दूसरी बात यह है कि... (व्यवधान)

**श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद):** गुजरात भी। ... (व्यवधान)

**श्री एम. वैकैया नायडु :** ठीक है, गुजरात भी देश का हिस्सा है।

राज्य सरकार ने एक और बात कही है। जब हम इस पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो आइए हम इस पर खुले मन से चर्चा करें। मैं भी खुले मन से हूँ। श्रीमती सुप्रिया कुछ कह रही थीं। कुछ अच्छे सुझाव हो सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे ग्रामीण विकास मंत्री इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और सरकार की ओर से उचित संशोधन भी लाएंगे। हम इस विचार के प्रति खुले हैं... (व्यवधान)

**श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा):** इसे स्थायी समिति को भेजें। ... (व्यवधान)

**श्री एम. वैकैया नायडु :** कृपया मेरी बात सुनें। ... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** नहीं, उन्हें बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** कृपया बीच में हस्तक्षेप न करें।

... (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय:** श्रीमती सुप्रिया का मुख्य सुझाव यह था कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए। ... (व्यवधान)

**श्री एम. वैकैया नायडु :** हां, मैंने उस बिंदु को नोट कर लिया है।

कुछ राज्य सरकारों ने जोर देकर कहा कि यह किसानों को विकास प्रक्रिया से बाहर रखता है और उनके जीवन में सुधार को रोकता है और मुआवजे में देरी भी करता है। यह कई राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों में

09.03.2015

से एक था। एन.डी.ए. सरकार व्यापक विचार-विमर्श और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व पर नपे-तुले विचार के बाद ये संशोधन लेकर आई है।

वर्ष 2011 में महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण जी का एक पत्र आया था। उन्होंने श्री जयराम रमेश जी को एक पत्र लिखा, जो अभिलेख में है। मैं इसे सभा पटल पर भी रख सकता हूँ, और कोई समस्या नहीं है।

केरल कांग्रेस सरकार ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि एस.आई.ए. और संबंधित धारा, जिसे पिछली सरकार ने पारित किया था, के रहते विकास असंभव है। यह सुझाव दिया गया कि अधिनियम में त्रुटियाँ थी, इसलिए हमें इसमें सुधार करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। ...  
(व्यवधान)

महोदय, मैं भी वह पढ़ूँगा जो श्री पृथ्वीराज जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि: "माननीय मंत्री जी, मैं मंत्रालय द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए अपनी सराहना दर्ज कराना चाहता हूँ" उन्होंने कहा था। इसमें आगे लिखा गया है: "मेरी सरकार ने राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन विधेयक के मसौदे के प्रावधानों का अध्ययन किया है, तथा गहन परीक्षण करने पर हमने पाया है कि नए अधिनियम के प्रावधानों में वृद्धि होगी तथा पुनर्वास की लागत छह गुना बढ़ जाएगी।" यह एक पुराना दस्तावेज है, और यही कारण है कि मैं... (व्यवधान)

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** यह मसौदा विधेयक पर है।

**श्री एम. वेकैया नायडु :** कृपया मेरी बात सुनें। मुझे यह पता है। ... (व्यवधान) यदि आपको प्रत्येक बिंदु पर स्पष्टीकरण देना होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ... (व्यवधान) आइए हम भी ऐसा ही करें। आप एक शब्द बोलेंगे और मैं जवाब दूँगा, फिर मैं एक शब्द बोलूँगा और आप जवाब देंगे। यदि संसदीय परंपरा यही है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरा बिंदु यह है कि थोड़ा धैर्य रखें, बाबू। हमने 50 वर्ष तक धैर्य रखा। ... (व्यवधान)

09.03.2015

इसमें आगे लिखा है कि: “यह अधिनियम पूर्वव्यापी रूप से लागू है। इसके लागू होने के एक वर्ष के भीतर, चल रही सार्वजनिक परियोजनाएं, जहां आंशिक भूमि अधिग्रहण पहले ही हो चुका है, पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और लागत बजटीय राशि से अधिक हो जाएगी...” उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। इसमें आगे लिखा है, “... अधिग्रहण प्रक्रिया को अत्यधिक केंद्रीकृत और विधिपूर्ण बनाकर, लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्तमान भूमि उपयोग प्रभावी रूप से स्थिर हो सकता है।” उन्होंने आगे कहा कि: “जब सरकार को औद्योगिक और शहरीकरण उद्देश्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है तो 80 प्रतिशत सहमति को हटा दिया जाता है...”। ... (व्यवधान)

**श्री के .सी. वेणुगोपाल:** आप केवल मसौदा विधेयक पर राय पढ़ रहे हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** नहीं, वह जो भी पढ़ रहे हैं, आप पहले उन्हें सुनें।

... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** चाहे मसौदा विधेयक हो या कुछ और, आप इसके बारे में बाद में बता सकते हैं।

... (व्यवधान)

**श्री एम. वेंकैया नायडु :** महोदय, यह तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मसौदा विधेयक पर लिखा गया पत्र था, जिस पर विधेयक के दौरान विचार नहीं किया गया।

**श्री के. सी. वेणुगोपाल:** यह मसौदा विधेयक पर था।

**श्री एम. वेंकैया नायडु :** हां, यह मसौदा विधेयक था। तथ्य तो तथ्य है, लेकिन इन चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

दूसरा, मैं आपकी अनुमति से एक और पत्र पढ़ना चाहूंगा और उसे भी सभा के पटल पर रखूंगा। इसमें लिखा है: “संसदीय स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 पर उद्योग द्वारा उठाई गई गंभीर चिंता की ओर प्रधानमंत्री का तत्काल ध्यान आकर्षित किया जाता है। अपने

09.03.2015

वर्तमान स्वरूप में यह विधेयक भारत में विनिर्माण, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के लिए प्रतिकूल, दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा तथा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डी.एम.आई.सी.) परियोजना के संचालन और राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (एन.आई.एम.जेड.) के निर्माण में एक प्रमुख बाधा बनेगा। चूंकि आज अधिकांश प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं पी.पी.पी. आधार पर क्रियान्वित की जा रही हैं, इसलिए डी.एम.आई.सी. परियोजना के अंतर्गत एन.आई.एम.जेड. और औद्योगिक टाउनशिप के विकास को शामिल करने के लिए सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा को व्यापक बनाना आवश्यक है। विधेयक में पी.पी.पी. परियोजनाओं और औद्योगिक टाउनशिप को बाहर रखने की परिकल्पना की गई है और इसमें कुछ प्रावधान हैं, जो न केवल भूमि की लागत को अत्यधिक ऊंचा कर देंगे, बल्कि अधिग्रहण की कार्यवाही को भी अत्यधिक असंभव बना देंगे...।

"80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति से अधिग्रहण में गंभीर रूप से देरी होगी और कई मामलों में आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं रुक जाएंगी। यह भी निर्धारित किया गया है कि औद्योगिक टाउनशिप, एक्सप्रेसवे, राजमार्ग, एनआईएमजेड में आपातकाल प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता, जिससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता में देरी होगी। दो के गुणक के ऊपर 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति लागू करने से लागत में वृद्धि होगी, जिसका असर भूमि की कीमतों पर पड़ेगा।

जबकि यह विधेयक संसदीय स्थायी समिति के अधीन जांचाधीन था, डी.आई.पी.पी. ने 13 मार्च, 2012 को इस मुद्दे पर विचार किया। मैंने 7 मई, 2012 को समिति के सभापति को भी लिखा था और 15 मई, 2012 को एक विस्तृत ज्ञापन दिया था। तथापि, प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में मेरे मंत्रालय की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया, जिसे 20 मई, 2012 को संसद में पेश किया गया। इस प्रकार का कानून, अपने वर्तमान स्वरूप में, प्रमुख बुनियादी ढांचा

09.03.2015

परियोजनाओं को अव्यवहार्य बना देगा तथा शहरीकरण की प्रक्रिया को काफी धीमा कर देगा। आने वाले वर्षों में मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे और शहरी टाउनशिप के विकास की मांग बढ़ेगी, जो आर्थिक विकास की अगली लहर को बढ़ावा दे सकती है।

संसद में विधेयक के अंत में पेश होने से पहले इन मामलों पर विचार-विमर्श के लिए एक तत्काल बैठक बुलाई जा सकती है।”

यह शहरी विकास मंत्री द्वारा लिखा गया पत्र नहीं है। मैं शहरी विकास मंत्री हूँ। इससे पहले शहरी विकास मंत्री श्री कमल नाथ जी थे। हालाँकि, यह पत्र हम दोनों में से किसी ने नहीं लिखा था। यह पत्र भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा जी ने लिखा था।

महोदय, जब उनके जैसे कद के मंत्री, जो एक वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों और चिंताओं को उठाते हैं और फिर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विकास रुक जाएगा, तो क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उन चिंताओं का भी ध्यान रखें? आज भी, विभिन्न पक्षों के माननीय सदस्य, जिनमें मेरी ओर से भी सदस्य शामिल हैं, कुछ चिंताएं व्यक्त कर सकते हैं। यह वर्तमान सरकार का दायित्व है कि वह उन चिंताओं का ध्यान रखे और यह सुनिश्चित करे कि उन चिंताओं का भी समाधान हो। यही वह बात है जिसे मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ।

इसलिए, यह इस सरकार द्वारा लिया गया एकतरफा निर्णय नहीं है। यह राज्यों के साथ उचित परामर्श के बाद लिया गया निर्णय है। ऐसी बैठकों में 28 से 30 राज्य उपस्थित थे। उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। आप चाहें तो हर राज्य ने जो कहा है, उसके बारे में मैं राज्यवार पढ़ सकता हूँ। साथ ही, मैं यह कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि 'किसी राज्य ने यह कहा या वैसे कहा है और इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं।' मुद्दा यह है कि उस समय की सरकार ने महसूस किया कि कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक विवेक के अनुसार, हम दोनों ने मिलकर, हालांकि हमारे कुछ अन्य सहयोगियों ने इसका विरोध किया है - मुझे लगता है

09.03.2015

कि उस समय ए.आई.ए.डी.एम.के. ने भी इसका विरोध किया था - हम उस विधेयक को लेकर आगे बढ़े हैं। बाद में हमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ मिलीं। इन पत्रों तक हमारी भी पहुंच थी। हमने उन पत्रों का अध्ययन किया है और प्रतिक्रिया भी प्राप्त की है। ... (व्यवधान) अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं, तो मैं रुक जाऊंगा। मैं यहां खड़ा हूँ और आप वहां खड़े होने की बात कर रहे हैं।

**माननीय उपाध्यक्ष:** उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए और उसके बाद आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं।

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** यह अच्छी आदत नहीं है, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है। मैं पिछले 16 वर्षों से संसद में हूँ। मैं राज्य विधानमंडल में भी था। कृपया, हम एक-दूसरे का सम्मान करें। थोड़ा धैर्य रखें! मैं आपको आश्चर्य कर सकता हूँ कि हमारे बीच उचित बहस होगी। हम आज और कल भी इस पर चर्चा करेंगे। सभी पक्षों को उचित अवसर मिलेगा और मंत्री जी अंत में इसका जवाब देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार कुछ संशोधनों के लिए भी तैयार है, जो हमें लगता है कि देश और समाज के व्यापक हित में हैं।

महोदय, कर्नाटक ने कहा: "सामाजिक प्रभाव अध्ययन केवल बड़ी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए।" यह कर्नाटक की राय थी।

"प्रारंभिक अधिसूचना से पहले भूमि स्वामियों से सहमति प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। इस तरह के प्रारंभिक चरण में भूमि स्वामियों की पहचान एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। इसे केवल बड़ी परियोजनाओं के मामले में संचालित किया जाना चाहिए।" यह केरल की राय है।

महाराष्ट्र ने कहा: "सामाजिक प्रभाव आकलन के प्रावधान सड़क, पानी, विद्यालय आदि जैसी आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होने चाहिए।"

मणिपुर ने कहा, "छोटी परियोजनाओं को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से छूट दी जानी चाहिए।"

09.03.2015

पंजाब ने कहा: "राज्य की अधिकांश भूमि बहु-फसल सिंचित भूमि की श्रेणी में आती है, जिससे धारा 10 में उल्लिखित अंतिम उपाय के रूप में ऐसी भूमि का अधिग्रहण करना कठिन हो जाता है। हमारे पास अतिरिक्त भूमि नहीं है, जो बंजर भूमि हो।"

उत्तर प्रदेश ने कहा, "सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को समाप्त किया जाना चाहिए और 100 एकड़ की न्यूनतम सीमा होनी चाहिए।"

तो, अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग बातें कही हैं। इन सब बातों की पृष्ठभूमि में तथा विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, हमारी ओर से तथा अन्य पक्षों से भी, हमने सोचा कि हमें संशोधन करना चाहिए। इसीलिए यह संशोधन लाया गया और अध्यादेश लाया गया। कुछ लोगों को 'अध्यादेश' शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है क्योंकि वे सिद्धांत पर अड़े हुए हैं। लेकिन सिद्धांतों का उपदेश तभी दिया जा सकता है जब उनका आचरण किया जाए, अन्यथा आप सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकते और आप दूसरों को भी इनका उपदेश नहीं दे सकते। मैं मित्रों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि उनके कार्य को उचित ठहराने और हमारे कार्य की निंदा करने का चलन नहीं होना चाहिए। 1894 के प्रथम भूमि कानून के बाद पहली बार, भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले 13 अधिनियमों को अध्यादेश में शामिल किया गया है। क्या यह प्रगतिशील है या नहीं? ये 13 अधिनियम सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अधिनियम, 1958, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948, भारतीय ट्रामवे अधिनियम, 1886, भूमि अधिग्रहण (खान अधिनियम, 1885, मेट्रो रेल (कार्य निर्माण) अधिनियम, 1975, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956, पेट्रोलियम और खनिज (पाइपलाइन अधिग्रहण, भूमि में उपयोगकर्ता का अधिकार) अधिनियम, 1962, अचल संपत्ति अधिनियम, 1952 की मांग और अधिग्रहण, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 1948, कोयला वहन क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, बिजली अधिनियम, 2003, और रेलवे अधिनियम, 1989। उन्हें पहले छूट दी गई थी। हम उन्हें भी इस दायरे में इसलिए लाए ताकि जिन किसानों की भूमि इस काम के लिए अधिगृहीत की जाएं, उन्हें एक उचित

09.03.2015

और पर्याप्त मुआवजा भी मिले। हमने क्या गलती की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वह यह है ... (व्यवधान) कृपया धैर्य रखें। ... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** यदि वह अपना समय देते हैं तो ठीक है। अगर वह अपना समय नहीं दे रहे हैं, तो मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता।

... (व्यवधान)

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** महोदय, जैसा कि मैंने आपको बताया, धारा 10अ अध्यादेश के तहत छूट प्रावधानों के बारे में बात करती है जो रक्षा और सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, किफायती आवास और गरीबों के लिए आवास, कुछ दूरी के साथ औद्योगिक गलियारे, बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं से संबंधित हैं जो जनता के लिए हैं। अगर हमें राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना है, तो भूमि अधिग्रहण करना होगा। अगर हमें नई रेल लाइन बिछानी है, तो भूमि अधिग्रहण करना होगा। हम हर दिन नई रेलवे लाइन की मांग करते हैं। मैंने माननीय रेल मंत्री जी से यह भी अनुरोध किया कि कालाहस्ती और नेडकुडी के बीच नई रेलवे लाइन बिछाई जाए। तेलंगाना से मांगें थीं; आंध्र प्रदेश से मांगें थीं; तथा विभिन्न राज्यों से नई रेलवे लाइनों की मांगें थीं। यदि आप रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं तो आपको भूमि अधिग्रहण करना होगा। यदि आप एक बंदरगाह का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता है। यदि आप एक नई विद्युत लाइन या ट्रांसमिशन लाइन बिछाना चाहते हैं, तो आपको भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता है। हम भूमि अधिग्रहण के बिना विकासात्मक गतिविधि नहीं कर सकते हैं। यह आम जनता के लिए है।

दूसरा, किसानों के लिए यदि आप गांव में कोई टैंक बनाना चाहते हैं, यदि आप कोई छोटा बांध बनाना चाहते हैं, यदि आप कोई सिंचाई परियोजना बनाना चाहते हैं, तो आपको भूमि अधिग्रहण करना होगा, क्योंकि कुछ भूमि जलमग्न हो जाएगी। यह हम सभी जानते हैं। हमारे गाँवों में भी, गाँव में कोई तालाब बनाना है, खेती के लिए कोई टैंक बनाना है तो उसके लिए लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी। आम तौर पर जो लोग अपनी भूमि खो देते हैं, वे दुखी होंगे। यह स्वाभाविक है क्योंकि यह उनकी आजीविका है। इसलिए, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया

09.03.2015

जाना चाहिए। सरकार ने उस प्रावधान को छुआ तक नहीं है। चार गुना मुआवजा देना बहुत बड़ी बात है और हम इसके पक्ष में हैं तथा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह मुआवजा दिया जाए। लेकिन मुद्दा यह है कि जब 1500 या 15000 लोग लाभान्वित होने वाले हैं और 15 लोग प्रभावित होने वाले हैं, तो आप भूमि अधिग्रहण को रोक नहीं सकते क्योंकि ये लोग प्रभावित होने वाले हैं। यह हम सभी के लिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, मुंबई, बेंगलोर, कृष्णागिरि, धर्मपुरी आदि तक स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत की थी। ... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष :** मैं उस समय मंत्री था। मुझे यह पता है।

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** मैंने सुबह इस बारे में एक संदर्भ पढ़ा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कुछ भूमि का अधिग्रहण भी किया गया है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। नेल्लोर में मेरे गांव के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। उस राजमार्ग पर, मेरे बचपन के दिनों में, भूमि की कीमत 800 रुपये प्रति एकड़ थी। मेरे दादाजी ने पहला एकड़ इसलिए बेच दिया क्योंकि मैं नाबालिग था। मेरी माँ का निधन हो गया और मैं उनकी देखभाल में था। दूसरा एकड़ जो मैंने विधायक रहते हुए बेचा था, उसका मूल्य 8000 रुपये था। आज, जब यह राष्ट्रीय राजमार्ग आ गया है, तो सड़क के किनारे, न कि अंदर, जमीन की कीमत लगभग 80 लाख रुपये प्रति एकड़ है। यदि यह राजमार्ग से दूर स्थित है तो इसकी कीमत 60 लाख रुपये प्रति एकड़ होगी। प्रति एकड़ 40 लाख रुपये का अंतर! यह सब विकास गतिविधियों के कारण है। जहां नई रेलवे लाइन या नया राष्ट्रीय राजमार्ग आया है, वहां जमीन का मूल्य बढ़ गया है। ... (व्यवधान) ठीक है! हमें कोई समस्या नहीं है। आप रियल एस्टेट के खिलाफ हैं, आप व्यापार के खिलाफ हैं, आप उद्योग के खिलाफ हैं, आप सबके खिलाफ हैं, और हम सिर्फ इसी के पक्ष में हैं। उद्योग और व्यापार के बिना देश समृद्ध नहीं हो सकता है। हमें यह भी समझना चाहिए। कृषि और उद्योग मनुष्य की दो आँखों की तरह हैं। हमें कृषि की ज़रूरत है और हमें किसानों की रक्षा करनी है। हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए उद्योग की भी आवश्यकता है। यह हम सभी को समझना होगा।

09.03.2015

समस्या यह है कि हर चीज पर दुष्प्रचार अभियान चलाया जाता है। जानकारी से पहले ही भ्रामक जानकारी फैल जाती है। लेकिन गलत सूचना की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसे समझना चाहिए। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि सरकार न्यूनतम सीमा तक भूमि अधिग्रहण करे। हम औद्योगिक गलियारों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के आकार को सीमित कर सकते हैं। यह सदन का विचारणीय विषय है। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं, वे इस पर ध्यान देंगे।

सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए कुछ लोग एक अलग व्याख्या दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसके तहत निजी अस्पतालों आदि के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। हम सामाजिक बुनियादी ढांचे को छोड़कर सामान्य बुनियादी ढांचे की ओर जाने के बारे में सोच सकते हैं जो देश की आम जनता के लिए है।

हमारे पास किसी प्रकार की परेशानी मुक्त शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए। कुछ सदस्यों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि उन्हें अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए राज्य की राजधानी या अन्यत्र जाना पड़ेगा। हम एक ऐसी प्रणाली अपना सकते हैं जिसमें राज्यों की राजधानियों में जाने के बजाय जिला मुख्यालयों में शिकायतों का निवारण होता हो।

रोजगार के बारे में यह बात कही गई कि जब भूमि अधिग्रहित की जाती है तो केवल मुआवजा राशि पर्याप्त नहीं होगी। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हमारे पास हरियाण के उदाहरण हैं। दीपेन्द्र जी यहां बैठे हुए हैं। हमारे पास अपने क्षेत्र के उदाहरण हैं। किसी को अच्छा मुआवजा मिलता है और उस मुआवजे का क्या होता है, यह हम नहीं जानते। किसानों को व्यापारिक रणनीति की कोई समझ नहीं है, उन्हें यहां-वहां पैसा लगाने की समझ नहीं है। कभी-कभी हमने देखा है कि लोग कार और फेंसी चीजें खरीदते हैं और बाद में पछताते हैं। एक और सुझाव जो दिया जा रहा है - यही वह प्रतिक्रिया है जो मुझे मिली है और मंत्रालय भी इस पर ध्यान देगा - यह है कि प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक के एक सदस्य को नौकरी या रोजगार का अवसर दिया जाना चाहिए। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखेगी। अंतिम प्रस्ताव बनाते समय इसे भी ध्यान में रखा जा सकता है।

09.03.2015

महोदय, कोई भी अधिनियम हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं बन जाता। बुद्धिमानी समय की मांग के साथ बदलने में ही है। यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित परिवर्तनों का प्रमुख लाभ स्पष्ट रूप से किसानों और ग्रामीण लोगों को होगा। आप भले ही बड़े किसान हों, लेकिन हम भी छोटे किसान हैं। हम सब किसान की संतान हैं। हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं आपको आश्चर्य कर सकता हूँ कि श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार एक भी अधिनियम की अनुमति नहीं देगी जो कृषक समुदाय के खिलाफ होगा, जो गरीबों के खिलाफ होगा, जो महिलाओं के खिलाफ होगा, जो कमजोर वर्गों, दबे हुए, दलित और उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ होगा।

यदि गलतियाँ हैं या यदि कमियाँ हैं, तो इन गलतियों को उजागर करना संसद की सामूहिक बुद्धिमत्ता है। आपने वर्ष 1894 से वर्ष 2001 तक भूमि अधिग्रहण अधिनियम को लागू रखा। बाद में चुनाव के ऐन पहले आपको एहसास हुआ कि यह कानून गलत था और किसानों को परेशान किया जा रहा था। तो, आप एक नए अधिनियम के साथ आए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमने उस अधिनियम का भी समर्थन किया। इसी प्रकार, हम एक अध्यादेश लेकर आये। आप इसमें खामियाँ ढूँढ़ें, उसकी जांच करें। आप में से कुछ ने संशोधन भी दिए हैं। लगभग 52 संशोधन दिए गए हैं। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

हम यहां देश के लिए एक अच्छा कानून बनाने के लिए हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा कानून बनाने के लिए हैं जो असंगठित हैं। देश में संगठित वर्ग जानता है कि काम कैसे किया जाए। किसानों जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को समस्याएं हैं। इसीलिए यह चिंता है। लेकिन उन्हें गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से हो यह रहा है कि विधेयक को पढ़ने से पहले ही कुछ लोग कह रहे हैं कि यह किसान विरोधी है, यह सरकार किसान विरोधी है।

मेरे एक मित्र कल्याणजी, वह यहां नहीं हैं, कह रहे थे कि यह सरकार पूंजीपतियों के लिए है, यह, वह और सभी चीजों के लिए है। शायद यही उनकी इच्छा हो।

मैं आपको बता सकता हूँ कि यह सरकार आम लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि किसान, महिलाएं, गरीब और युवा उनकी

09.03.2015

प्राथमिकता हैं। आप बस उनके भाषण का संदर्भ लें। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं कहा कि कोई उनकी आलोचना कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, आपको विधेयक को पढ़ना होगा। किसी भी अन्य कानून की तरह इसके निहितार्थों को समझना आसान नहीं है, जब तक कि किसी को खेती की जमीनी या आधारभूत समझ न हो। धीरे-धीरे खेती बेकार होती जा रही है। ... (व्यवधान) 50 वर्षों से भाषण दिए जा रहे हैं। पहले प्रथा थी कि कथनी गरीबों के लिए, करनी अमीरों के लिए। अब ऐसा नहीं है। ... (व्यवधान)

मैं यही कह रहा हूँ। पिछले 50 वर्षों में यही परंपरा रही है कि कथनी गरीबों के लिए और करनी अमीरों के लिए। लेकिन अब इस प्रथा को बदल दिया गया है - करनी गरीबों के लिए और कथनी, केवल सामान्य शब्दों में, जो उनकी भूमि का चार गुना बाजार मूल्य है। क्या यह एक सामान्य बात है? क्या यह किसानों के खिलाफ है? और फिर, क्या किसानों के परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देना उनके खिलाफ है? इसके अलावा, हम यह सुझाव दे रहे हैं कि बंजर भूमि का एक बैंक बनाया जाए और उसे तैयार रखा जाए ताकि जब भी भूमि की आवश्यकता हो, तो सबसे पहले इस भूमि बैंक का उपयोग किया जाए और फिर हम अन्य भूमि पर काम करें। अब दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर, विशाखापत्तनम-चेन्नई कॉरिडोर पर आते हैं। लोगों को इस कॉरिडोर से काफी उम्मीदें हैं। विकास के बिना आप लोगों की आकांक्षाएं कैसे पूरी कर सकते हैं? सभी को इसे समझना होगा।

मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको आश्चर्य कर सकता हूँ कि सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग निजी लोगों के हित के लिए नहीं करेगी। वह इसका उपयोग जनहित के लिए, देश के आम नागरिक के लिए करेगी। दूसरी बात देखिए। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ कि हम एक संघीय देश हैं। एक केंद्रीय कानून बनाने की मांग की गई थी। कानून बन गया। अब केंद्रीय कानून में संशोधन किया जा रहा है। राज्यों को स्वतंत्रता दें ताकि उनके पास अपना कानून हो और वे आगे भी बढ़ सकें। हमने पहले भी महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा है कि इसके बावजूद उन राज्यों में मुआवजे में बदलाव किया गया है। इसका मतलब है कि राज्यों के पास शक्ति है। अब आप उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कुछ और शक्ति भी दे सकते हैं। राज्यों को रेल लाइन या बिजली आदि की आवश्यकता नहीं है। वे इसे करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। आप किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कुछ लोग 5 साल की

09.03.2015

बात कर रहे थे। इनिशियली, मैंने भी उस दिशा में सोचा, प्रोजेक्ट 5 सालों में पूरा नहीं हुआ। एक परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगता है? हम सभी को सार्वजनिक जीवन का अनुभव है। एक नई रेलवे लाइन को पूरा होने में कितना समय लगता है? नवीनतम रेलवे बजट में कोई नई रेलवे लाइन या नई ट्रेन नहीं हैं। इसका कारण यह है कि पर्याप्त रेलवे लाइनें और ट्रेनें हैं जिनका पहले वादा किया गया था। मंत्री जी जोर दे रहे थे कि उन सभी को पूरा करने में 30 से 40 साल लगेंगे। ऐसी स्थिति में आपको समय की आवश्यकता है।

मेरे सहयोगी श्री बिरेंदर सिंह जी ने एक उचित बात कही है। लैण्ड ऐक्वायर किये हुए 5 साल हो गये, लेकिन कुछ नहीं किया। लैण्ड ऐक्वायर किये हुए 10 साल हो गये, लेकिन कुछ नहीं किया। बाद में, वे उसे प्राइवेट वालों और दूसरे लोगों को बेच रहे हैं, ऐसे विषयों में हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है तो सरकार को उसका ध्यान रखना होगा। एक सदस्य ने मुझे सुझाव दिया कि यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक ने भी ऐसा किया है। यह सब पहले भी हो चुका है। हमें समझना होगा और ऐसे लोगों के अनुभव को मानना होगा जहां इतने वर्षों में इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमें कानून को परिष्कृत करना होगा, हमें कानून की भावना के अनुरूप, भारत की संसद में व्याप्त सामान्य प्रज्ञता के अनुरूप प्रासंगिक नियम बनाने होंगे।

हम अधूरी परियोजनाओं का देश नहीं चाहते हैं। सोचें कि हम अपने देश को भविष्य में कैसे चाहते हैं और हमें उत्तर कैसे मिलेगा और यह समझना होगा कि 5 वर्ष की सीमा कितनी अर्थपूर्ण हो सकती है। कम लागत वाली आवास परियोजनाओं के लिए महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय योजनाएं हैं। अन्य चीजों के लिए भी 10 वर्ष की योजनाएं हैं। आज हम 2022 तक सभी के लिए आवास की बात कह रहे हैं। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। वर्ष 2022 अब से 7 वर्ष दूर है। जब तक आप प्रक्रिया शुरू नहीं करते और हर समय भूमि अधिग्रहण के बारे में ही सोचते रहते हैं, तब तक यह इतना आसान नहीं होगा। ऐसा होता भी नहीं है, इसलिए हमें समय चाहिए। इसके बीच में क्या कठिनाई आई, इसके बारे में भी, मैं सभा को विश्वास में ले सकता हूं।

09.03.2015

मैं आपको विश्वास में ले सकता हूँ और आपके माध्यम से सभा को भी विश्वास में ले सकता हूँ। हमने अपने सांसदों के साथ भी इस पर चर्चा की। उन्हें अपने-अपने जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों से भी प्रतिक्रिया मिली। जैसा कि मैंने आपसे कहा, बाहर कुछ लोग गुमराह हैं और कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, मैं सदन के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। हम अधिनियम की भावना को समझने, लोगों, विशेषकर कृषक समुदाय की व्यावहारिक समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको आश्चस्त कर सकता हूँ कि जब तक चर्चा पूरी होगी, जब तक माननीय मंत्री जी आवश्यक संशोधनों के साथ आएंगे, जब तक हम आपके द्वारा सभा में लाए गए संशोधनों में से कुछ को स्वीकार करेंगे या उनसे निपटेंगे, मुझे विश्वास है कि सभा और देश इस बात से बहुत खुश होंगे कि सरकार किस तरह आगे बढ़ रही है; और केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजा, राहत और पुनर्वास दिया जाएगा, जिसे 100 वर्षों से अस्वीकार किया गया था। उन्हें अपनी भूमि का बाजार मूल्य चार गुना मिलने वाला है; वे केवल विकास और अधिग्रहण लागत का भुगतान करके कुछ मूल भूमि को भी बनाए रख सकते हैं। संस्थानों जैसी सुविधाएं आएंगी। ऐसा नहीं है कि केवल विकसित क्षेत्र ही विकसित हों। जो क्षेत्र विकसित नहीं हैं, वहां आप नहीं चाहते कि कोई संस्थान खुले, कोई संस्थान पहुंचे, कोई राजमार्ग बने।

अब, पंचायत सड़कों को जिला परिषद् सड़क बनाने के लिए; जिला परिषद् सड़कों को राज्य की सड़क बनाने के लिए; राज्य की सड़कों को राजमार्ग बनाने के लिए; राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए; और राष्ट्रीय राजमार्गों में चार लेन को छह लेन और छह लेन को आठ-लेन बनाने के लिए मांग चल रही है। यही बात है। जब ऐसा होता है, तो निश्चित रूप से, कुछ भूमि अधिग्रहित किए बिना, आप देश के विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते; देश के भीतर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन और विनिर्माण किए बिना, आप वास्तव में देश में धन का सृजन नहीं कर सकते। जब आप ऐसा करेंगे तो अपनी आजीविका खोने वाले किसान को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। हमें उसकी और अधिक मदद करने, उसके हाथ मजबूत करने तथा उसे यह एहसास कराने के तरीके और साधन ढूंढने चाहिए कि वह भी विकास का एक हिस्सा है। ठीक है, मेरी एक एकड़ जमीन

09.03.2015

गई, लेकिन मुझे यह मिला। मैं भी इसमें भागीदार हूँ, यह भावना उन्हें देनी है। इसके लिए, हम सभी को वास्तव में इस पर गहन विचार करना चाहिए और उचित निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

आंध्र प्रदेश सरकार नई राजधानी बनाने जा रही है; छत्तीसगढ़ सरकार नई राजधानी बनाने जा रही है।

... (व्यवधान)

अगर आप नहीं चाहते कि मैं बोलू तो मैं बैठ जाऊंगा ... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष :** मंत्री जी बोल रहे हैं। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

... (व्यवधान)

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** मुझे नहीं पता कि जब मैं कुछ बोलता हूँ तो आप लोग हमेशा क्यों उत्तेजित हो जाते हैं।

... (व्यवधान)

**श्री एच.डी. देवगौड़ा (हसन):** हम आपका भाषण सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आप सरकार की तरफ से हस्तक्षेप कर रहे हैं। संबंधित मंत्री जवाब देंगे। जैसा कि आपने सही कहा, इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए। हमें थोड़ा अनुभव है कि चीजें कैसी होंगी, जो लोग विभिन्न देशों से निवेश के लिए आ रहे हैं, वे यहां दान के लिए नहीं आएंगे। आइये हम इस पर पूरी, विस्तृत चर्चा करें। मैं आपको सुनना चाहता हूँ। आप सदन को आश्वस्त कर सकते हैं। यदि आप सदन को आश्वस्त करते हैं, तो हम अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास सीमित क्षमता है। आपकी तरह मैं भी एक *मन्निना मागा*, यानि किसान का बेटा हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे शेक्सपियर और अंग्रेजी का ज्ञान हो, जैसा कि हमारे कुछ अन्य महान नेताओं को है, जिन्हें उन महान विदेशी भाषाओं पर विशेषज्ञता प्राप्त है। मैं अपने तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। ... (व्यवधान) वे शेक्सपियर हैं, मैं कृषक हूँ! ... (व्यवधान) श्री देवगौड़ा ने जो कहा है, उसे मैं सकारात्मक रूप से लेता हूँ। वह एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं। उन्हें कृषि क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता।

09.03.2015

मेरा यह कहना है। हमारे विचार अलग-अलग हो सकते हैं। कभी आप मुझसे असहमत हो सकते हैं; कभी मैं आपसे असहमत हो सकता हूँ। लेकिन हमें असहमत होने के लिए सहमत होना होगा। लोकतंत्र में यही एकमात्र तरीका है। और कोई रास्ता नहीं है।

जब लोगों ने जनादेश दिया था, तब उन्हें पता था कि इस सरकार की सोच क्या है और उन्हें पता था कि श्री नरेन्द्र मोदी जी किस बात के लिए खड़े हैं। जब उन्होंने आपको जनादेश दिया तो आपने कुछ किया। इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। हमारा मानना है कि सत्ता में आने के बाद, हमें जो जनादेश मिला है, उसके अनुसार अधिनियम के कुछ प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता है। इसीलिए इस अधिनियम के कुछ उपबंधों को बदलने का यह विनम्र प्रयास उन्हें और अधिक गरीब-हितैषी, जन-हितैषी और किसान-हितैषी बनाने के लिए किया जा रहा है। यही प्रयास है। आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है। आपको यह कहने का पूरा अधिकार है। आप कह रहे हैं, यहां भाषण से क्या होगा। पार्लियामेंट में भाषण होता है। बाहर भाषण की घोषणा होती है, घोषणा की पोषणा सरकार अपने दफ्तरों में बैठकर करती है। जमीन के ऊपर भी वह घोषणा की पोषणा करती है। कौन घोषणा करते थे, उन घोषणा का पोषण कौन नहीं किया, यह जनता तय करती है, वे लोग देख रहे हैं, वे हमें भी देख रहे हैं, आपको भी देखेंगे, आगे सब के लिए देखते रहेंगे, बाकी लोगों को भी देखेंगे। जो सरकार अभी-अभी आई है, उसे अभी 8-9 महीने ही हुआ है, उसे शाप देना कि तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, ऐसा कहना और लोगों के साथ नाम जोड़ना उचित नहीं है। यह अच्छी बात नहीं है और यही बात मैं विनम्रतापूर्वक विपक्ष के अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ।

महोदय, हम इस बात से सहमत हैं कि आप लोगों को ज्यादा अनुभव है, क्योंकि आप लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। हमारे पास न्यूनतम अनुभव है। न्यूनतम अनुभव के साथ हम दूसरों के अनुभव से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो कुछ लोगों को ठेस पहुँच सकती है। कहा जाता है कि, "बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। मूर्ख अपने अनुभव से सीखते हैं।" मेरा कहना है कि कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कुछ अच्छे कामों से सीखने में कुछ भी गलत नहीं है। अगर बी.जे.पी. सरकार द्वारा कुछ अच्छा किया जाता है तो सीखने में कुछ भी गलत नहीं है। हम कह रहे हैं कि जहां तक किसान के

09.03.2015

कल्याण का सवाल है, जहां तक मुआवजे का सवाल है, हम उसे नहीं छू रहे हैं और दूसरी तरफ हम 13 और अधिनियमों को इसके दायरे में ला रहे हैं ताकि जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें भी मुआवजा और न्याय मिले। यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप विधेयक का अध्ययन कर सकते हैं और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो आप उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

क्या यह हमारी भूल है कि हमने दूसरे सदन में मेरे सहयोगी श्री आनंद शर्मा जी द्वारा अपने पूरे अनुभव के साथ लिखी गई बातों को गंभीरता से ले लिया है? पत्र लिखना कोई सामान्य बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आना और कुछ बताना अलग है। पत्र लिखने का, उसे कागज पर उतारने का अर्थ है कि उन्होंने इसके बारे में गंभीरता से सोचा है। मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। राज्य सभा में इस पत्र को पढ़े जाने के बाद सदन के नेता श्री आनंद शर्मा जी ने कहा कि हाँ, मैंने यह पत्र लिखा है और फिर उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उनका दृष्टिकोण सही था। मेरा कहना है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद यह सरकार इस कानून को लाई है। श्री पृथ्वीराज जी के साथ भी पहले यही हुआ था। पहले या बाद का मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा एक ही दिशा में सोचने का है।

दूसरी बात समय को लेकर है। महोदय, हमारी सरकार तैयार है। हम 9 बजे तक बैठ सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। आइए हम इस पर गहराई से चर्चा करें। इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों को आने दें। सामूहिक बुद्धिमत्ता को प्रबल होने दें। मैं आशा करता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता सेनानी श्री बी.मंत्रा जी, जो बहुत अनुभवी भी हैं, ऐसे महान किसान परिवार से आने वाले व्यक्तियों में से एक हैं जो पूरे देश को जानते हैं। वह ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं। हम किसानों के हितों की रक्षा के लिए यहां हैं। मैं सभा में केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। आइये हम इस पर गुण-दोष के आधार पर चर्चा करें और सार्थक सुझाव दें सरकार नए विचारों और नए सुझावों के लिए तैयार है। धन्यवाद।

09.03.2015

**माननीय उपाध्यक्ष:** मंत्री जी ने अपने भाषण में पहले ही कहा है कि कुछ संशोधनों पर विचार किया जाएगा मेरा सुझाव है कि यदि आप इस पर विचार कर रहे हैं तो इन्हें पहले प्रसारित किया जाए ताकि सदस्य इन्हें पढ़ सकें।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** माननीय मंत्री जी ने इस पर बहुत विस्तृत उत्तर दिया है। उनका हस्तक्षेप ही कमोबेश पूरे विधेयक पर उनका अंतिम जवाब था, क्योंकि उन्होंने सभी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से प्राप्त पत्रों तथा बाहर और अंदर दिए गए सभी बयानों को उद्धृत किया था। जब कोई मसौदा विधेयक होता है, तो यह स्वाभाविक है कि उसे सभी मुख्यमंत्रियों के पास उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजा जाता है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं और उसके बाद विधेयक को अंतिम रूप दिया गया। सरकार का जो मत है, वह विधेयक के रूप में सभा के सामने लाया जाता है और अंततः उसे अधिनियम के रूप में पारित किया जाता है। माननीय मंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों के पत्रों का हवाला दे रहे थे। हर बार ऐसे विधेयक को सलाह के लिए प्रसारित किया जाता है। वह हर जगह जाता है। हर स्टेट को भेजते हैं और हर चीफ मिनिस्टर से पूछते हैं, लेकिन हर चीफ मिनिस्टर का एक ही व्यू नहीं होता। किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का अलग व्यू हो सकता है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का व्यू अलग हो सकता है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का व्यू अलग हो सकता है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का व्यू अलग हो सकता है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का व्यू अलग हो सकता है और इंडस्ट्रियल कोरीडोर स्टेट्स जैसे कोलकाता या मुंबई के चीफ मिनिस्टर्स का व्यू अलग हो सकता है। इसका मतलब यह है कि व्यूज अलग रहें, तो अल्टीमेटली आपको ही फार्मूलेट करना है कि यह बिल सबके हित में हो। सारे देश के हित में इसे फार्मूलेट करना है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री राजीव प्रताप रूडी :** हमने वही किया है। ...(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** आप सुनियो। ...(व्यवधान) मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या किया? सबके हित में क्या ठीक रहेगा, यह देखकर ही हमें यह बिल पास करना है। जब सारे सदस्य कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट

09.03.2015

ने वर्ष 2013 में जो बिल पास किया गया, वह सभी की राय लेकर ही सर्वसम्मति से पास किया गया। स्पीकर महोदया उस कमेटी की चेयरमैन थीं और उनको सब लोगों ने सजैशन्स दिये और सजैशन्स लेने के बाद उसमें जो भी अमेंडमेंट्स लाने थे, वे सारे अमेंडमेंट्स भी उसमें सम्मिलित किये गये। उसमें आपके सजैशन्स भी थे, लेकिन आप उसे नहीं मान रहे और आज यह बता रहे हैं कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर यह बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर यह बोल रहे हैं या फलां चीफ मिनिस्टर यह बोल रहे हैं। ऐसा कहकर आप अपने अमेंडमेंट्स का समर्थन कर रहे हैं। इसी सदन में राजनाथ सिंह जी ने जो बोला, उसे मैं यहां कोट करना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि मुझे लगा कि गांव में रहने वाले किसानों की, गरीबों की ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** यदि खड़गे जी बोल रहे हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वह मुझे जवाब दे रहे हैं, तो यह सही व्यवस्था नहीं है। आप किसी भी चीज का उल्लेख करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे लगा कि वह सिर्फ मुझे जवाब दे रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** मैं इस सभा को बता रहा हूं कि संशोधन कैसे लाए गए और कैसे पिछली सरकार ने आपकी सहमति से निर्णय लिया। लेकिन मेरा यही कहना है कि इस सदन में अगर आप सभी नेताओं के ओपिनियन्स को बहुत महत्व देते हैं तो अपने होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स के ओपिनियन्स को आप क्यों नहीं महत्व दे रहे? सदन में जो बातें आयी हैं, उन्हें आप रिस्पैक्ट नहीं दे रहे। जो बातें बाहर से आयी हैं, उन्हीं को आप मुद्दा बना रहे हैं कि यह ठीक है, इसलिए हम यह कर रहे हैं। क्या ये लोग गलत थे? आपके होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने जो सजैशन्स दिये, क्या वे गलत थे? ...(व्यवधान)

मेरा यह कहना है कि अगर आपको सबको साथ लेकर चलना है और सर्वसम्मति से यह कानून पास करना है तो आप इसे सीधे स्टैंडिंग कमेटी को रैफर कीजिए। स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद सब मैम्बर्स अपना-अपना

09.03.2015

व्यू प्रकट करेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय लेना होगा, वह लीजिए। अगर आप यह कहेंगे कि हमें मैजोरिटी प्राप्त है, इसलिए हम इसे किसी भी हालत में पास कर लेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** आप अपने भाषण के दौरान ये सभी बातें बोल सकते हैं।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** महोदय, मेरे विचार कुछ भिन्न हैं। उन्होंने संशोधनों का सुझाव दिया है लेकिन हम चाहते हैं कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए। हम संशोधनों के पक्ष में नहीं हैं। या तो सरकार को वर्ष 2013 के अधिनियम को वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा वह है, या यदि उसे इस पर कोई आपत्ति है, तो आप इसे स्थायी समिति को भेज दें और फिर सभा को निर्णय लेने दें। हम इसके लिए... (व्यवधान)

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** महोदय, श्री खड़गे जी जवाब देने का प्रयास कर रहे थे और प्रत्येक भाषण के बाद आप सदस्यों को यह सुविधा दे रहे हैं।

**माननीय उपाध्यक्ष:** नहीं, मैं वह अवसर नहीं दे रहा हूँ।

**श्री एम. वेंकैया नायडु:** मेरा सुझाव है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

जहां तक सरकार का प्रश्न है, श्री खड़गे जी द्वारा इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजे जाने के सुझाव के संबंध में, मैं सभा के समक्ष विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि समस्या यह है कि इस अध्यादेश को 05 अप्रैल, 2015 तक कानून में परिवर्तित किया जाना है। सभा की कार्यवाही 20 मार्च को स्थगित होने जा रही है और उसके बाद पुनः समवेत होने का कुछ पता नहीं है। यदि हम बीच में कानून नहीं बनाते हैं, तो अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा। यह व्यावहारिक कठिनाई है।

[हिन्दी]

**श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) :** कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा निर्णय है, कोई बड़ी बात नहीं है।... (व्यवधान)

09.03.2015

**श्री एम. वैकैय्या नायडु :** यह आपका व्यू है, हमारा व्यू नहीं है, मेजोरिटी का व्यू नहीं है, देश का व्यू नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपका व्यू देश का है। मेरे ख्याल से जो मैंने समझा, मैंने सीखा, जो मेजोरिटी में व्यू होता है वही देश का व्यू होता है। अपोजिशन का दूसरा व्यू रहना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका व्यू आपका है और हमारा व्यू हमारा है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री पी. करुणाकरण (कासरगोड):** महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि विधेयक का विस्तार से अध्ययन किया जाना है। इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए।

[हिन्दी]

**श्री धर्मेन्द्र यादव :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत ध्यान से सत्ता पक्ष के तमाम वक्ताओं की बात सुन रहा था, लेकिन अभी तक मैं यह नहीं समझ पाया हूँ कि इनका कौन सा वक्तव्य ऐसा है, जो अंतिम है और इनकी नज़रों में वह सही है। जहां एक ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में कहा कि हम सबको विश्वास में लेकर, सबकी राय लेकर संशोधन करेंगे और वहीं दूसरी ओर माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन से यह कहकर चले जाते हैं कि बहुमत का जो निर्णय होगा, वही निर्णय हो जाएगा। इस सरकार की मंशा साफ है, न तो महामहिम राष्ट्रपति जी की बात मानने को तैयार हैं जिन्होंने अध्यादेशों पर आपत्ति की, न पूर्व माननीय लोक सभा अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में समिति की रिक्मेंडेशन मानने को तैयार हैं जो वर्ष 2013 के मूल आधिनियम में आई हैं और ही अन्य बातें मानने को तैयार है। मैं खड़गे जी की बात सहमत हूँ कि न तो यह गृह मंत्री जी की बात से सहमत हैं और न ही विदेश मंत्री की बात से सहमत हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मंत्री जी, आप किसकी बात से सहमत हैं और आपकी कौन सी बात सच है।

09.03.2015

महोदय, मैं मूल विधेयक में संशोधन के अध्यादेश का अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और अपनी पार्टी के नेता की ओर से पुरजोर विरोध करता हूँ।

[अनुवाद]

**श्री तथागत सत्पथी :** महोदय, कार्य मंत्रणा समिति में हमने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा के लिए आठ घंटे का समय निर्धारित करने का निर्णय लिया था।

महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रियों द्वारा दिया गया कोई भी हस्तक्षेप और उनके द्वारा लिया गया समय, आधा घंटा, या 40 मिनट या 45 मिनट, आठ घंटों में से घटा दिया जाएगा, या इसे उनके पार्टी समय के रूप में गिना जाएगा, या इसे कुल चर्चा समय से बाहर रखा जाएगा... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री धर्मेन्द्र यादव :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन आधिनियम का अपनी पार्टी की ओर पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं इसका विरोध इसलिए भी करता हूँ क्योंकि आधिनियम को पास कराने की मियाद 5 अप्रैल है और माननीय मंत्री जी इसे पास कराने के लिए तमाम तर्क दे रहे हैं। मेरा पहला सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि आखिर इस अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देश के 65 फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं। आपने 65 फीसदी लोगों के भाग्य की परवाह नहीं की और अध्यादेश ले आए और अब कह रहे हैं कि 5 तारीख से पहले पास कराना है। मैं समझता हूँ कि आपको अध्यादेश पारित करने से पहले इस बात पर विचार करना चाहिए था। आपने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पत्रों की चर्चा की है। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस तरह का कोई पत्र नहीं लिखा होगा कि विधेयक लाया जाए। इसका उदाहरण है, 2013 का मूल आधिनियम बहुत से राज्यों ने स्वीकार किया हो या न किया हो, उत्तर प्रदेश राज्य ने इसे स्वीकार किया था। यहां छोटे उद्योगों की चर्चा हुई कि यह उद्योग अधूरा है, वह उद्योग अधूरा है। यहां उत्तर प्रदेश से 73 साथी, भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक बैठे हैं। आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्प्रेस हाइवे परियोजना 10 जनपदों से होकर गुजर रही है। उसके लिए अब तक 3064 हेक्टेयर ज़मीन, 28,233

09.03.2015

किसानों की सहमति से ली गई है। सैंफर्ड में मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम तथा अन्य संस्थाएँ बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन ली। मेरे संसदीय क्षेत्र बदायूँ में किसानों की सहमति से सौ एकड़ जमीन वहाँ के मेडिकल कॉलेज के लिए ली गई। जो लोग बात करते हैं कि किसान सहमत नहीं हैं, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से देश के सामने इस सदन में कहना चाहता हूँ कि उनकी क्षमता नहीं है किसानों को सहमत करने की, उनके ऊपर किसानों को भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता, तो कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आती। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की परियोजना है आगरा से लखनऊ तक की परियोजना है, जो केवल चार महीनों के अंदर हुई है। इसके संबंध में किसानों द्वारा किया गया एक भी मुकदमा नहीं है, कोई असहमति नहीं है, पूरी सहमति के साथ किसानों ने अपनी जमीन दे दी, उत्तर प्रदेश सरकार के भरोसे पर, माननीय आखिलेश यादव जी के भरोसे पर। यह होता है सरकार पर विश्वास। आप पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप जमीन नहीं ले पा रहे हैं।

जहाँ तक ये पाँच संशोधन आये हैं, इनके बारे में हमारे बहुत-से साथियों ने चर्चा की। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री जी अपने जवाब में मुझे समझाएंगे कि आखिर क्या कारण है, जब आप यहाँ बैठे थे, उस समय आदरणीय राजनाथ जी आपके वक्ता थे और वे पार्टी के अध्यक्ष भी थे, वे आज देश के गृह मंत्री हैं और श्री राजनाथ जी ने सदन में जो-जो बातें विधेयक पारित होने के समय कही थीं, उससे आज ठीक उल्टा विधेयक आप बनाकर लाए हैं। हमें नहीं मालूम कि आप श्री राजनाथ जी से नाराज़ हैं, इसलिए उल्टा कर रहे हैं या श्रीमती सुषमा जी से नाराज हैं, इसलिए कर रहे हैं या और लोगों से नाराज हैं, इसलिए आप उल्टा कर रहे हैं, इसे आप जानें, यह आपकी समस्या है, लेकिन देश का किसान आपके इस अध्यादेश को बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय मंत्री जी, यह मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। इसलिए मेरी राय है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है या तो आप इस अध्यादेश को वापस ले लें और यदि वापस लेने में आपको कुछ महसूस हो रहा है, तो इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई कि आप स्टैंडिंग कमेटी को भी इस पर चर्चा करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। यह किनके हितों में कर रहे हैं, इस सदन में कोई नाम ले या न ले, हम लोग तमाम नियमों और परम्पराओं से बंधे हैं, लेकिन पूरा देश जानता है कि किनके हितों में आप

09.03.2015

इस तरह का अध्यादेश ला रहे हैं। इसका क्या कारण है कि किसानों को मुआवजा भी नहीं है, समय से मुआवजा नहीं है, यदि कोर्ट में चले गये, उत्तर प्रदेश की सरकार तो चार गुणा मुआवजा दे चुकी है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान) <sup>12\*</sup>

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री धर्मेन्द्र यादव जी, अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

**श्री धर्मेन्द्र यादव :** आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का जो समय होगा, वह उसमें काउंट नहीं होगा। यदि पाँच साल में काम शुरू नहीं हुआ, तो भी आधिग्रहण की जमीन किसानों को वापस नहीं होगी। मूल आधिनियम जो, वर्ष 1894 के बाद वर्ष 2013 में बनाया गया, उस पर पूरे देश के लोगों ने वर्षों चिन्तन करके बनाया, एक-एक संशोधन हुआ, वह सर्वसम्मति से सदन में पारित हुआ। इसे आधिकांश राज्यों ने स्वीकार भी नहीं किया और उसमें कमी भी निकल आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे स्वीकार भी किया और बिना कोई कमी निकाले उस आधिनियम का पालन करके किसानों की जमीन लेकर भी दिखाई है। लेकिन देश के अंदर अंधेर हो रहा है, आपसे हम उम्मीद लगाये हैं, पूरे देश के किसान उम्मीद लगाये हैं कि इस समय पर किसानों की रक्षा करेंगे। आपने कहा, क्या जो अधिकारी गलती करेगा, क्या उस विभाग का मुखिया न्यायालय में मुकदमा चलाने की अनुमति देगा? ऐसा तो वर्ष 1894 में भी नहीं हुआ था।

**सायं 06.00 बजे**

आप क्या काम करने जा रहे हैं? अधिकारियों के ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता है। पर्यावरण का असेसमेंट नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? यह दिखाई नहीं दे रहा है कि जावेड़कर जी का मंत्रालय इसके बाद क्या

---

<sup>12\*</sup> कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

09.03.2015

करेगा, जब पर्यावरण का असेसमेंट ही नहीं होगा। ऐसे हर कानून जिनसे किसी तरह भी किसानों की जमीन ले ली जाए, हमारा न केवल इस विधेयक के लिए पुरजोर विरोध है, बल्कि हमारी सरकार से मांग है कि इसे वापिस लिया जाए। जिन किसानों की जमीन आधिगृहत हो रही है, चाहे वे किसी भी नियम के माध्यम से हो, वे सही नहीं हैं।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब 6 बज गए हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम सभा का समय एक घंटा बढ़ा सकते हैं, अर्थात् 7 बजे तक।

**कई माननीय सदस्य:** ठीक है।

**माननीय उपाध्यक्ष:** सभा की कार्यवाही को 7 बजे तक बढ़ाया जाता है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री धर्मेन्द्र यादव:** महोदय, आज यह स्थिति सरकार ने कर दी है कि न तो किसान न्यायालय में जाएंगे और न ही जमीन वापिस की जाएगी।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की बैठक सांय 6.30 बजे है। इसलिए वे कल भी बोल सकते हैं या सांय 6.30 बजे तक बोल सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री धर्मेन्द्र यादव:** उपाध्यक्ष जी, अगर कल इस विषय को जारी रखना है, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** अन्य सदस्य भी बोल सकते हैं।

09.03.2015

[हिन्दी]

**श्री धर्मेन्द्र यादव:** महोदय, हमारा इस बिल पर पुरजोर विरोध है और हम सरकार से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इसे वापिस लिया जाए। आदरणीय मोदी जी ने सदन में कहा था कि अगर कोई आपत्ति होगी तो उसे विद्वड़ा भी किया जाएगा। आदरणीय मंत्री जी, मैं आपको किसान नेता के रूप में जानता हूँ लेकिन इस विधेयक को पारित करने के बाद देश के किसानों की नज़रों में आप क्या होंगे, आपकी छवि क्या होगी, इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। मेरी आपसे मांग है कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में ले जाएं या इसे वापिस लीजिए। आप संख्या के बल पर इसे जबरदस्ती पास करवा सकते हैं, यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। आपको देश की जनता ने बहुमत दिया है, आप कुछ भी करा सकते हैं। बहुमत में इमरजेंसी भी लग गई थी, बहुमत में और भी काम हुए थे। आपने बहुमत के बाद दुर्दशा भी देखी होगी। हमने कीर्ति आजाद जी को भी सुना और वैकैय्या जी को भी सुना, लेकिन आज जब मैं उनकी बातों को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि उनकी बातों में, उनके तर्क में कोई दम नहीं था। वैकैय्या जी कारखानों की चिंता कर रहे थे। आप गरीबों के आवास की बात करते हैं, आप कौन-सी जमीन एक्वायर करके गरीबों को आवास देने जा रहे हैं। कीर्ति जी दरभंगा की चिंता कर रहे थे। आप बताएं कि आप दरभंगा में कौन-सा उद्योग लगाने जा रहे हैं और किस तरह की जमीन का आधिग्रहण करने जा रहे हैं। ये सभी बातें आपके सामने हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर सरकार द्वारा लाए गए संशोधन आधिनियम का न केवल पुरजोर विरोध करता हूँ, बल्कि मैं निवेदन भी करता हूँ कि इस आधिनियम को वापिस लें। अगर इस आधिनियम को वापिस नहीं लिया जाएगा तो देश में किसानों की और ज्यादा दुर्दशा हो जाएगी। हमें खुशी होती अगर आप कहते कि जिस किसान की भी जमीन ली जाएगी, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, उसके जीवन की जिम्मेदारी उठाएंगे... (व्यवधान) ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप हमें दिखा दें, ऐसा कोई संशोधन नहीं है। हमने भी आधिनियम को पढ़ा है, ऐसा कोई संशोधन नहीं है। आपको किसानों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक साथी सुझाव दे रहे थे कि अगर उद्योग जरूरी हैं तो उसके लिए लीज का इंतजाम कर दो। किसानों को आजीवन किराया भी मिलेगा। हम इससे सहमत हैं। इससे उनके परिवार के लोगों को रोजी-रोटी भी मिलेगी और उनका

09.03.2015

भविष्य भी सुरक्षित होगा। ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं, जिन्हें मैं समझता हूँ कि इस सरकार को मानना चाहिए और हो सके तो इस विधेयक को वापिस ले कर जो मूल आधिनियम है, उसे ही लागू रहने देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बहुत जिम्मेदारी से सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप बिना व्हिप के वोटिंग करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आधिकतर सांसद क्या चाहते हैं। जो वोटिंग करने वाले लोग हैं, अगर वे जनता के बीच चले जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा... (व्यवधान) अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कल इस बिल को पास करने के बाद जनता के बीच जा कर दिखा देना। आप अभी भी जनहित में, किसानों के हित में विद्वृत्त कर लीजिए। यह आपका बड़प्पन होगा। मंत्री जी अगर आप इसे वापिस नहीं करोगे, तो पास करने के बाद जनता के बीच जा कर दिखा देना, आपको भी पता चल जाएगा कि देश की जनता क्या चाहती है। जनता का विश्वास जीतना सीखो। जनता का विश्वास जीत लेंगे, तो किसान अपना खेत देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। उदाहरण के तौर पर लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे है। उदाहरण के तौर पर सैफई की तमाम परियोजनाएं हैं। सुप्रिया जी महाराष्ट्र की चर्चा कर रही थीं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप उनकी पृष्ठभूमि देखिए। वहां की सरकारों ने जो प्रयास किए, आप उसे देखिए। आपने पी.पी.पी. वालों की 80 प्रतिशत कंडिशन हटा दी है, 70 प्रतिशत सरकार वाली कंडिशन हटा दी। राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे थे और देश में उनकी पार्टी क्या कर रही है। अब मैं क्या यह मानूँ कि राजनाथ सिंह जी की दोहरी भाषा है या उनकी पार्टी में उनकी बात नहीं मानी जा रही है, यह मुझे नहीं पता है। यह तो भाजपा के लोग ही जान सकते हैं। मेरी मंशा है कि यह विधेयक वापिस होना चाहिए। किसानों के लिए जो काला कानून आ रहा है, वह किसी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए। यह हमारी अपील है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

**श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) :** धन्यवाद, उपाध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से एक आति महत्वपूर्ण मुद्दा, जो मुद्दा ही नहीं है, हमारी 65 से 70 प्रतिशत आबादी के जीवनयापन की बात है, यहां उठाना चाहती हूँ। मुझे वह प्रधान मंत्री याद आ रहे हैं जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था, जिन्होंने हिन्दुस्तान के दो स्तम्भों की बात की थी। पहला स्तम्भ हमारे जवान, हमारे सैनिक हैं, वे रात भर, चाहे सर्द हो या गर्मी हो, जागते हैं, तभी हम सुरक्षित सोते हैं। दूसरा स्तम्भ किसान है, जो कड़ी मेहनत से अनाज उपजाता है, तब हमारे पेट में भोजन जाता

09.03.2015

है। आज सत्तापक्ष में बैठे लोगों का एक ही नारा समझ में आता है - जय उद्योगपति, किसानों का शोषण, उद्योगपतियों का विकास, यही है बीजेपी की सरकार। मैं बैठे हुए सोच रही थी, नायडु साहब ने बहुत कुछ कहा, जिस तरह इतनी अच्छी बातें किसानों के बारे में कहीं, अगर वे जमीन पर भी उतरतीं तो निश्चित रूप से हम लोग इस अध्यादेश का समर्थन करते। लेकिन सच्चाई से अवगत नहीं हैं या सच्चाई को छिपाकर चन्द उद्योगपतियों को फायदा दिलाना चाहते हैं, जिसके उनको बहुत जल्दी है। आज इसी कारण से यह अध्यादेश लाया गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूँ कि आज के दौर में वर्ल्ड के सर्वे में कहा गया है कि इस साल खेती से किसानों का मोहभंग हो रहा है, वे खुद खेती छोड़कर ठेला लगाना चाहते हैं, सब्जी बेचना चाहते हैं। वे अपनी जमीन बिल्डर को बेचकर तीन फ्लैट लेकर उसके किराए से अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। सर्वे कहता है कि गांव के 40 करोड़ लोग, उनमें 80 प्रतिशत निश्चित तौर से किसान होंगे, वे शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनका खेती से मोहभंग हो गया है। अगर किसान का खेती से मोहभंग हो गया है तो यह अध्यादेश क्यों लाया गया है? कौन सा ऐसा किसान है जो रेलवे के लिए या डिफेंस के लिए जमीन नहीं देना चाहता है। कौन सा ऐसा किसान है जो सरकारी अस्पताल के लिए जमीन नहीं देना चाहता है। कीर्ति आजाद जी बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे थे, लेकिन बड़ा दुख होता है, हम सांसदों को गांव जाकर वहां की स्थिति को जरूर समझना चाहिए। मैं दावा करती हूँ कि मिथिलांचल और कोसी के सारे किसान, वहां कुसहा का बांध टूटने के बाद जमीन बलुवाही हो गयी है, वहां रेलवे का प्रोजेक्ट लाइए, हम लोग आपको गांव की जमीन दिलाएंगे। वहां अगर आप फैक्टरी लगाएं तो हम लोग जमीन दिलाएंगे। हम उद्योगों की बातें करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं कि उद्योग लगेंगे, किसानों को फायदा होगा, आप जमीन आधिग्रहण करने से पहले जो उद्योग बन्द पड़े हैं, जितनी चीनी मिलें और जूट मिलें बन्द हैं, उनको चालू करने के लिए आप उद्योगपतियों को क्यों नहीं कहते हैं? कोसी में वे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां रेवेन्यू नहीं है। आखिर जब गांवों की 40 करोड़ आबादी पलायन करना चाहती है तो ऐसी क्या वजह है कि इतनी जल्दी अध्यादेश लाया जा रहा है? निश्चित तौर से किसान अपनी जमीन चुपचाप देने को तैयार है। चार गुना रेट की जो बात कह रहे हैं, आपने कौन सा नया काम किया

09.03.2015

है, वर्ष 2013 में हम लोगों ने उसे बढ़ाकर चार गुना किया है। चार गुना क्यों, खेती की जमीन करोड़ों रुपयों के भाव बिकती है। सर्कल रेट कुछ और होता है और हम सबको मालूम है कि बाजार भाव जमीन का क्या होता है। किसान से मात्र जो जमीन 25,000 रुपए या 50,000 रुपए में ली जाती है, बिल्डर उसी जमीन पर मकान बनाने के बाद एक करोड़ रुपए और उससे भी आधिक दाम पर बेचता है। आप आखिर किसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कहते हैं कि हम चार गुना देंगे, 25,000 रुपए के बदले में एक लाख रुपए दे देंगे। जब बिल्डर वहां बिल्डिंग बनाता है, तब उसे उसका शेयर क्यों नहीं देते हैं।

मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सर्वे की रिपोर्ट देखें। आप बताएं कि रेलवे के ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं, जो लैंड एक्वीजिशन के कारण रुके हुए हैं और रक्षा के मामले में कितने प्रोजेक्ट्स हैं, जो लैंड एक्वीजिशन के कारण रुके हुए हैं कि वहां के लोग जमीन देने के लिए सहमत नहीं थे। रियल इस्टेट वाले और उद्योगपति अपने फायदे के लिए जमीन लेते हैं, उन्हें किसानों से कोई सरोकार नहीं होता है। आप रक्षा के लिए बिल लाएं, रेलवे के लिए बिल लाएं, हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन रियल इस्टेट के लिए और उद्योगपतियों के लिए बिल लाएंगे तो हम उससे सहमत नहीं होंगे। इसी तरह से यह जो संशोधन बिल है, यह किसानों को रोड पर लाने का काम करेगा।

मैं 'सेज़' के बारे में कहना चाहती हूँ। जब स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन आया, पंजाब को उसके पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां का किसान रात-दिन कड़ी मेहनत करके दो जून की रोटी कमाता था और उसी में सुखी रहता था। पूंजीपतियों ने और कार्पोरेट जगत ने उन्हें बैठे-बिठाए पैसा दिखाया और कहा कि आपकी जमीन पांच करोड़ रुपए में बिक जाएगी, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। यह मिसाल है पंजाब कि आज वहां बहुत से ऐसे किसान, जिन्हें दो करोड़ रुपए, तीन करोड़ रुपए इकट्ठे मिल गए। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने गाड़ियां खरीद लीं और पैसा इधर-उधर कर दिया। अंत में यह हुआ कि वह बेकार हो गया। हमारे प्रधान मंत्री जी हुनर की बात करते हैं। किसान का हुनर किसानी है और इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता है। उससे हुनर छीनकर उसे पैसे दे दिए, उसका नतीजा यह निकला कि आज पंजाब में बड़ी-बड़ी महंगी गाड़ियां हैं, मकान हैं, लेकिन वहां के आधे से ज्यादा किसान नशे के शिकार हो गए हैं।

09.03.2015

हमारा देश जो 65-70 प्रतिशत कृषि पर आधारित है, जहां कृषि ही लोगों का आस्तित्व है। उनकी लाशों पर लांघकर हम पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो यह संशोधन बिल लाए हैं, हम इसके विरोध में हैं। इसलिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसका 80 फीसदी लोग विरोध कर रहे हैं, उसे नहीं चाहते हैं।

मैं दो-तीन बातें और आपको याद दिलाना चाहूंगी। जो विश्व बैंक का सर्वे आया है। राजीव गांधी जी ने बहुत पहले आदिवासी जो जमीन और जंगल को अपनी माँ मानते हैं, नेचर को नेचर की तरह रखना चाहते हैं। जब उन्होंने उस वक्त जमीन नहीं देने का फैसला किया। इसे लेकर काफी जन-आंदोलन हुआ। तब राजीव गांधी जी के जमाने में संविधान में 73वां संशोधन हुआ। सन् 1992 में 'पेसा' कानून बनाया गया। इसके तहत सुनिश्चित किया गया कि आदिवासी बाहुल्य एरिया में ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन का आधिग्रहण सरकार नहीं कर सकेगी। बाद में समता जजमेंट में आया कि जिसने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है आदिवासी जमीन का उत्खनन सिर्फ आदिवासी करेगा और व्यक्तिगत रूप से कोआपरेटिव बनाकर करेगा। लेकिन उसके बाद जो आप यह अध्यादेश ला रहे हैं, हम सबको मालूम है कि ओडिशा में बहुत सारे खनन के उद्योग जो बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कारण लम्बित हैं। झारखंड में भी लम्बित हैं, मैं किसी उद्योगपति का नाम यहां नहीं लेना चाहती। किसी उद्योगपति को 10,000 एकड़ जमीन चाहिए और किसी को 30,000 एकड़ जमीन चाहिए। उन आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है, किसान के हित के लिए नहीं लाया गया है। इसलिए यह अध्यादेश सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि यह अध्यादेश उस वक्त की याद दिलाता है जब दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश था, वहां सोने की खानें थीं। उन खानों से सोना निकालने के लिए अंग्रेज वहां पूंजीपतियों को लेकर आते थे, तो वहां के लोगों से कहते थे कि आप भागो और इनसे कहते थे कि आप जितनी जमीन चाहोगे हम दे देंगे। मुझे लगता है कि आज के दौर में मोदी जी जिस तरह से कर रहे हैं यह वाइब्रेंट गुजरात और इस तरह के तामझाम वाला अध्यादेश है।

09.03.2015

मैं यह कहना चाहूंगी कि कानून सबके लिए होता है। बहुत सी ऐसी जमीन हैं, दिल्ली में ही हैं, जहां उद्योगपति रहते नहीं हैं, लेकिन कई एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन हम उनकी सम्पत्तियों को जब्त नहीं करेंगे। कानून सबके लिए है, लेकिन उद्योगपतियों की सम्पत्ति पर धावा नहीं बोल सकते। निशाने पर आदिवासियों की जमीन है, वहां की खनिज सम्पदा, लौहा और कोयला है।

मैं अंत में अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहूंगी कि सत्ता को बरकरार रखने के लिए हम सब जानते हैं कि राजनीति कैसे चलती है। उद्योगपतियों को इतना बढ़ावा मत दीजिए कि देश को सींचने वाली जमीन ही देश से विलुप्त हो जाए। आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से यह बिल लाए हैं, आपको सबक लेना चाहिए कि आप नौ महीने में दिल्ली से साफ हो गए हैं और मुझे लगता है कि आप चंद सालों में पूरे हिन्दुस्तान से साफ हो जाएंगे, अगर इसी तरह से किसानों की जमीन पर कब्जा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।

09.03.2015

**श्री भगवंत मान (संगरूर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, यह अध्यादेश पहली नज़र में पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला लग रहा है। इस देश में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। किसान धरती को मां का दर्जा देता है। गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है- पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महाता। पानी को पिता का दर्जा, हवा को गुरु को दर्जा और धरती को मां का दर्जा दिया गया है। मां की कोई कीमत नहीं होती है और मां को छीनने का अधिकार भी किसी को नहीं देना चाहिए है। किसान तो पहले से ही खुदकुशी कर रहे हैं। किसान तो पहले से फसलों के भाव न मिलने की वजह से कर्जई हो गए हैं। किडनियां बेच-बेच कर अपनी बेटियों की शादियां कर रहे हैं। ऊपर से दोहरी मार है कि सरकार स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से मुकर गयी है। उनको फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं और आप उनसे जमीन छीनने का अधिकार ला रहे हैं। पहले 80 परसेंट किसानों की सहमति की आवश्यकता चाहिए थी, अब कह रहे हैं कि हम आपसे पूछेंगे नहीं, हम तो आपको बताएंगे कि आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसको अक्वायर कर लिया है।

महोदय, यह काला कानून है। जो रस्से बैल के गले में घुंघरू बांधने के लिए बने थे, वे आज किसान के गले का फंदा बन चुके हैं। ऐसे काले कानून से आप किसानों का जो नुकसान कर रहे हैं, उसके बारे में शायद सरकार को भी अंदाजा नहीं है। पूरे देश में किसानों के लम्बे संघर्ष के बाद कांग्रेस की सरकार ने यह कानून बनाया था, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी आ गयी है कि 5 अप्रैल से पहले इसको पारित करना है। बीजेपी सरकार बहुमत का गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध करता हूँ। जिस दिन हमने सदन से वॉकआउट किया था, उस दिन केवल एक पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया था। वह पंजाब से रिलेटिड है और किसानों की पार्टी कहलाती है। उसका नाम शिरोमणि अकाली दल है। वह बैठे थे, शायद अपनी मिनिस्ट्री को बचाने के लिए। वे शायद पंजाब के किसानों के बच्चों का गला दबाने तक जा रहे हैं।

09.03.2015

महोदय, इस बिल के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर इस बिल को सरकार वापस ले ले तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन्हें यह बिल वापस लेना होगा, क्योंकि पूरे देश में किसान आंदोलन करने वाले हैं। ऑलरेडी अन्ना हजारे जी इस बात पर जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए धरना दिया है। हमारी पार्टी के पास टाइम कम है, लेकिन कविता एक ऐसा माध्यम है, जिससे कम शब्दों में बड़ी-बड़ी बातें कही जा सकती हैं। जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी वाले मेरे साथी ध्यान से सुनेंगे और अगर अच्छी लगे तो मैज भी थपथपा देना, क्योंकि वोटिंग तो आप व्हिप से करेंगे, अगर दिल से करेंगे तो मेरे ख्याल से स्क्रीन पर रिजल्ट उल्टे आने वाले हैं। मैं कविता के माध्यम से सरकार से दस महीने के कामकाज के बारे में पूछना चाहता हूँ कि-

अपने सूट का रेट दस लाख से करोड़ों पार किया।

किसानों की फसलों के भाव बढ़ाने से इंकार किया।

महंगाई ने लोगों की नाक में दम कर दिया है।

तेल का रेट जितना कम हो जाना चाहिए था, क्या उतना कम कर दिया है?

काले धन पर यू टर्न, स्वामीनाथन पर यू टर्न,

15-15 लाख रुपये लोगों के खाते में कब डलवाने वाले हैं?

अब तो सरकार जी बता दीजिए, अच्छे दिन कब आने वाले हैं?

जन-धन योजना में लोगों से सौ-सौ रुपये उधार ले लिया।

किसानों की जमीनों को छीनने का भी अधिकार ले लिया।

किसान तो खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग इलाज के बिना मर रहे हैं।

प्रधानमंत्री जी विदेशों की सैर कर रहे हैं।

क्या मन की बात सिर्फ रेडियो पर ही बताने वाले हैं?

09.03.2015

चलो रेडियो पर ही बता दो, अच्छे दिन कब आने वाले हैं?

पंजाब को बर्बाद कर दिया नशे और कैंसर की बीमारी ने,

महंगाई ने, गुंडागर्दी ने, गरीबी ने और बेरोजगारी ने।

पंजाब को बर्बाद कर दिया नशे और कैंसर की बीमारी ने, महंगाई, गरीबी, गुंडागर्दी और बेरोजगारी ने, मुझे यह बता दीजिए कि क्या अब कोई बेघर भी घर वापसी करेगा, आम आदमी कब तक धर्म के नाम पर मरेगा, हम तो ऐसे काले कानूनों के विरुद्ध ऐसे ही संसद में आवाज उठाने वाले हैं, हम उतनी देर कहीं नहीं जाने वाले हैं, जितनी देर आप यह नहीं बताने वाले हैं कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया।

09.03.2015

[अनुवाद]

**नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या हम विषय के लिए प्रासंगिक हैं? क्या हमें घूमना होगा और साबित करना होगा कि दुनिया गोल है? ... (व्यवधान) मुझे अपनी राय रखने का अधिकार है। ... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** कृपया अपनी सीट पर बैठें।

... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** कृपया मेरी बात सुनें। एक मंत्री के रूप में आप यह सवाल पूछ रहे हैं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।

... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** सामान्यतः हम माननीय सदस्यों से इस विषय पर बोलने की अपेक्षा करते हैं। यदि वे विषय से परे जाकर कुछ बातें जोड़ रहे हैं तो हम उन्हें रोक नहीं सकते। अगर यह असंसदीय है, तो हम उन्हें रोक सकते हैं। अन्यथा उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। हम उनसे केवल इस विषय पर बोलने का अनुरोध कर सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ।

09.03.2015

[हिन्दी]

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** उपाध्यक्ष महोदय, 1894 के बाद इस देश की सदन को किसानों की चिंता हुई है। पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसके बाद यू.पी.ए.-2 और यू.पी. ए.-2 के बाद वर्तमान सरकार है। यह एक ऐसा कानून है जो ब्रिटिश सरकार से भी कड़ा कानून है और ब्रिटिश सरकार के कानूनों को हम सब 120 सालों तक इस देश में चलाते रहे हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आती कि पूंजीपतियों के बारे में राजस्थान में एक कहावत है, जो नटवा लोग होते हैं, जब किसी के घर में बच्चा होता है तो वे नाचते हैं, सारे शहर में हल्ला हो गया और लल्ला के घर में बल्ला हो गया। ये पूंजीपति सबके घर में नाचते रहते हैं, कभी इधर, कभी उधर नाचते हैं, लेकिन नाचते दोनों के घरों में हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। यह किसी एक के घर के मालिक नहीं हैं। यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार जिसकी भी बनी हो, नेता जितना भी बड़ा हो, उसका कहीं न कहीं निजी स्वार्थ और पूंजीपतियों के साथ नेता और बिचौलिये का स्वार्थ कहीं न कहीं छिपा हुआ है, यह एक गुप्त एजेंडा है और हम गुप्त एजेंडा से बाहर नहीं जा सकते, हमाम में सब ...\* हैं। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक ...\* है, हम सब लोग यहां इस सदन में ...<sup>13\*</sup> हैं और पूरा देश इस बात को देख रहा है।...(व्यवधान)

हम बहुत ही विनम्र तरीके से कहना चाहेंगे,

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** असंसदीय शब्द रिकार्ड में नहीं जा सकते।

[हिन्दी]

**श्री राजेश रंजन:** यह अनपार्लियामेंट्री नहीं है, हमने कहा कि हम सब लोग, उपाध्यक्ष जी, यह कहावत है, हमाम में सब ...\*। यह कहावत चरितार्थ है, इसमें अनपार्लियामेंट्री शब्द कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि गांव, घर में एक कहावत है - जिसकी बात एक, उसका बाप एक, जिसकी बात

<sup>13\*</sup> कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

09.03.2015

दो, उसके बाप दो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम राजनीतिक लोग चुनाव के पहले कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ हो जाते हैं तो क्या हम लोग उसी श्रंखला की एक कड़ी हैं कि हमारी जबान कभी एक नहीं रहती और हम हमेशा बदलते रहते हैं और फिसलते रहते हैं।

अब किसान पर बहुत कहावत हो गई, बहुत चर्चा हो गई। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि राजा जब होता है, तो प्रजा की बदौलत होता है। जनतंत्र और लोकतंत्र, तंत्र जन का और तंत्र लोक का, लेकिन अब लगता है कि जन और लोक दोनों को हटा दिया जाए और उद्योगपति तंत्र तथा बिचौलिया तंत्र, दो तंत्र का समावेश कर के सदन चलाया जाए, देश चलाया जाए, जनतंत्र और लोकतंत्र की मूल अवधारणा यही बच गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि यह जो जमीन है यह किसानों की प्राणशक्ति और जीवनशक्ति है। आप किसी की प्राणशक्ति और जीवनशक्ति को कैसे छीन सकते हैं? आप देश का विकास जरूर कीजिए। विकास की चिंता आपको अभी हो गई। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और हिंदुस्तान के बड़े से बड़े साहित्यकार, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े कवि, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े संत और आध्यात्मिक व्यक्ति इस देश के किसानों के लिए, इस देश के गरीबों के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहे हैं। लेकिन सदन में बैठने वाले जो हम लोग हैं, उनकी चिंता विकास को लेकर है, मेरी भी चिंता है। उपाध्यक्ष जी, दुर्भाग्य से मेरे छरदादा की नौ बीघा जमीन थी। अब हम 80 बीघा जमीन पर आ गए हैं। हमारे पिता के आने के बाद नौ हजार से 80 बीघा जमीन पर हमारी हिस्सेदारी बची है। किसानों की स्थिति आपको मैं अपने से बता सकता हूँ और मुझे भी दर्द है, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जिस विकास की बात आज हो रही है, आप सब लोग कहीं न कहीं पढ़े-लिखे लोग हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 82 प्रतिशत खनिज, कोयला, अवरक आदिवासियों के इलाके में है। क्या कारण है कि आज़ादी के बाद, उलहौज़ी के कानून के 120 सालों में हिंदुस्तान में आदिवासियों का विकास नहीं हुआ। जब विकास की बात होती है तो हिंदुस्तान के जो मूल आदिवासी थे, हम लोग मूल आदिवासी थे, कोई जाति, धर्म और मज़हब नहीं था, जिस हिंदुस्तान में आज तक चाहे नर्मदा बांध का सवाल हो, चाहे हिंदुस्तान में जितने आंदोलन हुए हैं, सबसे अधिक शोषण हिंदुस्तान के मूल में यदि उद्योगपति, पूंजिपति और नेता के द्वारा हुए हैं, तो आदिवासियों के शोषण आधिक संख्या में हुए

09.03.2015

हैं। जब उनके पास सारी संपत्ति, सारा जंगल, जमीन होने के बावजूद भी आदिवासी का विकास नहीं हो सका तो आप किस विकास की बात करते हैं? बगैर आध्यात्मिक, बगैर आर्थिक, बगैर जीवनपद्धति के किस तरह का विकास होगा? हिंदुस्तान में आपके पास किसान की कितनी जमीन है?

अभी रंजीत जी सही कह रही थीं कि इसी दिल्ली में सैंकड़ों-सैंकड़ों हज़ारों एकड़ जमीन पूंजिपतियों के फॉर्महाऊस की है। उस फार्महाऊस की चिंता सरकार क्यों नहीं करती है? कितने ऐसे लोग हैं, जिनके दिल्ली में फार्महाऊस हैं? उन फार्महाऊसों को क्यों नहीं लिया जाता है? लेकिन गांव की उपजाऊ जमीन को यदि आप रक्षा के लिए लेने की बात करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि भूख से मर जाए हिंदुस्तान का किसान, इससे बेहतर है कि पाकिस्तान की गोली से एक बार में ही मर जाना। हिंदुस्तान में रक्षा के नाम पर किसानों के बलिदान को कबूल नहीं किया जा सकता है। रक्षा बने, उसके लिए जमीन की कमी नहीं है। वीरेंद्र बाबू पुत्रवत हैं और भातृवत हैं हम आपके, आपकी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। नरेंद्र भाई मोदी ने जिस बात को बार-बार कहा है, आप चाहे जितना अच्छा विकास कर लें, जितनी अच्छी बात कर लें और भाषण दे दें, आपके बारे में पूरे देश में कॉरपोरेट घराने की वकालत करने की छवि बन रही है। इसकी चिंता आपको करनी चाहिए कि आप क्या इमेज बना रहे हैं? निश्चित रूप से आप नौजवान और किसान की बात करते तो हैं, भाषण तो बेहतरीन देते हैं, दुनिया में आपसे अच्छा भाषण शायद अभी कोई न दे। लेकिन आपकी इमेज पूरे मुल्क में निश्चित रूप से बदल रही है। इस बात की मूल चिंता आपको होनी चाहिए और मैं आपको आगाह कर रहा हूँ।

मैं तीन-चार बातें कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, यदि आप सही मायने में, कांग्रेस ने क्या दिया, क्या कहा, क्या कानून लाए, आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप 70 प्रतिशत किसानों से पूछ लीजिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक तो आप उपजाऊ जमीन को किसी कीमत पर न लें। मंत्री जी, यदि उसे लेना आपकी मजबूरी होती है तो उस जमीन के बदले किसानों को कहीं और जमीन खरीदकर दें, उसी लागत में जमीन खरीदकर दें और यदि आप जमीन खरीदकर देते हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि सिर्फ खरीदने से नहीं होगा, जिस समाज के लोग दूसरी जगह पर जाएंगे, सांस्कृतिक रूप से आपको उसका भी आवरण करना होगा कि वह कैसे वहाँ पर उस जमीन को उपजाऊ बनाए। मंत्री महोदय, मैं सबसे बड़ी बात आपसे कहना चाहूंगा

09.03.2015

कि आप तब तक उसके परिवार को मुआवजा और उसका शेयर रखें, रेलवे में उसे तब तक नौकरी देते रहें, जब तक कि वह सही तरीके से अपनी उस जमीन में लागत से काम नहीं कर पाता है।

दूसरी चीज, यदि आप रेलवे के लिए या किसी भी अन्य चीज के लिए भूमि आधिग्रहण करते हैं तो मैं कहूँगा कि किसी भी कीमत पर आप उस भूमि आधिग्रहण का मुआवजा न दें। या तो आप उस जमीन को उससे किराये पर लें और उस किराये को आप लगातार आजीवन, पीढ़ी-दर-पीढ़ी किसान के बच्चों को दें। किसान के बच्चों को किराये के रूप में उसका मुआवजा मिलता रहेगा ताकि उसे दिक्कत न हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी रेलवे में या सरकार के द्वारा जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, उसमें उसे कैसे नौकरी मिले, आप इसकी पूरी सुव्यवस्थित व्यवस्था करें। ऐसा नहीं कि मात्र इस पीढ़ी के लिए, लगातार पीढ़ियों के लिए आप ऐसी व्यवस्था करें।

दूसरा, निजी क्षेत्रों में जो आप उद्योगपतियों को जमीन देना चाह रहे हैं, उसे दें, कोई दिक्कत नहीं है, जो बंजर भूमि है, वह उनको दें। यदि देना जरूरी है तो उसमें किसानों को शेयर होल्डर बनाएं। किसानों को उसमें शेयर होल्डर दें। मंत्री महोदय, मुआवजे से किसानों की जिन्दगी नहीं बनेगी। शेयर होल्डर का मतलब है, उसके विकास के साथ उसमें उसका उतना शेयर, जिससे उसके पूरे परिवार की जीविका चल सके। इस शेयर होल्डर के बगैर आप किसी भी तरह का भूमि आधिग्रहण करते हैं या कोई कानून लाते हैं तो यह किसान के हित में उचित नहीं होगा।

तीसरा, मैं सबसे बहुत विनम्र तरीके से कहना चाहूँगा। मंत्री महोदय, आप जानते हैं कि किसान तीन बार फसल को पैदा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसान की पूरी जमीन का आप आधिग्रहण कर लेंगे तो आपके पास खाने की जो सम्पदा है, क्या उसे आप विदेश से लाएंगे? ऐसा करने से वह खत्म हो जाएगा।

महोदय, आपके माध्यम से हम बहुत ही विनम्र तरीके से कहना चाहेंगे कि इस हिन्दुस्तान की आत्मा में किसान है और किसान की आत्मा में हिन्दुस्तान है। जिसके लिए सरदार पटेल ने, जिसके लिए महात्मा गाँधी

09.03.2015

ने, जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश को, पूरे मुल्क को जंग के लिए खड़ा किया था, आज ऐसा न हो कि हिन्दुस्तान का किसान एक बार पुनः सिंगूर और नन्दीग्राम की तरह जंग के लिए खड़ा हो जाए।

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। हम आपसे बहुत ही विनम्र तरीके से कहना चाहेंगे कि मैं किसी डेटा में नहीं गया, मेरे पास पूरा डेटा है, मेरे पास पूरी जानकारी है, मैं उसमें नहीं गया हूँ। मैं कविता और फकीरा में नहीं गया हूँ। मैं सिर्फ आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप किसान की चिन्ता करना चाहते हैं तो उस जमीन पर सिंचाई कैसे हो, जो किसान की जमीन उपजाऊ नहीं है, उसे कैसे उपजाऊ बनाया जाए, इसकी चिन्ता आपको करनी चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि कोआपरेटिव सिस्टम, कृषि को उद्योग का दर्जा कैसे मिले, इस पर भी आपकी गहरी चिन्ता होनी चाहिए।

महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। कोआपरेटिव सिस्टम के माध्यम से सीमान्त और लघु किसानों को एक करके बड़े तरीके से उसके डेवलपमेंट के लिए आपको सोचना चाहिए। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। मैं पुनः एक बार कहता हूँ कि आप चाहे जहाँ आधिग्रहण कर लो, यदि आप किसान को इस कानून में नहीं लाते हो तो पप्पू यादव कम से कम बिहार में आधिग्रहण नहीं होने देगा। मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूँगा।

अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा।

"देख लिया कितना बड़ा कुर्सी का ईमान,

रैली, नारा, पेटरा, मोहरा हुआ किसान।"

यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को सचेत करता हूँ कि देश के हित में अच्छा काम करें। ...(व्यवधान) नरेन्द्रभाई मोदी जो बोलते हैं, उनकी कथनी और करनी में फर्क न हो, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।

09.03.2015

**श्री हुकुम सिंह (कैराना) :** मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ... (व्यवधान)

मान्यवर, जब से यह चर्चा चल रही है, यह सही है कि किसानों की दुर्दशा पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला जा रहा है। यह भी सही कि किसान को आज जितना संपन्न होना चाहिए था, उतना किसान संपन्न नहीं है। उसको और आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या किसान की दुर्दशा का एकमात्र कारण यह भूमि आधिग्रहण कानून है? इस बात पर थोड़ा विचार करें। सारी बातों का दोष लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट को दे दो और कहो कि इसके कारण से किसान संपन्न नहीं हो पाया, यह ठीक नहीं है। यह तो एक एनेबलिंग एक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसके पास होने के बाद सब किसानों की ज़मीन का स्वतः आधिग्रहण हो जाएगा। यह तो एक शक्ति दी गई है सरकार को और कानून में यह प्रावधान है कि बिना कानूनी प्रोसैस के आप किसी की ज़मीन नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं तो कोई न कोई व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। व्यवस्था इसलिए कि कोई बड़ा काम आपको करना है, जनहित का काम करना है, लोक कल्याण का काम करना है, और उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में आपको यह अधिकार दे दिया गया कि आप ज़मीन ले लें।

मान्यवर, हमारे युवा नेता धर्मेन्द्र यादव जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत प्रभावशाली वक्ता हैं। उन्होंने सैफई का उदाहरण दिया, उन्होंने आगरा से लेकर लखनऊ तक के हाईवे का उदाहरण दिया। सैफई में बहुत अच्छा काम हुआ, मैडिकल कालेज बना, स्विमिंग पूल बने, हवाई अड्डा बना, सब कुछ आपने किया, लेकिन आप मानो, आपने कहा कि सहमति के आधार पर किया। अगर पाँच किसान सहमत न हुए होते और 90 किसान सहमत हो गए होते तो क्या आप प्रोजेक्ट रोकते? ... (व्यवधान) मैं पूरी बात कह लूँ, फिर आप कहिए। आपका हस्तक्षेप करना ठीक नहीं लग रहा है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** नहीं, यही तो समस्या है।

09.03.2015

[हिन्दी]

**श्री धर्मेन्द्र यादव:** 80 परसेंट का प्रावधान तो पहले से ही है, 70 परसेंट का भी है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** नहीं, उन्हे बोलने दीजिए।

श्री हुकुम सिंह जी, कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

**श्री हुकुम सिंह:** आपने नेशनल हाईवे की बात कही। हाईवे में सहमति ली, बहुत अच्छा किया। यह सहमति का प्रावधान तो है ही, यह आगे भी चलेगा। ...(व्यवधान) हमारी सबकी कोशिश भी यह होनी चाहिए कि हम आधिक से आधिक सहमति बना सकें। ...(व्यवधान) अगर आप इस प्रकार से टोकेंगे तो हम कैसे बोलेंगे...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** नहीं, कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

**श्री हुकुम सिंह:** कोशिश यह होनी चाहिए कि सहमति बने। लेकिन अगर हॉस्पिटल बनना है और कुछ लोग नहीं मान रहे हैं तो क्या आप उनके न मानने के कारण सारे प्रोजैक्ट को रोक देंगे? आपने अभी कहा कि कृषि के विकास के लिए सिंचाई की बात होनी चाहिए थी। आज प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के लिए खुद मोदी जी ने खड़े होकर कहा कि यहाँ पर चलेगी और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वह चलेगी और नहर निकालने की बात आएगी, तो प्रयास यह होगा कि उसमें सहमति बने। यह प्रयास होना भी चाहिए, सकारात्मक एप्रोच तो यही होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं मानते हैं, यहाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो किसी की नहीं मानते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा मिलेंगे लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हम सारे प्रोजैक्ट को रोककर बैठ जाएँ कि सहमति नहीं बन रही है इसलिए सारे प्रोजैक्ट को रोककर बैठ जाएँ?

09.03.2015

मान्यवर, मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ 7 चीनी मिलें हैं। वे 7 चीनी मिलें अगर न रही होतीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विकास की बात कही जाती है, वह सब का सब विकास ठप्प हो गया होता। हम गन्ना कहाँ डालते? अगर गन्ना डालने के लिए मिल की आवश्यकता पड़ेगी तो ज़मीन तो लेनी पड़ेगी। इसलिए एक एनेबलिंग एक्ट हमने बनाया। आपने भी बनाया। अंग्रेज़ों ने किसी और कारण से बनाया होगा। अब आप उसका हवाला देते हैं कि वही रहना चाहिए।

महोदय, हमारे कांग्रेस के नेता बोल रहे थे और वे बहुत विस्तार से तैयारी करके आए थे। वे बार-बार हमारे नेताओं का नाम ले रहे थे। हमारे गृह मंत्री जी का नाम उन्होंने लिया, विदेश मंत्री जी का नाम उन्होंने लिया। अपने को भी तो याद कर लेते कि कांग्रेस के कौन-कौन से नेता क्या कह रहे थे? मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे, आपके कैबिनेट रैंक के एक वरिष्ठ मंत्री क्या कह रहे थे? आपने हमारी बात सुनी, आप उनकी बात सुन लेते। अगर उनकी बात सुन लेते तो आज यह नौबत न आती। आज भारतीय जनता पार्टी अगर माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पॉवर में आई है तो उसका सबसे बड़ा कारण विकास करने का वादा था। अगर विकास करेंगे तो विकास के लिए हमें कुछ न कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। जमीन की आवश्यकता होगी तो जमीन भी लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेंगे, सहमति के आधार पर ही बैठे रहेंगे, हम भी किसान हैं और किसानों के बीच रहते हैं, हमें पता है कि क्या-क्या कारण आते हैं, क्या-क्या वजह आती हैं।

माननीय सत्पथी जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा की 65 हजार हेक्टेअर भूमि खेती के लिए कम हो गई। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भी हरियाणा से आते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 65 हजार हेक्टेअर की कमी आई है, उसमें आधिग्रहण 5 हजार हेक्टेअर के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। आज इसमें कमी क्यों आ रही है? किसान खेती से विमुख होता जा रहा है। वह क्यों विमुख होता जा रहा है, उन कारणों पर जाइए। भूमि आधिग्रहण की वजह से किसान परेशान नहीं है। किसान परेशान इसलिए है कि उसकी उपज का सही मूल्य उसे मिल जाए। किसान परेशान इसलिए है कि उसको इनपुट मौके पर मिल जाए, यूरिया मौके पर मिल जाए। किसान इसलिए परेशान है कि हर साल जोत घटती जा रही है। इस बारे में सभी ने उदाहरण दिए। हमारे बिहार के एक माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं। वे बता रहे थे कि 9 हजार एकड़ बाबा जी

09.03.2015

के पास थी, 80 बीघा उनके पास रह गई। परेशानी यह है कि 9 हजार को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। 80 बीघे की जब बात आती है तो वह जमीन आधिग्रहण में नहीं गई। आप दिल्ली की बात कह रहे हैं, कितनी ही अनाधिकृत कालोनीज दिल्ली में बनी हुई हैं, किसानों की जमीन पर बनी हुई हैं, उनका आधिग्रहण नहीं हुआ, वे लैंड एक्वीजिशन में नहीं गईं।

मान्यवर, जहां-जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, किसान को आकर्षण होगा कि यहां पर बजाए खेती के कालोनी बनाकर मुझे फायदा होगा, किसान को आकर्षण इस बात का होगा कि मेरी किराए की आमदनी बढ़ेगी, इसलिए वह गेहूं बोना छोड़कर वहां मकान बनवा देगा और लैंड यूज का इसके लिए प्रावधान है। लैंड यूज के बारे में पिछले एक-दो साल से यहां चर्चा चल रही है। लैंड यूज इतना आसान है, हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण घराने ने लैंड यूज बदलवा कर एक बीघे के एक करोड़ रूपए बना लिए। जब लैंड यूज की बात आती है, तो हर आदमी लाभ की तरफ चलता है, तो किसान को क्यों रोका जाए, किसान को क्यों मजबूर किया जाए कि वह खेती करे, क्या ऐसा कानून है? अगर किसान को उद्योग लगाने में आनन्द आ रहा है और वह जमीन के ऊपर उद्योग लगाता है या उद्योगपति के साथ अपना कोलैबरेशन करता है, तो उसमें रूकावट क्यों पैदा की जा रही है? हमें मूल तत्व में जाना चाहिए, किसान के सामने संकट क्या आया, दिक्कत क्या आई? आप देखेंगे कि अगले आठ-नौ महीने में, जो हमारी नीतियां आएं, कार्यक्रम आएं, वे किसान को कितना आकर्षित करने वाले होंगे और उसके पिछड़ेपन को दूर करने वाले होंगे। हम चाहेंगे कि किसान के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले।

आज क्या स्थिति है? आप अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाकर देखिए, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? किसान वहां अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसके पास आमदनी का सिलसिला नहीं है। वह अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता है। आज अगर किसान को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जिसकी उसको जरूरत है। खामखां किसान को भ्रमित करने के लिए एक नारा बना लिया। ऐसा जहर फैलाने का प्रयास किया, किसान तो लुट गया, कानून बन गया। इस कानून में कौन सा प्रावधान है कि इस एक्ट के पास होते ही किसान अपनी भूमि से वंचित हो जाएंगे। यह अंग्रेजों का

09.03.2015

बनाया हुआ कानून था। उन्होंने पार्क के लिए, अपने ऐशो-आराम के लिए डाक-बंगलों का जमीन आधिग्रहण किया होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी जिन उसूलों को लेकर यहां आए हैं, क्या आप सोचते हैं कि इस आधिनियम का, इस कानून का मिस यूज हो पाएगा? इसका मिस यूज नहीं हो पाएगा। यह आप लोगों के मन की शंका है या आप लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि उद्योगपतियों को जमीन चली जाएगी। उनकी जमीन नहीं जाएगी। जहां उद्योग लगने की आवश्यकता होगी और उद्योग में किसानों की भागीदारी इस प्रकार की होगी कि उनको रोजगार मिलेगा, उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। यह भी प्रावधान होगा कि केवल किसान ही नहीं, बल्कि उस भूमि से जो अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं, जिनकी जमीन में हिस्सेदारी भी नहीं है, उनको भी नौकरी मिलेगी। आप यह चाहेंगे या फिर यह चाहेंगे कि किसान लंगोटी पहनकर, हल चलाकर अपना गुजारा वैसा का वैसा ही करे और बाकी लोग आगे बढ़ते रहें। आज किसान न व्यापारी का मुकाबला कर पा रहा है और न उद्योगपति का मुकाबला कर पा रहा है। आज किसान के बच्चे भी आकर कहते हैं कि स्कूल में चपरासी लगवा दो। हमें क्लास-4 की नौकरी दिलवा दो। आज किसान की हालत यही है। हमने एक नारा दे दिया कि भूमि आधिग्रहण हो जाएगा तो किसान की जमीन छिन जाएगी, वह कहीं का नहीं रहेगा। इस बात का भ्रमित प्रचार करके समाज को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि एक माहौल बनाइए कि जो जमीन आधिग्रहण का नियम बना है, वह अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो, हमारे देश का विकास हो। मान लीजिए, अगर बाहर से पूंजी आनी है, बाहर की पूंजी के बिना काम चलने वाला नहीं है, बाहर की पूंजी अगर आएगी तो उसे आश्वासन चाहिए कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो उद्योग लगाने के लिए मुझे वहां सारी चीजें मिल जाएंगी। आज हम चीन से मुकाबला करना चाहते हैं। मेरे पास जानकारी है कि चीन में जो भूमि आधिग्रहण कानून है, वहां अगर कोई जनोपयोगी काम है, कोई योजना है, कोई बड़ा उद्योग लगना है तो वहां भूमि आधिग्रहण में कोई रुकावट पैदा होने वाली नहीं है। मैंने अमेरिका के कानून का भी अध्ययन किया है। वहां भी उन्होंने कहा है कि जनपयोगी कामों के लिए किसान की जमीन आधिग्रहण में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जमीन छिनी जा रही है। भूमि आधिग्रहण है, भूमि ग्रहण नहीं है और वह भूमि आधिग्रहण भी कानून की उचित प्रक्रिया के बाद होगा, कानून के अंतर्गत काम करेंगे तभी भूमि आधिग्रहण करेंगे।

09.03.2015

मेरा आग्रह है कि इस पर विचार होना चाहिए कि हम किसान की हालत को कैसे सुधारें? आज वास्तव में संकट की घड़ी है। किसान पिछड़ता जाएगा, पैदावार भी कम होगी। उसका खेती से मोहभंग क्यों हो रहा है? किस कारण से वह पीछे हटता जा रहा है, खेती छोड़ता जा रहा है? मैं खुद एक किसान हूँ और अपने परिवार में मैं देखता हूँ कि मुझे छोड़कर आधिकतर लोगों ने अपनी जमीन ठेके पर देनी शुरू कर दी, शहरों में रहना शुरू कर दिया। अब वे गांवों में रहना नहीं चाहते हैं। इसका कारण मुझे पता है। सरकार भी इस बात की जानकारी कर रही है। निश्चित रूप से एक दिन जरूर आएगा और इस सदन में भी वे बातें प्रस्तुत होंगी जब हम एक योजना बनाकर लाएंगे। वह एक सुनियोजित, सुविचारित योजना होगी कि इन-इन बातों से हम किसान की पैदावार बढ़ाएंगे, किसान की आर्थिक स्थिति को भी सुधारेंगे और इसमें समस्या है, इसका जो प्रचार किया जा रहा है, इसको रोकेंगे।

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि हमें दूषित प्रचार का मुकाबला करना चाहिए। इसके सामने झुकना नहीं चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे मन में ही यह शंका थी कि ये इसके संबंध में दूषित प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आज इनके सामने कोई मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा विहीन हो गए थे। जैसे आदमी कभी-कभी वेंटिलेटर पर चला जाता है, तो उसे कहीं न कहीं से ऑक्सीजन मिल जाती है। वैसे ही इन लोगों ने भी सोचा कि ऑक्सीजन मिल गया, भूमि आधिग्रहण का बिल आ गया, इसको लेकर चलिए। जब ये बातें किसानों के सामने आएंगी तो आपकी बातों को तो कोई स्वीकार करने वाला ही नहीं है। आज उसी का यह परिणाम है कि हम लोग तो इतनी संख्या में आज यहां बैठे हैं, लेकिन जो इसका विरोध करने वाले थे, विरोध के लिए विरोध करने वाले थे, उनका आज यहां से पलायन हो गया है। जैसे उनका यहां से पलायन हो गया है, वैसे ही उनका वहां से भी पलायन हो जाएगा।

इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस विषय को यहीं तक सीमित रखते हुए इस आधिनियम पर विश्वास करें। अपना विश्वास मत छोड़िए। आविश्वास को गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। यह विधेयक निश्चित रूप से किसान विरोधी नहीं है, यह देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। किसान केवल किसान न रहे। इसका

09.03.2015

डायवर्सिफिकेशन होना चाहिए। उसे भी अवसर मिलना चाहिए कि वे व्यापार में जा सकें, उद्योग में जा सकें। उन्हें शिक्षा मिले। उसके लिए हम काम कर सकें। उन्हें सुविधा मिल सके।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

09.03.2015

**डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भूमि आधिग्रहण बिल, 2015 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। काफी विस्तार से पक्ष और विपक्ष के लोगों ने अपनी बातें रखीं हैं। स्वामी सहजानन्द सरस्वती उत्तर प्रदेश से आते थे और किसानों के प्रणेता थे। उनका एक नारा था -

‘जो अन्न-वस्त्र उपजाएगा, सो कानून बनाएगा,

भारतवर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा।’

लेकिन पिछले 65 वर्षों में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती गयी। ‘लैंड टू द टीलर’ का नारा दिया गया। अब टीलर से लैंड ट्रांसफर हो रहा है कॉर्पोरेट हाउस को, एस.ई.जेड. को। अभी जो लोग कह रहे थे कि नौ हजार एकड़ ज़मीन से 80 एकड़ पर आ गए। मैं नहीं जानता हूँ कि कितना पहले था और अब क्या है? लेकिन, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की किसान विरोधी आचरण की वजह से किसानों की यह दुर्दशा हुई है। आज कई ऐसी परियोजनायें हैं, जो संकल्प के अभाव में, पिछली हुकूमत की गलत नीतियों के कारण बन्द पड़ी है। बिहार और झारखण्ड में गरीब किसानों की तिलैया ढांढर परियोजना हो या सोन के रिऑर्गनाइजेशन का प्लान हो, जिनके लिए किसानों ने 20-25 वर्षों से जमीन दे दी है लेकिन आज तक वहां डैम नहीं बन सका है। अभी माननीय सदस्य कौशलेन्द्र जी बोलेंगे नीतिश कुमार जी हमारे नेता थे, हम लोग किसानों की वकालत करते थे, लेकिन एन.टी.पी.सी. बना, हमने उसका उन दिनों भी विरोध किया था कि धीवर गांव में जहां किसान एक बीघा जमीन में सब्जी उगाकर एक लाख रुपया कमाते थे, आज उस जमीन को कौड़ी के दाम में लेकर, जिस तरीके से किसानों को महरूम किया गया है। कुछ देर बाद वे किसान बिल पर चर्चा करेंगे और विरोध में बोलेंगे तो उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। एन.टी.पी.सी. बनने के बाद, जिस किसान का बहुमंजिला मकान बना हुआ था, उसके घर में आज खाने के लिए दो जून की रोटी नहीं मिलती है। उसके अगल-बगल में जो जमीन रह गयी है, उसके राख से हजारों एकड़ जमीन प्रभावित हो रही हैं, किसान तबाह हैं। एक सवाल जिसके बारे में सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों के हित में जो भी संशोधन होंगे, उन्हें

09.03.2015

किसी भी कीमत पर किया जायेगा। इस देश का किसान यह मानता है कि 65 वर्षों के बाद कोई सरकार बनी है, जो अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ सफाई में स्वीमिंग पुल बना कर पीठ ठोकने से नहीं होगा, अगर वह बुन्देलखण्ड में बनता तो हम कहते कि उन्होंने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। आज तक किसानों के खिलाफ जो आभियान चला है, जो षडयंत्र चला है, उस षडयंत्र को तोड़ने के लिए, वर्ष 2013 में जो बिल आया है, उसमें भी काफी सुधार हुआ है, उससे भी एक मॉडर्नाइज्ड बिल किसानों के हित के लिए लाया गया है और आज सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। इसलिए विपक्ष के लोग ईमानदारी से, किसी ने ठीक ही कहा है कि वैन्टिलेशन पर थे, उनको एक मौका मिला है। इसके लिए सिर्फ इस बात का विरोध हो रहा है।

मान्यवर, मंत्री जी के क्षेत्र का वह मामला है। बिहार में अभी जो हमारी सरकार है, उसने किसानों को बहुत बड़ा अन्याय किया। वहां पर कल्टीवेटेड लैण्ड है, वहां पर सोन कैनाल है, वहां पर सुनिश्चित अनाज है, सरकार ने वहां जमीन आधिग्रहित की है। माननीय रामकृपाल यादव जी का क्षेत्र नौबतपुर के इलाके में है, वहां चीनी मिल के नाम पर किसानों से जमीन ली गयी लेकिन वहां माल्या ग्रुप की बीयर की फैक्ट्री बैठाई गई। जब उसका विरोध होने लगा तो वहां बख्तरबन्द पुलिस दस्ते ने किसानों के उस आन्दोलन को कुचलने का काम किया है। अब ऐसे सारे लोग किसानों की चिन्ता कर रहे हैं। बिहटा चीनी मिल, जिसमें स्वामी सहजानन्द सरस्वती सिगनेचरी थे, जिसमें यह था कि यदि बिहटा चीनी मिल बन्द होगी तो उनकी जमीन किसानों को लौटा दी जायेगी, उसे बेचा नहीं जायेगा, लेकिन उस सरकार ने 100 साल की लीज करके मिल की प्रॉपर्टी का बन्दरबांट किया। आज बिहार में ऐसे दस मिलों की जो जमीन किसानों की जमीन थी, प्रॉक्सी से बेची गयी। इसलिए इस बिल में उन सारे प्रावधानों को सम्मिलित किया जाये, जो किसानों के हित में हो लेकिन किसानों की जमीन लेकर उन्हें लूटने का काम नहीं किया जाये...(व्यवधान) वहां मॉल बनाने का काम नहीं किया जाये। ... (व्यवधान) मॉल और माल बनाने का काम ...<sup>14\*</sup> ने किया। वहां आज उनकी जो दुर्दशा है, उसे सब जानते हैं। जब चुनाव होगा तो उनका क्या हश्र होने वाला है? हम आपसे कहना चाहेंगे कि 65 वर्षों से आज तक जो

<sup>14\*</sup> कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

09.03.2015

साजिश रही है “भूमि जोतने वाले के पास, और जोतने वाले से विशेष आर्थिक क्षेत्र तक”, इस साजिश को इस बिल के माध्यम से तोड़ा जाएगा और जो राष्ट्र, किसान और पूरे देश के हित में निर्णय है, वही इस बिल में प्रावधान के माध्यम से किया जाएगा। जो सरकारें एक एजेंट के रूप में रियल एस्टेट का काम करती थीं, इस प्रावधान के माध्यम से उसे बंद किया जाएगा और यह निश्चित तौर से एक क्रान्तिकारी कदम है। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं।

09.03.2015

[अनुवाद]

**श्री जोस के. मणि (कोट्टायम):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक, श्री थोमस जेफरसन ने कहा था: "जब अन्याय कानून बन जाता है, तो प्रतिरोध कर्तव्य बन जाता है।" यदि इस विधेयक को बिना उचित संशोधनों के पारित किया जाएगा तथा किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले सभी प्रावधानों को नहीं हटाया जाएगा तो निश्चित रूप से पूरे देश में इसका विरोध होगा। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज चर्चा के दौरान हस्तक्षेप किया और कहा था कि ऐसे संशोधन होंगे जो गरीब-हितैषी और किसान-हितैषी होंगे।

प्रस्तावित विधेयक में अध्याय 3-क और धारा 10-क को शामिल करने से केंद्र सरकार को उन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने की पूरी छूट मिल जाएगी, जिनके बारे में वह मानती है कि वे 'सार्वजनिक उद्देश्य' की पूर्ति करेंगी। हालाँकि, गहन जांच से पता चलता है कि धारा 10-क में परिकल्पित 'सार्वजनिक उद्देश्य' परीक्षण में विफल हो जाता है। इसमें सामाजिक अवसंरचना, ग्रामीण अवसंरचना और औद्योगिक गलियारे जैसी व्यापक दायरे वाली शिथिल रूप से परिभाषित परियोजनाएं शामिल हैं। यह धारा सरकार को किसी भी परियोजना को अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना या ग्रामीण अवसंरचना परियोजना के रूप में अधिसूचित करने में व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करती है। मुझे लगता है कि धारा 10-क का समावेश एक झटके में अधिनियम की भावना को पूरी तरह से कमजोर कर देता है और इसे ब्रिटिश द्वारा अधिनियमित अन्यायपूर्ण 1894 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के करीब ले जाता है। रक्षा परियोजनाओं के अलावा, अन्य किसी भी प्रकार की परियोजना को सामाजिक प्रभाव आकलन, ग्राम सभा के साथ चर्चा और प्रभावित लोगों के लिए उचित पुनर्वास योजना से छूट नहीं दी जानी चाहिए। यह धारा सरकार को विकास के लिए बहु-फसल वाली सिंचित भूमि का अंधाधुंध अधिग्रहण करने में भी सक्षम बनाएगी।

महोदय, निजी महाविद्यालय और अस्पताल भी 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। इस मामले में 'सार्वजनिक उद्देश्य' का अर्थ होगा 'सस्ती स्वास्थ्य सेवा और महाविद्यालय उपलब्ध कराना।'

09.03.2015

यह विधेयक गरीबों और वंचितों को गुणवत्तापूर्ण, किफायती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी अधिग्रहित भूमि पर बनाए जाने वाले कॉलेजों और अस्पतालों पर कोई बाध्यता प्रदान नहीं करता है। ऐसी भूमि पर महंगे महाविद्यालय और अस्पताल बनाने से कोई 'सार्वजनिक उद्देश्य' पूरा नहीं होगा। यह विधेयक यह स्पष्ट नहीं करता कि ऐसे निजी अस्पताल, विद्यालय और महाविद्यालय सामाजिक प्रभाव आकलन से मुक्त हैं, लेकिन वे भी यह कहकर प्रक्रिया की अनदेखी कर सकते हैं कि यह 'सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजना' के अंतर्गत आता है।

विधेयक में परियोजनाओं के लिए निर्धारित पांच वर्ष की समय-सीमा को कम कर दिया गया है, जिसके बाद यदि भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है तो वह भूमि मालिक को वापस कर दी जाएगी। धारा 102 में संशोधन से उस प्रावधान में परिवर्तन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि, "यदि भूमि पांच वर्ष की अवधि तक अप्रयुक्त रहती है तो भूमि मूल भूमि मालिक या भूमि बैंक को वापस कर दी जाएगी।" यहां पांच वर्ष की अवधि को सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि अथवा पांच वर्ष, जो भी कम हो, में बदल दिया गया है।

### **सायं 7.00 बजे**

यह एक बहुत ही अस्पष्ट प्रावधान है। सरकार को अपने द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा का औचित्य सिद्ध करना होगा, तथा इसके लिए एक रूपरेखा परियोजना योजना भी तैयार करनी होगी। यह किसानों के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि यह विधेयक 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। इससे गरीब लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान सरकार का विकास लक्ष्य ऐसा है कि एक का विकास दूसरे की कीमत पर हासिल किया जाएगा। इसलिए, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि वे सभी पहलू हटाए जाएं जो किसानों के हितों के विपरीत हैं।

09.03.2015

**माननीय उपाध्यक्ष :** सभा कल 10 मार्च, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**सायं 7.01 बजे**

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 मार्च, 2015 / 19 फाल्गुन, 1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

### इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

### लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

---

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के  
अन्तर्गत प्रकाशित

---